


भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
का

31 मार्च 2016 को समाप्त हुए वर्ष का
राज्य वित्त से संबंधित प्रतिवेदन



झारखण्ड सरकार

झारखण्ड सरकार

वर्ष 2016 का प्रतिवेदन संख्या 5

**भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
का
राज्य वित्त से संबंधित प्रतिवेदन**

31 मार्च 2016 को समाप्त हुए वर्ष

झारखण्ड सरकार
वर्ष 2016 का प्रतिवेदन संख्या 5

विषय सूची

	संदर्भ	
	कंडिका	पृष्ठ सं.
प्रस्तावना	-	v
कार्यकारी सारांश	-	vii

अध्याय 1: राज्य सरकार के वित्त		
झारखण्ड की रूपरेखा		1
परिचय	1.1	2
वर्ष 2015-16 के राजकोषीय लेन देनों का सारांश	1.1.1	2
राजकोषीय स्थिति की समीक्षा	1.1.2	4
बजट अनुमान एवं वास्तविक आँकड़े	1.1.3	5
लिंगानुपातिक (जेण्डर) बजटीकरण	1.1.4	6
राज्य के संसाधन	1.2	7
वार्षिक वित्त लेखे के अनुसार राज्य के संसाधन	1.2.1	7
राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों को राज्य बजट के बाहर हस्तांतरित निधि	1.2.2	10
राजस्व प्राप्तियाँ	1.3	11
राज्य के स्वयं के संसाधन	1.3.1	13
भारत सरकार से सहायता अनुदान	1.3.2	15
केन्द्रीय कर हस्तांतरण	1.3.3	16
त्यक्त राजस्व	1.3.4	16
पूँजीगत प्राप्तियाँ	1.4	17
ऋणों एवं अग्रिमों से वसूलियाँ	1.4.1	18
आंतरिक स्रोतों से ऋण प्राप्तियाँ	1.4.2	18
भारत सरकार (भा.स.) से ऋण तथा अग्रिम	1.4.3	18
लोक लेखा प्राप्तियाँ	1.5	18
संसाधनों के अनुप्रयोग	1.6	19
व्यय के संघटक एवं वृद्धि	1.6.1	19
राजस्व व्यय (आर.ई.)	1.6.2	20
प्रतिबद्ध व्यय	1.6.3	21
वृहत कार्यक्रम	1.6.4	24
स्थानीय शहरी निकायों एवं पंचायती राज संस्थानों के कार्यों और निधियों का हस्तांतरण	1.6.5	25
व्यय की गुणवत्ता	1.7	28
लोक व्यय की पर्याप्तता	1.7.1	28
व्यय के उपयोग की दक्षता	1.7.2	30
सरकारी व्यय एवं निवेश का वित्तीय विश्लेषण	1.8	33
पूर्ण सिंचाई योजनाओं के वित्तीय परिणाम	1.8.1	33
अपूर्ण परियोजनाएँ	1.8.2	33

विषय सूची

	संदर्भ	
	कंडिका	पृष्ठ सं.
निवेश एवं लाभांश	1.8.3	34
राज्य सरकार द्वारा दिया गया ऋण एवं अग्रिम	1.8.4	34
रोकड़ शेष एवं रोकड़ शेष का निवेश	1.8.5	35
परिसम्पत्तियाँ एवं दायित्व	1.9	36
परिसम्पत्तियाँ एवं दायित्वों की वृद्धि एवं संयोजन	1.9.1	36
राजकोषीय दायित्व	1.9.2	37
संरक्षित निधि के अंतर्गत लेन-देन	1.9.3	38
प्रत्याभूति की स्थिति - आकस्मिक दायित्व	1.9.4	39
ऋण प्रबंधन	1.10	39
ऋण की रूप रेखा	1.10.1	39
ऋण धारणीयता	1.10.2	40
राजकोषीय असंतुलन	1.11	41
घाटे की प्रवृत्तियाँ	1.11.1	41
वित्तीय घाटे के अवयव एवं इसके वित्त पोषण का स्वरूप	1.11.2	43
घाटा/अधिशेष की गुणवत्ता	1.11.3	43
निष्कर्ष एवं अनुशंसाएँ	1.12	44
अध्याय 2 : वित्तीय प्रबंधन एवं बजटीय नियंत्रण		
परिचय	2.1	47
बजट प्रबंधन की प्रक्रिया	2.2	47
विनियोग लेखे के सारांश	2.3	48
वित्तीय दायित्व एवं बजटीय प्रबंधन	2.4	49
आवंटित प्राथमिकताओं के सापेक्ष विनियोग	2.4.1	49
प्रत्याशित बचत का अभ्यर्पण नहीं करना	2.4.2	50
सतत् बचत	2.4.3	51
परिहार्य/अत्यधिक अनुपूरक प्रावधान	2.4.4	54
आकस्मिकता निधि से अग्रिम	2.4.5	54
विगत वर्षों से संबंधित प्रावधान से आधिक्य व्यय को विनियमित करने की आवश्यकता	2.4.6	55
निधियों का अत्यधिक/अपर्याप्त पुनर्विनियोजन	2.4.7	56
निधियों का वृहद पैमाने पर अभ्यर्पण	2.4.8	56
व्यय की तीव्रता	2.5	56
विभागीय आँकड़ों का असमाशोधन	2.6	56
अनुदान संख्या 48 - नगर विकास एवं आवास विभाग में बजटीय प्रक्रिया का अनुपालन लेखापरीक्षा	2.7	57
परिचय	2.7.1	57
विभाग की विगत चार वर्षों की बजटीय स्थिति	2.7.2	57

	संदर्भ	
	कंडिका	पृष्ठ सं.
संगठनात्मक ढाँचा	2.7.3	58
बजट प्राक्कलनों को विलम्ब से जमा किया जाना	2.7.4	58
अवास्तविक बजट अनुमान	2.7.5	59
परिहार्य अनुपूरक प्रावधान	2.7.6	59
वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन प्रत्यर्पण	2.7.7	60
व्यय का वेग	2.7.8	60
विभागीय व्यय के आँकड़ों का असमाशोधन	2.7.9	60
कुल बजट प्रावधान का अभ्यर्पण	2.7.10	61
निष्कर्ष एवं अनुशंसाएँ	2.8	61
अध्याय 3: वित्तीय प्रतिवेदन		
अनुदान के विरुद्ध बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्र का अनुपालन लेखापरीक्षा	3.1	63
परिचय	3.1.1	63
अनुदानों के विरुद्ध बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्र	3.1.2	65
अनुदानों का अनुपयोग	3.1.3	66
उपयोगिता प्रमाण-पत्रों के प्रस्तुतीकरण में विलम्ब	3.1.4	67
निधि व्यक्तिगत बही/बैंक खाते में रखना	3.1.5	67
स्वायत्त निकायों, प्राधिकरणों एवं अनुदानग्राही संस्थानों के लेखाओं का प्रस्तुतीकरण एवं लेखापरीक्षा	3.2	68
सी.ए.जी. के (डी.पी.सी.) अधिनियम, 1971 की धारा 14 एवं 15 के अंतर्गत लेखापरीक्षा	3.2.1	68
सी.ए.जी. के (डी.पी.सी.) अधिनियम, 1971 की धारा 19 के अधीन लेखापरीक्षा	3.2.2	69
नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा संक्षिप्त आकस्मिक विपत्रों पर आहरित निधियों की लेखापरीक्षा	3.3	70
परिचय	3.3.1	70
दुर्विनियोग, क्षति इत्यादि के मामलों का प्रतिवेदन	3.4	72
राजस्व तथा पूँजी के बीच वर्गीकरण	3.5	73
निधि आहरित कर व्यक्तिगत बही (पी.एल.)/बैंक खाते में रखना	3.6	73
लघु शीर्ष "800" के अन्तर्गत प्रविष्टि	3.7	74
रोकड़ शेष में अंतर	3.8	75
लेखे की शुद्धता को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण अवयव	3.9	75
राज्य वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का अनुपालन	3.10	77
निष्कर्ष एवं अनुशंसाएँ	3.11	77

विषय सूची

परिशिष्ट सं.	विवरण	पृष्ठ सं.
परिशिष्ट 1.1 भाग-ए	झारखण्ड की रूपरेखा	81
परिशिष्ट 1.1 भाग-बी	सरकारी लेखे की संरचना एवं रूपरेखा	82
परिशिष्ट 1.1 भाग-सी	वित्त लेखे का अभिन्यास	82
परिशिष्ट 1.2	राजकोषीय स्थिति के मूल्यांकन हेतु अंगीकृत कार्य प्रणाली	83
परिशिष्ट 1.3	राज्य सरकार के वित्त पर कालबद्ध आँकड़े	84
परिशिष्ट 1.4 भाग-ए	वर्ष 2015-16 के लिए प्राप्तियों एवं संवितरणों का सार	87
परिशिष्ट 1.4 भाग-बी	31 मार्च 2016 को झारखण्ड सरकार की संक्षिप्त वित्तीय स्थिति	90
परिशिष्ट 1.5 भाग-ए	74 ^{वें} संवैधानिक संशोधन अधिनियम(अनुसूची XII) के अनुसार स्थानीय नगर निकायों के कार्यों का विवरण	92
परिशिष्ट 1.5 भाग-बी	74 ^{वें} संवैधानिक संशोधन अधिनियम (अनुसूची XII) के अनुसार पंचायतीराज संस्थाओं के कार्यों का विवरण	93
परिशिष्ट 2.1	विभिन्न अनुदानों/विनियोग की विवरणी जहाँ बचत ₹ 10 करोड़ और कुल प्रावधान से 20 प्रतिशत अधिक रहा	94
परिशिष्ट 2.2	उप-शीर्षवार विवरण जहाँ वर्ष 2015-16 के दौरान पर्याप्त बचत (₹ 20 करोड़ एवं अधिक) हुआ	96
परिशिष्ट 2.3	₹ एक करोड़ एवं अधिक बचत की विवरणी जो अभ्यर्पित नहीं की गई	104
परिशिष्ट 2.4	31 मार्च 2016 को ₹ 10 करोड़ से अधिक अभ्यर्पित राशि के मामले	106
परिशिष्ट 2.5	मामले जहाँ अनुपूरक अनुदान (प्रत्येक मामले में ₹ एक करोड़ या अधिक) अनावश्यक साबित हुए	110
परिशिष्ट 2.6	पिछले वर्ष के प्रावधानों से अधिक व्यय का विनियमन अपेक्षित	113
परिशिष्ट 2.7	निधि का आधिक्य/अपर्याप्त पुनर्विनियोग	114
परिशिष्ट 2.8	वर्ष के दौरान किये गये पर्याप्त अभ्यर्पण के समीक्षा के परिणाम	115
परिशिष्ट 2.9	वर्ष के अंत में व्यय का वेग	128
परिशिष्ट 2.10	नियंत्रक अधिकारियों की सूची जहाँ वर्ष 2015-16 के दौरान व्यय असंशोधित रह गया (प्रत्येक मामले में ₹10 करोड़ से अधिक की राशि)	129
परिशिष्ट 2.11	वित्तीय वर्ष 2015-16 के अंतिम दिन अभ्यर्पण के ब्यौरे	130
परिशिष्ट 2.12	व्यय का वेग	133
परिशिष्ट 2.13	समस्त बजट प्रावधान का अभ्यर्पण	135
परिशिष्ट 3.1	31 मार्च 2016 तक बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्र	136
परिशिष्ट 3.2	सी.ए.जी. के डी.पी.सी. अधिनियम की धारा 14 एवं 15 के अधीन चिन्हित लेखापरीक्षा योग्य इकाइयों की सूची	137
परिशिष्ट 3.3	राजस्व अनुभाग के अधीन मुख्य कार्य	140
परिशिष्ट 3.4	लघु-शीर्ष 800-अन्य व्यय का संचालन (10 प्रतिशत एवं अधिक)	140
परिशिष्ट 3.5	लघु शीर्ष 800-अन्य प्राप्तियाँ (40 प्रतिशत एवं अधिक) का संचालन	141
परिशिष्ट 4.1	प्रतिवेदन में प्रयुक्त व्याख्यान शब्दावलि (गणना के आधार) की सूची	142

प्रस्तावना

1. यह प्रतिवेदन संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत झारखण्ड के राज्यपाल को प्रस्तुत करने हेतु तैयार किया गया है।
2. इस प्रतिवेदन के अध्याय 1 एवं अध्याय 2 में 31 मार्च 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए राज्य सरकार के क्रमशः वित्त लेखे एवं विनियोग लेखे की जाँच में पायी गयी लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ शामिल हैं। आवश्यकतानुसार सूचनाएँ झारखण्ड सरकार से प्राप्त की गयी हैं।
3. अध्याय 3 'वित्तीय प्रतिवेदन' वर्ष के दौरान राज्य सरकार द्वारा विभिन्न वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं एवं निर्देशों के अनुपालन की स्थिति का विहंगावलोकन प्रस्तुत करता है।
4. निष्पादन लेखापरीक्षा एवं विभिन्न विभागों में लेन-देन लेखापरीक्षा निष्कर्षों और सांविधिक निगमों, बोर्डों व सरकारी कम्पनियों के लेखापरीक्षा से उत्पन्न प्रेक्षण वाले प्रतिवेदन तथा राजस्व प्राप्तियों पर प्रेक्षण वाले प्रतिवेदन अलग से प्रस्तुत किये जाते हैं।

कार्यकारी सारांश

कार्यकारी सारांश

झारखण्ड सरकार के 31 मार्च 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लेखापरीक्षित लेखे पर आधारित यह प्रतिवेदन राज्य सरकार के वार्षिक लेखे का विश्लेषणात्मक समीक्षा प्रस्तुत करता है। राज्य के वित्तीय निष्पादन का मूल्यांकन राजकोषीय दायित्व एवं बजटीय प्रबंधन (एफ.आर.बी.एम.) अधिनियम 2007, वर्ष 2011 एवं वर्ष 2012 में यथासंशोधित, बजट दस्तावेजों, आर्थिक समीक्षा, चौदहवें वित्त आयोग के प्रतिवेदन तथा विभिन्न सरकारी विभागों एवं संस्थाओं से प्राप्त अन्य वित्तीय आँकड़ों पर आधारित है। प्रतिवेदन तीन अध्यायों में संरचित है।

अध्याय-1 वित्त लेखे की लेखापरीक्षा पर आधारित है और 31 मार्च 2016 को सरकार के राजकोषीय स्थिति का मूल्यांकन करती है। यह सरकारी निवेशों एवं उनके प्रतिफलों के अलावा प्रतिबद्ध व्यय के बजट आकलनों और ऋण प्रतिरूपों की तुलना में राज्य के सम्पूर्ण वित्तीय स्थिति, वास्तविकता की प्रवृत्ति पर एक अंतर्दृष्टि प्रस्तुत करता है।

अध्याय-2 विनियोजन लेखे की लेखापरीक्षा पर आधारित है और विनियोजनों की अनुदान-वार विवरणी एवं रीति जिसमें आवंटित संसाधनों का सेवा प्रदाता विभागों द्वारा प्रबंधन किया जाता है के तरीकों को प्रस्तुत करती है।

अध्याय-3 शहरी विकास विभाग के उपयोगिता प्रमाण पत्रों के अध्ययन पर आधारित लेखापरीक्षा निरीक्षणों के साथ-साथ विभिन्न प्रतिवेदन संबंधी आवश्यकताओं एवं वित्तीय नियमावलियों के झारखण्ड सरकार के अनुपालन की सूची है।

इस प्रतिवेदन में निष्कर्षों की पुष्टि हेतु अनेक स्रोतों से संग्रहित अतिरिक्त आँकड़ों का परिशिष्ट भी समाहित है। अंत में **परिशिष्ट 4.1** प्रतिवेदन में प्रयुक्त किये गये राज्य वित्त से संबंधित शब्दों एवं संक्षिप्त रूपों की शब्दावली को प्रस्तुत करती है।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष एवं अनुशंसाएँ

अध्याय-1 राज्य सरकार के वित्त

राजकोषीय स्थिति

- वर्ष 2015-16 के दौरान झारखण्ड का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.) चौदहवें वित्त आयोग (चौ.वि.आ.) के उक्त वर्ष के लक्ष्य 11.73 प्रतिशत के विरुद्ध 11.4 प्रतिशत की दर से बढ़ा। यह भारत के स.रा.घ.उ. 8.7 प्रतिशत की वृद्धि दर से बेहतर था। झारखण्ड के स.रा.घ.उ. में वृद्धि मुख्यतः प्राथमिक क्षेत्र में राज्य के घरेलू उत्पादों के मूल्य में 17 प्रतिशत वृद्धि के कारण हुआ।

(झारखण्ड की रूपरेखा)

- वर्ष 2015-16 के दौरान बजट आकलन के विरुद्ध सामाजिक सेवाओं (₹ 6,790 करोड़) और आर्थिक सेवाओं (₹ 1,578 करोड़) में कम व्यय के कारण राज्य के पास ₹ 4,085 करोड़ का अतिरिक्त राजस्व था।
- वर्तमान वर्ष के दौरान, उदय बाँड में ₹ 5,553 करोड़ की प्राप्ति के कारण राजकोषीय घाटा ₹ 11,523 करोड़ बढ़ गया। यह स.रा.घ.उ. का 4.8 प्रतिशत था जो चौ.वि.आ. द्वारा अनुशंसित सीमा (3.5 प्रतिशत) से काफी अधिक था।

कंडिका 1.1.2

संसाधनों का संचरण (मोबिलाईज़ेशन)

- वर्ष 2015-16 के दौरान, राजस्व प्राप्तियाँ मुख्यतः केंद्रीय करों की प्राप्ति में ₹ 6,482 करोड़ की वृद्धि के कारण वर्ष 2014-15 के दौरान 20.8 प्रतिशत के तदनु रूप वृद्धि के विरुद्ध पिछले वर्ष के सापेक्ष 28.7 प्रतिशत की दर से बढ़ीं। तथापि, बजट आकलन की तुलना में, मुख्यतः भारत सरकार से सहायता-अनुदान (₹ 7,685 करोड़) की कम प्राप्ति के कारण वर्ष 2015-16 के दौरान राजस्व प्राप्तियाँ ₹ 7,389 करोड़ कम थीं।
- वर्ष 2015-16 के दौरान, कुल राजस्व प्राप्तियों का 57 प्रतिशत केन्द्रीय कर अंतरण एवं भारत सरकार के अनुदानों से आया जबकि शेष योगदान राज्य के अपने संसाधनों का था।

कंडिका 1.3

व्यय की गुणवत्ता

- वर्ष 2015-16 के दौरान, पूँजीगत व्यय (सी.ई.) वर्ष 2014-15 के ₹ 5,543 करोड़ के विरुद्ध बढ़कर ₹ 8,159 करोड़ हो गया। वर्ष 2015-16 के दौरान कुल व्यय से पूँजीगत व्यय की प्रतिशतता 16 प्रतिशत और स.रा.घ.उ. से पूँजीगत व्यय की प्रतिशतता 3.4 प्रतिशत था।

कंडिका 1.6.1.1

- वर्ष 2014-15 के 83 प्रतिशत के विरुद्ध वर्ष 2015-16 के दौरान राजस्व व्यय (आर.ई.) कुल व्यय (₹ 52,192 करोड़) का 70 प्रतिशत था। कुल राजस्व व्यय में योजनागत राजस्व व्यय का हिस्सा वर्ष 2014-15 के 39 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2015-16 में 43 प्रतिशत हो गया।

कंडिका 1.6.2 व 1.6.2.1

- राज्य द्वारा स्थानीय निकायों और अन्य संस्थानों को वित्तीय सहायता वर्ष 2014-15 के ₹ 12,404.02 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2015-16 के दौरान ₹ 14,890.92 करोड़ हो गया।

कंडिका 1.6.4

- वर्ष 2015-16 के दौरान, कुल व्यय से विकासात्मक व्यय व पूँजीगत व्यय की प्रतिशतता सामान्य श्रेणी के राज्यों से उच्चतर था। तथापि, राज्य ने सामान्य श्रेणी के राज्यों की तुलना में शिक्षा क्षेत्र एवं स्वास्थ्य क्षेत्र को कम प्राथमिकता दिया है।

कंडिका 1.7.1

विकासात्मक व्यय पर जोर

- वर्ष 2014-15 में विकासात्मक राजस्व व्यय की वृद्धि दर के 55 प्रतिशत से घटकर 2015-16 में 47 प्रतिशत होने के कारण वर्ष 2015-16 के दौरान, कुल व्यय से विकासात्मक व्यय की वृद्धि दर 2014-15 के 49 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2015-16 में 46 प्रतिशत हो गयी। वर्ष 2015-16 के दौरान, कुल व्यय में विकासात्मक पूँजीगत व्यय का हिस्सा 29 प्रतिशत था।

कंडिका 1.7.2

अपूर्ण परियोजनाएँ

- मार्च 2016 तक, पूर्ण किये जाने की निर्धारित तिथि से परे 195 अपूर्ण परियोजनाएँ थीं जिसमें ₹ 2,088.85 करोड़ अवरूद्ध था। इन कार्यों के निष्पादन में विलम्ब लागत में वृद्धि के जोखिम को आमंत्रित करता है। साथ ही, इन परियोजनाओं से वांछित लाभों की प्राप्ति भी नहीं किया जा सका।

कंडिका 1.8.2

सरकारी निवेशों से आय

- 31 मार्च 2016 को, झारखण्ड सरकार ने सरकारी कंपनियों, को-ऑपरेटिव, बैंकों और सोसायटियों इत्यादि में ₹ 267 करोड़ का निवेश किया। वर्ष 2015-16 के दौरान आय मात्र 0.47 करोड़ था हालांकि सरकार ने वर्ष 2015-16 के दौरान अपने उधारों पर 6.63 प्रतिशत के औसत दर पर ब्याज का भुगतान किया।

कंडिका 1.8.3

राजकोषीय दायित्व

- वर्ष 2015-16 के दौरान राज्य का राजकोषीय दायित्व (₹ 56,530 करोड़) मुख्यतः आंतरिक ऋण में 34 प्रतिशत वृद्धि के कारण 29.7 प्रतिशत तक बढ़ा। राजकोषीय दायित्व स.रा.घ.उ. का 23.4 प्रतिशत था।
- सरकार ने ऋणों के परिशोधन (अमॉर्टाईजेशन) के लिए सिंकिंग फंड की स्थापना नहीं किया है।

कंडिका 1.9.2

ऋण प्रबंधन

- इनक्रिमेंटल गैर ऋण प्राप्तियाँ (संसाधन अंतराल) वर्ष 2014-15 के (-) ₹ 2,885 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2015-16 में ₹ 4,313 करोड़ हो गया जो कि राज्य के राजकोषीय स्थिति में सुधार का सूचक है। उधार ली गयी निधि की शुद्ध उपलब्धता वर्ष 2014-15 के ₹ 3,313 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2015-16 में ₹ 9,641 करोड़ हो गया। वर्ष 2015-16 में राजस्व प्राप्तियों से ब्याज भुगतान का अनुपात 8.17 प्रतिशत रहा।

(कंडिका 1.10.2)

अध्याय-2 वित्तीय प्रबंधन एवं बजटीय नियंत्रण

अनुचित बजट आकलन के कारण विशाल बचत

- वर्ष 2015-16 के दौरान ₹ 17,524.86 करोड़ की विशाल बचत हुई जो अनुचित बजट आकलन को इंगित करती है। विभिन्न योजनाओं/उप-शीर्षों के अन्तर्गत विशाल बचत राज्य में विभिन्न विकासपरक योजनाओं के कार्यान्वयन को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकती है। सामाजिक सेवाओं एवं आर्थिक सेवाओं से संबंधित 11 विभागों में विगत पाँच वर्षों के दौरान सतत् बचत जो अनुदान के 10 प्रतिशत या अधिक से कम नहीं था भी देखा गया।

कंडिका 2.3 एवं 2.4.3

आकस्मिकता निधि से अग्रिम

- वर्ष 2015-16 के दौरान 49 अवसरों पर आकस्मिकता निधि से ₹ 164.52 करोड़ की अग्रिम राशि वैसे व्यय हेतु आहरित किए गए जो न तो अप्रत्याशित और न ही आकस्मिक प्रकृति के थे। कुछ उद्देश्य जिनके लिये अग्रिम आहरित किये गये वे थे 'पूँजीगत निवेश वृद्धि हेतु सब्सिडी (₹ 41.42 करोड़)', 'पूँजीगत संपत्तियों का सृजन (₹ 36 करोड़)', 'कार्यालय व्यय, मोटर वाहनों की मरम्मत एवं इंधन (₹ 20.23 करोड़)' इत्यादि।

कंडिका 2.4.5

2001-15 के दौरान प्रावधानों से आधिक्य व्यय को विनियमित करने की आवश्यकता

- 2001-15 के दौरान बजट प्रावधानों से ₹ 2,739.12 करोड़ का अधिक व्यय किया गया। इसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 205 के अन्तर्गत विनियमित किया जाना आवश्यक है।

कंडिका 2.4.6

पर्याप्त निधियों का प्रत्यर्पण

- ₹ 3,066.98 करोड़ की राशि के 263 ऐसे मामले थे जिसमें संपूर्ण प्रावधान एवं ₹ 50 लाख से अधिक प्रत्यर्पित किये गये।

कंडिका 2.4.8

वर्ष 2015-16 के दौरान नगर विकास एवं आवासीय विभाग में बजटीय नियंत्रण का अभाव

- नगर विकास एवं आवासीय विभाग बजट मैनुअल के प्रावधानों का अनुपालन नहीं कर रहा था जिसके कारण बजटीय नियंत्रण में कमी आई। इसके परिणामस्वरूप वित्तीय वर्ष के अंत में ₹ 889.21 करोड़ की बड़ी बचत, 40 उप-शीर्षों में ₹ 789.61 करोड़ के व्यय का वेग हुआ। ₹ 1,575.29 करोड़ के लेखे का भी प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक.) के बुक से समायोजन नहीं हुआ।

कंडिका 2.7

अध्याय-3 वित्तीय प्रतिवेदन

अनुदानों के विरुद्ध बकाया उपयोगिता प्रमाण पत्र

- विभिन्न विभागों द्वारा वर्ष 2014-15 तक सहायता-अनुदान विपत्रों के विरुद्ध आहरित ₹ 22,325.68 करोड़ के उपयोगिता प्रमाण-पत्र 31 मार्च 2016 तक बकाया थे। यह निर्धारित उद्देश्य के लिए अनुदानों के ससमय उपयोगिता को सुनिश्चित करने हेतु निर्धारित नियमावलियों एवं प्रक्रियाओं के अनुपालन में विभागीय पदाधिकारियों की विफलता का सूचक था।

कंडिका 3.1.1

- वर्ष 2000-16 के दौरान आहरित ₹ 17,081 करोड़ कुल मूल्य के ए.सी. विपत्रों के विरुद्ध ₹ 11,610 करोड़ कुल राशि का डी.सी. विपत्र प्राप्त किया गया। इसके परिणामस्वरूप 16 मई 2016 तक ₹ 5,471 करोड़ मूल्य का डी.सी. विपत्र बकाया शेष रहा।

कंडिका 3.3.1

निधियों को व्यक्तिगत बही खाते में रखना

- मार्च 2016 के अंत तक ₹ 5,217.97 करोड़ का एक विशाल शेष व्यक्तिगत बही खातों में था। सरकारी राशि को व्यपगत होने से रोकने हेतु आहरण और उसे विधानमंडल द्वारा अनुमोदित वर्ष के बजाय अन्य वर्षों में व्यय करने हेतु व्यक्तिगत बही खाते में रखने से न सिर्फ वित्तीय नियमों का उल्लंघन हुआ बल्कि इसने राज्य के बजटीय नियंत्रण को भी विफल किया।

कंडिका 3.6

अध्याय-1

राज्य सरकार के वित्त

अध्याय - 1

राज्य सरकार के वित्त

झारखण्ड की रूपरेखा

झारखण्ड राज्य, जिसका गठन नवम्बर 2000 में बिहार राज्य के विभाजन के पश्चात किया गया था, 79,714 वर्ग कि.मी. में फैला है। भौगोलिक क्षेत्र के अनुसार यह देश का 16^{वाँ} सबसे बड़ा राज्य है। जैसा कि **परिशिष्ट 1.1 भाग-ए** में दर्शाया गया है राज्य की जनसंख्या 2001 के 2.69 करोड़ से बढ़कर 2011 में 3.30 करोड़ हो गई जो दोनों जनगणना आँकड़ों के बीच 22.68 प्रतिशत की वृद्धि है। अखिल-भारतीय औसत 30 की तुलना में गरीबी रेखा से नीचे की जनसंख्या 42.4 प्रतिशत थी। 2015-16 में वर्तमान मूल्य पर राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.) ₹ 2,41,955 करोड़ था। राज्य की साक्षरता दर 44 प्रतिशत (वर्ष 2001 जनगणना के अनुसार) से बढ़कर 66.41 प्रतिशत (वर्ष 2011 जनगणना के अनुसार) हो गई। वर्तमान मूल्य पर, वर्ष 2015-16 के दौरान राज्य का प्रति व्यक्ति आय ₹ 72,307 रहा।

सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.)

स.रा.घ.उ. निर्धारित समयावधि में राज्य के भीतर उत्पादित आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त तैयार सामग्रियों तथा सेवाओं का बाजार मूल्य है। राज्य के स.रा.घ.उ. की वृद्धि राज्य की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण सूचक है क्योंकि यह राज्य की जनसंख्या के जीवन स्तर को दर्शाता है। 2011-12 को आधार वर्ष मानकर प्रकाशित किये गये नये स.रा.घ.उ. आँकड़े का उपयोग किया गया है। इस प्रकार, 2011-12, 2012-13, 2013-14, 2014-15 व 2015-16 वर्षों हेतु संबद्ध तालिका में, जैसा कि पिछले लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में प्रकाशित हुआ था, में प्रतिशतताओं/अनुपातों में परिवर्तन हुआ है। वर्तमान मूल्यों पर भारत के स.रा.घ.उ. की वार्षिक वृद्धि के साथ राज्य में तुलनात्मक प्रवृत्ति को **तालिका 1.1** में दर्शाया गया है:

तालिका 1.1 सकल राज्य घरेलू उत्पाद की प्रवृत्तियाँ

वर्ष	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
भारत का स.घ.उ. (₹ करोड़ में)	87,36,039	99,51,344	1,12,72,764	1,24,88,205	1,35,76,086
स.घ.उ. की वृद्धि दर (प्रतिशत)	20.5	13.9	13.3	10.8	8.7
राज्य का स.रा.घ.उ. (₹ करोड़ में)	1,50,918	1,74,724	1,88,567	2,17,107	2,41,955
स.रा.घ.उ का वृद्धि दर (प्रतिशत)	18.6	15.8	7.9	15.1	11.4

स्रोत: सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार का वेबसाइट।

वृद्धि की दरें वर्तमान मूल्यों पर दर्ज वृद्धि को दर्शाती हैं।

झारखण्ड राज्य का स.रा.घ.उ. 2015-16 के दौरान चौदहवें वित्त आयोग (14^{वाँ} वि.आ.) के उक्त वर्ष हेतु 11.73 प्रतिशत के लक्ष्य के विरुद्ध 11.4 प्रतिशत की दर से बढ़ा जो भारत के स.रा.घ.उ. 8.7 प्रतिशत की वृद्धि दर से बेहतर था।

2011-16 के दौरान झारखण्ड के स.रा.घ.उ. का चक्रीय वार्षिक वृद्धि दर (सी.ए.जी.आर.) 12.52 प्रतिशत था।

राज्य के स.रा.घ.उ. में वृद्धि मुख्यतः कृषि और खनन व उत्खनन में प्राथमिक क्षेत्र में राज्य घरेलू उत्पाद के मूल्य (17 प्रतिशत) में वृद्धि के कारण हुआ।

सामान्य श्रेणी के राज्यों के ₹ 1,08,369 के प्रति व्यक्ति स.रा.घ.उ. के विरुद्ध, झारखण्ड का प्रति व्यक्ति स.रा.घ.उ. केवल ₹ 72,307 था ।

1.1 परिचय

यह अध्याय वर्ष 2015-16 के दौरान झारखण्ड सरकार के वित्त का एक व्यापक परिदृश्य प्रस्तुत करता है तथा पिछले वर्ष की तुलना में मुख्य राजकोषीय संचय में, पिछले पाँच वर्षों के दौरान समग्र प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए, विवेचनात्मक परिवर्तनों को विश्लेषित करता है। यह विश्लेषण राज्य वित्त लेखे 2015-16 की लेखापरीक्षा तथा राज्य सरकार से प्राप्त सूचनाओं पर आधारित है। सरकारी लेखाओं की संरचना एवं रूपरेखा की परिशिष्ट 1.1 भाग-बी में व्याख्या की गयी है तथा वित्त लेखे का अभिन्यास परिशिष्ट 1.1 भाग-सी में दर्शाया गया है।

राज्य के राजकोषीय स्थिति के मूल्यांकन हेतु अपनायी गयी पद्धति परिशिष्ट 1.2 में दिया गया है। पिछले पाँच वर्षों के राज्य सरकार के वित्त का कालबद्ध आँकड़ा परिशिष्ट 1.3 में दिया गया है।

1.1.1 वर्ष 2015-16 में राजकोषीय लेन देनों का सारांश

तालिका 1.2 पिछले वर्ष (2014-15) के साथ-साथ चालू वर्ष (2015-16) के दौरान राज्य सरकार के राजकोषीय लेन देनों का सारांश प्रस्तुत करता है जबकि परिशिष्ट 1.4 भाग-ए वर्ष 2015-16 के दौरान समग्र राजकोषीय स्थिति के साथ-साथ प्राप्तियों एवं संवितरणों का एक सार प्रस्तुत करता है।

तालिका 1.2: वर्ष 2015-16 के राजकोषीय संचालनों का सारांश

(₹ करोड़ में)

प्राप्तियाँ	2014-15	2015-16	संवितरण	2014-15	2015-16		
खण्ड क: राजस्व					गैर-योजना	योजना	कुल
राजस्व प्राप्तियाँ	31564.56	40638.35	राजस्व व्यय	31794.90	20759.81	15793.02	36552.83
स्वयं का कर राजस्व	10349.81	11478.95	सामान्य सेवायें	10623.45	11466.21	536.22	12002.43
कर-भिन्न राजस्व	4335.06	5853.01	सामाजिक सेवायें	11915.34	5474.94	9368.87	14843.81
संघीय कर एवं शुल्क	9487.01	15968.75	आर्थिक सेवायें	9256.11	3818.66	5887.93	9706.59
भारत सरकार से अनुदान	7392.68	7337.64	सहायता-अनुदान अंशदान	0.00	0.00	0.00	0.00
खण्ड ख: पूँजीगत							
विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ	0.00	0.00	पूँजीगत परिव्यय	5542.94	72.23	8086.28	8158.51
ऋण व अग्रिमों की वसूलियाँ	33.06	31.06	संवितरित ऋण व अग्रिम	823.78	72.23	7407.77	7480.00
अंतर्राज्यीय परिशोधन	0.00	0.00	अंतर्राज्यीय परिशोधन	0.00	0.00	0.00	0.00
लोक ऋण प्राप्तियाँ	6690.12	13244.65	लोक ऋण का पुनर्भुगतान	1879.88	2245.93	0.00	2245.93
आकस्मिकता निधि में स्थानांतरण	0.00	0.00	आकस्मिक निधि से व्यय	0.00	0.00	0.00	0.00
लोक लेखा प्राप्तियाँ [#]	20189.17	29036.72	लोक लेखा संवितरण [#]	19276.68	27053.00		27053.00
आरंभिक रोकड़ शेष	1285.48	444.21	रोकड़ अंत शेष	444.21	1904.72		1904.72
कुल	59762.39	83394.99	कुल	59762.39			83394.99

स्रोत: वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 के वित्त लेखे

*अर्थापय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट के अधीन निवल लेन-देन को छोड़कर

#आँकड़ों में 'अन्य लेखे' यथा विभागीय रोकड़ शेष, स्थायी अग्रदाय एवं रोकड़ शेष निवेश के अन्तर्गत लेन-देन शामिल नहीं हैं।

पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2015-16 के दौरान महत्वपूर्ण परिवर्तन निम्नानुसार हैं:

- राजस्व प्राप्तियाँ (₹ 40,638.35 करोड़) पिछले वर्ष (₹ 31,564.56 करोड़) की तुलना में ₹ 9,073 करोड़ (29 प्रतिशत) तक बढ़ीं जो मुख्यतः भारत सरकार के केन्द्रीय करों के हिस्से में पिछले वर्ष की तुलना में ₹ 6,482 करोड़ (68 प्रतिशत) की बढ़ोत्तरी के कारण तथा कर-भिन्न राजस्व में ₹ 1,518 करोड़ (35 प्रतिशत) एवं स्वयं के कर-राजस्व में ₹ 1,129 करोड़ (11 प्रतिशत) की बढ़ोत्तरी के कारण भी हुआ।
- स्वयं के कर-राजस्व (₹ 13,644 करोड़) एवं कर-भिन्न राजस्व (₹ 4,759 करोड़) के चौदहवें वित्त आयोग द्वारा आदर्शी मूल्यांकन के विरुद्ध, वास्तविक कर क्रमशः ₹ 11,479 करोड़ (84 प्रतिशत) एवं ₹ 5,853 करोड़ (123 प्रतिशत) थे। इस प्रकार, स्वयं का कर-राजस्व 14^{वें} वि.आ. द्वारा नियत मानक अनुमान से काफी कम था जबकि कर-भिन्न का संग्रह 14^{वें} वि.आ. के अनुमान से अधिक था।
- राजस्व व्यय (आर.ई.) पिछले वर्ष की तुलना में 2015-16 के दौरान सामान्य सेवाओं और सामाजिक सेवाओं पर क्रमशः ₹ 1,378 करोड़ एवं ₹ 2,929 करोड़ की वृद्धि के कारण, तीव्रता से 2014-15 के ₹ 31,795 करोड़ से बढ़कर 2015-16 में

₹ 36,553 करोड़ हो गया। तथापि, आर.ई. ₹ 43,343 करोड़ के बजट अनुमान से 16 प्रतिशत कम था।

- पूँजीगत व्यय पिछले वर्ष की तुलना में 2015-16 में ₹ 2,616 करोड़ (47 प्रतिशत) तक बढ़ गया, जो मुख्यतः परिवहन (₹ 1,016 करोड़), सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण (₹ 778 करोड़) एवं ग्रामीण विकास (₹ 392 करोड़) विभागों के अन्तर्गत था।
- लोक ऋण की प्राप्तियाँ पिछले वर्ष की तुलना में 2014-15 में ₹ 1,987 करोड़ (42 प्रतिशत) की वृद्धि के विरुद्ध 2015-16 में ₹ 6,555 करोड़ (98 प्रतिशत) तक बढ़ गयी।
- लोक लेखा प्राप्तियाँ एवं लोक लेखा संवितरण में क्रमशः ₹ 8,848 करोड़ (44 प्रतिशत) एवं ₹ 7,776 करोड़ (40 प्रतिशत) की वृद्धि हुई।
- उपरोक्त लेन-देनों का निवल प्रभाव पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2015-16 के अंत में रोकड़ शेष में ₹ 1,460.51 करोड़ की वृद्धि के रूप में हुआ।

1.1.2 राजकोषीय स्थिति की समीक्षा

सरकार के राजकोषीय प्रचालन में वित्तीय स्थायित्व, ऋण स्थिरता एवं वृहत्तर पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु झारखण्ड सरकार ने झारखण्ड राजकोषीय दायित्व एवं बजट प्रबंधन (एफ.आर.बी.एम.) अधिनियम, 2007 अधिनियमित किया। अधिनियम के अन्तर्गत, राज्य सरकार को मार्च 2009 के अंत तक राजस्व घाटे को समाप्त करना था तथा राजकोषीय घाटे को अनुमानित सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.) के तीन प्रतिशत तक सीमित करना था। 14^{वें} वि.आ. ने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये सभी अनुदानों एवं ऋण माफ करने की सुविधा को जोड़ते हुए राजकोषीय समेकन हेतु एक नये तथा पुनरीक्षित रोड मैप की सिफारिश की।

वर्ष 2015-16 हेतु प्रमुख राजकोषीय विवरणों से संबंधित लक्ष्य जैसा कि एम.टी.एफ.पी. (मध्यावधि राजकोषीय नीति) विवरण, 14^{वें} वि.आ. एवं राज्य के बजटीय दस्तावेज में नियत किया गया तालिका 1.3 में दर्शाये गये हैं।

तालिका 1.3: मुख्य राजकोषीय विचरण

(प्रतिशत में)

राजकोषीय विचरण	2015-16			
	राज्य के लिए 14वाँ वि. आ. का लक्ष्य	एम.टी.एफ.पी. अधिनियम में निर्धारित लक्ष्य	बजट के अनुसार लक्ष्य	वास्तविक
स.रा.घ.उ. के संदर्भ में राजस्व घाटा(-)/राजस्व अधिशेष (+)	(+)6.8	(+)4.36	(+)2.07	(+)1.7
स.रा.घ.उ. के संदर्भ में राजकोषीय घाटा	(-)3.50	(-)2.8	(-)2.28	(-) 4.8 ¹
स.रा.घ.उ. से सरकार के कुल बकाया ऋण का अनुपात	24.20	21.55	लागू नहीं	23.4

राज्य ने वर्ष 2006-07 में राजस्व घाटे को समाप्त करने के द्वारा और घाटे को ₹ 946 करोड़ के राजस्व अधिशेष में बदलकर एफ.आर.बी.एम. अधिनियम में नियत लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया जो 2009-10 एवं 2014-15, जब क्रमशः ₹ 10 करोड़ एवं 230 करोड़ का घाटा हुआ को छोड़कर, लगातार बेहतर होकर 2013-14 में ₹ 2,665 करोड़ रहा। यद्यपि, 2015-16 में ब.आ. के विरुद्ध सामाजिक सेवाओं (₹ 6,790 करोड़) और आर्थिक सेवाओं (₹ 1,578 करोड़) में कम व्यय के कारण राज्य का राजस्व अधिशेष ₹ 4,085 करोड़ था।

वर्ष 2015-16 के दौरान, राजकोषीय घाटा (₹ 11,523 करोड़) स.रा.घ.उ. का 4.8 प्रतिशत था जो 14^{वाँ} वि.आ. द्वारा अनुशंसित सीमा 3.5 प्रतिशत से बहुत ही ज्यादा थी।


राज्य का ऋण-स.रा.घ.उ. अनुपात वर्ष 2015-16 के दौरान 23.4 प्रतिशत था जो 14^{वाँ} वि.आ. के 21.55 प्रतिशत तथा बजट अनुमान के 24.20 प्रतिशत से परे था।

1.1.3 बजट अनुमान एवं वास्तविक आँकड़े

राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट दस्तावेज किसी विशेष वित्तीय वर्ष के राजस्व एवं व्यय के अनुमानों या प्रयोजनों की विवेचना करता है। राजस्व एवं व्यय के अनुमान में शुद्धता के महत्व को समग्र आर्थिक प्रबंधन के लिए राजकोषीय नीतियों को प्रभावकारी कार्यान्वयन के संदर्भ में व्यापक रूप से स्वीकार किया गया है। बजट अनुमानों से विचलन विविध कारणों, कुछ सरकार के नियंत्रण में तथा कुछ सरकार के नियंत्रण से बाहर, से इच्छित राजकोषीय लक्ष्य के अप्राप्ति और गैर अनुकूलन का सूचक है।

¹ यदि उदय बॉण्ड के उधारों से बिजली कंपनियों को दिये गये ऋण को राजकोषीय घाटे की गणना हेतु विचार न किया जाये, जैसा कि त्रिपक्षीय समझौते के आलोक में राज्य सरकार द्वारा सूचित किया गया तो बजट घाटा से स.रा.घ.उ. 2.5 प्रतिशत कम हो जायेगा।

चार्ट 1.1 वर्ष 2015-16 के लिए कुछ महत्वपूर्ण राजकोषीय मापदंड हेतु बजट अनुमान तथा वास्तविक आँकड़ों का एक तुलनात्मक विश्लेषण प्रस्तुत करता है।



उपरोक्त चार्ट दर्शाता है कि वास्तविक राजस्व प्राप्तियाँ और राजस्व व्यय दोनों, वर्ष 2015-16 हेतु राज्य सरकार द्वारा तैयार किये गये बजट से काफी कम था। वास्तविक राजस्व प्राप्तियों में कमी (₹ 7,389 करोड़ से) मुख्यतः बजट अनुमानों के विरुद्ध भारत सरकार से सहायता अनुदान (₹ 7,685 करोड़ से) की कम प्राप्ति के कारण था। तथापि कर राजस्व का संग्रह बजट अनुमान से अधिक था।

वर्ष 2015-16 के दौरान वास्तविक राजस्व व्यय (₹ 6,790 करोड़ से) में कमी मुख्यतः सामाजिक सेवाओं (₹ 3,904 करोड़ से) तथा आर्थिक सेवाओं (₹ 1,578 करोड़) में किए गए वास्तविक व्यय में कमी के कारण था।

निर्धारित बजट के विरुद्ध सामाजिक सेवाओं (₹ 598 करोड़) पर कम व्यय होने के कारण राज्य का पूँजीगत व्यय बजट अनुमान से ₹ 517 करोड़ कम था, जो राज्य के लिए चिंता का विषय है।

1.1.4 लिंगानुपातिक (जेण्डर) बजटीकरण

बजट दस्तावेज के अनुसार यह पाया गया कि जेण्डर बजटीकरण का राज्य बजट में सूत्रपात नहीं किया गया। तथापि, हमने राज्य के बजट भाषण तथा विनियोजन लेखे में पाया कि राज्य सरकार ने वर्ष 2015-16 के दौरान राज्य बजट में महिलाओं तथा बालिकाओं के कल्याण हेतु प्रावधान किया, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:

तालिका 1.4: महिलाओं के लिए बजट प्रावधान तथा व्यय

(₹ करोड़ में)

योजना	बजट प्रावधान	व्यय	बचत
किशोर बालिकाओं के सशक्तिकरण हेतु राजीव गाँधी योजना	66.03	20.72	45.31
किशोरी शक्ति योजना	2.14	0.90	1.24
इन्दिरा गाँधी मातृत्व सहयोग योजना	15.74	3.82	11.92
मुख्यमंत्री कन्यादान योजना	40.00	33.43	6.57
महिलाओं एवं किशोरियों हेतु दक्षता विकास की योजना	10.00	0.00	10.00
नारी उत्थान कोष	2.00	0.00	2.00
तेजस्विनी योजना	0.50	0.50	0.00
महिलाओं के लिए राज्य स्रोत केन्द्र	0.22	0.00	0.22
लक्ष्मी लाडली योजना	100.00	96.49	3.51
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ	0.90	0.05	0.85
डे केयर महिलाओं हेतु स्वरोजगार	0.30	0.20	0.10
विधवा कल्याण	0.50	0.21	0.29
जीवन आशा	4.44	0.00	4.44
कुल	242.77	156.32	86.45

स्रोत: विस्तृत विनियोग लेखे

तालिका 1.4 से देखा जा सकता है कि वर्ष 2015-16 के दौरान राज्य में महिलाओं/किशोरियों के उत्थान हेतु बनायी गयी योजनाओं हेतु उपलब्ध कराये गये ₹ 242.77 करोड़ में से, ₹ 86.45 करोड़ (36 प्रतिशत) का उपयोग नहीं हुआ जिसने राज्य सरकार द्वारा निधि के प्रावधान के उद्देश्य को विफल कर दिया। व्यय (1) महिलाओं एवं किशोरियों हेतु दक्षता विकास योजना (2) नारी उत्थान पर शून्य था, जबकि (1) किशोरियों के सशक्तिकरण हेतु राजीव गाँधी योजना (2) इंदिरा गाँधी मातृत्व सहयोग योजना और (3) बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना में इन योजनाओं में बजटीय प्रावधानों से काफी कम था जिससे उस अवधि के दौरान इच्छित लाभ की प्राप्ति नहीं हो सका।

1.2 राज्य के संसाधन


1.2.1 वार्षिक वित्त लेखे के अनुसार राज्य के संसाधन




राजस्व और पूँजीगत, प्राप्तियों की दो धाराएँ हैं जो राज्य सरकार के संसाधनों का गठन करती हैं। राजस्व प्राप्तियों में स्वयं का कर राजस्व, कर-भिन्न राजस्व, संघीय करों एवं शुल्कों में राज्य का हिस्सा एवं भारत सरकार का सहायता अनुदान सम्मिलित है। पूँजीगत प्राप्तियों में विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ यथा विनिवेश से प्राप्तियाँ, ऋण एवं अग्रिमों की वसूली, आंतरिक स्रोतों से ऋण

प्राप्तियाँ (बाजार ऋण, वित्तीय संस्थानों/वाणिज्यिक बैंकों से उधार) और भारत सरकार से प्राप्त ऋण एवं अग्रिम शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, संवितरण के पश्चात लोक खाते में उपलब्ध निधि का उपयोग सरकार द्वारा घाटे को कम करने के लिए भी किया जाता है। **तालिका 1.2** (पृष्ठ सं. 3) चालू वर्ष 2015-16 के दौरान राज्य की प्राप्तियाँ एवं संवितरणों, जैसा कि उसके वार्षिक वित्त लेखे में अभिलेखित है, को प्रस्तुत करता है। वर्ष 2015-16 के दौरान संसाधनों के घटकों तथा उप-घटकों को दर्शाता हुआ फ्लो चार्ट **चार्ट-1.2** में दिया गया है, जबकि वर्ष 2011-12 से 2015-16 के दौरान राज्य की प्राप्तियों के विभिन्न अवयवों की प्रवृत्ति **चार्ट 1.3** में दिया गया है।

तदंतर, **चार्ट 1.4** एवं **चार्ट 1.5** क्रमशः वर्ष 2014-15 तथा वर्ष 2015-16 के दौरान राज्य के संसाधनों के संयोजन को चित्रित करते हैं।

चार्ट 1.2 : संसाधनों के घटक तथा उप-घटक





चार्ट 1.2 से चार्ट 1.5 तक में देखा जा सकता है कि:


- राज्य की कुल प्राप्तियाँ (निवल लोक लेखा सहित) वर्ष 2011-12 के ₹ 26,200 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2015-16 में ₹ 55,898 करोड़ हो गयी और पिछले वर्ष (2014-15) के सापेक्ष 2015-16 के दौरान ₹ 16,698 करोड़ की वृद्धि हुई।
- कुल प्राप्तियों में राजस्व प्राप्तियों का भाग (आर.आर./टी.आर.) 2012-13 में 80 प्रतिशत के अतिरिक्त, तेजी से घटकर 2011-12 के 86 प्रतिशत से वर्ष 2015-16 में 73 प्रतिशत हो गया। 2015-16 के दौरान आर.आर. से टी.आर. की प्रतिशतता लोक ऋण प्राप्तियों की वृद्धि के कारण घटा।
- पूँजीगत प्राप्तियाँ महत्वपूर्ण ढंग से 2011-12 के 10 प्रतिशत से बढ़कर 2015-16 में 24 प्रतिशत हो गयीं। 2015-16 के दौरान, चालू वर्ष में मुख्यतः बाँड से उधारों में (₹ 5,553.37 करोड़) महत्वपूर्ण वृद्धि के कारण यह 2014-15 के 17 प्रतिशत के विरुद्ध 24 प्रतिशत तक बढ़ी। 2011-16 की अवधि के दौरान पूँजीगत प्राप्तियों का सी.ए.जी.आर. 48.98 प्रतिशत था।
- निवल लोक लेखा प्राप्तियाँ 2014-15 के ₹ 912 करोड़ (कुल प्राप्तियों का दो प्रतिशत) से 2015-16 में ₹ 1,984 करोड़ (कुल प्राप्तियों का तीन प्रतिशत) बढ़ गयीं।

1.2.2 राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों को राज्य बजट के बाहर हस्तांतरित निधि

31 मार्च 2015 तक, केन्द्र सरकार सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्रों के विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों जिन्हें संकटग्रस्त के रूप में चिन्हित किया गया था, के कार्यान्वयन हेतु निधियों की एक बड़ी मात्रा सीधे राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों को हस्तांतरित कर रही थी एवं यह निधि राज्य बजट/राज्य कोषागार प्रणाली के माध्यम से नहीं गुजरती थी। इसलिये, इन निधियों के व्यय का राज्य के वित्त लेखे में उल्लेख नहीं किया गया। अतः, वार्षिक वित्तीय लेखे राज्य के संसाधनों का सम्पूर्ण चित्र प्रस्तुत नहीं करते थे। तथापि, केन्द्र प्रायोजित योजनाओं/अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता से संबंधित सभी सहायता क्रियान्वयन अभिकरणों को न कर राज्य सरकार को सीधे विमुक्त करने के भारत सरकार के निर्णय ने 2014-15 में क्रियान्वयन अभिकरणों को सीधे अंतरण को तेजी से कम किया। हालाँकि, सीधा अंतरण 2014-15 के ₹ 130.92 करोड़ से बढ़कर 2015-16 में ₹ 258.32 करोड़ हो गया।

1.3 राजस्व प्राप्तियाँ

वित्त लेखे की विवरणी-14 सरकार के राजस्व प्राप्तियों का ब्यौरा देता है। राजस्व प्राप्तियों में स्वयं का कर राजस्व, कर-भिन्न राजस्व, केन्द्रीय कर हस्तांतरण और भारत सरकार से सहायता-अनुदान अंशदान शामिल है। वर्ष 2011-16 की अवधि में राजस्व प्राप्तियों के संघटन और प्रवृत्तियाँ **परिशिष्ट 1.3** में दर्शाए गए हैं एवं **चार्ट 1.6** में भी चित्रित किए गए हैं।



राज्य के राजस्व प्राप्तियों के विश्लेषण से उजागर हुआ कि:

- वर्ष 2015-16 के दौरान, राजस्व प्राप्तियाँ 2014-15 के दौरान पिछले वर्ष के तदनु रूप 20.8 प्रतिशत की वृद्धि के सापेक्ष 28.7 प्रतिशत बढ़ीं। तथापि, बजट अनुमान की तुलना में, 2015-16 के दौरान राजस्व प्राप्तियाँ मुख्यतः बी.ई. के प्रतिकूल ज्यादा सी.टी.टी. द्वारा बजट अनुमान (बी.ई.) समायोजन के विरुद्ध भारत सरकार से सहायता-अनुदान (₹ 7,685 करोड़) की कम प्राप्ति के कारण ₹ 7,389 करोड़ कम थीं। 2011-16 के दौरान राजस्व प्राप्तियों का सी.ए.जी.आर. 16.03 प्रतिशत था।
- स्वयं का कर वर्ष 2011-16 अवधि के दौरान कर-भिन्न राजस्व का लगभग दोगुना था।
- वर्ष 2015-16 के दौरान, कुल राजस्व प्राप्तियों का 57 प्रतिशत केन्द्रीय अंतरण तथा भारत सरकार के अनुदानों से आया, जबकि शेष हिस्सा राज्य के अपने संसाधनों का था। 2014-15 के दौरान कुल राजस्व प्राप्तियों में केन्द्रीय योगदान 53 प्रतिशत था।

• चालू वर्ष के दौरान, कुल राजस्व प्राप्तियों (₹ 40,638 करोड़) में राज्य के स्वयं का कर (ओ.टी.आर.) ₹ 11,479 करोड़ (28 प्रतिशत), कर-भिन्न राजस्व (एन.टी.आर.) ₹ 5,853 करोड़ (15 प्रतिशत), केन्द्रीय कर अंतरण (सी.टी.टी.) ₹ 15,969 करोड़ (39 प्रतिशत) और भारत सरकार से सहायता अनुदान ₹ 7,337 करोड़ (18 प्रतिशत) सम्मिलित था। तथापि, कुल प्राप्तियों में 2014-15 के दौरान भारत सरकार से प्राप्त सी.टी.टी. एवं सहायता-अनुदान की हिस्सेदारी पिछले वर्ष की तुलना में थोड़ी बढ़ी थी।

स.रा.घ.उ. के सापेक्ष राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति तालिका 1.5 में प्रस्तुत की गयी है।

तालिका 1.5 : स.रा.घ.उ. के सापेक्ष राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्तियाँ

(₹ करोड़ में)

	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
राजस्व प्राप्तियाँ (आर.आर.) (₹ करोड़ में)	22420	24770	26137	31565	40638
आर.आर. की वृद्धि दर (प्रतिशत)	19.4	10.5	5.5	20.8	28.7
आर.आर./स.रा.घ.उ. (प्रतिशत)	14.9	14.2	13.9	14.5	16.8
राज्य का स्वयं का कर/स.रा.घ.उ.	4.6	4.7	5.0	4.8	4.7
स.रा.घ.उ. की वृद्धि दर	18.6	15.8	7.9	15.1	11.4
उत्प्लावकता अनुपात ²					
स.रा.घ.उ. के संदर्भ में राजस्व उत्प्लावकता	1.04	0.66	0.70	1.38	2.52
स.रा.घ.उ. के संदर्भ में राज्य के स्वयं के	1.16	1.16	1.78	0.68	0.96
राज्य के स्वयं के करों के संदर्भ में राजस्व	0.90	0.57	0.39	2.02	2.63

• राजस्व प्राप्तियों की वृद्धि दर तीव्र गति से वर्ष 2014-15 के 20.8 प्रतिशत की तुलना में 2015-16 में 28.7 प्रतिशत तक बढ़ा।

• वर्ष 2011-12 से 2015-16 वर्षों के दौरान स.रा.घ.उ. के सापेक्ष राजस्व की उत्प्लावकता ने 0.66 तथा 2.52 की सीमा के बीच भारी उतार-चढ़ाव दर्शाया। 2015-16 में, यह राजस्व प्राप्तियों (28.7 प्रतिशत) की उच्च वृद्धि दर के कारण और स.रा.घ.उ. के निम्न वृद्धि दर (11.4 प्रतिशत) के कारण अधिकतम (2.52) था। 2013-14 के दौरान, राजस्व प्राप्तियों की वृद्धि दर 5.5 प्रतिशत था जबकि स.रा.घ.उ. की वृद्धि दर 7.9 प्रतिशत था, फलस्वरूप राजस्व उत्प्लावकता में 0.70 की गिरावट आयी जो बाद में 2014-15 तथा 2015-16 में क्रमशः 1.38 तथा 2.52 प्रतिशत तक बढ़ा।

• स.रा.घ.उ. और स्वयं के कर राजस्व दोनों के वृद्धि दर में उतार-चढ़ाव के कारण, 2011-16 के दौरान स.रा.घ.उ. के सापेक्ष राज्य के स्वयं के कर ने 0.68 से 1.16 के बीच काफी भिन्नता दर्शाया। 2014-15 के दौरान यह न्यूनतम (0.68) था।

² उत्प्लावकता अनुपात आधार चल में दिये बदलाव के संदर्भ में राजकोषीय चल की प्रतिक्रिया की सीमा या लचीलापन को इंगित करता है। उदाहरणार्थ, राजस्व उत्प्लावकता 0.6 का अर्थ है कि राजस्व प्राप्तियाँ 0.6 प्रतिशत अंक तक चला जाता है यदि स.रा.घ.उ. एक प्रतिशत बढ़ता है।

- वर्ष 2011-12 से 2015-16 वर्षों के दौरान झारखण्ड के स.रा.घ.उ. ने वृद्धि दर में 7.9 प्रतिशत से 18.6 प्रतिशत तक का वृहत अन्तर दर्ज किया। 2011-16 के दौरान 12.52 प्रतिशत के सी.ए.जी.आर. पर 2015-16 में स.रा.घ.उ. 11.4 प्रतिशत तक बढ़ा।

1.3.1 राज्य के स्वयं के संसाधन

चूँकि, केन्द्रीय करों और सहायता-अनुदानों में राज्य का हिस्सा वित्त आयोग की अनुशंसा के आधार पर निर्धारित होता है, संसाधनों को बढ़ाने में राज्य के निष्पादन को अपने संसाधन के संबंध में, जिसमें स्वयं के कर तथा अन्य कर-भिन्न स्रोत शामिल हैं मूल्यांकित किया गया।

वर्ष 2015-16 के दौरान राज्य का वास्तविक स्वयं का कर तथा कर-भिन्न प्राप्तियों के साथ-साथ चौदहवें वित्त आयोग द्वारा किये गये मूल्यांकन एवं बजट अनुमान तालिका 1.6 में दिया गया है।

तालिका 1.6: कर तथा कर-भिन्न प्राप्तियाँ

(₹ करोड़ में)

	14 ^{वें} वि.आ. के अनुमान	बजट अनुमान	वास्तविक
स्वयं का कर राजस्व	13644	14586	11479
कर-भिन्न राजस्व	4759	6304	5853

स्रोत: 14^{वें} वि.आ. प्रतिवेदन, बजट दस्तावेज़ तथा राज्य के वित्त लेखे 2015-16

वर्ष 2015-16 के दौरान, 14^{वें} वि.आ. द्वारा ₹ 13,644 करोड़ के किये गये मानक अनुमान एवं बजट के ₹ 14,586 करोड़ के सापेक्ष राज्य के स्वयं के कर राजस्व का संग्रहण ₹ 11,479 करोड़ था। यह कम प्राप्ति मुख्यतः बिक्री कर, राज्य उत्पाद एवं वाहनों पर कर के अनुमान से कमतर संग्रहण के कारण हुआ। वर्ष के दौरान इन शीर्षों के अन्तर्गत ₹ 11,180 करोड़, ₹ 1,200 करोड़ एवं ₹ 901 करोड़ के बजट अनुमान के सापेक्ष वास्तविक संग्रहण क्रमशः ₹ 8,999 करोड़, ₹ 912 करोड़ तथा ₹ 633 करोड़ था।

वर्ष 2015-16 में स.रा.घ.उ. से स्वयं के कर का अनुपात (4.7 प्रतिशत) 14^{वें} वि.आ. के 6.32 प्रतिशत के अनुमान से महत्वपूर्ण रूप से कम था।

राज्य का कर-भिन्न राजस्व, वर्ष 2015-16 हेतु ₹ 6,304 करोड़ के 14^{वें} वि.आ. के अनुमान (₹ 5,853 करोड़) से थोड़ा कम था।

1.3.1.1 कर राजस्व

मुख्य करों तथा शुल्कों के कुल संग्रहण तालिका 1.7 में दिये गये हैं।

तालिका 1.7: कर राजस्व के घटक

(₹ करोड़ में)

राजस्व शीर्ष	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	सी.ए.जी.आर	कर संग्रहण पर व्यय (2015-16) प्रतिशत	कर संग्रहण पर व्यय (2014-15) प्रतिशत	कर संग्रहण पर व्यय का अखिल भारतीय प्रतिशत
बिक्री, व्यापार आदि पर कर	5522	6422	7305	8070	8999	12.99	0.53	0.59	0.91
राज्य उत्पाद	457	578	628	740	912	18.86	2.08	1.98	2.09
वाहनों पर कर	392	465	495	660	633	12.73	0.97	0.94	6.08
मुद्रांक एवं निबंधन शुल्क	401	492	502	531	532	7.32	2.43	2.75	3.59
भू राजस्व	53	96	230	84	164	32.63	लागू नहीं	लागू नहीं	
यात्रियों तथा सामग्रियों पर कर	41	1	1	1	0	-60.48	लागू नहीं	लागू नहीं	
अन्य कर	88	170	219	264	239	28.11	लागू नहीं	लागू नहीं	
कुल कर राजस्व	6954	8224	9380	10350	11479	13.35			

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

वर्ष 2015-16 में कुल कर राजस्व में से, बिक्री कर ने 78 प्रतिशत योगदान दिया तत्पश्चात राज्य उत्पाद (आठ प्रतिशत), वाहनों पर कर (छः प्रतिशत) तथा अन्य करों ने शेष का योगदान किया। राज्य का कर राजस्व 2011-12 के ₹ 6,954 करोड़ से 2015-16 में ₹ 11,479 करोड़ बढ़ गया। कर राजस्व का वृद्धि दर वर्ष 2011-12 में 21.6 प्रतिशत से 2014-15 में 10.30 प्रतिशत तक तेजी से कम हुआ। तथापि, 2015-16 में यह पिछले वर्ष की तुलना में 10.90 प्रतिशत तक बढ़ा। वर्ष 2011-16 अवधि के दौरान राज्य के कर राजस्व का सी.ए.जी.आर. 13.35 प्रतिशत था।

वाणिज्य कर विभाग ने वर्ष 2015-16 के दौरान कर राजस्व में वृद्धि का श्रेय, बेहतर व प्रभावी कर प्रशासन के साथ-साथ पर्याप्त बकाये की वसूली को दिया। विभाग के अनुसार, राज्य उत्पाद संग्रहण भारत निर्मित विदेशी शराब के शुल्क की दर में वृद्धि के कारण बढ़ा।

वर्ष 2015-16 के दौरान, भू राजस्व का संग्रहण पिछले वर्ष की तुलना में दोगुना हो गया। विभाग द्वारा दिये गये कारण के अनुसार 96.73 प्रतिशत की वृद्धि का श्रेय पुराने बकायों तथा पट्टाधारियों से भूमि के पूँजीगत मूल्य प्राप्ति के जमा को दिया गया।

सभी करों के संग्रहण व्यय में कमी आयी सिवाय राज्य उत्पाद एवं वाहनों पर कर के, जिसमें यह 1.92 प्रतिशत तथा 0.94 प्रतिशत से बढ़कर 2015-16 के दौरान क्रमशः 2.08 तथा 0.97 प्रतिशत हो गया।

1.3.1.2 कर-भिन्न राजस्व

वर्ष 2015-16 के दौरान संग्रहित कर-भिन्न राजस्व 14^{वें} वि.आ. के उस वर्ष हेतु ₹ 4,759 करोड़ के मानक अनुमान के विरुद्ध ₹ 5,853 करोड़ था।

वर्ष 2011-16 के दौरान कर-भिन्न राजस्व की घटक-वार स्थिति तालिका 1.8 में दिया गया है।

तालिका 1.8: कर-भिन्न राजस्व की घटक-वार स्थिति

(₹ करोड़ में)

राजस्व शीर्ष	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
ब्याज प्राप्तियाँ	44.16	72.23	69.48	143.04	122.44
लाभांश एवं लाभ	1.17	15.00	18.00	0.00	0.47
अन्य कर भिन्न प्राप्तियाँ	2992.89	3448.40	3665.23	4192.02	5730.11
कुल	3038.22	3535.63	3752.71	4335.06	5853.02

स्रोत: संबंधित वर्ष के वित्त लेखे

राजस्व प्राप्तियों में कर-भिन्न राजस्व का हिस्सा वर्ष 2014-15 में 13.73 प्रतिशत से बढ़कर 2015-16 में 14.40 प्रतिशत हो गया। वर्ष 2014-15 के दौरान 16 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में, पिछले वर्ष के सापेक्ष 2015-16 में एन.टी.आर. मुख्यतः खनिज एवं धातुकर्म उद्योगों (₹ 911 करोड़), अन्य प्रशासनिक सेवा (₹ 507 करोड़) एवं शहरी विकास (₹ 231 करोड़) विभागों के अन्तर्गत प्राप्तियों के कारण महत्वपूर्ण रूप से 35 प्रतिशत तक बढ़ा। 2011-16 के दौरान कर-भिन्न राजस्व का सी.ए.जी.आर. 17.81 प्रतिशत था।

1.3.2 भारत सरकार से सहायता अनुदान

गैर-योजना, राज्य योजना, केन्द्र प्रायोजित तथा केन्द्रीय योजना स्कीमों के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा सहायता अनुदानों के विमुक्ति की प्रवृत्ति तालिका 1.9 में दर्शायी गई है:

तालिका 1.9: भारत सरकार द्वारा विमुक्त घटक-वार अनुदान

(₹ करोड़ में)

विवरण	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
गैर-योजना अनुदान	1550.77	1483.41	1319.91	1780.26	1685.82
राज्य योजना स्कीमों के लिए अनुदान	2404.61	2393.94	1565.83	4914.69	4950.18
केंद्रीय योजना स्कीम के लिए अनुदान	66.87	30.81	28.28	83.56	50.90
केंद्रीय प्रायोजित स्कीमों के लिए अनुदान	1235.16	914.05	1150.96	614.17	650.74
कुल	5257.41	4822.21	4064.98	7392.68	7337.64
पिछले वर्ष के सापेक्ष वृद्धि की प्रतिशतता	28	(-)8	(-)16	82	(-) 0.74
राजस्व प्राप्तियों का कुल अनुदान के सापेक्ष प्रतिशतता	23.45	19.47	15.55	23.42	18.06

स्रोत: झारखण्ड सरकार के वित्त लेखे

- वर्ष 2015-16 के दौरान, भारत सरकार से सहायता अनुदान ₹ 7,337.64 करोड़ था जो 2014-15 के ₹ 7,392.68 करोड़ से (-)0.74 प्रतिशत कम हो गया।
- भारत सरकार से गैर-योजना अनुदान 2014-15 के ₹ 1,780.26 करोड़ से घटकर, मुख्यतः प्राथमिक शिक्षा के लिए अनुदानों तथा राज्य के विशिष्ट जरूरतों हेतु अनुदानों में कमी के कारण 2015-16 के दौरान ₹ 1,685.82 करोड़ हो गया।

1.3.3 केन्द्रीय कर हस्तांतरण

वर्ष 2015-16 के दौरान, केन्द्रीय कर हस्तांतरण (सी.टी.टी.) 2014-15 के ₹ 9,487 करोड़ के विरुद्ध ₹ 15,969 करोड़ था। राज्य का सी.टी.टी. पिछले वर्ष के सापेक्ष 2015-16 में ₹ 6,482 करोड़ (68 प्रतिशत) तक बढ़ा। यह वृद्धि मुख्यतः निगम कर (₹ 1,718 करोड़), निगम कर से भिन्न आय पर कर (₹ 1,138 करोड़), केन्द्रीय कर तथा शुल्क (₹ 1,251 करोड़) तथा सेवा कर (₹ 1,356 करोड़) के अन्तर्गत था। 2014-15 के 30.06 प्रतिशत के विरुद्ध 2015-16 के दौरान सी.टी.टी. राज्य की राजस्व प्राप्तियों का 39.30 प्रतिशत था।

तालिका 1.10: केन्द्रीय कर हस्तांतरण

	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	सी.ए.जी.आर.
केन्द्रीय कर हस्तांतरण (सी.टी.टी.)	7170	8188	8939	9487	15969	22.16
आर.आर. में सी.टी.टी. का अंश	31.98	30.06	34.20	30.06	39.30	--

1.3.4 त्यक्त राजस्व

1.3.4.1 करों का कम निर्धारण, आरोपण न किया जाना, अल्प आरोपण

वर्ष 2015-16 के दौरान, व्यापार इत्यादि पर कर, राज्य उत्पाद, वाहनों पर कर, भू-राजस्व, मुद्रांक एवं निबंधन शुल्क, विद्युत पर कर तथा शुल्क और खनन प्राप्तियों से संबंधित 123 इकाईयों के अभिलेखों के नमूना जाँच ने 45,954 मामलों में संयुक्त रूप से ₹ 12,737.35 करोड़ राजस्व के कम निर्धारण/अल्प आरोपण/हानि उद्घाटित किया। वर्ष 2015-16 के दौरान, संबंधित विभागों ने लेखापरीक्षा द्वारा इंगित 40,355 मामलों में ₹ 12,120.88 करोड़ के कम निर्धारण तथा अन्य कमियों को स्वीकार किया जिसमें से 40,265 मामलों में सन्निहित ₹ 11,774.37 करोड़ 2015-16 के दौरान तथा शेष पूर्व वर्ष में इंगित किये गये। विभागों ने 2015-16 के दौरान 804 मामलों में ₹ 362.23 करोड़ की वसूली की।

1.3.4.2 बकाया राजस्व

31 मार्च 2016 तक, तीन विभागों (वाणिज्य कर, परिवहन तथा राज्य उत्पाद) में राजस्व बकाये की राशि ₹ 3,237.28 करोड़ था जिसमें से ₹ 2,608.99 करोड़ पाँच वर्षों से अधिक अवधि से बकाया थी। राजस्व बकाये का बड़ा भाग वाणिज्यिक कर विभाग (₹ 2,936.44 करोड़) और परिवहन विभाग

(₹ 270.27 करोड़) से संबंधित था। अन्य विभागों के राजस्व बकाये से संबंधित सूचना प्रस्तुत नहीं की गई (अगस्त 2016)।

31 मार्च 2016 तक कुल राजस्व बकाया 2014-15 के 23 प्रतिशत के सापेक्ष राज्य के अपने संसाधनों का 19 प्रतिशत था।

1.4 पूँजीगत प्राप्तियाँ

राज्य के राजस्व प्राप्तियों के अलावा, राज्य ने पूँजीगत प्राप्तियाँ भी प्राप्त किया, जिसमें विनिवेश से प्राप्तियाँ, सरकार द्वारा दिये गये ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली, वित्तीय संस्थानों से सरकार का आंतरिक उधारों तथा भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम शामिल हैं। 2011-16 के दौरान पूँजीगत प्राप्तियों का विवरण तालिका 1.11 में दिये गये हैं।

तालिका 1.11: प्राप्तियों की संरचना व वृद्धि की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

राज्य के प्राप्तियों के स्रोत	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
पूँजीगत प्राप्तियाँ (सी.आर.)	2695	5242	4726	6723	13276
विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ	0	0	0	0	0
ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली	24	43	23	33	31
लोक ऋण प्राप्तियाँ	2671	5199	4703	6690	13245
पूँजीगत ऋण प्राप्तियों के वृद्धि की दर (प्रतिशत)	9.2	94.6	-9.5	42.3	98.0
गैर पूँजीगत ऋण प्राप्तियों के वृद्धि की दर (प्रतिशत)	0.0	79.2	-46.51	43.48	-6.06
स.रा.घ.उ. के वृद्धि की दर	18.6	15.8	7.9	15.1	11.4
सी.आर. के वृद्धि की दर (प्रतिशत)	9.1	94.5	-9.8	42.3	97.5

स्रोत: संबंधित वर्षों के झारखण्ड सरकार के वित्त लेखे

वर्ष 2015-16 के दौरान, वर्ष 2014-15 के ₹ 6,723 करोड़ के सापेक्ष मुख्यतः 2015-16 में उज्जवल डिस्कॉम अश्योरेंस योजना (उदय) बाँड्स के विरुद्ध ₹ 5,553.37 करोड़ की महत्वपूर्ण प्राप्ति के कारण पूँजीगत प्राप्तियाँ ₹ 13,276 करोड़ तक बढ़ीं। राज्य के पूँजीगत प्राप्तियों का सी.ए.जी.आर. 48.98 प्रतिशत था।

वर्ष 2015-16 के दौरान, राज्य ने उर्जा क्षेत्र के कम्पनियों को निधि प्रदान करने हेतु 8.51 प्रतिशत औसत ब्याज दर से 10 झारखण्ड विशेष बाँडों (उदय बाँड) के रूप में ₹ 5,553.37 करोड़ उधार लिया परिणामस्वरूप 2015-16 के दौरान राजकोषीय उत्तरदायित्व (29.7 प्रतिशत) में तीव्र वृद्धि हुई।

वित्त लेखे के अनुसार, 2015-16 के दौरान विनिवेश से प्राप्ति 'शून्य' था।

1.4.1 ऋणों एवं अग्रिमों से वसूलियाँ

दिए गए ऋणों एवं अग्रिमों के विरुद्ध वसूली काफी कम थी। विगत पाँच वर्षों के दौरान दिए गए ऋणों एवं की गयी वसूली के विवरण नीचे दिये गये हैं:

तालिका 1.12: ऋण एवं अग्रिम

(₹ करोड़ में)

विवरण	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
ऋणों का आरंभिक शेष	6997	7190	7748	7947	8738
दिये गये ऋण	21	601	222	824	7480
की गई वसूली	24	43	23	33	31
ऋणों का अंतिम शेष	7190	7748	7947	8738	16,187

झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड (जे.एस.ई.बी.) जिसे 2013 के दौरान चार भागों में बाँटा गया, प्रत्येक वर्ष दिये गए ऋणों व अग्रिमों का मुख्य प्राप्तकर्ता था परन्तु इसका कोई पुनर्भुगतान नहीं किया गया परिणामस्वरूप 31 मार्च 2016 के अंत में विद्युत प्रक्षेत्र का ऋणों के रूप में ₹ 15,455 करोड़ का बकाया हो गया। 2015-16 के दौरान, विद्युत परियोजनाओं हेतु ₹ 7,375 करोड़ का ऋण दिया गया। प्राप्त पुनर्भुगतान मुख्यतः सरकारी सेवकों को दिये गये ऋण व अग्रिमों के विरुद्ध थे। वर्ष 2011-16 अवधि हेतु दिये गये ऋण तथा ऋणों के अंतिम शेष के सी.ए.जी.आर. क्रमशः 142.30 एवं 27.81 प्रतिशत थे।

1.4.2 आंतरिक स्रोतों से ऋण प्राप्तियाँ

संसाधनों के अंतर को पाटने तथा पूँजीगत खर्च को पूरा करने के लिए, राज्य आंतरिक बाजार से निधियों का सृजन करता है। आंतरिक बाजार उधार 2011-12 के ₹ 2,409 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2015-16 में 53.31 प्रतिशत सी.ए.जी.आर. के साथ ₹ 13,080 करोड़ हो गया। 2015-16 के दौरान, आंतरिक ऋण के प्रमुख घटक क्षतिपूर्ति शीर्षातर्गत उदय बाँड एवं अन्य बाँड (₹ 5,553 करोड़) और बाजार ऋण (₹ 5,350 करोड़) थे।

1.4.3 भारत सरकार (भा.स.) से ऋण व अग्रिम

राज्य योजना स्कीमों के लिए भारत सरकार से ऋण व अग्रिम प्राप्त हुए एवं 2011-16 के दौरान ये ₹ 33 करोड़ से ₹ 239 करोड़ के मध्य दोलित थे। यह 2014-15 के ₹ 153 करोड़ से 2015-16 में ₹ 165 करोड़ बढ़ा।

1.5 लोक लेखा प्राप्तियाँ

विशेष प्रकार के लेन-देन यथा-लघु बचत, भविष्य निधि, आरक्षित निधि, जमा, उचंत, प्रेषण इत्यादि जो संविधान के अनुच्छेद 266 (2) के अधीन समेकित निधि के भाग नहीं होते हैं तथा जो राज्य के विधानमंडल के वोट का विषय नहीं होते

हैं, के संबंध में प्राप्तियाँ तथा संवितरण लोक लेखे में रखे जाते हैं। संवितरणों के पश्चात बचा शेष सरकार के उपयोग के लिये उपलब्ध निधि होती है। लोक लेखे की प्राप्तियों की प्रवृत्तियाँ तालिका 1.13 में दिया गया है।

तालिका 1.13: लोक लेखे की प्राप्तियों की प्रवृत्तियाँ

(₹ करोड़ में)

विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत संसाधन	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
लोक लेखा प्राप्तियाँ	10813	14495	14275	20189	29037
लघु बचत, भविष्य निधि आदि	613	668	760	843	830
आरक्षित निधि	138	280	293	308	522
जमा तथा अग्रिम	5236	8706	7204	12182	19499
उचंत तथा विविध	306	199	-59	18	161
प्रेषण	4520	4642	6077	6838	8025

स्रोत: संबंधित वर्षों के झारखण्ड सरकार के वित्त लेखे


जमा एवं अग्रिम में 2014-15 के ₹ 12,182 करोड़ से 2015-16 में ₹ 19,499 की वृद्धि के कारण लोक लेखा प्राप्तियाँ 2014-15 के ₹ 20,189 करोड़ से 2015-16 में ₹ 29,037 करोड़ तक उल्लेखनीय रूप से बढ़ीं। जमा एवं अग्रिम मुख्यतः ₹ 6,421 करोड़ तक राज्य विद्युत बोर्ड कार्यकारी निधि एवं ₹ 226 करोड़ तक अन्य निधियों के अन्तर्गत बढ़ीं। लोक लेखा प्राप्तियों का सी.ए.जी.आर. 2011-16 अवधि के दौरान 28.01 प्रतिशत था।

1.6 संसाधनों के अनुप्रयोग

राज्य सरकार के स्तर पर व्यय के प्रावधानों का विश्लेषण उल्लेखनीय महत्व रखता है क्योंकि इनमें वृहत व्यय करने के उत्तरदायित्व निहित हैं। राजकोषीय उत्तरदायित्व विधानों की संरचना के अन्तर्गत, घाटे और उधारों द्वारा वित्त पोषित लोक व्यय के सृजन में बजटीय बाध्यताएँ होती हैं। अतः यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि राज्य स्तर पर चल रहे राजकोषीय शुद्धि और समेकन प्रक्रिया सामाजिक क्षेत्र के विकास हेतु किये जाने वाले व्यय की कीमत पर न हो।

1.6.1 व्यय के संघटक एवं वृद्धि

चार्ट 1.7 विगत पाँच वर्षों (2011-16) की अवधि के दौरान कुल व्यय तथा इसके संघटक की प्रवृत्तियों को दर्शाता है।



विगत पाँच वर्षों से कुल व्यय (टी.ई.) का सी.ए.जी.आर. 20.98 प्रतिशत था। 2015-16 के दौरान राज्य के कुल व्यय की राशि 2014-15 के सापेक्ष (₹ 14,030 करोड़) अधिक था।

- कुल व्यय में, राजस्व व्यय 70 प्रतिशत, जबकि पूँजीगत व्यय 16 प्रतिशत था। वितरित ऋण व अग्रिम कुल व्यय का 14 प्रतिशत था।

1.6.1.1 पूँजीगत व्यय

वर्ष 2015-16 के दौरान, पूँजीगत व्यय वर्ष 2014-15 के ₹ 5,543 करोड़ के विरुद्ध ₹ 8,159 करोड़ बढ़ गया। कुल व्यय से पूँजीगत व्यय की प्रतिशतता 2014-15 के 15 प्रतिशत के विरुद्ध वर्ष 2015-16 में 16 प्रतिशत रहा। स.रा.घ.उ. से पूँजीगत व्यय की प्रतिशतता वर्ष 2014-15 के दौरान के 2.6 प्रतिशत के विरुद्ध वर्ष 2015-16 के दौरान 3.4 प्रतिशत था।

1.6.2 राजस्व व्यय (आर.ई.)

वर्ष 2014-15 के 83 प्रतिशत के विरुद्ध 2015-16 के दौरान राजस्व व्यय (आर.ई.) कुल व्यय (₹ 52,192 करोड़) का 70 प्रतिशत था। आर.ई. वर्ष 2011-12 के ₹ 20,992 करोड़ से वर्ष 2015-16 में ₹ 36,553 करोड़ तक निरंतर (74 प्रतिशत तक) बढ़ा। 2015-16 के दौरान, राजस्व व्यय स.रा.घ.उ. का 15.1 प्रतिशत था। इस अवधि के दौरान आर.ई. का सी.ए.जी.आर. 14.87 प्रतिशत था।

1.6.2.1 योजना राजस्व व्यय (पी.आर.ई.)

योजना राजस्व व्यय (पी.आर.ई.) वर्ष 2014-15 के ₹ 12,436 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2015-16 में ₹ 15,793 करोड़ हो गया। वर्ष के दौरान पी.आर.ई. बजट अनुमान से ₹ 6,563 करोड़ कम था। कुल राजस्व व्यय में पी.आर.ई. का हिस्सा 2014-15 के 39 प्रतिशत से बढ़कर 2015-16 में 43 प्रतिशत हो गया। पी.आर.ई. में वृद्धि सामान्य सेवाओं (₹ 259 करोड़ तक), सामाजिक सेवाओं (₹ 2,197 करोड़ तक) एवं आर्थिक सेवाओं (₹ 900 करोड़ तक) में बढ़ोत्तरी के कारण हुआ। योजना राजस्व व्यय का सी.ए.जी.आर. 2011-16 के दौरान 19.88 प्रतिशत था।

1.6.2.2 गैर-योजना राजस्व व्यय (एन.पी.आर.ई.)

वर्ष 2015-16 के दौरान, एन.पी.आर.ई. ₹ 20,987 करोड़ के बजट अनुमान के विरुद्ध ₹ 20,760 करोड़ था। एन.पी.आर.ई. की वृद्धि दर वर्ष 2014-15 के 13 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2015-16 में सात प्रतिशत हो गया। 2011-16 अवधि के दौरान कुल राजस्व व्यय से एन.पी.आर.ई. की प्रतिशतता 57 प्रतिशत से 73 प्रतिशत के बीच दोलित रही। 2015-16 के दौरान, एन.पी.आर.ई. राजस्व व्यय का 57 प्रतिशत था। राज्य के एन.पी.आर.ई. का सी.ए.जी.आर. 2011-16 के दौरान 11.68 प्रतिशत रहा।

वर्ष 2015-16 के दौरान, सामाजिक सेवाओं के अन्तर्गत एन.पी.आर.ई. मुख्यतः शिक्षा (₹ 3,228 करोड़) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (₹ 1,063 करोड़), जल आपूर्ति, स्वच्छता, नगर विकास व आवास (₹ 1,780 करोड़), समाज कल्याण एवं पोषण (₹ 2,126 करोड़) और अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़ा वर्गों के कल्याण (₹ 1,061 करोड़) पर वहन किया गया। आर्थिक सेवाओं के अन्तर्गत, एन.पी.आर.ई. मुख्यतः ग्रामीण विकास (₹ 3,146 करोड़), कृषि एवं संबद्ध क्रियाकलाप (₹ 982 करोड़) पर वहन किया गया।

1.6.3 प्रतिबद्ध व्यय

राजस्व लेखे पर राज्य सरकार के प्रतिबद्ध व्यय में मुख्यतः वेतन एवं मजदूरी, सब्सिडी, पेंशन एवं ब्याज भुगतान पर व्यय शामिल है। तालिका 1.14, चार्ट 1.8 तथा चार्ट 1.9 2011-16 के दौरान इन अवयवों पर व्यय की प्रवृत्ति प्रस्तुत करते हैं।

तालिका 1.14: वेतन और मजदूरियों, सब्सिडी, पेंशन तथा ब्याज भुगतानों पर व्यय के अवयव

(₹ करोड़ में)

प्रतिबद्ध व्यय के अवयव	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	
					बजट अनुमान [#]	वास्तविक
वेतन और मजदूरी, जिसमें	6352(28)	6446(26)	6934(27)	7417(24)	9686	8218(20)
गैर योजना शीर्ष	6150(27)	6270(25)	6766(26)	7193(23)	9196	7943(19)
योजना शीर्ष	202(1)	176(1)	168(1)	224(1)	490	275(1)
ब्याज भुगतान	2267(10)	2391(10)	2614(10)	2929(9)	3447	3320(8)
पेंशन	2297(10)	2931(12)	3484(13)	3463(11)	4493	3990(10)
सब्सिडी	286(2)	270(1)	187(1)	246(1)	¥	522(1)
कुल	11202(50)	12054(49)	13219(51)	14055(45)		16050(39)



स्रोत: झारखण्ड सरकार के वित्त लेखे

कोष्ठक के आँकड़े राजस्व प्राप्तियों की प्रतिशतता को इंगित करते हैं।

* इसमें सहायता-अनुदान से भुगतान किया गया वेतन भी सम्मिलित है।

बजट अनुमान सकल आँकड़े हैं जबकि वास्तविक शुद्ध आँकड़े हैं।

¥ बजट उपलब्ध नहीं।



वर्ष 2014-15 के 43 प्रतिशत के विरुद्ध वर्ष 2015-16 के दौरान वेतन एवं मजदूरी (₹ 8,218 करोड़), ब्याज भुगतान (₹ 3,320 करोड़) और पेंशन (₹ 3,990 करोड़) सम्मिलित रूप से राजस्व व्यय का 42 प्रतिशत लेखापित था एवं 2014-15 के 44 प्रतिशत के सापेक्ष 2015-16 के दौरान राजस्व प्राप्तियों के 38 प्रतिशत भाग का उपयोग किया। वर्ष 2015-16 के दौरान वेतन, पेंशन एवं ब्याज भुगतानों पर कुल गैर-योजना व्यय सम्मिलित रूप से एन.पी.आर.ई. का 73 प्रतिशत लेखापित था।

- राजस्व प्राप्तियों से वेतन व मजदूरी की प्रतिशतता 2014-15 के 24 से घटकर 2015-16 में 20 हो गयी। 2011-16 अवधि के दौरान वेतन व मजदूरी का सी.ए.जी.आर 6.65 प्रतिशत था।
- वर्ष 2015-16 के दौरान गैर-योजना शीर्षों के अन्तर्गत वेतन व मजदूरी पर व्यय (₹ 7,943 करोड़) पिछले वर्ष के सापेक्ष ₹ 750 करोड़ (10 प्रतिशत) तक बढ़ा।

पेंशन

- 14.80 प्रतिशत के सी.ए.जी.आर. से पेंशन पर व्यय वर्ष 2011-12 के ₹ 2,297 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2015-16 में ₹ 3,990 करोड़ हो गया। 2015-16 के दौरान, पेंशन पर व्यय पिछले वर्ष के सापेक्ष ₹ 527 करोड़ तक बढ़ गया। पिछले वर्ष के (-) 0.6 प्रतिशत के विरुद्ध 2015-16 के दौरान पेंशन का वृद्धि दर 15 प्रतिशत था। पेंशन भुगतान 2015-16 के बजट अनुमान (₹ 4,493 करोड़) से ₹ 503 करोड़ (11 प्रतिशत) कम था।
- भविष्य में पेंशन के बोझ को कम करने के लिए राज्य ने 01 जनवरी 2004 से अंशदायी पेंशन योजना अपनाया है। राज्य ने न्यू पेंशन सिस्टम ट्रस्ट के साथ 20 मार्च 2009 को एक करार किया।

ब्याज भुगतान

- 14^{वें} वि.आ. के ₹ 3,623 करोड़ के मानक अनुमान के विरुद्ध वर्ष 2015-16 के दौरान ब्याज भुगतान ₹ 3,320 करोड़ रहा। पिछले वर्ष के सापेक्ष ब्याज भुगतान की वृद्धि दर 13 प्रतिशत थी। राजस्व प्राप्तियों की प्रतिशतता के रूप में, ब्याज भुगतान वर्ष 2015-16 के दौरान आठ प्रतिशत थी। 2011-16 के दौरान राज्य द्वारा भुगतान किये गये ब्याज का सी.ए.जी.आर. 10.01 प्रतिशत था।
- वर्ष 2014-15 तथा वर्ष 2015-16 के दौरान ब्याज भुगतान के मुख्य घटक तालिका 1.15 में दिए गये हैं:

तालिका 1.15: ब्याज भुगतान के मुख्य घटक

(₹ करोड़ में)

भुगतान किया गया ब्याज	2014-15	औसत ब्याज दर	2015-16	औसत ब्याज दर
आंतरिक ऋण	2530.62	8.34	2968.19	7.76
भारत सरकार से ऋण व अग्रिम	131.94	6.31	122.93	5.89
लघु बचत, भविष्य निधि इत्यादि	262.93	18.04	221.79	17.37
अन्य	3.66	0.05	7.18	0.09
कुल	2929.15	7.22	3320.09	6.63

सब्सिडी

- वर्ष 2015-16 के दौरान, झारखण्ड सरकार ने ₹ 522 करोड़³ मुख्यतः 2401-फसल उत्पादन (₹ 326 करोड़), 2852-उद्योग (₹ 97 करोड़), 2404 डेयरी विकास (₹ 68 करोड़) एवं 2403-पशुपालन (₹ 14 करोड़) शीर्ष के अन्तर्गत सब्सिडी के रूप में भुगतान किया जो विशेष रूप से सब्सिडी हेतु उप-शीर्ष के अधीन दर्ज किए गये थे। वर्ष 2014-15 में ₹ 246 करोड़ की सब्सिडी की राशि 2015-16 में बढ़कर ₹ 522 करोड़ हो गई।

³ वित्त लेख के परिशिष्ट II

- वर्ष 2015-16 के वित्त लेखे के परिशिष्ट II के अनुसार, खाद्य, ऊर्जा एवं सिंचाई उद्देश्यों हेतु कोई सब्सिडी नहीं दी गई।

1.6.4 वृहत कार्यक्रम

राज्य में सामाजिक क्षेत्र एवं आर्थिक क्षेत्र के अन्तर्गत कई फ्लैगशिप योजनाएँ कार्यान्वित हुईं जिसके लिए बजट में राज्य योजना (रा.यो.) तथा केन्द्रीय योजना (के.यो.) के तहत निधियाँ प्रदान की गईं। वर्ष 2015-16 के दौरान, राज्य योजना के अन्तर्गत 21 मुख्य फ्लैगशिप योजनाओं के लिए ₹ 15,622 करोड़ का बजट आवंटन किया गया, जिसमें से ₹ 15,548 करोड़ का उपयोग किया गया। केन्द्रीय योजना के अन्तर्गत किये गये ₹ 36,722.52 करोड़ के बजट आवंटन के विरुद्ध ₹ 31,287.11 करोड़ का उपयोग किया गया।

वर्ष 2015-16 के दौरान कुछ वृहत कार्यक्रमों पर रा.यो. तथा के.यो. के अन्तर्गत हुए वास्तविक व्यय तथा बजट प्रावधान को तालिका 1.16 में दर्शाया गया है:

तालिका 1.16 वृहत कार्यक्रमों पर व्यय

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	कार्यक्रम का नाम	बजट प्रावधान	व्यय
राज्य योजना			
1.	झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड को ऋण	6136.37	6136.37
2.	मुख्य सड़क	2728.12	2653.24
3.	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण सड़क	1015.91	1013.01
4.	झारखण्ड उर्जा संचरण निगम लिमिटेड को संचरण हेतु ऋण	576.29	576.29
5.	सर्व शिक्षा अभियान	477.17	477.17
6.	मुख्य मंत्री ग्राम योजना	443.51	444.50
7.	पात्र गृहस्थ योजना/मुख्यमंत्री कन्या दान योजना	385.60	385.49
8.	स्वर्ण रेखा परियोजना	391.33	371.83
केन्द्रीय योजना			
1.	समेकित बाल विकास योजना	971.59	966.72
2.	सरदार पटेल शहरी गृह योजना	82.00	71.89
3.	ग्राम न्यायालय सहित न्यायालय को उपलब्ध आधारभूत संरचना का विकास	50.83	46.61
4.	कृषि विकास एवं प्रौद्योगिकी पर राष्ट्रीय अभियान	54.28	36.40

जैसा कि तालिका 1.16 से स्पष्ट है कि वर्ष 2015-16 के दौरान उक्त योजनाओं पर व्यय बजट आवंटन के सममूल्य है।

स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थानों को राज्य सरकार द्वारा वित्तीय सहायता

पिछले चार वर्षों की तुलना में चालू वर्ष के दौरान स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थाओं को वर्ष 2015-16 के दौरान अनुदान एवं ऋण के रूप में सहायता की प्रमात्रा तालिका 1.17 में प्रस्तुत की गई है।

तालिका 1.17: स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थानों को वित्तीय सहायता

(₹ करोड़ में)

संस्थानों को वित्तीय सहायता	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
पंचायती राज्य संस्थाएँ (पी.आर.आई.)	581.06	3078.86	910.68	3378.42	3407.48
शहरी स्थानीय निकाय (यू.एल.बी.)	25.34	330.54	88.38	1619.77	1830.77
सार्वजनिक उपक्रम	777.00	450.02	1528.89	3643.86	3987.54
स्वायत्त निकाय	677.85	1837.02	2451.34	2512.95	5480.60
गैर-सरकारी संस्थाएँ	209.68	199.40	106.65	684.99	0.00
अन्य	2259.30	1054.48	1335.91	564.03	184.53
कुल	4530.23	6950.32	6421.85	12404.02	14890.92
राजस्व व्यय, प्रतिशत के रूप	21.58	29.70	27.36	39.01	40.74

स्रोत: वित्त लेखे के विवरणी आठ

स्थानीय निकायों को दी गई वित्तीय सहायता 34.65 प्रतिशत के सी.ए.जी.आर. के दर से वर्ष 2011-12 के ₹ 4,530.23 करोड़ से निरन्तर बढ़कर वर्ष 2015-16 में ₹ 14,890.92 करोड़ हो गया। वित्तीय सहायता की वृद्धि दर वर्ष 2013-14 (-) आठ प्रतिशत से 2014-15 में 93 प्रतिशत के बीच तेजी से बढ़ा जिसमें पुनः 2015-16 में 20 प्रतिशत की कमी आयी। यू.एल.बी. एवं पी.आर.आई. को वित्तीय सहायता के उद्देश्य के लिए विनिर्दिष्ट शीर्ष 3604-यू.एल.बी. एवं पी.आर.आई. को वित्तीय सहायता के बजाय शहरी विकास विभाग एवं ग्रामीण विकास विभाग के नियमित सेवा शीर्षों के माध्यम से उपलब्ध कराया गया। पी.आर.आई. एवं यू.एल.बी. को दी गई सहायता राशि में संबंधित विभागीय व्यय के लेखाओं के अंतर्गत लघु शीर्ष 191, 192, 193, 196, 197 एवं 198 के अंतर्गत पंचायती राज संस्थानों एवं शहरी स्थानीय निकायों को उपलब्ध कराई गई राशि (₹ 708 करोड़) शामिल नहीं है।

1.6.5 स्थानीय शहरी निकायों एवं पंचायती राज संस्थानों के कार्यों और निधियों का हस्तांतरण

स्थानीय शहरी निकाय (यू.एल.बी.)

74वाँ संवैधानिक संशोधन अधिनियम (1992) में उन शहरी क्षेत्र के लिए स्थानीय स्वशासन के निर्माण को परिकल्पित किया गया जहाँ नगरपालिकाओं को शासन के लिए संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। तदनुसार 18 कार्यों यथा- नगर योजना, भू-प्रयोग विनियमन, जल-आपूर्ति इत्यादि स्थानीय निकायों के नामे किया जाना था। पुनः ग्यारहवें वित्त आयोग (इ.एफ.सी.) की सिफारिशों के अनुसार, स्थानीय निकायों के लिए निधि लघु-शीर्षों 191-नगर निगमों को सहायता, 192-नगर पालिकाओं/परिषदों को सहायता और 193-नगर पंचायतों को सहायता के अधीन आवंटित किए जाने हैं। राज्य सरकार ने झारखण्ड नगर पालिका अधिनियम, 2011 में समाविष्ट सभी 18 कार्यों को फरवरी 2012 में सौंपा जिसे परिशिष्ट 1.5 भाग ए में दर्शाया गया है। अभी राज्य में 39 यू.एल.बी.

(नगर निगम-3, नगर परिषद-14, नगर पंचायत-19, नगर पालिका-1 तथा अधिसूचित क्षेत्र समिति-2) है।

तालिका 1.18 में देखा जा सकता है कि राज्य सरकार ने वर्ष 2011-16 की अवधि के दौरान यू.एल.बी. को ₹ 3,895 करोड़ की वित्तीय सहायता प्रदान की थी। वर्ष 2011-16 के दौरान यू.एल.बी. को प्रदत्त वित्तीय सहायता में काफी उतार चढ़ाव हुआ। जबकि, यह 2015-16 में ₹ 1,831 करोड़ तक बढ़ा।

यू.एल.बी को उपलब्ध कराई गई निधियों का विवरण निम्नानुसार है।

तालिका 1.18: स्थानीय शहरी निकायों को उपलब्ध निधियाँ

(₹ करोड़ में)

विवरण	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	कुल
राज्य की राजस्व प्राप्तियाँ (आर.आर.)	22420	24770	26137	31565	36553	141445
राज्य का राजस्व व्यय (आर.ई.)	20992	23400	23472	31795	40638	140297
स्थानीय शहरी निकायों को वित्तीय सहायता	25	331	88	1620	1831	3895
राजस्व प्राप्तियों में वित्तीय सहायता का प्रतिशत	0.11	1.34	0.34	5.13	4.51	2.75
राजस्व व्यय में वित्तीय सहायता की प्रतिशतता	0.12	1.41	0.37	5.10	5.01	2.78
स्वयं के संग्रह ⁴	46.33	88.03	45.54	8.96	14.99	203.85

द्वितीय राज्य वित्त आयोग ने स्थानीय शहरी निकायों को निधि प्रदान करने के संबंध में कोई सिफारिश नहीं की थी। तृतीय राज्य वित्त आयोग जिसका गठन अधिसूचना सं.1012/FoO दिनांक 08.04.2015 द्वारा किया गया था के द्वारा भी स्थानीय शहरी निकायों को राशि सौंपने के संबंध में सितम्बर 2016 तक कोई सिफारिश प्राप्त नहीं हुई थी।

पुनः स्थानीय शहरी निकायों को कार्यों एवं निधियों के हस्तांतरण के संबंध में सूचना (सितम्बर 2012, सितम्बर 2013, नम्बर 2013, जून 2015, सितम्बर 2015 एवं सितम्बर 2016) शहरी विकास विभाग से मांगी गई। उनके जबाब अबतक अप्राप्त हैं (अक्टूबर 2016)।

झारखण्ड में, राज्य सरकार ने भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को स्थानीय निकायों (स्थानीय शहरी निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं) के लेखापरीक्षा के पर्यवेक्षण तथा तकनीकी मार्गदर्शन का कार्यभार (टी.जी.एस.) अक्टूबर, 2011 में सौंपा है। तदनुसार, बिहार एवं उड़ीसा स्थानीय निधि लेखापरीक्षा अधिनियम, 1925 को मार्च, 2012 में संशोधित किया गया जिसके तहत राज्य स्तर पर निदेशक-स्थानीय निधि (डी.एल.एफ.ए.) द्वारा लेखा परीक्षा करने का प्रावधान

⁴ अपने स्रोतों से स्थानीय शहरी निकायों द्वारा संग्रहित निधियों के संबंध में सूचना शहरी विकास विभाग द्वारा नहीं उपलब्ध कराये गये। तथापि, यू.एल.बी. के लेखापरीक्षा के दौरान सूचना एकत्रित की गई।

अंतर्निहित है जिसे भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा तकनीकी मार्गदर्शन व दिशानिर्देश दिया जाना है। राज्य सरकार ने डी.एल.एफ.ए. को कार्यशील बनाने के लिए 22 पदों का सृजन (मार्च 2013) में किया एवं नवम्बर 2014 में डी.एल.एफ.ए. की नियुक्ति की गई। डी.एल.एफ.ए. द्वारा अगस्त 2016 में सूचित किया गया कि 3 लेखा उपनियंत्रक और 14 लेखापरीक्षा अधिकारियों की नियुक्ति की गई है तथा वास्तविक प्राचलन के लिए कदम उठाये जा रहे हैं। तथापि महालेखाकार (लेखा परीक्षा) द्वारा अप्रैल 2012 से टी.जी.एस. के अनुसार स्थानीय निकायों का नमूना जाँच के आधार पर लेखापरीक्षा किया जा रहा है।

पंचायती राज संस्थाएँ

राज्य सरकार ने त्रि-स्तरीय पी.आर.आई. प्रणाली अर्थात् जिला स्तर पर जिला पंचायत, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति व ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत के गठन के लिए 2001 में झारखण्ड पंचायती राज अधिनियम पास किया। पी.आर.आई. को स्थानीय स्वशासी संस्थाओं के रूप में कार्य करने में समर्थ बनाने हेतु नियम बनाये गये। ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार पी.आर.आई. को हस्तांतरित निधियों का वर्गीकरण, मुख्य 2215-जल आपूर्ति एवं स्वच्छता एवं 2217-शहरी विकास के अन्तर्गत लघु-शीर्षो 196-जिला परिषद् को सहायता, 197-प्रखंड पंचायत को सहायता और 198-ग्राम पंचायत को सहायता के अधीन किया गया है।

झारखण्ड पंचायती राज अधिनियम, 2001 के अनुसार केंद्र तथा राज्य सरकारों द्वारा विमुक्त निधियों का प्रयोग पंचायती राज संस्थानों द्वारा ग्रामीण जनता के नागरिक सुविधाओं के मदों से संबंधित विभिन्न विकास कार्यक्रमों के निष्पादन पर खर्च किया जाना था। वर्तमान में राज्य में कुल 4,706 पंचायती राज संस्थाएँ⁵ हैं। वर्ष 2011-16 के दौरान, पंचायती राज संस्थानों को कुल ₹ 11,356 करोड़ का भुगतान किया गया जो निम्नवत है:

तालिका 1.19 पंचायती राज संस्थानों को उपलब्ध निधि

(₹ करोड़ में)

विवरण	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	कुल
राज्य की राजस्व प्राप्तियाँ (आर. आर.)	22420	24770	26137	31565	40638	145530
राज्य का राजस्व व्यय (आर. ई.)	20992	23400	23472	31795	36553	136212
पी.आर.आई. को वित्तीय सहायता	581	3079	911	3378	3407	11356
राजस्व प्राप्तियों से वित्तीय सहायता की प्रतिशतता	2.59	1.96	3.49	10.70	8.38	7.80
राजस्व व्यय में वित्तीय सहायता की प्रतिशतता	2.77	2.08	3.88	10.62	9.32	8.34

⁵ 24 जिला परिषद, 259 पंचायत समितियों, एवं 4,423 ग्राम पंचायतें

द्वितीय राज्य वित्त आयोग ने पी.आर.आई. को निधि प्रदान करने के संबंध में कोई सिफारिश नहीं की थी। तृतीय राज्य वित्त आयोग जिसका गठन अधिसूचना सं.1012/FoO दिनांक 08.04.2015 द्वारा किया गया था के द्वारा भी पी.आर.आई. को राशि सौंपने के संबंध में जनवरी 2016 तक कोई सिफारिश प्राप्त नहीं हुई थी।

राज्य सरकार अक्टूबर 2012 में पंचायतों को निधियों के अंतरण का आदेश जारी किया। जैसा कि **परिशिष्ट 1.5 भाग बी** में वर्णित है, कुल अनुबद्ध 29 कार्यों में से अगस्त 2015 तक 16 कार्यों को पी.आर.आई. को सम्पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से सुपुर्द किया गया था। इस संबंध में जून 2015, सितम्बर 2015 एवं सितम्बर 2016 में अद्यतन स्थिति की सूचना माँगी गयी है जिसका जवाब प्रतीक्षित है (अक्टूबर 2016)।

ग्यारहवें वित्त आयोग की अनुशंसा (मार्च 2011) के अनुसार, राज्य सरकार ने 'झारखण्ड पंचायती राज (बजट एवं लेखे) विनियमन 2010 को अधिसूचित किया (मार्च 2011), तदनुसार पी.आर.आई. का लेखांकन किया जाता है।

डी.एल.एफ.ए. ने अगस्त 2016 में सूचित किया कि तीन लेखा उपनियंत्रक और 14 लेखापरीक्षा अधिकारियों की नियुक्ति की गई है तथा वास्तविक प्राचलन के लिए कदम उठाये जा रहे हैं। जबकि, महालेखाकार (लेखापरीक्षा) द्वारा अप्रैल 2012 से टी.जी.एस. प्रबंधन के अनुरूप नमूना जाँच के आधार पर स्थानीय निकायों की लेखापरीक्षा की जा रही है।

1.7 व्यय की गुणवत्ता

राज्य में बेहतर सामाजिक और भौतिक मूलभूत संरचनाओं की उपलब्धता इसके व्यय की गुणवत्ता को प्रतिबिम्बित करता है। व्यय की गुणवत्ता में सुधार के मुख्यतः तीन पहलू यथा व्यय की पर्याप्तता (अर्थात् लोक सेवा प्रदान करने के लिए पर्याप्त प्रावधान), व्यय की दक्षता और इसकी प्रभावशीलता (चयनित सेवाओं के लिए लागत-परिणाम का मूल्यांकन) सम्मिलित है।

राज्य के कुल व्यय का वृद्धि दर वर्ष 2014-15 में पिछले वर्ष के संगत वृद्धि दर 34.3 प्रतिशत के विरुद्ध वर्ष 2015-16 के दौरान 36.8 प्रतिशत था।

वर्ष 2015-16 के दौरान कुल व्यय में विकास व्यय (सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं पर व्यय) 86 प्रतिशत था, जबकि गैर-विकास व्यय 14 प्रतिशत था। वर्ष 2015-16 के दौरान विकास व्यय पिछले वर्ष के सापेक्ष 46 प्रतिशत बढ़ा, जबकि गैर-विकास व्यय में पिछले वर्ष के सापेक्ष 15 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

1.7.1 लोक व्यय की पर्याप्तता

राज्य सरकार को सौंपे गये सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्रों से संबंधित व्यय का उत्तरदायित्व मुख्यतः राज्य का विषय है। इस प्रकार, राज्य में मानवीय विकास का स्तर बढ़ाने के क्रम में, मुख्य सामाजिक सेवाओं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य इत्यादि

पर व्यय बढ़ाने की आवश्यकता है। न्यून राजकोषीय प्राथमिकता (कुल व्यय श्रेणी से व्यय का अनुपात) किसी विशेष क्षेत्र से संलग्न की जाती है यदि यह राष्ट्रीय औसत से कम है।

वर्ष 2012-13 को आधार वर्ष मानते हुए वर्ष 2015-16 के दौरान विकासोन्मुखी व्यय, सामाजिक क्षेत्रों पर व्यय और पूँजीगत व्यय के संदर्भ में राज्य की राजकोषीय प्राथमिकता को तालिका 1.20 विश्लेषित करता है।

तालिका 1.20: वर्ष 2012-13 और वर्ष 2015-16 में राज्य की राजकोषीय प्राथमिकता

राज्य द्वारा राजकोषीय प्राथमिकता*	ए.ई./ स.रा.घ.उ.	डी.ई.#/ ए.ई.	एस.एस.ई./ ए.ई.	सी.ई./ ए.ई.	शिक्षा/ ए.ई.	स्वास्थ्य/ ए.ई.
सामान्य श्रेणी राज्यों का औसत (अनुपात) 2012-2013	14.14	70.03	38.47	13.70	17.72	4.72
झारखण्ड राज्य का औसत (अनुपात) 2012-2013	16.15	68.49	33.16	14.95	15.95	3.10
सामान्य श्रेणी राज्यों का औसत (अनुपात) 2015-16	16.05	70.63	36.29	14.89	15.63	4.45
झारखण्ड राज्य का औसत (अनुपात) 2015-16	21.57	75.82	30.49	15.63	12.73	4.16

टिप्पणी: जी.सी.एस. के कुल व्यय के अनुपात में जम्मू और कश्मीर एवं मनीपूर शामिल नहीं हैं, जबकि अन्य व्यय में जम्मू कश्मीर शामिल नहीं है।

* स.रा.घ.उ. से प्रतिशतता के रूप में

ए.ई.: सकल व्यय (कुल व्यय), डी.ई.: विकास पर व्यय, एस.एस.ई.: सामाजिक क्षेत्र पर व्यय, सी.ई.: पूँजीगत व्यय

विकासात्मक व्यय में विकासात्मक राजस्व व्यय, विकासात्मक पूँजीगत व्यय एवं ऋण एवं अग्रिम का वितरण शामिल है।

स्रोत: सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार का वेबसाइट।

वर्ष 2012-13 की तुलना में वर्ष 2015-16 के दौरान झारखण्ड राज्य अपने स.रा.घ.उ. का थोड़ा अधिक हिस्सा विकास व्यय पर खर्च किया। तदंतर, इन दोनों वर्षों में स.रा.घ.उ. से कुल व्यय का औसत सामान्य श्रेणी के राज्यों से अधिक था।

झारखण्ड में सकल व्यय के अनुपात के रूप में विकास व्यय 2012-13 के अनुपात में 2015-16 के दौरान अपेक्षाकृत काफी अधिक था, जबकि 2015-16 के दौरान ए.ई. के सापेक्ष एस.एस.ई. का अनुपात 2012-13 के संगत अनुपात से कमतर था। 2015-16 के दौरान झारखण्ड में ए.ई. के सापेक्ष पूँजीगत व्यय उच्चतर था।

वर्ष 2015-16 में सामान्य श्रेणी के राज्यों की तुलना में राज्य ने विकास व्यय एवं पूँजीगत व्यय को अधिक प्राथमिकता दी, जबकि राज्य द्वारा शिक्षा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में व्यय को कम प्राथमिकता दी गई है।

1.7.2 व्यय के उपयोग की दक्षता

राज्य की सामाजिक एवं आर्थिक सेवाएँ प्रदान करने वाले परिसम्पतियों के सृजन पर किए गए व्यय को विकास पूँजीगत व्यय के रूप में वर्गीकृत किया गया है। जबकि राजस्व व्यय चयनित सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं के रख-रखाव पर किए गए व्यय हैं।

तदंतर, सामाजिक और आर्थिक विकास की दृष्टि से विकास शीर्षों पर लोक व्यय के महत्व को देखते हुए, राज्य सरकार के लिए यह आवश्यक है कि सही व्यय हेतु बुद्धिसंगत मापदंड को अपनाया जाय और कोर पब्लिक गुड्स⁶ के प्रावधान पर जोर दे। विकास व्यय⁷ हेतु आवंटन के सुधार के अलावा कुल व्यय (और स.रा.घ.उ.) का पूँजीगत व्यय से अनुपात और विद्यमान सामाजिक और आर्थिक सेवाओं के रख-रखाव पर हो रहे समानुपातिक राजस्व व्यय, व्यय के उपयोग की दक्षता को भी प्रतिबिम्बित करती है। इन अवयवों का कुल व्यय (और स.रा.घ.उ.) से अनुपात जितना ऊँचा होगा व्यय की प्रकृति उतनी ही बेहतर होगी। राज्य के वार्षिक लेखों की समीक्षा में यह उद्घटित हुआ कि:

- शिक्षा के क्षेत्र में पूँजीगत व्यय वर्ष 2014-15 में ₹ 82.97 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2015-16 में ₹ 103.38 करोड़ हो गया जो वर्ष 2015-16 के बजट में निर्धारित ₹ 202.40 करोड़ के पूँजीगत व्यय से काफी कम था।
- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण क्षेत्र के परिप्रेक्ष्य में पूँजीगत व्यय वर्ष 2014-15 में ₹ 260.97 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2015-16 में ₹ 339.87 करोड़ हो गया। तथापि, इन क्षेत्रों के लिए पूँजीगत व्यय वर्ष 2014-15 के बजट में निर्धारित ₹ 429.03 करोड़ से काफी कम था।
- जल आपूर्ति, स्वच्छता, भवन एवं शहरी विकास में पूँजीगत व्यय, वर्ष 2014-15 में ₹ 188.90 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2015-16 में ₹ 247.02 करोड़ हो गया। इस वर्ष जल आपूर्ति, स्वच्छता, भवन एवं शहरी विकास के लिए ₹ 354.79 करोड़ का बजट प्रावधान था।

तालिका 1.21 वर्ष 2015-16 के दौरान राज्य के कुल व्यय की तुलना में विकास योजनाओं पर व्यय की प्रवृत्ति के साथ-साथ पिछले वर्षों के दौरान बजटीय राशि और व्यय को प्रस्तुत करता है।

⁶ कोर पब्लिक गुड्स वे हैं जिन्हें सभी नागरिक सामान्य रूप से इस्तेमाल करते हैं इस रूप में कि एक व्यक्ति द्वारा इस्तेमाल गुड्स दूसरे व्यक्ति के द्वारा इस्तेमाल गुड्स में कमी नहीं करता हो जैसे: कानून और आदेश का प्रवर्तन, हमारे अधिकार बचाव एवं सुरक्षा, प्रदूषण मुक्त वायु एवं अन्य पर्यावरणीय गुड्स और पथ के लिए आधारभूत संरचना इत्यादि।

⁷ व्यय आँकड़ों का विश्लेषण विकास और गैर विकास व्यय में समुच्ययित है। राजस्व लेखे, पूँजीगत परिव्यय, ऋण एवं अग्रिम से संबंधित सभी व्यय को सामाजिक सेवाएँ, आर्थिक सेवाएँ एवं सामान्य सेवाओं में वर्गीकृत किए गए हैं। हमारे आँकड़ों में सामाजिक एवं आर्थिक सेवाएँ विकासात्मक व्यय में शामिल हैं जबकि सामान्य सेवाएँ गैर-विकासात्मक व्यय हैं।

तालिका 1.21: विकास व्यय

(₹ करोड़ में)

विकास पर व्यय के घटक	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	
					बजट आकलन*	वास्तविक
विकास व्यय						
विकास पर राजस्व व्यय	13146(54)	14704(52)	13512(48)	21171(55)	30033	24551(47)
विकास पर पूँजीगत व्यय	3003(12)	4042(14)	4554(16)	5217(14)	8156	7588 (15)
विकास से संबंधित ऋण एवं अग्रिम	199(1)	582(2)	209(1)	807(2)	1154	7431(14)
कुल	16348	19328	18275	27195	39343	39570
कोष्ठक में दिये गये आँकड़े कुल व्यय (रा.व्य+पू. व्य+ऋण एवं अग्रिम) से प्रतिशतता को दर्शाते हैं।						
* बजट आकलन का सकल आँकड़ा है जबकि वास्तविक का निवल आँकड़ा है।						

स्रोत: झारखण्ड सरकार के वित्त लेखे तथा बजट प्रकाशन

- राज्य के विकास व्यय में सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं पर ऋण एवं अग्रिमों सहित राजस्व व्यय एवं पूँजीगत व्यय शामिल है। मुख्यतः शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास एवं शहरी विकास एवं ग्रामीण विकास राजस्व शीर्ष के अन्तर्गत एवं पूँजीगत शीर्ष के अंतर्गत यातायात एवं सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण पर व्यय के कारण विकास व्यय की वृद्धि दर वर्ष 2013-14 में ऋणात्मक पाँच प्रतिशत से सुधर कर वर्ष 2014-15 में 49 प्रतिशत तथा 2015-16 में 46 प्रतिशत रहा। तालिका 1.21 से देखा जा सकता है कि वर्ष 2015-16 के दौरान कुल विकास व्यय बजट आकलन से अधिक था।
- वर्ष 2011-16 के दौरान कुल व्यय में विकासपरक राजस्व व्यय की हिस्सेदारी 47 प्रतिशत से 55 प्रतिशत के बीच रही। वर्ष 2011-16 के दौरान विकास राजस्व व्यय का सी.ए.जी.आर. 16.90 प्रतिशत था।
- कुल व्यय में विकासपरक पूँजीगत व्यय की हिस्सेदारी (विकासपरक ऋण एवं अग्रिम सहित) वर्ष 2014-15 के दौरान 16 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2015-16 में 29 प्रतिशत हो गया। वर्ष 2011-16 के दौरान विकासपरक पूँजीगत व्यय का सी.ए.जी.आर. 26.08 प्रतिशत था, जो कि विकासपरक राजस्व व्यय की तुलना में अधिक था।
- वर्ष 2015-16 के दौरान वास्तविक विकासपरक पूँजीगत व्यय एवं विकासपरक ऋण एवं अग्रिम बजट आकलन के ₹ 8,156 करोड़ एवं ₹ 1,154 करोड़ के विरुद्ध ₹ 7,588 करोड़ एवं ₹ 7,431 करोड़ था।

चयनित सामाजिक तथा आर्थिक सेवाओं में किया गया व्यय

तालिका 1.22 राज्य द्वारा किये जाने वाले कुछ मुख्य सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं के पूँजीगत व्यय एवं राजस्व व्यय के घटकों का दो वर्षों का तुलनात्मक विवरण प्रस्तुत करती है।

तालिका 1.22: चयनित सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं में किये गये व्यय की दक्षता

(प्रतिशत में)

सामाजिक/आर्थिक ढाँचा	2014-15			2015-16		
	टी.ई. से सी.ई. का अनुपात	आर.ई. में हिस्सा		टी.ई. से सी.ई. का अनुपात	आर.ई. में हिस्सा	
		एस. और डब्ल्यू	ओ. और एम.*		एस. और डब्ल्यू	ओ. और एम.
सामाजिक सेवार्य (एस.एस.)						
सामान्य शिक्षा	0.12	51.47	0.01	0.10	33.53	0.01
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	16.97	43.45	0.01	15.65	32.19	0.01
जलापूर्ति, स्वच्छता एवं एच.यू.डी.	9.80	7.71	1.67	9.37	5.61	0.59
कुल (एस.एस.)	7.08	26.18	0.31	6.44	21.01	0.22
आर्थिक सेवार्य (ई.एस.)						
कृषि एवं सहबद्ध कार्यकलाप	7.86	32.94	0.07	7.23	24.34	0.00
सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	53.46	95.45	22.39	78.33	98.44	0.18
विद्युत और ऊर्जा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
परिवहन	74.64	15.07	31.57	90.90	36.21	75.84
कुल (ई.एस.)	27.64	13.69	4.06	27.74	13.05	1.34
कुल (एस.एस.+ई.एस.)	18.35	20.72	1.95	19.18	17.86	0.66

टी.ई.: उस क्षेत्र का कुल व्यय; सी.ई.: पूँजीगत व्यय; आर.ई.: राजस्व व्यय; एस. और डब्ल्यू: वेतन एवं मजदूरी; ओ. और एम.: संचालन और रख-रखाव; वित्त लेखे के अनुसार यह विस्तृत शीर्ष 05- रखरखाव एवं मरम्मत के अन्तर्गत वास्तविक व्यय को प्रस्तुत करता है।

स्रोत: झारखण्ड सरकार के वित्त लेखे

- तालिका में वर्णित सेवाओं पर कुल विकासात्मक व्यय से विकासात्मक पूँजीगत व्यय की प्रतिशतता वर्ष 2014-15 के 18.35 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2015-16 में 19.18 प्रतिशत हो गया।
- सामाजिक सेवाओं एवं आर्थिक सेवाओं में वेतन वर्ष 2014-15 में क्रमशः 26.18 प्रतिशत एवं 13.69 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2015-16 में 21.01 प्रतिशत एवं 13.05 प्रतिशत हो गया।
- सामाजिक सेवाओं में, 2014-15 एवं 2015-16 के दौरान राजस्व व्यय के अंतर्गत सामान्य शिक्षा एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण में प्रचालन एवं रखरखाव व्यय के हिस्सेदारी समान रही जबकि जलापूर्ति, स्वच्छता एवं आवास तथा शहरी विकास मद की हिस्सेदारी वर्ष 2014-15 के 1.67 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2015-16 में 0.59 प्रतिशत हो गया।
- आर्थिक सेवाओं के अंतर्गत राजस्व व्यय में सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण के लिए प्रचालन एवं अनुरक्षण व्यय की हिस्सेदारी में वर्ष 2014-15 के 22.39 प्रतिशत से तीव्रता से घटकर वर्ष 2015-16 में 0.18 प्रतिशत हो गया, जबकि परिवहन मद में 2014-15 के 31.57 से 2015-16 में 75.84 प्रतिशत तक तीव्रता से बढ़ा।

1.8 सरकारी व्यय एवं निवेश का वित्तीय विश्लेषण

एफ.आर.बी.एम के उत्तरवर्ती रूप रेखा में, राज्य से न केवल राजकोषीय घाटे (और उधार) को निम्न स्तर पर रखने बल्कि इसके पूँजीगत व्यय/निवेश (ऋण एवं अग्रिम सहित) की आवश्यकता को भी पूरा करने की अपेक्षा की जाती है। इसके अतिरिक्त, बाजार आधारित संसाधनों पर पूर्ण निर्भरता में बदलाव के राज्य सरकार को अपने निवेश पर अधिक आय के लिए और स्पष्ट सब्सिडी के रूप में बजट पर प्रभारित करने की अपेक्षा उधारित निधि की लागत को वसूल करने के लिए मानक अपनाने की आवश्यकता है और वित्तीय संचालन में पारदर्शिता प्रदान करने के लिए आवश्यक कदम उठाने की आवश्यकता है। यह खण्ड पिछले वर्ष के साथ-साथ चालू वर्ष के दौरान निवेश और सरकार द्वारा किये गये अन्य पूँजीगत व्यय के व्यापक वित्तीय विश्लेषण को प्रस्तुत करता है।

1.8.1 पूर्ण सिंचाई योजनाओं के वित्तीय परिणाम

राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त सूचना के आधार पर राज्य की सिंचाई परियोजनाओं के वित्तीय परिणामों को वित्त लेखे के परिशिष्ट-VIII (i) में प्रस्तुत किया गया है। वित्त लेखे 2015-16 के परिशिष्ट-VIII (i) के अनुसार राज्य में 42 सिंचाई परियोजनाएँ चल रही हैं। वर्ष 2015-16 के दौरान वित्त वर्ष के अन्त में इन परियोजनाओं का कुल पूँजीगत परिव्यय ₹ 1,353.75 करोड़ था जिसमें से ₹ 1,154.29 करोड़ कार्यकारी व्यय एवं रखरखाव पर खर्च हुए। 2015-16 के दौरान ₹ 60.64 करोड़ इन योजनाओं से राजस्व के रूप में प्राप्त हुए।

1.8.2 अपूर्ण परियोजनाएँ

31 मार्च 2016 को अपूर्ण परियोजनाओं से संबंधित विभाग-वार सूचना, जिन्हें वित्त वर्ष के अंत तक पूर्ण करना था, तालिका 1.23 में दी गयी है।

तालिका 1.23: अपूर्ण परियोजनाओं का विभागवार रूप रेखा

(₹ करोड़ में)

विभाग	अपूर्ण परियोजनाओं की संख्या	परियोजनाओं का अनुमानित लागत	31.3.2016 का समुच्चयित व्यय
पथ निर्माण	119	1233.85	1279.76
ग्रामीण अभियांत्रिक संस्थान	13	146.27	163.93
भवन निर्माण	18	147.68	75.58
सिंचाई विभाग	45	11208.72	569.58
कुल	195	12736.52	2088.85

स्रोत: वित्त लेखे 2015-16 की परिशिष्ट x

अपूर्ण कार्य पर निधियों को अवरोधित करना व्यय के गुणवत्ता पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। उपरोक्त तालिका में दर्शाये गये सभी अपूर्ण 195 परियोजनायें (अनुमानित खर्च ₹ 12,736.52 करोड़) 31 मार्च 2016 तक पूर्ण किये जाने थे,

जो नहीं किये जा सके, फलतः 2015-16 तक उन योजनाओं पर किये गये व्यय की राशि ₹ 2,088.85 करोड़ अवरोधित रहा। परियोजना कार्यों के निष्पादन में विलम्ब से खर्च बढ़ने का डर रहता है। साथ ही, इन परियोजनाओं के निष्पादन में होने वाले विलम्ब के कारण उनसे, वांछित परिणाम भी प्राप्त नहीं हो सका।

1.8.3 निवेश एवं लाभांश

नवम्बर 2000 में राज्य की स्थापना के बाद से 31 मार्च 2016 तक सरकार ने एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (₹ 45.73 करोड़), 12 सरकारी कम्पनियाँ (₹ 97.55 करोड़) एवं 18 को-ऑपरेटिव, कॉर्पोरेशन एवं सोसाईटियों में (₹ 124.18 करोड़) कुल ₹ 267 करोड़ का निवेश किया (तालिका 1.24)। वर्ष 2015-16 के दौरान निवेश से लाभांश ₹ 0.47 करोड़ था। तथापि, सरकार ने वर्ष 2015-16 के दौरान 6.63 प्रतिशत के औसत दर से ब्याज का भुगतान किया।

तालिका 1.24: निवेशों पर लाभांश

निवेश/वापसी/उधार की लागत	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
वर्ष के अंत में निवेश (₹ करोड़ में)	182.57	187.82	231.97	247.00	267.46
लाभांश (₹ करोड़ में)	1.17	15.00	18.00	शून्य	0.47
लाभांश (प्रतिशत में)	0.64	7.99	7.76	शून्य	0.18
सरकारी उधार पर ब्याज का औसत दर (प्रतिशत में)	7.64	8.76	7.22	7.22	6.63
ब्याज दर और लाभ में अन्तर (प्रतिशत में)	7.00	0.77	0.54	7.22	6.45

स्रोत : झारखण्ड सरकार के वित्त लेखे - विवरण 19

वर्ष 2015-16 के दौरान ₹ 20.46 करोड़ (आठ प्रतिशत) का निवेश मुख्यतः सरकारी कम्पनियों में (₹ 12.50 करोड़) एवं को-ऑपरेटिव सोसाईटी एवं स्थानीय निकाय में निवेश (₹ 7.96 करोड़) किया गया।

तदंतर, 14 नवम्बर 2000 तक संयुक्त बिहार राज्य द्वारा इन संस्थाओं के साथ साथ सांविधिक निगमों और संयुक्त स्टॉक कम्पनियों में किये गये निवेशों को बिहार एवं झारखण्ड राज्यों के बीच विभाजित नहीं किया गया था।

1.8.4 राज्य सरकार द्वारा दिया गया ऋण एवं अग्रिम

को-ओपरेटिव सोसाईटी, कॉर्पोरेशनों और कम्पनियों में निवेश के अलावे, सरकार इन संस्थाओं/संगठनों में से कई संस्थाओं/संगठनों को ऋण एवं अग्रिम भी प्रदान करती रही है। 31 मार्च 2016 तक पिछले पाँच वर्षों के दौरान बकाए ऋण एवं अग्रिम तथा ब्याज प्राप्ति के साथ-साथ ब्याज भुगतान को तालिका 1.25 प्रस्तुत करती है।

तालिका 1.25: राज्य सरकार द्वारा दिया गया ऋण एवं अग्रिम

(₹ करोड़ में)

अग्रिम की प्रमात्रा/ब्याज प्राप्ति/उधार की लागतें	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
ऋणों का आरंभिक शेष	6997	7190	7748	7947	8738
वर्ष के दौरान अग्रिम की गई राशि	217	601	222	824	7480
वर्ष के दौरान वसूल की गई राशि	24	43	23	33	31
बकाया ऋण एवं अग्रिम का प्रतिशत के रूप में वसूली	0.3	0.6	0.3	0.4	0.4
अंतशेष	7190	7748	7947	8738	16187
निवल योग	193	558	199	791	7449
कुल ब्याज प्राप्ति	2.12	0.95	2.74	15.72	4.33
बकाया ऋण एवं अग्रिम की प्रतिशतता के रूप में ब्याज प्राप्ति	*	0.01	0.03	0.20	0.05

स्रोत : झारखण्ड सरकार के वित्त लेखे

*नगण्य

• राज्य सरकार द्वारा को-ऑपरेटिव सोसाइटियों, कम्पनियों इत्यादि को अग्रिम के रूप में दी गई ऋणों की प्रमात्रा वर्ष 2011-12 के ₹ 217 करोड़ से धीरे-धीरे बढ़कर वर्ष 2015-16 में ₹ 7,480 करोड़ हो गयी। तथापि, वर्ष 2012-13 में यह ₹ 601 करोड़ से घटकर वर्ष 2013-14 में ₹ 222 करोड़ हो गया जो पुनः 2014-15 में ₹ 824 करोड़ से बढ़कर 2015-16 में उर्जा परियोजनाओं को संसाधनों का अंतर, बेहतर उत्पादन, संचरण एवं वितरण के लिए प्रदत्त ₹ 6,596 करोड़ के ऋण वृद्धि के कारण ₹ 7,480 करोड़ तक बढ़ गया।

• वर्ष 2015-16 के दौरान बकाया ऋण एवं अग्रिम में पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2014-15 में 9.95 प्रतिशत के विरुद्ध 85.25 प्रतिशत की वृद्धि हुई। मार्च 2016 के अंत तक कुल बकाया ऋण ₹ 16,187 करोड़ में से प्रमुख बकाया राशि ऊर्जा के लिए ऋण (₹ 15,455 करोड़) एवं शहरी स्थानीय निकाय (₹ 628 करोड़) के पास था।

• प्रत्येक वर्ष राज्य सरकार द्वारा बड़ी राशि ऋण के रूप में विभिन्न संस्थाओं/संगठनों को दिये गए लेकिन इनकी वसूली नगण्य थी जिसके कारण मार्च 2016 के अन्त तक ₹ 16,187 करोड़ की बड़ी राशि बकाया हो गयी, जिसमें से ₹ 1,340.46 करोड़ ऋणी ईकाइयों से पुनर्भुगतान बकाया के रूप में थी (₹ 346.48 करोड़ मूलधन एवं ₹ 903.98 करोड़ का ब्याज)।

1.8.5 रोकड़ शेष एवं रोकड़ शेष का निवेश

वर्ष के दौरान रोकड़ शेष एवं राज्य सरकार द्वारा किए गए निवेशों का विवरण तालिका 1.26 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.26: रोकड़ शेष एवं रोकड़ शेष का निवेश

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2015 को	31 मार्च 2016 को
रोकड़ शेष	444.21	1904.72
रोकड़ शेष से निवेश ('अ' से 'स' तक)	666.13	2102.24
अ. भारत सरकार के कोषागार विपत्र	666.13	2102.24
ब. भारत सरकार की प्रतिभूति	शून्य	शून्य
स. अन्य निवेश	शून्य	शून्य
निवेशों पर प्राप्त ब्याज	126.98	117.27
रिजर्व बैंक में जमा	-224.13	-203.93
विभागीय रोकड़ शेष	2.21	6.41

स्रोत : झारखण्ड सरकार के वित्त लेखे

वर्ष 31 मार्च 2016 के अंत तक पिछले वर्ष के ₹ 444.21 करोड़ के सापेक्ष राज्य का रोकड़ शेष ₹ 1,904.72 करोड़ था।

राज्य के पास मार्च 2016 के अंत में रोकड़ निवेश मार्च 2015 में ₹ 666.13 करोड़ के रोकड़ निवेश के सापेक्ष ₹ 2,102.24 करोड़ का रोकड़ निवेश था। मार्च 2016 के अंत तक कुल रोकड़ शेष का निवेश भारत सरकार के कोषागार विपत्र में किया गया।

1.9 परिसम्पत्तियाँ एवं दायित्व



1.9.1 परिसम्पत्तियों एवं दायित्वों की वृद्धि एवं संयोजन

सरकारी लेखांकन की विद्यमान पद्धति में, सरकारी स्वामित्व की परिसम्पत्तियाँ अर्थात् भूमि एवं भवनों का विस्तृत लेखांकन नहीं किया जाता है। तथापि, सरकारी लेखे सरकार के वित्तीय दायित्वों और व्यय से सृजित परिसम्पत्तियों को शामिल करते हैं। **परिशिष्ट 1.4 भाग-बी** 31 मार्च 2016 को उन दायित्वों एवं परिसम्पत्तियों का सार 31 मार्च 2015 की तदनुसूची स्थिति के साथ इनकी तुलना को प्रस्तुत करता है। दायित्वों में जहाँ मुख्यतः आंतरिक उधार, भारत सरकार से लिये गये ऋण एवं अग्रिम एवं लोक लेखे से प्राप्तियाँ एवं आरक्षित निधि शामिल हैं, वहीं परिसम्पत्तियों में मुख्यतः पूँजीगत परिव्यय एवं राज्य सरकार द्वारा दिये गये ऋण एवं अग्रिम तथा रोकड़ शेष शामिल हैं।

झारखण्ड एफ.आर.बी.एम. अधिनियम, 2007, राज्य की संचित निधि और लोक लेखा जिसमें केन्द्र सरकार से प्राप्त ऋण एवं अग्रिम, खुले बाजार से उधार, वित्तीय संस्थाओं से ऋण, अल्प बचत का लोक लेखा शेष, आरक्षित निधि, जमा इत्यादि सम्मिलित है, के अन्तर्गत दायित्वों के रूप में राज्य के कुल दायित्वों को परिभाषित करता है।

1.9.2 राजकोषीय दायित्व

राज्य के बकाये राजकोषीय दायित्व की प्रवृत्ति परिशिष्ट 1.3 में दर्शायी गई है। तथापि वर्ष 2014-15 एवं वर्ष 2015-16 के दौरान राजकोषीय दायित्व के संघटन को क्रमशः चार्ट 1.10 एवं चार्ट 1.11 में प्रस्तुत किया गया है।



तालिका 1.27: राजकोषीय दायित्व की प्रवृत्ति: आधारभूत मापदंड

(₹ करोड़ में)

अवयव	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	सीएजीआर
आंतरिक ऋण	22286	25202	27940	32755	43756	18.37
भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	2024	2124	2092	2087	2085	0.75
लोक लेखे दायित्व	6354	7543	7562	8727	10689	13.89
कुल राजकोषीय दायित्व	30,664	34,869	37,594	43,569	56530	16.52
कुल दायित्वों में वृद्धि (प्रतिशत)	7.0	13.7	7.8	15.9	29.7	मान्य नहीं
स.रा.घ.उ. से राजकोषीय दायित्व (प्रतिशत)	20.3	20.0	19.9	20.1	23.4	मान्य नहीं
राजस्व प्राप्ति से राजकोषीय दायित्व का प्रतिशत	136.77	140.77	143.83	138.03	139.1	मान्य नहीं
राजस्व प्राप्तियों के परिपेक्ष्य में उत्प्लावकता	0.36	1.30	1.42	0.76	1.03	मान्य नहीं

- जैसा कि तालिका 1.27 में दर्शाया गया है, वर्ष 2011-12 के ₹ 30,664 करोड़ का समग्र राजकोषीय दायित्व 84.35 प्रतिशत वृद्धि के साथ वर्ष 2015-16 में ₹ 56,530 करोड़ हो गया। राजकोषीय दायित्व का वार्षिक वृद्धि दर वर्ष 2014-15 के 15.9 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2015-16 में 29.7 प्रतिशत हो गया। वर्ष 2011-16 की अवधि के दौरान राजकोषीय दायित्व का सी.ए.जी.आर. 16.52 प्रतिशत था।
- राज्य के राजकोषीय दायित्वों में ₹ 1,197.17 करोड़ लघु बचत, भविष्य निधि इत्यादि के रूप में तथा ₹ 9,492.25 करोड़ आरक्षित निधि (राज्य आपदा राहत निधि) के रूप में शामिल था।
- स.रा.घ.उ. से राजकोषीय दायित्व का अनुपात वर्ष 2014-15 के 20.1 प्रतिशत से धीरे-धीरे बढ़कर वर्ष 2015-16 में 23.4 प्रतिशत हो गया।
- बारहवें वित्त आयोग ने राज्य की संचित निधि और लोक लेखा से अलग सभी ऋणों की परिशोधन हेतु एक सिंकिंग फंड, जिसमें बैंक ऋण, राष्ट्रीय अल्प बचत निधि इत्यादि के दायित्व शामिल हैं, को स्थापित करने की अनुशंसा की थी। तथापि, अगस्त 2016 तक ऐसे किसी निधि की स्थापना नहीं की गई।
- संयुक्त बिहार के राजकोषीय दायित्वों का बँटवारा संतति राज्य बिहार और झारखण्ड के बीच अभी तक (अगस्त 2016) नहीं किया गया।

1.9.3 संरक्षित निधि के अंतर्गत लेन-देन

तेरहवें वित्त आयोग के अनुशंसा के आधार पर सरकार ने वर्ष 2010-11 में राज्य आपदा राहत निधि (एस.डी.आर.एफ.) का गठन किया। तत्पश्चात्, प्राकृतिक आपदा राहत निधि से शेष राशि एस.डी.आर.एफ. में अंतरित कर दी गई।

वर्ष 2015-16 के दौरान एस.डी.आर.एफ. में प्रारंभिक शेष ₹ 866.79 करोड़ था। वर्ष के दौरान निधि से प्राप्त एवं संवितरण क्रमशः ₹ 521.68 करोड़ एवं ₹ 512.01 करोड़ था जिससे मार्च 2016 तक अंतिम शेष ₹ 876.46 करोड़ हो गया।

1.9.4 प्रत्याभूति की स्थिति - आकस्मिक दायित्व

उधार प्राप्तकर्ता, जिसके लिये प्रत्याभूति दिया गया है, द्वारा बकाया चुकता नहीं करने की स्थिति में प्रत्याभूति राज्य की संचित निधि पर आकस्मिक दायित्व होता है।

भारत का संविधान में प्रावधान है कि राज्य अपने विधायिका द्वारा अधिनियमित तथा समय-समय पर निर्धारित सीमा के अन्तर्गत संचित निधि की अभिरक्षा पर भारत के संघीय क्षेत्र के अंतर्गत उधार ले सकता है और निर्धारित सीमा के अन्दर प्रत्याभूति दे सकता है। तथापि, झारखण्ड राज्य विधायिका द्वारा इस तरह का कोई कानून पारित नहीं किया गया और राज्य की संचित निधि की अभिरक्षा पर प्रत्याभूति देने की कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई।

वित्त लेख के विवरण-9 के अनुसार मार्च 2016 तक ₹ 157.15 करोड़ का बकाया प्रत्याभूति (गारंटी) था। वर्ष 2015-16 के दौरान कोई प्रत्याभूति न ही दी गई और न ही वापस ली गई।

1.10 ऋण प्रबंधन

1.10.1 ऋण की रूप रेखा

राज्य सरकार के ऋण की प्रमात्रा के अलावे राज्य की ऋण धारणीयता⁸ को निर्धारित करने वाले विभिन्न संकेतकों का विश्लेषण भी महत्वपूर्ण है। ऋण स्थिरीकरण⁹, गैर-ऋण प्राप्तियों की पर्याप्तता¹⁰, उधार लिए गये निधियों की निबल उपलब्धता¹¹, ब्याज भुगतान का भार (राजस्व प्राप्त से ब्याज भुगतान के

⁸ समय की एक अवधि में एक नियत ऋण-स.रा.घ.उ. अनुपात को बरकरार रखने की क्षमता ही ऋण धारणीयता है। यह इसके ऋण की सेवा की क्षमता के बारे में महत्व को प्रस्तुत करता है। इसलिए, ऋण धारणीयता चालू या प्रतिबद्ध दायित्व के निर्वहन के लिए नगद परिसम्पत्तियों की पर्याप्तता और अतिरिक्त उधार की लागत एवं ऐसे उधार से लाभ के बीच संतुलन रखने की क्षमता से संबंधित है। इसका तात्पर्य है कि राजकोषीय घटे में चढ़ाव ऋण की सेवा की क्षमता में वृद्धि के साथ मेल खाता है।

⁹ स्थिरता के लिए आवश्यक शर्त यह स्पष्ट करता है कि यदि अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर ब्याज दर या लोक उधार लागत से बढ़ता है तो ऋण-स.रा.घ.उ. अनुपात के बढ़ने की संभावना होती है यदि प्राथमिक शेष या तो शून्य हो या धनात्मक हो या थोड़ा ऋणात्मक हो।

¹⁰ बढ़ती हुई ब्याज दायित्वों और बढ़ती हुई प्राथमिक व्यय को आच्छादित करने के लिए राज्य के बढ़ती हुई गैर-ऋण प्राप्तियों की पर्याप्तता। ऋण धारणीयता उल्लेखनीय रूप से सुसाध्य हो सकता है यदि बढ़ती गैर-ऋण प्राप्तियों बढ़ते हुए ब्याज दायित्व और बढ़ते हुए प्राथमिक व्यय को निबटा सके।

¹¹ कुल ऋण प्राप्तियों से ऋण विमोचन (मूलधन+ब्याज भुगतान) के अनुपात के रूप में परिभाषित है और उधार निधि की निबल उपलब्धता को दर्शाने वाली ऋण विमोचन में उपयोगिता ऋण प्राप्तियों के फैलाव को इंगित करता है।

अनुपात द्वारा मापित) एवं राज्य सरकार के प्रत्याभूति की परिपक्वता की रूपरेखा के शब्दों में यह खण्ड राज्य सरकार के ऋण धारणीयता का मूल्यांकन करता है।

1.10.2 ऋण धारणीयता

तालिका 1.28 वर्ष 2011-12 से प्रारंभ करते हुए पाँच वर्षों की अवधि के लिये इन सूचकों के अनुसार राज्य के ऋण धारणीयता को विश्लेषित करता है।

तालिका 1.28: ऋण धारणीयता : संकेतक और प्रवृत्तियाँ

(₹ करोड़ में)

ऋण धारणीयता के संकेतक	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
ऋण से स.रा.घ.उ. का अनुपात	20.3	20.0	19.9	20.1	23.4
इंक्रिमेंटल गैर ऋण प्राप्तियों की पर्याप्तता (संसाधन अंतराल)*	188	(-)39	1275	(-)2885	4313
उधार निधि की निवल उपलब्धता	(-)238	1814	110	3313	9641
ब्याज भुगतान का बोझ (आइ.पी./आर.आर. अनुपात)	10	10	10	9.28	8.17
राज्य ऋण की परिपक्वता की रूपरेखा (वर्षों में)					
0 - 1	1449(6)	1381(5)	1453(5)	1590(4)	1338(3)
1 - 3	3080(13)	3031(11)	2916(10)	3368(10)	4535(10)
3 - 5	2623(11)	3358(12)	4373(14)	5032(14)	4236(9)
5 - 7	4302(17)	5009(19)	4160(14)	3723(11)	7857(17)
7 और आगे	12856(53)	14547(53)	17131(57)	21129(61)	27875(61)
कुल	24310	27326	30033	34842	45841

कोष्ठक में कुल से प्रतिशतता को दिखाया गया है।

*फार्मूला परिशिष्ट 1.2 में है।

वर्ष 2015-16 के दौरान, 23.4 प्रतिशत पर ऋण-स.रा.घ.उ अनुपात 14^{वें} वि.आ. द्वारा तय किये गये मानक 24.20 प्रतिशत से कम था। जबकि यह बजट दस्तावेज में तय लक्ष्य (21.55 प्रतिशत) से ज्यादा था।

- वर्ष 2011-16 के दौरान अंतर्वार्षिक दोलन के पश्चात् गैर-ऋण प्राप्तियों (संसाधन अंतराल) में बढ़ोतरी की पर्याप्तता 2014-15 में (-) ₹ 2,885 करोड़ बढ़कर 2015-16 ₹ 4,313 करोड़ रही जो राज्य के राजकोषीय स्थिति में सुधार का द्योतक है।
- कर्ज ली गई निधियों की शुद्ध उपलब्धता वर्ष 2014-15 के ₹ 3,313 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2015-16 में ₹ 9,641 करोड़ हो गया। वर्ष 2015-16 के दौरान कर्ज ली गई निधियों की शुद्ध उपलब्धता उदय बाँड पर ₹ 5,553 करोड़ के कर्ज के कारण पिछले वर्ष की तुलना में 191 प्रतिशत बढ़ी। तथापि, वर्ष 2011-12 के दौरान संसाधन अंतराल ऋणात्मक (₹ 238 करोड़) था।
- राजस्व प्राप्ति में ब्याज भुगतान के अनुपात के कारण ऋण स्थिरता में महत्वपूर्ण सुधार देखा गया क्योंकि यह वर्ष 2011-12 के 10 प्रतिशत से नियमित

रूप से घटकर वर्ष 2015-16 में 8.17 प्रतिशत हो गयी। वर्ष 2011-12 से 2013-14 के दौरान यह 10 प्रतिशत पर स्थिर रहा।


- राज्य-ऋण की परिपक्वता रूपरेखा दर्शाता है कि राज्य को सात वर्ष के अंदर 50 प्रतिशत से कम राशि का पुनर्भुगतान करना है। इसलिए, इसने विभिन्न ब्लॉक अवधि के दौरान लंबी परिपक्वता का सकारात्मक रूझान दर्शाया जैसा कि उपरोक्त तालिका में वर्णित है।


1.11 राजकोषीय असंतुलन

तीन मुख्य वित्तीय पैमाने - राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा एवं प्राथमिक घाटा - किसी विशेष अवधि में राज्य सरकार के वित्त के सम्पूर्ण वित्तीय असंतुलन की सीमा को इंगित करते हैं। सरकारी लेखे में घाटा, प्राप्ति एवं व्यय के बीच अंतर को दर्शाती है। घाटे की प्रकृति सरकार के वित्तीय प्रबंधन की बुद्धिमत्ता को इंगित करती है। तदंतर, घाटे का वित्तीय पोषण एवं संसाधनों की उगाही के प्रमुख तरीके भी इनके राजकोषीय स्वास्थ्य का महत्वपूर्ण सूचक हैं। यह खण्ड इन घाटों के वित्तीय प्रवृत्ति, प्रकृति, परिमाण एवं तरीके तथा राजस्व घाटे तथा राजकोषीय घाटे के वास्तविक स्तर के मूल्यांकन के साथ-साथ वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए बजट दस्तावेजों और 14^{वें} वित्त आयोग के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों को भी प्रस्तुत करती है।

1.11.1 घाटे की प्रवृत्तियाँ

चार्ट 1.12 एवं चार्ट 1.13 वर्ष 2011-16 के दौरान घाटे के संकेतकों की प्रवृत्तियों को प्रस्तुत करता है।





- वर्ष 2014-15 को छोड़कर, जब यह ऋणात्मक था, वर्ष 2011-16 की अवधि के दौरान राज्य के पास राजस्व अधिशेष था। वर्ष 2014-15 में ₹ 230 करोड़ राजस्व घाटा को छोड़कर वर्ष 2011-12 में ₹ 1,428 करोड़ राजस्व अधिशेष हुआ जो वर्ष 2015-16 में ₹ 4,085 करोड़ हो गया। वर्ष 2015-16 के दौरान, बजट अनुमान के विरुद्ध सामाजिक सेवा (₹ 3,904 करोड़) एवं आर्थिक व्यय (₹ 1,578 करोड़) के अंतर्गत राजस्व व्यय के कारण राज्य के पास राजस्व अधिशेष था।
- वर्ष 2014-15 को छोड़कर राज्य के एफ.आर.बी.एम. अधिनियम एवं 14^{वें} वि.आ. द्वारा यथा लक्षित 'शून्य' राजस्व घाटे को वर्ष 2011-16 के अन्त तक पूरा कर लिया था। तथापि राज्य स्वयं के लक्ष्य (राजस्व अधिशेष/स.रा.घ.उ., 2.07 प्रतिशत) को पूरा करने में विफल रहा क्योंकि वर्ष 2015-16 के दौरान इसका राजस्व अधिशेष/ स.रा.घ.उ. अनुपात 1.7 प्रतिशत था।
- राजकोषीय घाटा 2011-12 के ₹ 1,924 करोड़ से स्थिरता से बढ़ते हुए 2015-16 में ₹ 11,523 करोड़ हो गया। इसी बीच राज्य का राजकोषीय घाटा वर्ष 2013-14 के ₹ 2,256 करोड़ से तीव्र रूप से बढ़कर वर्ष 2014-15 में ₹ 6,564 करोड़ एवं 2015-16 में ₹ 11,523 करोड़ हो गया।
- अन्तर्वर्षीय दोलन के उपरान्त स.रा.घ.उ. से राजकोषीय घाटा की प्रतिशतता मार्च 2014 के अंत तक 1.2 प्रतिशत से बढ़कर 2014-15 के अंत तक 3.0 प्रतिशत हो गया जो तदंतर बढ़कर मार्च 2016 के अंत तक 4.8¹² प्रतिशत हो गया। राज्य, बजट दस्तावेजों में तय अपने लक्ष्य 2.28 प्रतिशत तथा 14^{वें}वि.आ. के 3.50 प्रतिशत के मानक को पूरा करने में विफल रहा।
- मुख्य रूप से राजस्व घाटा/अधिशेष में उतार-चढ़ाव के कारण वर्ष 2011-16 के दौरान प्राथमिक घाटा (पी.डी.) में काफी उतार-चढ़ाव दर्ज किया गया। प्राथमिक

¹² यदि उदय बॉण्ड के उधारों से बिजली कंपनियों को दिये गये ऋण को राजकोषीय घाटे की गणना हेतु विचार न किया जाय, जैसा कि त्रिपक्षीय समझौते के आलोक में राज्य सरकार द्वारा सूचित किया गया तो राजकोषीय घाटा से स.रा.घ.उ. 2.5 प्रतिशत कम हो जायेगा।

अधिशेष (पी.एस.) वर्ष 2013-14 में ₹ 358 करोड़ से बदलकर 2014-15 में ₹ 3,635 करोड़ और 2015-16 में 8,203 करोड़ का प्राथमिक घाटा हो गया। अन्तरवर्षीय दोलन के उपरान्त वर्ष 2015-16 में प्राथमिक घाटा स.रा.घ.उ. का (-) 3.4 प्रतिशत हो गया।

1.11.2 वित्तीय घाटे के अवयव एवं इसके वित्त पोषण का स्वरूप

वित्तीय घाटे के वित्त पोषण के स्वरूप में संरचनात्मक परिवर्तन हुए हैं जिसे तालिका 1.29 में दर्शाया गया है:

तालिका 1.29: वित्तीय घाटे के अवयव एवं वित्त पोषण का स्वरूप

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16		
वित्तीय घाटे का बिखराव		1924	3406	2256	6564	11523		
1	राजस्व घाटा/अधिशेष	1428	1370	2665	-230	4085		
2	निवल पूँजीगत व्यय	3159	4218	4722	5543	8159		
3	निवल ऋण एवं अग्रिम	193	558	199	791	7449		
राजकोषीय घाटे वित्त पोषण का स्वरूप*						प्राप्तियाँ	संवितरण	निवल
1	बाजार उधार	785	3145	2535	4488	5350	595	4755
2	भारत सरकार से ऋण	(-)122	100	-33	(-)5	165	167	-2
3	एन.एस.एस.एफ. को निर्गत विशेष प्रत्याभूति	(-)73	(-)200	129	335	1132	559	573
4	वित्तीय संस्थानों से ऋण	442	(-)30	455	(-)8	6598	925	5673
5	अल्प बचत, भविष्य निधि इत्यादि	70	22	9	(-)202	830	989	-159
6	आरक्षित निधि	(-)105	(-)123	271	275	522	512	10
7	जमा एवं अग्रिम	1030	1290	-254	1093	19499	17388	2111
8	उचत एवं विविध	74	31	-1	(-)13	296	279	17
9	प्रेषण	(-)17	(-)141	157	(-)238	8025	8024	1
10	अन्तर्राज्यीय समायोजन	(-)76	(-)100	-50	-	-	-	-
11	रोकड़ शेष वृद्धि(+)/घाटा(-)	117	588	580	841	444	1905	-1461

* वर्ष 2015-16 को छोड़कर सभी अंक वर्ष के सकल व्यय/बहिर्गमन का निवल है।

स्रोत: संबंधित वर्षों के झारखण्ड सरकार के वित्त लेखे

वर्ष 2015-16 के दौरान ₹ 11,523 करोड़ के राजकोषीय घाटे की प्रतिपूर्ति मुख्यतः बाजार उधार (₹ 4,755 करोड़) एवं वित्तीय संस्थानों से ऋण के तहत उदय बाँड (₹ 5,553 करोड़) से किया गया।

1.11.3 घाटा/अधिशेष की गुणवत्ता

आदर्श स्वरूप में, राज्य के राजस्व प्राप्तियों से राजस्व व्यय (ब्याज भुगतान के साथ) को पूर्ण करना चाहिए। जहाँ राजस्व घाटे की प्रतिपूर्ति उधार (राजकोषीय घाटा) द्वारा की जाती है, वहाँ राजस्व अधिशेष को पूँजीगत व्यय के लिए प्रयोग किया जा सकता है ताकि उधार को घटाया जा सके। पुनः यदि गैर-ऋण प्राप्तियाँ प्राथमिक व्यय¹³ का वहन कर सके तो उधार द्वारा वित्तीयन के लिये प्राथमिक

¹³ ब्याज भुगतान को छोड़कर राजस्व, पूँजीगत तथा ऋण एवं अग्रिम पर व्यय।

घाटा शेष नहीं बचेगा। अतएव, राज्य के वित्त की स्थिरता के लिए एक आवश्यक शर्त यह है कि गैर-ऋण प्राप्तियाँ बढ़ते प्राथमिक व्यय और बढ़ते ब्याज भुगतान के लिए पर्याप्त होनी चाहिए। प्राथमिक घाटे का विभाजन इंगित करता है कि पूँजीगत व्यय में बढ़ोतरी के कारण किस सीमा तक घाटा हुआ है जो राज्य के अर्थव्यवस्था की उत्पादक क्षमता में सुधार के लिए अपेक्षित है। तथ्यों का विभाजन तालिका 1.30 में दिया गया है।

तालिका 1.30: राज्य में प्राथमिक घाटा/अधिशेष - तथ्यों का विभाजन

(₹ करोड़ में)

वर्ष	गैर-ऋण प्राप्तियाँ	प्राथमिक राजस्व व्यय	पूँजीगत व्यय	ऋण एवं अग्रिम	प्राथमिक व्यय	प्राथमिक राजस्व घाटा(-)/ अधिशेष(+)	प्राथमिक घाटा (-)/ अधिशेष(+)
1	2	3	4	5	6 (3+4+5)	7 (2-3)	8 (2-6)
2011-12	22444	18725	3159	217	22101	(+)3719	(+)343
2012-13	24813	21009	4218	601	25828	(+)3804	(-)1015
2013-14	26160	20858	4722	222	25802	(+)5302	(+)358
2014-15	31598	28866	5543	824	35233	(+)2732	(-) 3635
2015-16	40669	33233	8159	7480	48872	(+)7436	(-)8203

स्रोत: झारखण्ड सरकार के वित्त लेखे

- वर्ष 2011-12 से वर्ष 2015-16 के दौरान, प्राथमिक व्यय एवं प्राथमिक राजस्व व्यय में बढ़ोतरी के विरुद्ध राज्य का गैर-ऋण प्राप्तियाँ ₹ 22,444 करोड़ से बढ़कर ₹ 40,669 करोड़ हो गया। पूँजीगत व्यय वर्ष 2011-12 के दौरान ₹ 3,195 करोड़ से बढ़कर 2015-16 में ₹ 8,159 करोड़ हो गया।
- वर्ष 2015-16 के दौरान, राज्य का गैर-ऋण प्राप्तियाँ पिछले वर्ष से 29 प्रतिशत बढ़ी जबकि प्राथमिक व्यय वर्ष 2015-16 में 15 प्रतिशत तक बढ़ा। तथापि, 2015-16 के दौरान प्राथमिक घाटा ₹ 8,203 करोड़ रहा।

1.12 निष्कर्ष एवं अनुशंसाएँ

राजकोषीय स्थिति की समीक्षा

- वर्ष 2015-16 के दौरान सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वृद्धि उस वर्ष के 14^{वें} वित्त आयोग की अनुशंसा 11.73 प्रतिशत के विरुद्ध 11.4 प्रतिशत था।
- राज्य को वर्ष 2015-16 के दौरान ₹ 4,085 करोड़ का राजस्व अधिशेष हुआ। वर्तमान वर्ष के दौरान राजकोषीय घाटा बढ़कर ₹ 11,523 करोड़ हो गया। यह स.रा.घ.उ. का 4.8 प्रतिशत था, जो 14^{वें} वित्त आयोग द्वारा की गई अनुशंसित सीमा (3.5 प्रतिशत) तथा बजट अनुमान के ठीक परे था।

सरकार को 14^{वें} वित्त आयोग के मानकों की प्राप्ति को सुनिश्चित करना चाहिए।

संसाधनों का संचरण

- जहाँ राज्य की राजस्व प्राप्तियाँ (₹ 40,638 करोड़) वर्ष 2015-16 के दौरान पिछले वर्षों की अपेक्षा 28.7 प्रतिशत बढ़ी, जो बजट आकलन से ₹ 7,389 करोड़ कम था।

सरकार के बजट दस्तावेजों में दिए गए प्राप्तियों के अपने लक्ष्य को पूरा करने हेतु प्रयास करना चाहिए।

व्यय की गुणवत्ता

- वर्ष 2015-16 के दौरान, राज्य के विकासात्मक व्यय और पूँजीगत व्यय को सामान्य श्रेणी के राज्यों की तुलना में उच्च प्राथमिकता दी, जबकि सामान्य श्रेणी के राज्यों की तुलना में राज्य ने शिक्षा क्षेत्र के व्यय तथा स्वास्थ्य क्षेत्र के व्यय को कम प्राथमिकता दी।

- पूँजीगत व्यय (सी.ई.) वर्ष 2014-15 में ₹ 5,543 करोड़ के सापेक्ष वर्ष 2015-16 में ₹ 8,159 करोड़ हो गया। कुल व्यय में पूँजीगत व्यय का प्रतिशत 2014-15 में 15 प्रतिशत के विरुद्ध 2015-16 में 18 प्रतिशत था। स.रा.घ.उ. में पूँजीगत व्यय का प्रतिशत 2014-15 में 2.8 प्रतिशत के विरुद्ध 2015-16 में 3.4 प्रतिशत था।

सरकार को विकासात्मक व्यय पर प्राथमिकता बरकरार रखते हुए शिक्षा एवं स्वास्थ्य क्षेत्रों पर जोर देना चाहिए।

- प्रत्येक वर्ष सरकार द्वारा राज्य के विभिन्न संस्थाओं/संगठनों को एक बड़ी राशि ऋण स्वरूप दी गई, लेकिन इसकी वसूली नगण्य थी जिसके कारण मार्च 2016 के अंत तक ₹ 16,187 करोड़ की बड़ी राशि शेष रही, जिसमें से ₹ 1,340.46 करोड़ ऋणी संस्थाओं से बकाया पुनर्भुगतान के रूप में था (₹ 436.48 करोड़ मूलधन एवं ₹ 903.98 करोड़ का ब्याज)।

सरकार से प्राप्त ऋण एवं ब्याज का पुनर्भुगतान नहीं करने वाले संस्थाओं/संगठनों से बकाया ऋण की वसूली हेतु सरकार को कदम उठाना चाहिए।

राजकोषीय दायित्व

- राज्य का राजकोषीय दायित्व (₹ 56,530 करोड़) पिछले वर्ष से 29.7 प्रतिशत बढ़ा। राजकोषीय दायित्व, स.रा.घ.उ. का 25 प्रतिशत था, जो 14^{वें} वित्त आयोग की अनुशंसा 21.73 प्रतिशत के बाहर था। सरकार ने सभी ऋणों के परिशोधन के लिए सिंकिंग फण्ड का गठन नहीं किया है।

राज्य को राजकोषीय दायित्वों के संबंध में 14^{वें} वित्त आयोग के पूर्वानुमान की प्राप्ति को सुनिश्चित करना चाहिए। तदंतर, सरकार को ऋणों के परिशोधन के लिए सिंकिंग फण्ड का गठन करना चाहिए।

अध्याय-2

वित्तीय प्रबंधन एवं बजटीय नियंत्रण

अध्याय - 2

वित्तीय प्रबंधन एवं बजटीय नियंत्रण

2.1 परिचय

2.1.1 विनियोग लेखे व्यय के लेखे हैं, जिसमें सरकार के प्रत्येक वर्ष के दत्तमत एवं भारत व्ययों की, विनियोग अधिनियम के साथ संलग्न अनुसूचियों में विनिर्दिष्ट विभिन्न उद्देश्यों के लिए दत्तमत अनुदानों एवं भारत विनियोगों की राशियों के साथ तुलना की जाती है। यह लेखे मूल बजट प्राक्कलन, अनुपूरक अनुदान, अभ्यर्पण और पुनर्विनियोग को पृथक रूप से संसूचित करते हैं और विभिन्न विशिष्ट सेवाओं पर वास्तविक पूँजीगत एवं राजस्व व्यय को इंगित करते हैं। इस प्रकार, विनियोग लेखे वित्तीय प्रबंधन और बजटीय प्रावधानों के अनुश्रवण (मॉनिटरिंग) को आसान बनाते हैं तथा इसलिए यह वित्त लेखे के पूरक होते हैं।

2.1.2 विनियोगों की लेखपरीक्षा यह जाँच करने का प्रयास करती है कि क्या विभिन्न अनुदानों के अन्तर्गत किया गया वास्तविक व्यय, विनियोग अधिनियम के अधीन दिये गये प्राधिकार के अन्तर्गत है और उसी प्रकार भारत किया गया है जैसा कि संविधान के प्रावधानों के अन्तर्गत भारत किया जाना चाहिये। यह भी सुनिश्चित करती है कि क्या किया गया व्यय, विधि, संबंधित नियमों, विनियमों एवं अनुदेशों के अनुरूप है।

2.2 बजट प्रबंधन की प्रक्रिया

बिहार बजट नियमावली (झारखण्ड राज्य द्वारा यथा अंगीकृत) के नियम 52 के अनुसार, राज्य के बजट प्राक्कलन को वित्त विभाग द्वारा निर्धारित प्रपत्र में ही तैयार किया जाना है। बजट नियमावली के नियम 79 के अनुसार, विभिन्न विभागों के नियंत्रक अधिकारियों द्वारा तैयार किये गये प्रत्येक मुख्य शीर्ष के अधीन प्राक्कलनों की जाँच वित्त विभाग द्वारा किया जाना है और सरकार के बजट के प्रथम संस्करण उपस्थापन हेतु संकलित किया जाना है। राज्य के बजट नियमावली के नियम 112 के अनुसार, समस्त प्रत्याशित बचतों को सरकार को अविलम्ब अभ्यर्पित कर देना चाहिए यदि उनका अनुमान किया गया हो तथा वे अन्य किसी इकाई के आधिक्य व्यय को समाहित करने हेतु आवश्यक न हों। भविष्य के संभावित आधिक्य हेतु किसी बचत को नहीं रखा जाना चाहिए। आगे, बजट नियमावली के नियम 117 के अनुसार, व्यय की किसी खास नयी इकाई हेतु या दत्तमत अनुदानों के संभावित आधिक्य को आच्छादित करने हेतु वित्त विभाग के परामर्श के बाद अनुपूरक अनुदान प्राप्त किये जाने चाहिए।

वर्ष 2015-16 के दौरान अनेक अनुदानों में अत्यधिक बचत देखा गया जो बजट प्रबंधन में त्रुटियों को दर्शाता है जिसे आगे की कंडिकाओं में दर्शाया गया है।

31 मार्च 2016 को समाप्त हुए वर्ष का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राज्य वित्त)

2.3 विनियोग लेखे के सारांश

वर्ष 2015-16 के दौरान 60 अनुदानों/विनियोगों के विरुद्ध वास्तविक व्यय की संक्षिप्त स्थिति तालिका 2.1 में दी गयी है।

तालिका 2.1: वर्ष 2015-16 के दौरान मूल/अनुपूरक अनुदानों के सापेक्ष वास्तविक व्यय की संक्षिप्त स्थिति

(₹ करोड़ में)

	व्यय की प्रकृति	मूल अनुदान/विनियोग	अनुपूरक अनुदान/विनियोग	कुल	*वास्तविक व्यय	बचत(-)/आधिक्य(+)	अभ्यर्पित राशि	केवल 31 मार्च 2016 को अभ्यर्पित राशि	31 मार्च 2016 तक अभ्यर्पित बचत की प्रतिशतता (का.7/का.6)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
दत्तमत	I राजस्व	39823.91	7980.47	47804.38	33678.42	(-)14125.96	12876.11	11204.18	91.15
	II पूँजीगत	8675.58	2155.81	10831.39	8158.51	(-)2672.88	2998.80	2488.38	112.19
	III ऋण व अग्रिम तथा अन्तर्राज्यीय समायोजन	1215.60	6813.00	8028.60	7480.00	(-)548.60	0.00	0.00	0.00
	कुल दत्तमत	49715.09	16949.28	66664.37	49316.93	(-)17347.44	15874.91	13692.56	91.51
भारित	IV राजस्व	3519.33	16.41	3535.74	3386.41	(-)149.33	175.13	175.13	117.28
	V पूँजीगत	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	VI लोक ऋण पुनर्भुगतान	2258.53	15.50	2274.03	2245.94	(-)28.09	87.26	87.26	310.64
	कुल भारित	5777.86	31.91	5809.77	5632.35	(-)177.42	262.39	262.39	147.89
सकल योग	55492.95	16981.19	72474.14	54949.28	(-)17524.86	16137.30	13954.95	92.08	

स्रोत: झारखण्ड सरकार के विनियोग लेखे 2015-16

*व्यय के आँकड़े राजस्व दत्तमत व्यय (₹ 512.01 करोड़) वापसी के समायोजन के बिना सकल आँकड़े हैं।

नोट- वर्ष 2015-16 के दौरान संक्षिप्त आकस्मिक विपत्रों पर आहरित ₹ 1,079.00 करोड़ का व्यय अधिवर्णित था जिनके विरुद्ध विस्तृत आकस्मिक विपत्र 12 जुलाई 2016 तक प्रस्तुत नहीं किया गया।

वर्ष 2015-16 के दौरान कुल मिलाकर ₹ 17,524.86 करोड़ का बचत हुआ जिसमें राजस्व संभाग के अधीन 55 दत्तमत अनुदानों एवं पाँच विनियोगों के ₹ 14,275.29 करोड़ तथा पूँजीगत संभाग के अधीन 35 अनुदानों एवं एक विनियोग के ₹ 3,249.57 करोड़ हैं। कुल बचत ₹ 17,524.86 करोड़ (कुल विनियोग का 24.18 प्रतिशत) में से, ₹ 16,137.30 करोड़ की राशि वर्ष के दौरान अभ्यर्पित की गई जिसमें से ₹ 13,954.95 करोड़ (86.48 प्रतिशत) की राशि 31 मार्च 2016 को अभ्यर्पित की गई।

प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक.), झारखण्ड द्वारा राज्य सरकार को शीर्ष-वार व्यय की स्थिति मासिक सिविल लेखा विवरणी एवं मासिक विनियोग लेखे के माध्यम से प्रति माह उपलब्ध कराई गई। इसके बावजूद, सेवा प्रदान करने तथा अनुदानों में अत्यधिक

बचत एवं आधिक्य व्यय से बचने हेतु सरकारी विभागों द्वारा कोई उपयुक्त कदम नहीं उठाए गए। झारखण्ड सरकार के विनियोग लेखे 2015-16 में वर्णित कुल 1,498 उप-शीर्षों में से 1,002 उप-शीर्षों में बचत का कारण एवं 40 उप-शीर्षों में आधिक्य का कारण विभागों द्वारा प्रस्तुत नहीं किये गये।

2.4 वित्तीय दायित्व एवं बजटीय प्रबंधन

2.4.1 आवंटित प्राथमिकताओं के सापेक्ष विनियोग

कुल बचत ₹ 17,524.86 करोड़ के सापेक्ष, 19 अनुदानों से संबंधित 23 मामलों में ₹ 14,600.87 करोड़ (83 प्रतिशत) का बचत हुआ जैसा कि तालिका 2.2 में दर्शाया गया है। इन सभी मामलों में, बचत ₹ 100 करोड़ से अधिक एवं अनुदान के 20 प्रतिशत अथवा अधिक रहा।

तालिका 2.2 : ₹ 100 करोड़ से अधिक एवं अनुदान के 20 प्रतिशत अथवा अधिक की बचत वाले अनुदानों की सूची

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान/विनियोग का नाम एवं संख्या	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	बचत	कुल अनुदान से बचत की प्रतिशतता
राजस्व दत्तमत					
1	59-स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (प्राथमिक एवं वयस्क शिक्षा प्रभाग)	6480.13	4471.64	2008.48	30.99
2	56-ग्रामीण विकास विभाग (पंचायती राज प्रभाग)	2329.32	822.96	1506.36	64.67
3	42-ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण विकास प्रभाग)	3757.32	2476.21	1281.11	34.10
4	60-महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग	2975.50	1868.37	1107.13	37.21
5	26-श्रम, नियोजन एवं कौशल विकास विभाग	1492.13	403.84	1088.29	72.94
6	20-स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	2765.90	1818.63	947.27	34.25
7	48-नगर विकास एवं आवास विभाग (नगर विकास प्रभाग)	2444.57	1556.13	888.44	36.34
8	1-कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (कृषि प्रभाग)	1344.75	594.28	750.47	55.81
9	35-योजना-सह-वित्त विभाग (योजना प्रभाग)	1146.58	455.44	691.14	60.28
10	36-पेयजल एवं स्वच्छता विभाग	1352.58	799.01	553.57	40.93
11	18-खादय, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग	1284.43	778.80	505.63	39.37
12	58-स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (माध्यमिक शिक्षा प्रभाग)	1435.84	1052.63	383.22	26.69
13	21-उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा प्रभाग)	1059.99	776.29	283.70	26.76

31 मार्च 2016 को समाप्त हुए वर्ष का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राज्य वित्त)

क्र. सं.	अनुदान/विनियोग का नाम एवं संख्या	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	बचत	कुल अनुदान से बचत की प्रतिशतता
राजस्व दत्तमत					
14	23-उद्योग विभाग	433.83	301.36	132.47	30.54
15	40-राजस्व, भूमि सुधार एवं निबंधन विभाग (राजस्व एवं भूमि सुधार प्रभाग)	436.94	324.53	112.41	25.73
16	49-जल संसाधन विभाग	362.76	257.65	105.11	28.98
पूँजी-दत्तमत					
17	49-जल संसाधन विभाग	1653.99	1109.37	544.62	32.93
18	55-ग्रामीण कार्य विभाग (ग्रामीण कार्य प्रभाग)	2063.40	1524.42	538.98	26.12
19	50-जल संसाधन विभाग (लघु सिंचाई प्रभाग)	567.96	47.57	520.39	91.62
20	20-स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	537.95	339.87	198.08	36.82
21	60-महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग	254.00	88.80	165.20	65.04
22	22-गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (गृह प्रभाग)	374.59	210.81	163.78	43.72
23	36-पेयजल एवं स्वच्छता विभाग	318.09	193.07	125.02	39.30
कुल		36872.55	22271.37	14600.87	39.60

स्रोत: झारखण्ड सरकार के विनियोग लेखे।

आगे, लेखापरीक्षा से पता चला कि 44 मामलों में (33 अनुदानों/विनियोगों), बचत प्रत्येक मामले में ₹ 10 करोड़ एवं अनुदान के 20 प्रतिशत अथवा अधिक था जैसा कि कुल बचत ₹ 15,281.30 करोड़ के साथ परिशिष्ट 2.1 में वर्णित है। इससे आगे, 28 अनुदानों/विनियोगों के अधीन 174 उप-शीर्षों/योजनाओं में कुल ₹ 12,732.17 करोड़ (कुल बचत का 73 प्रतिशत) का बचत, प्रत्येक मामले में ₹ 20 करोड़ से अधिक, हुआ। विनियोग लेखे 2015-16 में प्रदर्शित बचत के कारण सहित उप-शीर्ष/योजना-वार बचत के ब्यौरे परिशिष्ट 2.2 में दिये गये हैं। अत्यधिक बचत राज्य में विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है।

2.4.2 प्रत्याशित बचत का अभ्यर्पण नहीं करना

बजट नियमावली के नियम 112 के अनुसार, व्यय करने वाले विभाग द्वारा जब भी अनुदानों/विनियोगों या उसके किसी भाग में बचत प्रत्याशित हो, इसका अभ्यर्पण वित्त विभाग को कर देना आवश्यक है।

वर्ष 2015-16 के दौरान ₹ 17,524.86 करोड़ के कुल बचत में से, कुल ₹ 1,536.90 करोड़ की राशि (25 अनुदानों/ विनियोजनों के अन्तर्गत प्रत्येक में ₹ एक करोड़ और अधिक) अभ्यर्पित की गई जिसके ब्यौरे परिशिष्ट 2.3 में दिये गये हैं। आगे, यह देखा

गया कि 14 मामलों में, वर्ष के दौरान बचत के विरुद्ध ₹ 152.83 करोड़ की आधिक्य राशि अभ्यर्पित की गई।

वर्ष के दौरान ₹ 16,137.30 करोड़ की कुल अभ्यर्पित राशि में से, ₹ 13,954.95 करोड़ (86.48 प्रतिशत) की राशि केवल 31 मार्च 2016 को अभ्यर्पित की गई जिससे अन्य विकासात्मक उद्देश्यों में इन निधियों के उपयोग का कोई अवसर नहीं रहा। 31 मार्च 2016 को अभ्यर्पित ₹ 5,632.48 करोड़ से संबंधित 124 मामलों (प्रत्येक मामले में ₹ 10 करोड़ या उससे अधिक) की सूची परिशिष्ट 2.4 में दिये गए हैं। यह कमजोर वित्तीय नियंत्रण को इंगित करता है।

2.4.3 सतत् बचत

12 मामलों में (11 विभागों), विगत पाँच वर्षों के दौरान प्रत्येक मामले में कुल अनुदान का 10 प्रतिशत या उससे अधिक की सतत् बचत थी (तालिका 2.3)।

तालिका 2.3 : वर्ष 2011-16 के दौरान सतत् बचत प्रदर्शित करने वाले अनुदानों की सूची
(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान का नाम एवं संख्या	बचत की राशि				
		2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
राजस्व -दत्तमत						
1	26-श्रम, नियोजन एवं कौशल विकास विभाग	193.07(23)	232.43(25)	308.12(30)	349.95(28)	1088.29(73)
2	20-स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	277.93(25)	326.13(53)	171.13(15)	967.84(42)	947.27(34)
3	1-कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (कृषि प्रभाग)	228.82(35)	264.25(37)	566.53(58)	552.00(58)	750.47(56)
4	35-योजना-सह-वित्त विभाग (योजना प्रभाग)	291.78(58)	594.38(88)	533.61(83)	99.14(27)	691.14(60)
5	18-खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग	168.00(15)	307.90(28)	570.55(50)	439.49(34)	505.63(39)
6	23-उद्योग विभाग	157.41(45)	82.94(29)	120.80(41)	148.57(40)	132.47(31)
7	40-राजस्व, भूमि सुधार एवं निबंधन विभाग (राजस्व एवं भूमि सुधार प्रभाग)	79.15(24)	77.17 (23)	125.67(32)	99.80(26)	112.41(26)
8	49-जल संसाधन विभाग	83.77(27)	92.55(29)	85.14(26)	87.83(25)	105.11(29)
9	2-कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (पशुपालन प्रभाग)	31.52(23)	35.50(22)	35.53(22)	41.73(25)	37.66(20)
10	43-उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग (विज्ञान एवं प्रावैधिकी प्रभाग)	40.29(42)	37.03(40)	18.45(25)	21.31(15)	24.90(24)
11	17-वाणिज्य कर विभाग	11.24(18)	27.17(38)	8.18(13)	23.36(32)	18.45(27)
पूँजीगत -दत्तमत						
12	49-जल संसाधन विभाग	714.70(78)	1232.85(74)	1130.96(68)	1196.28(68)	544.62(33)

कोष्ठक के आँकड़े कुल अनुदान से बचत की प्रतिशतता को प्रदर्शित करते हैं।

31 मार्च 2016 को समाप्त हुए वर्ष का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राज्य वित्त)

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि अत्यधिक बचत वर्षों से जारी रही जो अनुदानों के अन्तर्गत अनुचित आकलन को इंगित करती है। आगे, आर्थिक एवं सामाजिक सेवाओं से संबद्ध चार विभागों के कुछ मुख्य स्कीमों में बचत के ब्यौरे की परिचर्चा नीचे की गई है:

अनुदान संख्या 42 - ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण विकास प्रभाग)

वर्ष 2013-14 से वर्ष 2015-16 के दौरान 'स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना स्कीम' एवं 'इंदिरा आवास योजना स्कीम' में महत्वपूर्ण बचत देखा गया। ब्यौरे नीचे तालिका में दिए गए हैं:

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	योजना/शीर्ष का नाम	2013-14		2014-15		2015-16	
		बजट	बचत	बजट	बचत	बजट	बचत
1	सामान्य के लिये स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना	81.95	49.87 (61)	465.59	394.25 (85)	400.00	227.80 (57)
2	सामान्य के लिये इंदिरा आवास योजना स्कीम	165.00	55.53 (34)	720.00	432.24 (60)	757.00	110.81 (15)

स्रोत: वर्ष 2013-14, 2014-15 एवं 2015-16 के विस्तृत विनियोग लेखे।

कोष्ठक के आँकड़े लेखा शीर्ष के अन्तर्गत कुल बजट के सापेक्ष बचत की प्रतिशतता को प्रदर्शित करते हैं।

विगत तीन वर्षों के दौरान उपरोक्त योजनाओं के अन्तर्गत बचत का कारण विभाग द्वारा नहीं बताया गया।

अनुदान संख्या 56 - ग्रामीण विकास विभाग (पंचायती राज प्रभाग)

वर्ष 2013-14 से वर्ष 2015-16 के दौरान 'पिछड़ा वर्ग अनुदान कोष' 'बामपंथी आतंकवाद प्रभावित जिला', एवं 'राजीव गाँधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान' में महत्वपूर्ण बचत देखा गया। ब्यौरे नीचे तालिका में दिए गए हैं:

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	योजना/शीर्ष का नाम	2013-14		2014-15		2015-16	
		बजट	बचत	बजट	बचत	बजट	बचत
1	बामपंथी आतंकवाद प्रभावित जिला	510.00	340.00 (67)	524.19	170.00 (32)	510.00	510.00 (100)
2	पिछड़ा वर्ग अनुदान कोष	425.40	352.83 (83)	450.00	168.25 (37)	469.00	469.00 (100)
3	राजीव गाँधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान	5.49	0.00 (0)	63.40	63.40 (100)	132.34	110.73 (84)

स्रोत: वर्ष 2013-14, 2014-15 एवं 2015-16 के विस्तृत विनियोग लेखे।

कोष्ठक के आँकड़े लेखा शीर्ष के अन्तर्गत कुल बजट के सापेक्ष बचत की प्रतिशतता को प्रदर्शित करते हैं।

विगत तीन वर्षों के दौरान उपरोक्त योजनाओं के अन्तर्गत बचत का कारण विभाग द्वारा नहीं बताया गया।

अनुदान संख्या 59 - स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (प्राथमिक एवं वयस्क शिक्षा प्रभाग)

वर्ष 2013-14 से वर्ष 2015-16 के दौरान 'राजकीय प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय', 'सर्व शिक्षा अभियान के लिये अनुदान', 'भंडार-सह-रसोई शेड का निर्माण' एवं 'मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के लिए खाद्यान्न के मूल्य की राशि' में महत्वपूर्ण बचत देखा गया। ब्यौरे नीचे तालिका में दिए गए हैं:

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	योजना/शीर्ष का नाम	2013-14		2014-15		2015-16	
		बजट	बचत	बजट	बचत	बजट	बचत
1	सर्व शिक्षा अभियान के लिये अनुदान	515.00	272.95 (53)	1708.57	384.32 (22)	1997.02	961.21 (48)
2	राजकीय प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय	2413.21	732.92 (30)	2856.17	1126.88 (39)	2310.64	391.70 (17)
3	भंडार-सह-रसोई शेड का निर्माण	48.00	48.00 (100)	48.00	36.00 (75)	43.80	43.80 (100)
4	मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के लिए खाद्यान्न के मूल्य की राशि	74.70	44.85 (60)	44.00	25.38 (58)	40.70	12.78 (31)

स्रोत: वर्ष 2013-14, 2014-15 एवं 2015-16 के विस्तृत विनियोग लेखे।

कोष्ठक के आँकड़े लेखा शीर्ष के अन्तर्गत कुल बजट के सापेक्ष बचत की प्रतिशतता को प्रदर्शित करते हैं।

विगत तीन वर्षों के दौरान उपरोक्त योजनाओं के अन्तर्गत अधिकांश मामलों में बचत का कारण विभाग द्वारा नहीं बताया गया।

अनुदान संख्या 60 - महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग

वर्ष 2013-14 से वर्ष 2015-16 के दौरान 'समेकित बाल विकास स्कीम', 'किशोरी बालिकाओं के सशक्तिकरण के लिए राजीव गाँधी स्कीम', 'समेकित बाल सुरक्षा स्कीम' तथा 'महिला एवं किशोरी बालिकाओं के लिए कौशल विकास कार्यक्रम' में महत्वपूर्ण बचत देखा गया। ब्यौरे नीचे तालिका में दिए गए हैं:

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	योजना/शीर्ष का नाम	2013-14		2014-15		2015-16	
		बजट	बचत	बजट	बचत	बजट	बचत
1	समेकित बाल विकास स्कीम	450.00	153.50(34)	495.00	233.81(47)	589.36	299.97(51)
2	किशोरी बालिकाओं के सशक्तिकरण के लिए राजीव गाँधी स्कीम	57.54	32.40(56)	57.93	55.38(96)	66.04	45.32(69)
3	समेकित बाल सुरक्षा स्कीम	24.00	24.00(100)	24.00	21.62(90)	27.60	21.24(77)
4	महिला एवं किशोरी बालिकाओं के लिए कौशल विकास कार्यक्रम	3.00	3.00(100)	2.00	1.00(50)	10.00	10.00(100)

स्रोत: वर्ष 2013-14, 2014-15 एवं 2015-16 के विस्तृत विनियोग लेखे।

कोष्ठक के आँकड़े लेखा शीर्ष के अन्तर्गत कुल बजट के सापेक्ष बचत की प्रतिशतता को प्रदर्शित करते हैं।

विगत तीन वर्षों के दौरान उपरोक्त योजनाओं के अन्तर्गत बचत के कारण विभाग द्वारा नहीं बताये गये।

2.4.4 परिहार्य/अत्यधिक अनुपूरक प्रावधान

45 मामलों में, कुल प्राधिकार ₹ 16,981.19 करोड़ में से, वर्ष के दौरान (प्रत्येक मामले में ₹ एक करोड़ या अधिक) प्राप्त कुल ₹ 4,660.31 करोड़ (27 प्रतिशत) का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ क्योंकि व्यय मूल प्रावधान के स्तर तक भी नहीं किया गया जैसा कि परिशिष्ट 2.5 में दर्शाया गया है। इन सभी मामलों में यह देखा गया कि कुछ उप-शीर्षों के अन्तर्गत मूल आवंटन खत्म नहीं हुए और इन उप-शीर्षों के अन्तर्गत अत्यधिक बचत हुई।

2.4.5 आकस्मिकता निधि से अग्रिम

भारत के संविधान के अनुच्छेद 267 (2) एवं 283 (2) के प्रावधानों के अन्तर्गत झारखण्ड आकस्मिकता निधि अधिनियम 2001 की धारा 4 के अधीन राज्य के आकस्मिकता निधि की स्थापना की गई। केवल अप्रत्याशित एवं अत्यावश्यक प्रकृति के वैसे व्यय, जिसे विधान मंडल द्वारा स्वीकृति दिये जाने तक टाला जाना वांछित नहीं है, के लिये इस निधि से अग्रिम दिया जाना है। वर्ष 2015-16 के दौरान राज्य में इस निधि की राशि बढ़ाकर ₹ 500 करोड़ की गई।

संगत अभिलेखों की समीक्षा से उजागर हुआ कि वर्ष 2015-16 के दौरान 49 अवसरों पर ₹ 164.52 करोड़ की राशि आकस्मिकता निधि से आहरित की गई जो न तो अप्रत्याशित थे और न ही अत्यावश्यक प्रकृति के। ये व्यय राज्य विधान मंडल द्वारा प्राधिकृत किए जाने तक स्थगित कर दिए जाने चाहिए थे। कुछ मामलों के ब्यौरे नीचे तालिका 2.4 में दिए गए हैं।

तालिका 2.4: राज्य की आकस्मिकता निधि से व्यय

क्र. स.	लेखा शीर्ष	कार्य के विवरण	अग्रिम की राशि (₹ लाख में)
1	2852-80-796-65	वाणिज्य कर के भुगतान के विरुद्ध पूँजीगत निवेश को प्रोत्साहन हेतु सहायता अनुदान	4141.51
2	2217-01-190-01	पूँजीगत परिसंपातियाँ	3600.00
3	2055-00-109-90	मोटर वाहनों के लिये मरम्मत और ईंधन	2023.34
4	2055-00-001-02	विधि व्यवस्था पर अन्य व्यय	1372.86
5	2070-00-114-01	प्रशासनिक व्यय, किराया एवं कर	1000.00
6	2070-00-107-06	वाणिज्यिक सेवायें	1000.00
7	2055-00-109-97	वेतन एवं भत्ता तथा पुरस्कार	600.00
8	2014-00-114-04	कार्यालय व्यय तथा मशीन एवं साज-सामान	500.00
9	2013-00-101-01	नये मोटर वाहन की खरीद	315.00
10	5465-02-190-01	भवन निर्माण कोरपोरेशनों का पूँजीगत हिस्सा	200.00

क्र. स.	लेखा शीर्ष	कार्य के विवरण	अग्रिम की राशि (₹ लाख में)
11	2055-00-109-70	मोटर वाहनों के लिये मरम्मत और ईंधन	156.69
12	3054-03-337-02	कार्य-भारित/मस्टर रोल पर भुगतान	130.00
13	2230-01-102-02	प्रतिपूर्ति भत्ता	100.00
14	2011-02-101-10	विधान मण्डल के माननीय सदस्यों के निजी कर्मचारियों का व्यय	60.00
15	2220-60-001-02	वेतन एवं भत्ता तथा वाणिज्यिक सेवायें	59.00
16	2251-00-090-07	नये मोटर वाहन की खरीद	15.90
कुल			15274.30

स्रोत: प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक.), झारखण्ड कार्यालय द्वारा संकलित सूचना।

तथापि, वर्ष 2015-16 के दौरान इस निधि से आहरित कुल राशि की प्रतिपूर्ति उसी वर्ष के दौरान कर दी गई।

2.4.6 विगत वर्षों से संबंधित प्रावधान से आधिक्य व्यय को विनियमित करने की आवश्यकता

वर्ष 2001-02 से वर्ष 2014-15 तक प्रावधान से अधिक किये गये व्यय ₹ 2,739.12 करोड़ की राशि को संविधान के अनुच्छेद 205 के अनुसार विनियमित किया जाना अभी भी (सितम्बर 2016) शेष है जिसे **परिशिष्ट 2.6** में दर्शाया गया है। विनियमित की जाने वाली लंबित वर्ष-वार आधिक्य व्यय की राशि **तालिका 2.5** में सारांशकृत है। वर्षों तक अनुदानों/विनियोगों के आधिक्य का विनियमित नहीं होना विनियोगों पर विधायी नियंत्रण का उल्लंघन है।

तालिका 2.5 : विगत वर्षों से संबंधित प्रावधान से आधिक्य व्यय को विनियमित करने की आवश्यकता

(₹ करोड़ में)

वर्ष	संख्या		प्रावधानों से आधिक्य की राशि
	अनुदान	विनियोग	
2001-02	25, 32		0.04
2002-03	32		0.08
2003-04	46		0.29
2004-05	40		@
2006-07	38		\$
2010-11	32		0.10
2011-12	15, 25	14	420.16
2012-13	7, 15, 42	14	1263.18
2013-14	15	13, 14	694.05
2014-15	42	13	361.21
कुल			2739.12

स्रोत: झारखण्ड सरकार के विनियोग लेखे

@ आधिक्य राशि ₹ 1,072 मात्र

\$ आधिक्य राशि ₹ 81,665 मात्र

2.4.7 निधियों का अत्यधिक/अपर्याप्त पुनर्विनियोजन

अनुदान के भीतर विनियोजन की एक इकाई, जहाँ बचत पूर्वानुमानित है, से दूसरी इकाई, जहाँ अतिरिक्त निधि की आवश्यकता है, में निधि का अंतरण पुनर्विनियोजन है। वर्ष 2015-16 के दौरान छः उप-शीर्षों में अविवेकपूर्ण पुनर्विनियोजन, जैसा कि **परिशिष्ट 2.7** में दर्शाया गया है, अपर्याप्त या अत्यधिक साबित हुआ। चार योजनाओं/उप-शीर्षों में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 4.02 करोड़ की अतिरिक्त राशि प्रदान की गयी जिससे ₹ 11.86 करोड़ की बचत हुई। आगे, यह देखा गया कि दो योजनाओं/उप-शीर्षों से अन्य योजनाओं/उप-शीर्षों को ₹ 0.68 करोड़ की राशि पुनर्विनियोजित की गई जबकि वर्ष के अन्त तक इस योजनाओं/उप-शीर्षों में ₹ 0.47 करोड़ का आधिक्य व्यय हुआ।

2.4.8 निधियों का वृहद पैमाने पर अभ्यर्पण

स्कीमों/कार्यक्रमों के गैर-कार्यान्वयन के कारण 263 उप-शीर्षों में ₹ 3,066.98 करोड़ का वृहद पैमाने पर निधियों (वैसे मामले जहाँ ₹ 50.00 लाख से अधिक एवं शत प्रतिशत आवंटन का अभ्यर्पण हुआ) का अभ्यर्पण किया गया। चयनित मामलों के ब्यौरे **परिशिष्ट 2.8** में दिये गये हैं।

स्कीमों को प्रदत्त निधियों का वृहद पैमाने पर अभ्यर्पण उन योजनाओं के अपूर्ण तथा लक्षित लाभों की नाकामयाबी के संकेत हैं।

2.5 व्यय की तीव्रता

बजट नियमावली के नियम 113 के अनुसार, वित्तीय वर्ष के अंतिम माह में व्यय की जल्दबाजी से बचना चाहिए। व्यय का समरूप प्रवाह बजटीय नियंत्रण की प्राथमिक आवश्यकताओं का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिये आवश्यक है। इसके विपरीत, **परिशिष्ट 2.9** में सूचीबद्ध 24 लेखा-शीर्षों में वर्ष 2015-16 के अंतिम तिमाही में किया गया व्यय (प्रत्येक मामले में ₹ 20 करोड़ से अधिक) वर्ष के कुल व्यय के 50 प्रतिशत से अधिक था।

2.6 विभागीय आँकड़ों का असमाशोधन

यद्यपि प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक.) की बही से नियंत्रक अधिकारी (नि.अ.) द्वारा विभागीय आँकड़ों के असमाशोधन को नियमित रूप से हमारे लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में उजागर किये गये, तथापि, वर्ष 2015-16 के दौरान विसंगतियाँ सतत रूप से जारी रही। वर्ष 2015-16 के दौरान यह देखा गया कि कुल प्राप्तियाँ ₹ 53,914.06 करोड़ के विरुद्ध कुल ₹ 17,290.37 करोड़ (32.07 प्रतिशत) की राशि का समाशोधन नहीं किया गया। इसी प्रकार, वर्ष 2015-16 के दौरान, कुल व्यय ₹ 54,437.27 करोड़ में से ₹ 27,913.64 करोड़ (51.28 प्रतिशत) के व्यय का समाशोधन प्रधान महालेखाकार

(लेखा एवं हक.) झारखण्ड के बही के साथ नहीं किया गया। वर्ष 2015-16 के दौरान प्रत्येक मामले में ₹ 10 करोड़ या उससे अधिक के कुल ₹ 24,378.11 करोड़ का असमाशोधित व्यय **परिशिष्ट 2.10** में दिया गया है।

प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक.) के बही से विभागीय आँकड़ों के असमाशोधन के कारण, प्राप्तियों एवं व्ययों के त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण की संभावनाओं से इन्कार नहीं जा सकता है।

2.7 अनुदान संख्या 48 - नगर विकास एवं आवास विभाग में बजटीय प्रक्रिया का अनुपालन लेखापरीक्षा

2.7.1 परिचय

नगर विकास एवं आवास विभाग सम्पूर्ण राज्य में शहरी क्षेत्रों को नगरनिगम/नगरपालिका अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार बुनियादी सेवा प्रदान करती है। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के लागू होने के पश्चात विगत समय में शहरी स्थानीय निकायों (यू.एल.बी.) के उत्तरदायित्व कई गुना बढ़ गए हैं। बारहवीं अनुसूची नगरपालिका के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत दूसरे क्षेत्रों के अलावे निम्न क्षेत्रों यथा शहरी एवं नगर योजना, भूमि उपयोग के विनियमन, सामाजिक एवं आर्थिक विकास हेतु योजना, समाज के कमजोर वर्गों के साथ-साथ मानसिक रूप से अस्वस्थ एवं विकलांगों के हितों की सुरक्षा, गंदी बस्ती सुधार एवं शहरी गरीबी उन्मूलन, सांस्कृतिक, शैक्षिक एवं आनन्दमय जीवन को बढ़ावा देना शामिल करता है।

अनुदान संख्या 48 - नगर विकास एवं आवास विभाग के वर्ष 2015-16 के लिये बजटीय प्रक्रिया की समीक्षा से पता चला कि वर्ष 2015-16 में विभाग ने ₹ 2,464.50 करोड़ (योजना- ₹ 2,038.40 करोड़ तथा गैर-योजना- ₹ 426.10 करोड़) के कुल बजट प्रावधान के विरुद्ध केवल ₹ 1,575.29 करोड़ (योजना- ₹ 1,176.45 करोड़ तथा गैर-योजना ₹ 398.84 करोड़) (63.92 प्रतिशत) व्यय किया जबकि ₹ 889.21 करोड़ (36.08 प्रतिशत) का कुल बचत हुआ। इसके अलावा, ₹ 889.21 करोड़ के कुल बचत में से 2015-16 के दौरान ₹ 876.85 करोड़ अभ्यर्पित किया गया तथा शेष ₹ 12.36 करोड़ व्यपगत होने के लिये छोड़ दिया गया।

2.7.2 विभाग की विगत चार वर्षों की बजटीय स्थिति

सरकार के विनियोग लेखे दर्शाते हैं कि विगत चार वर्षों के दौरान नगर विकास एवं आवास विभाग से संबंधित अनुदान संख्या 48 के बजट में सतत बचत था जैसा कि **तालिका 2.6** में विस्तृत है।

तालिका 2.6 : विगत चार वर्षों की बजटीय स्थिति

(₹ करोड़ में)

वर्ष	लेखा शीर्ष	मूल	अनुपूरक	कुल	वास्तविक खर्च	बचत	बचत की प्रतिशतता
2012-13	राजस्व	575.15	6.75	581.90	404.81	177.09	52.53
	पूँजीगत	689.92	-	689.92	198.93	490.99	
	कुल	1265.07	6.75	1271.82	603.74	668.08	
2013-14	राजस्व	1287.35	107.66	1395.01	493.84	901.17	64.20
	पूँजीगत	22.22	2.91	25.13	14.58	10.55	
	कुल	1309.57	110.57	1420.14	508.42	911.72	
2014-15	राजस्व	1837.69	353.67	2191.36	1103.04	1088.32	49.51
	पूँजीगत	20.93	-	20.93	13.99	6.94	
	कुल	1858.62	353.67	2212.29	1117.03	1095.26	
2015-16	राजस्व	1655.64	788.93	2444.57	1556.13	888.44	36.08
	पूँजीगत	19.93	-	19.93	19.16	0.77	
	कुल	1675.57	788.93	2464.50	1575.29	889.21	

स्रोत : विनियोग लेखे 2012-16

उपर्युक्त तालिका से यह प्रदर्शित था कि विभाग ने बजट नियमावली के प्रावधानों की अवहेलना कर दैनिक कार्य के रूप में बजट तैयार किया। इस तरह, यह बजट नियमावली में परिकल्पित बजटीय नियंत्रण को हतोत्साहित तथा उपेक्षा करने की प्रवृत्ति थी।

2.7.3 संगठनात्मक ढाँचा

प्रधान सचिव/सचिव विभाग के प्रमुख होते हैं। उन्हें दो संयुक्त सचिवों, तीन उप सचिवों, एक नगरपालिका प्रशासन के निदेशक तथा सात अवर सचिवों द्वारा सहायता प्रदान किए जाते हैं। तकनीकी प्रक्षेत्र प्रधान सचिव को तकनीकी सहायता प्रदान करते हैं।

झारखण्ड राज्य में उसके संबंधित क्षेत्रों में शहरी विकास कार्यकलापों के कार्यान्वयन हेतु उत्तरदायी 39 शहरी स्थानीय निकाय हैं जिसमें तीन नगरनिगम, 14 नगर परिषद, 19 नगर पंचायत एवं दो अधिसूचित क्षेत्र समिति शामिल हैं। शहरी स्थानीय निकाय स्तर पर, योजनाओं का कार्यान्वयन मुख्य कार्यपालक पदाधिकारियों एवं कार्यपालक पदाधिकारियों द्वारा किए जाते हैं।

लेखापरीक्षा परिणाम

2.7.4 बजट प्राक्कलनों को विलम्ब से जमा किया जाना

झारखंड द्वारा यथा अंगीकृत बिहार बजट नियमावली का नियम 62 बजट प्राक्कलन तैयार करने के लिये बजट कैलेंडर का प्रावधान करता है। वित्त विभाग, झारखण्ड सरकार

ने संबंधित मंत्री के अनुमोदन के उपरांत सामान्य बजट को जमा करने तथा बजटीय लेन-देनों के व्यापक परिव्यय (सी.ओ.बी.टी.) को तैयार करने की निर्धारित तिथि को संशोधित कर बजट नियमावली में प्रावधानित तिथि एक अक्टूबर के स्थान पर दो दिसम्बर 2014 पुनर्निर्धारित (अक्टूबर 2014) किया।

लेखापरीक्षा ने पाया कि विभाग ने बजट प्राक्कलनों को दो दिसम्बर 2014 की लक्षित तिथि के स्थान पर 20 फरवरी 2015 को 79 दिनों के विलम्ब से योजना एवं विकास विभाग को प्रस्तुत किया।

2.7.5 अवास्तविक बजट अनुमान

बजट नियमावली के नियम 65 तथा 133 के अनुसार, नियंत्रण अधिकारी को संवितरण अधिकारियों से प्राप्त बजट की यह देखने हेतु जाँच करनी चाहिए कि वे सही हैं तथा सभी विवरण एवं स्पष्टीकरण पर्याप्त हैं, अनुपूरक माँग तथा पुनर्विनियोग वास्तविक खर्च पर आधारित हैं ताकि वृहद आधिक्य या बचत की संभावना नगण्य हो।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि नियंत्रण अधिकारी ने संवितरण अधिकारियों से बजट प्राक्कलनों की माँग नहीं की। बजट का प्रस्ताव विभाग द्वारा विभागीय स्तर पर क्षेत्रीय अधिकारियों की जरूरतों को प्राप्त किए बिना ही तैयार किया गया। परिणामस्वरूप, विभाग द्वारा अवास्तविक बजट प्राक्कलन तैयार किया गया जिससे वर्ष 2015-16 के दौरान अनुदान संख्या 48 के अंतर्गत ₹ 2,464.50 करोड़ के कुल बजट प्रावधान के विरुद्ध ₹ 889.21 करोड़ (36.08 प्रतिशत) का बचत हुआ। इस प्रकार, यह बजट नियमावली में परिकल्पित बजटीय नियंत्रण को हतोत्साहित तथा उपेक्षा करने की प्रवृत्ति थी।

2.7.6 परिहार्य अनुपूरक प्रावधान

लेखापरीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2015-16 के दौरान विभाग का मूल तथा अनुपूरक प्रावधान क्रमशः ₹ 1,675.57 करोड़ (योजना- ₹ 1,606.00 करोड़ तथा गैर-योजना- ₹ 69.57 करोड़) तथा ₹ 788.93 करोड़ (योजना- ₹ 432.40 करोड़ तथा गैर-योजना- ₹ 356.53 करोड़) था। वर्ष 2015-16 के दौरान विभाग केवल ₹ 1,575.29 करोड़ (योजना- ₹ 1,176.45 करोड़ तथा गैर-योजना- ₹ 398.84 करोड़) का ही उपयोग कर सका, जो कि मूल प्रावधान ₹ 1,675.57 करोड़ से भी कम था। तथापि, विभाग ने ₹ 788.93 करोड़ के अनुपूरक प्रावधान की माँग की। यदि विभाग क्षेत्रीय कार्यालयों की आवश्यकताओं पर आधारित व्यय का अनुमान लगाता तो इसे टाला जा सकता था।

2.7.7 वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन प्रत्यर्पण

लेखापरीक्षा में पाया गया कि ₹ 2,464.50 करोड़ के बजट प्रावधान के विरुद्ध ₹ 876.85 करोड़ के कुल अभ्यर्पण में से ₹ 387.99 करोड़ (योजना- ₹ 351.68 करोड़ तथा गैर-योजना-₹ 36.31 करोड़) (परिशिष्ट 2.11) की राशि विभाग द्वारा 31 मार्च 2016 को अभ्यर्पित किया गया जिससे सरकार द्वारा अन्य योजनाओं पर इस निधि के उपयोग की गुंजाइश समाप्त हो गई। आगे, 10 नमूना-जाँचित शहरी स्थानीय निकायों में से दो शहरी स्थानीय निकायों में लेखापरीक्षा ने पाया कि वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन आवंटन प्राप्त होने के कारण ₹ 19.10 लाख (जुगसलाई ₹ 2.00 लाख और जमशेदपुर ₹ 17.10 लाख) की राशि 31 मार्च 2016 को अभ्यर्पित की गई।

2.7.8 व्यय का वेग

बजट नियमावली के नियम 113 के अनुसार, विशेष रूप से वित्तीय वर्ष के अन्तिम महीनों में व्यय का वेग आम तौर पर वित्तीय नियमितता का उल्लंघन के रूप में माना जाएगा। इसलिए विशेष रूप से समापन महीने में व्यय के वेग से बचा जाना चाहिए।

हमने लेखा परीक्षा में पाया कि 105 उप-शीर्षों के कुल व्यय ₹ 1,575.29 करोड़ में से 24 उप-शीर्षों में 100 प्रतिशत व्यय (₹ 400.38 करोड़, कुल व्यय का 25.42 प्रतिशत) तथा 16 उप-शीर्षों में 60 से 97 प्रतिशत व्यय (₹ 389.23 करोड़, कुल व्यय का 24.71 प्रतिशत) मार्च 2016 में किया गया था (परिशिष्ट 2.12)।

2.7.9 विभागीय व्यय के आँकड़ों का असमाशोधन

बजट नियमावली के नियम 130 प्रावधान करता है कि नियंत्रण एवं संवितरण अधिकारियों को व्यय के नियंत्रण पर आवश्यक व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना चाहिए जिससे कि अनियमिततायें यथा दोषपूर्ण या गलत बजट, व्यय पर दोषपूर्ण नियंत्रण तथा व्यय के गलत वर्गीकरण को कम किया जा सके। इसके अलावा, बजट नियमावली का नियम 134 प्रावधान करता है कि उन्हें अपने कर्मचारियों को विभागीय लेखों का समाशोधन महालेखाकार के बही के साथ मासिक आधार पर करने के लिए निर्धारित प्रक्रिया का कड़ाई से पालन हेतु जोर देना चाहिए जिससे की व्यय तथा प्राप्तियों के गलत वर्गीकरण की संभावनाओं से बचा जा सके।

हमने पाया कि वर्ष 2015-16 के दौरान ₹ 1,575,29 करोड़ का कुल व्यय प्रधान महालेखाकार की बही से असमाशोधित रह गया। इस प्रकार, यह स्पष्ट था कि नियंत्रण एवं संवितरण अधिकारी ऊपर वर्णित नियमों का उल्लंघन करते हुए व्यय का नियंत्रण करने में आवश्यक व्यक्तिगत रूप से ध्यान देने में विफल रहे।

2.7.10 कुल बजट प्रावधान का अभ्यर्पण

बजट नियमावली के नियम 65 तथा 133 के अनुसार, नियंत्रण अधिकारी को संवितरण अधिकारियों से प्राप्त बजट की जाँच यह देखने के लिए करनी चाहिए कि वे सही हैं तथा सभी विवरण एवं स्पष्टीकरण पर्याप्त हैं, अनुपूरक माँग तथा पुनर्विनियोग वास्तविक खर्च पर आधारित हैं ताकि वृहद आधिक्य या बचत की संभावना नगण्य हो।

हमने पाया कि अनुदान संख्या 48 के अधीन 30 उप-शीर्षों (परिशिष्ट 2.13) में, ₹ 402.30 करोड़ के समस्त बजट प्रावधान बिना किसी कारण के अभ्यर्पित किये गये जो बजट बनाने की प्रक्रिया को धूमिल करते हैं।

2.8 निष्कर्ष एवं अनुशंसाएँ

अनुचित बजट आकलन के कारण वृहद बचत

- वर्ष 2015-16 के दौरान अनुचित बजट आकलन को दर्शाते हुए कुल बजट प्रावधान ₹ 72,474.14 करोड़ के विरुद्ध ₹ 17,524.86 करोड़ (24 प्रतिशत) की अत्यधिक बचत हुई। विभिन्न योजनाओं/उप-शीर्षों के तहत अत्यधिक बचत राज्य में विकास योजनाओं के अनुपालन को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकती है। सामाजिक तथा आर्थिक सेवाओं में कार्यरत 11 विभागों में भी विगत पाँच वर्षों से सतत बचत देखा गया।

सरकारी विभागों में अत्यधिक बचत, विशेष रूप से जहाँ निरंतर बचत की गई, को रोकने के लिए बजटीय नियंत्रण प्रक्रिया को सशक्त करना चाहिए तथा अनुपूरक अनुदान लेने से परहेज करना चाहिए जो अप्रयुक्त रहते हैं।

आकस्मिकता निधि से अग्रिम

- वर्ष 2015-16 के दौरान आकस्मिकता निधि से 49 अवसरों पर ₹ 164.52 करोड़ अग्रिम के रूप में वैसे व्यय के लिए निकाले गए जो न तो अप्रत्याशित थे और न ही आकस्मिक प्रवृत्ति के। कुछ कार्य जिसके लिये अग्रिम आहरित किये गये थे, “पूँजीगत निवेश को प्रोत्साहन हेतु सहायता अनुदान”, “पूँजीगत परिसंपत्तियों के सृजन”, “कार्यालय व्यय” तथा ‘मोटर वाहनों के लिये मरम्मत और ईंधन’ ईत्यादि थे।

आकस्मिकता निधि से अग्रिम केवल अप्रत्याशित एवं आकस्मिक प्रवृत्ति के व्यय को पूरा करने के लिए ही की जानी चाहिए।

वर्ष 2001-2015 के दौरान प्रावधान से आधिक्य व्यय को विनियमित करने की आवश्यकता

- वर्ष 2001-2015 के दौरान की गई अधिक व्यय की राशि ₹ 2,739.12 करोड़ को भारत के संविधान के अनुच्छेद 205 के तहत विनियमित करने की आवश्यकता है।

वर्तमान वर्ष के अधिक व्यय के साथ-साथ पूर्व के वर्षों में किए गए अधिक व्यय के विनियमितिकरण को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

निधियों का वृहद पैमाने पर अभ्यर्पण

- 263 मामलों जहाँ ₹ 50.00 लाख से अधिक एवं शत-प्रतिशत आवंटन का अभ्यर्पण हुआ, में ₹ 3,066.98 करोड़ की राशि अभ्यर्पित की गई।

स्कीमों को प्रदत्त निधियों का वृहद पैमाने पर अभ्यर्पण उन योजनाओं के अपूर्ण तथा लक्षित लाभों की नाकामयाबी के संकेत हैं।

नगर विकास एवं आवास विभाग में बजटीय नियंत्रण का अभाव

- नगर विकास एवं आवास विभाग ने बजट नियमावली के प्रावधानों का अनुसरण नहीं किया जिससे विभाग में बजटीय नियंत्रण का अभाव रहा जिसके परिणामस्वरूप, विशाल बचत, वित्तीय वर्ष के अंत में व्यय की तीव्रता, प्रधान महालेखाकार के बही से लेखे का असमाशोधन तथा रोकड़/सामान के रूप में निधियाँ अवरूद्ध हुईं।

नगर विकास एवं आवास विभाग को बजट अनुवीक्षण प्रणाली को अपनाते हुए बजट नियमावली के प्रावधानों का सर्वथा अनुसरण करना चाहिए।

अध्याय-3
वित्तीय प्रतिवेदन

वित्तीय प्रतिवेदन

एक ठोस आंतरिक वित्तीय प्रतिवेदन प्रणाली तथा प्रासंगिक एवं विश्वसनीय सूचना की उपलब्धता राज्य सरकार द्वारा कुशल एवं प्रभावी शासन में महत्वपूर्ण योगदान करती है। वित्तीय नियमों-प्रक्रियाओं तथा निर्देशों के अनुपालन के साथ-साथ अनुपालन की स्थिति पर प्रतिवेदन की गुणवत्ता अच्छे प्रशासन के लक्षणों में से एक है। यदि अनुपालन एवं नियंत्रण पर प्रतिवेदन प्रभावी एवं क्रियात्मक हो तो वे राज्य सरकार की रणनीतिक योजना तथा निर्णयीकरण सहित इसकी मूलभूत जिम्मेदारियों को निभाने में सहायक होती है। यह अध्याय वर्ष 2015-16 के दौरान विभिन्न वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं और निर्देशों सहित राज्य सरकार द्वारा अनुपालन के विहंगावलोकन एवं स्थिति को प्रस्तुत करता है।

3.1 अनुदान के विरुद्ध बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्र का अनुपालन लेखापरीक्षा

3.1.1 परिचय

सहायता अनुदान (स.अ.) सहायता, दान या अंशदान के रूप में भुगतान का तरीका है जो कि एक सरकार द्वारा दूसरे सरकार, निकाय, संस्थान या व्यक्ति को दिया जाता है। सहायता अनुदान संघ सरकार द्वारा राज्य सरकारों या पंचायती राज संस्थानों, अभिकरणों, निकायों और संस्थानों को दिया जाता है। उसी प्रकार, राज्य सरकार भी सहायता अनुदान का संवितरण अभिकरणों, निकायों और संस्थानों यथा विश्वविद्यालयों, अस्पतालों, सहकारी संस्थाओं एवं अन्य को करती है। इस तरह निर्गत अनुदानों का उपयोग इन अभिकरणों, निकायों और संस्थानों द्वारा दिन-प्रतिदिन के संचालन के व्यय की प्रतिपूर्ति और पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन के लिए किया जाता है।

झारखण्ड वित्त नियमावली (झा.वि.नि.) का नियम 341 बतलाता है कि वित्तीय वर्ष के दौरान उतना ही सहायता अनुदान दिया जाना चाहिए जिनके व्यय होने की संभावना उस वर्ष के दौरान हो, सहायता अनुदान के लिए विपत्र को हस्ताक्षरित या प्रतिहस्ताक्षरित करने वाले अधिकारी को यह देखना चाहिए कि राशि की निकासी आवश्यकता से पूर्व नहीं की जाये।

झा.वि.नि. का नियम 342 बतलाता है कि यदि वर्ष के दौरान विशिष्ट उद्देश्यों के लिए सहायता अनुदान दिए गये हैं तो विभागीय पदाधिकारियों द्वारा अनुदान ग्राहियों से प्रपत्र जी.एफ.आर.-19ए में उपयोगिता प्रमाण-पत्र (उ.प्र.प.) प्राप्त कर लिया जाना चाहिए एवं जाँचोपरान्त उनकी स्वीकृति की तिथि के 12 माह के अन्दर इसे महालेखाकार (लेखा एवं हक.) झारखण्ड को अग्रसारित कर दिया जाना चाहिए।

यह देखा गया कि वर्ष 2014-15 तक आहरित सहायता अनुदान विपत्रों के विरुद्ध, ₹ 22,325.68 करोड़ के कुल 8,382 उपयोगिता प्रमाण-पत्र मार्च 2016 के अन्त तक

31 मार्च 2016 को समाप्त हुए वर्ष का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राज्य वित्त)

बकाये थे। ऐसे उपयोगिता प्रमाण-पत्रों का एक बड़ा भाग पाँच विभागों यथा शिक्षा विभाग (₹ 9,862.90 करोड़ के कुल 217 उ.प्र.प.), नगर विकास विभाग (₹ 2,400.98 करोड़ के कुल 4,770 उ.प्र.प.), कल्याण विभाग (₹ 603.78 करोड़ के कुल 693 उ.प्र.प.), उद्योग विभाग (₹ 165.89 करोड़ के कुल 131 उ.प्र.प.) और सहकारी विभाग (₹ 156.09 करोड़ के कुल 126 उ.प्र.प.) के विरुद्ध बकाये थे। विभागवार बकाया उ.प्र.प. का वर्गीकरण परिशिष्ट 3.1 में दर्शाया गया है।

30 जून 2016 तक बकाये उ.प्र.प. की संख्या एवं राशि घटकर क्रमशः 8,288 एवं ₹ 18,904.41 करोड़ हो गई जिसे तालिका 3.1 में दर्शाया गया है।

तालिका 3.1 : बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्र (30 जून 2016 तक)

वर्ष जिसमें सहायता अनुदान वितरित किये गये	वर्ष जिसमें उपयोगिता प्रमाण-पत्र बकाये थे	बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्र	
		संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
2010-11 तक	2011-12 तक	2481	1138.43
2011-12	2012-13	555	438.46
2012-13	2013-14	1068	1391.03
2013-14	2014-15	1590	1979.95
2014-15	2015-16	2594	13956.54
प्रतीक्षारत उ.प्र.प. की कुल संख्या		8288	18904.41

स्रोत: झारखण्ड सरकार के वित्त लेखे 2015-16

आगे, जुलाई 2016 को वृहत बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्रों वाले छः विभागों में विगत चार वर्षों के तुलनात्मक स्थिति नीचे तालिका में दिये गये हैं:

तालिका 3.2 : बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्रों (30.06.2016 को) वाले प्रमुख विभाग (₹ लाख में)

क्र. सं.	विभाग का नाम	2011-12		2012-13		2013-14		2014-15	
		उ.प्र.प. की सं.	राशि	उ.प्र.प. की सं.	राशि	उ.प्र.प. की सं.	राशि	उ.प्र.प. की सं.	राशि
1	मानव संसाधन	4	27.20	3	42.00	12	404.49	155	9271.16
2	ग्रामीण विकास	0	0.00	0	0.00	0	0.00	19	2491.55
3	पंचायती राज व एन.आर.ई.पी.	18	21.85	44	450.04	505	673.67	1129	2135.31
4	ऊर्जा	0	0.00	0	0.00	0	0.00	6	1852.02
5	शहरी विकास	319	117.20	810	441.35	889	432.19	950	897.67
6	कल्याण	135	11.63	98	166.11	152	166.77	215	226.26
कुल योग		476	177.88	955	1099.50	1558	1677.12	2474	16873.97

जैसा उपरोक्त तालिका में दिखाया गया है, वर्ष 2015-16 के दौरान एक बड़ी राशि मानव संसाधन, ग्रामीण विकास, पंचायती राज व एन.आर.ई.पी. तथा ऊर्जा विभाग के अधीन विभिन्न अभिकरणों को सहायता अनुदान के रूप में दिये गये थे। इतनी बड़ी

वृद्धि होने का प्रमुख कारण राज्य बजट के माध्यम से राज्य के कार्यान्वित अभिकरणों को केंद्र सरकार द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निधियों का दिया जाना था।

अभीष्ट उद्देश्यों के लिए अनुदानों की उपयोगिता ससमय सुनिश्चित करने हेतु वृहद धनराशियों का उपयोगिता प्रमाण-पत्र की अप्राप्ति विभागीय अधिकारियों द्वारा नियमों एवं कार्य प्रणालियों के अनुपालन में विफलता को इंगित करता है।

वर्ष 2006-15 की अवधि हेतु अनुदान संख्या 48 - नगर विकास एवं आवास (न.वि. एवं आ.) विभाग के बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्रों के लिए अनुपालन लेखापरीक्षा किया गया।

3.1.2 अनुदानों के विरुद्ध बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्र

31 मार्च 2016 तक न.वि. एवं आ. विभाग से संबन्धित ₹ 2,399.08 करोड़ के बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्र का वर्ष-वार स्थिति तालिका 3.3 में दिया गया है।

तालिका 3.3 : वर्ष 2006-15 के दौरान न.वि. एवं आ. विभाग द्वारा 31 मार्च 2016 तक संवितरित सहायता अनुदान के मद में बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रदर्शित करन वाले विवरण

सहायता अनुदान के सवितरण के वर्ष	न.वि. एवं आ. विभाग के अंतर्गत शीर्ष (₹ करोड़ में)							
	2215		2217		4217		कुल	
	उ.प्र.प. की सं.	राशि	उ.प्र.प. की सं.	राशि	उ.प्र.प. की सं.	राशि	उ.प्र.प. की सं.	राशि
2006-07	51	7.62	98	15.77	32	0.44	181	23.83
2007-08	43	4.18	37	2.47	105	38.50	185	45.15
2008-09	138	16.91	80	5.26	121	89.85	339	112.02
2009-10	192	12.77	183	14.60	192	166.27	567	193.64
2010-11	296	61.96	195	69.17	3	5.00	494	136.13
2011-12	150	81.54	169	35.66	0	0.00	319	117.20
2012-13	80	65.01	597	192.47	133	183.87	810	441.35
2013-14	165	65.75	722	366.19	2	0.25	889	432.19
2014-15	255	206.01	695	691.56	0	0.00	950	897.57
कुल	1370	521.75	2776	1393.15	588	484.18	4734	2399.08

हमने पाया कि वर्ष 2006-15 के ₹ 2,399.08 करोड़ की राशि के 4,734 उपयोगिता प्रमाण-पत्र नगर विकास एवं आवास विभाग में 31 मार्च 2016 तक बकाए थे। उपरोक्त दर्शाये तालिका के अनुसार, 31 मार्च 2016 तक ₹ 2,399.08 करोड़ की बकाया राशि के 4,734 उपयोगिता प्रमाण-पत्रों में से ₹ 484.18 करोड़ के 588 उपयोगिता प्रमाण-पत्र पूँजीगत सृजन हेतु थे।

आगे, 10 नमूना-जाँचित शहरी स्वायत्त निकायों के विस्तृत जाँच ने उजागर किया कि ₹ 520.00 करोड़ के 947 उपयोगिता प्रमाण-पत्रों को सितंबर 2016 तक प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक.) को प्रस्तुत नहीं किए गए जिसके ब्यौरे तालिका 3.4 में दिये गए हैं।

तालिका 3.4 : महालेखाकार (लेखा एवं हक.) को नहीं सौंपे गए उपयोगिता प्रमाण-पत्रों के ब्यौरे

(₹ लाख में)

क्र. सं.	शहरी स्थानीय निकाय का नाम	वांछित उपयोगिता प्रमाण-पत्रों की संख्या (2006-07 से 2014-15)	शीर्ष 2215	शीर्ष 4217	शीर्ष 2217	कुल
1	राँची नगर निगम	105	1393.03	3170.10	16621.34	21184.47
2	बुण्डू नगर पंचायत	59	1958.36	58.99	1205.24	3222.59
3	साहिबगंज नगर परिषद	96	729.55	157.25	5992.25	6879.05
4	गोड्डा नगर पंचायत	99	169.14	35.94	1614.43	1819.51
5	जामताड़ा नगर पंचायत	100	152.23	20.12	1845.06	2017.41
6	लोहरदगा नगर परिषद	116	129.64	306.84	3248.54	3685.02
7	जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति	87	1506.99	124.31	4035.17	5666.47
8	जुगसलाई नगरपालिका	94	739.79	60.73	673.25	1473.77
9	मानगो अधिसूचित क्षेत्र समिति	98	2173.92	180.95	1820.20	4175.07
10	आदित्यपुर नगर परिषद	93	75.11	142.08	1659.40	1876.59
कुल		947	9027.76	4257.31	38714.88	51999.95

इकाईयों के नमूना-जाँच के दौरान उपयोगिता प्रमाण-पत्रों के अप्रस्तुतीकरण हेतु विभिन्न कारण सूचित किए गए। कुछ मुख्य कारण निम्नलिखित हैं:

3.1.3 अनुदानों का अनुपयोग

निम्नलिखित इकाईयों के नमूना-जाँच के दौरान यह पाया गया कि 146 अनुदानों द्वारा प्राप्त ₹ 4,348.53 लाख की राशि मार्च 2016 के अंत तक अप्रयुक्त थी।

तालिका 3.5 : अप्रयुक्त अनुदानों का इकाई-वार ब्यौरे

क्र.सं.	शहरी स्वायत्त निकाय का नाम	अवधि	आहरित अनुदानों की संख्या जो अप्रयुक्त रही	राशि (लाख में)
1	राँची नगर निगम	2006-07 से 2014-15	4	706.65
2	बुण्डू नगर पंचायत		12	295.21
3	साहिबगंज नगर परिषद		37	730.37
4	जामताड़ा नगर पंचायत		8	475.84
5	लोहरदगा नगर परिषद		21	687.82
6	जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति		14	1012.94
7	जुगसलाई नगरपालिका		50	439.70
कुल			146	4348.53

यह देखा गया कि उपरोक्त तालिका में दिखाये गए कुल ₹ 4,348.53 लाख में से ₹ 1,218.32 लाख की एक वृहद राशि स्वच्छता कार्य हेतु तथा ₹ 2,601.35 लाख की राशि सड़कों के लिये चार इकाईयों (लोहरदगा, जमशेदपुर, बुण्डू एवं साहिबगंज) को दी गई थी।

3.1.4 उपयोगिता प्रमाण-पत्रों के प्रस्तुतीकरण में विलम्ब

10 इकाईयों के नमूना-जाँच के दौरान यह पाया गया कि ₹ 28,015.60 लाख के 511 उपयोगिता प्रमाण-पत्र कार्यकारी अभिकर्ताओं द्वारा नगर विकास एवं आवास विभाग को सौंपे गए लेकिन काफी विलंब के बाद भी संबन्धित विभाग द्वारा इन उपयोगिता प्रमाण-पत्रों को प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक.) को प्रस्तुत नहीं किए गए। संबन्धित कार्यकारी अभिकर्ताओं द्वारा विभाग को उपयोगिता प्रमाण-पत्रों के प्रस्तुतीकरण में एक माह से 106 माह तक विलम्ब किया गया जिसके ब्यौरे निम्नलिखित हैं:

तालिका 3.6 : उपयोगिता प्रमाण-पत्रों के प्रस्तुतीकरण में इकाई-वार विलम्ब

क्र. सं.	शहरी स्वायत्त निकाय का नाम	विभाग को प्रस्तुत किए गए उ.प्र.प. की संख्या	राशि (लाख में)	विलम्ब (माह में)
1	राँची नगर निगम	47	8037.58	1-39
2	बुण्डू नगर पंचायत	30	2854.91	2-52
3	साहिबगंज नगर परिषद	39	5265.93	2-62
4	गोड्डा नगर पंचायत	27	613.23	2-37
5	जामताड़ा नगर पंचायत	31	901.00	2-24
6	लोहरदगा नगर परिषद	82	2453.48	2-61
7	जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति	68	4213.25	1-25
8	जुगसलाई नगरपालिका	40	479.34	1-45
9	मानगो अधिसूचित क्षेत्र समिति	64	1424.71	1-106
10	आदित्यपुर नगर परिषद	83	1772.17	3-106
कुल		511	28015.60	

3.1.5 निधि व्यक्तिगत बही/बैंक खाते में रखना

आगे, 10 नमूना-जाँचित शहरी स्वायत्त निकायों के विस्तृत जाँच में यह पाया गया कि मार्च 2016 के अंत तक ₹ 848.44 करोड़ की राशि पी.एल. खाते में एवं ₹ 263.36 करोड़ की राशि बैंक खाते में रखे गए थे जैसा तालिका 3.7 में विस्तृत है:

तालिका 3.7 : व्यक्तिगत बही (पी.एल.)/बैंक खाते में रखी गई निधि

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	शहरी स्वायत्त निकाय का नाम	31.03.16 को पी.एल. खाते में अंत शेष	31.03.16 को बैंक खाते में अंत शेष	31.03.16 को कुल अंत शेष
1	राँची नगर निगम	622.77	226.11	848.88
2	बुण्डू नगर पंचायत	19.93	0.25	20.18
3	साहिबगंज नगर परिषद	36.75	शून्य	36.75
4	गोड्डा नगर पंचायत	12.78	शून्य	12.78
5	जामताड़ा नगर पंचायत	5.37	0.54	5.91
6	लोहरदगा नगर परिषद	16.37	10.73	27.10
7	जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति	60.66	23.09	83.75
8	जुगसलाई नगरपालिका	5.85	0.46	6.31
9	मानगो अधिसूचित क्षेत्र समिति	40.01	0.97	40.98
10	आदित्यपुर नगर परिषद	27.95	1.21	29.16
कुल		848.44	263.36	1111.80

3.2 स्वायत्त निकायों, प्राधिकरणों एवं अनुदानग्राही संस्थानों के लेखाओं का प्रस्तुतीकरण एवं लेखापरीक्षा

3.2.1 सी.ए.जी. के (डी.पी.सी.) अधिनियम, 1971 की धारा 14 एवं 15 के अंतर्गत लेखापरीक्षा

सी.ए.जी. के (डी.पी.सी.) अधिनियम, 1971 की धारा 14 एवं 15 के अंतर्गत लेखापरीक्षा किये जाने वाले संस्थानों/संगठनों को पहचानने के क्रम में विभिन्न संस्थाओं को प्रदत्त वित्तीय सहायता, प्रदत्त सहायता के उद्देश्य एवं संस्थानों के कुल व्यय के बारे में एक विस्तृत विवरण सरकार/विभागाध्यक्ष को प्रत्येक वर्ष लेखापरीक्षा हेतु प्रस्तुत करना आवश्यक है। राज्य के 74 निकायों/प्राधिकरणों में से 69 निकायों/प्राधिकरणों की लेखापरीक्षा अगस्त 2016 तक विभिन्न अवधियों में की गई जिसे परिशिष्ट 3.2 में दर्शाया गया है।

राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करने के लिये उपयुक्त आकलन की आवश्यकता है कि ये लेखे तय समय सीमा के अन्दर संकलित किये गये हैं एवं लेखापरीक्षा हेतु प्रस्तुत किया गये हैं, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वित्तीय अनियमिततायें, यदि कोई हो, गुप्त न रह जाए।

3.2.2 सी.ए.जी. के (डी.पी.सी.) अधिनियम, 1971 की धारा 19 के अधीन लेखापरीक्षा

राज्य में ऐसे पाँच स्वायत्त निकायों¹ हैं जिनकी सी.ए.जी. के (डी.पी.सी.) अधिनियम, की धारा 19 के अंतर्गत लेन-देनों, प्रचालन गतिविधियों और लेखाओं के परीक्षण, लेन-देनों के अनुपालन लेखापरीक्षा का आयोजन, आन्तरिक प्रबंधन और वित्तीय नियंत्रण की समीक्षा, पद्धतियों एवं प्रक्रियाओं इत्यादि की समीक्षा से संबद्ध लेखापरीक्षा की जाती है।

पाँच स्वायत्त निकायों के लेखाओं का प्रस्तुतीकरण एवं लेखापरीक्षा की स्थिति दर्शाने वाले विवरण तालिका 3.8 में दिये गये हैं।

तालिका 3.8 : स्वायत्त निकायों के लेखाओं का प्रस्तुतीकरण एवं लेखापरीक्षा की स्थिति दर्शाने वाले विवरण

क्र. सं.	निकाय/प्राधिकरण का नाम	वर्ष जब तक लेखे दिये गये	वर्ष जब तक एस.ए.आर निर्गत हुये	विधानमंडल में एस.ए.आर. का उपस्थापन	टिप्पणियाँ
1	झारखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (झालसा)	2010-11	2010-11	सूचित नहीं	वर्ष 2011-12 से 2015-16 के लेखे अभी तक (अगस्त 2016) अप्राप्त हैं।
2	झारखण्ड राज्य विद्युत नियामक आयोग (जे.एस.ई.आर.सी.)	2014-15	2011-12	सूचित नहीं	वर्ष 2015-16 के लेखे अभी तक अप्राप्त हैं।
3	राजेन्द्र आयुर्विज्ञान संस्थान (रिम्स)	सुपुर्दगी (2009) से अप्रस्तुत	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	सक्रिय प्रयास के बावजूद किसी भी वर्ष के वार्षिक लेखे लेखापरीक्षा हेतु सितंबर 2016 तक प्रस्तुत नहीं किये गये हैं।
4	राँची तंत्रिका मनोचिकित्सा एवं सम्बद्ध विज्ञान संस्थान (रिनपास)	शून्य	शून्य	शून्य	वार्षिक लेखे लेखापरीक्षा हेतु अब तक प्रस्तुत नहीं किये गये, तथापि, अनुपालन लेखापरीक्षा नियमित रूप से किया जा रहा है।
5	झारखंड आवास बोर्ड, राँची	शून्य	शून्य	शून्य	वार्षिक लेखे लेखापरीक्षा हेतु इसके गठन वर्ष (2001) से प्रस्तुत नहीं किये गये, तथापि अनुपालन लेखापरीक्षा नियमित रूप से किया जा रहा है।

¹ (i) 22 जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डी.एल.एस.ए.) सहित झारखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (झालसा), (ii) झारखण्ड राज्य विद्युत नियामक आयोग (जे.एस.ई.आर.सी.), (iii) राजेन्द्र आयुर्विज्ञान संस्थान (रिम्स), (iv) राँची तंत्रिका मनोचिकित्सा एवं सम्बद्ध विज्ञान संस्थान (रिनपास) तथा (v) झारखंड आवास बोर्ड, राँची।

3.3 नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा संक्षिप्त आकस्मिक विपत्रों पर आहरित निधियों की लेखापरीक्षा

3.3.1 परिचय

झारखण्ड कोषागार संहिता (झा.को.सं.) खण्ड-I एवं खण्ड-II के नियम 318 के अनुसार, आकस्मिक प्रभार को बिना किसी सहायक अभिश्रव के संक्षिप्त आकस्मिक (ए.सी.) विपत्र (टी.सी. प्रपत्र 38) पर कोषागार से अग्रिम के रूप में आहरित किया जा सकता है। व्यय को संबंधित सेवा-शीर्षों के अंतर्गत विकलित किया जाता है और नियंत्रक अधिकारी² द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित सहायक उप-अभिश्रव के साथ विस्तृत आकस्मिक (डी.सी.) विपत्र (टी.सी. प्रपत्र 39)³ में संबंधित माह के अगले माह⁴ के 25 तारीख या उससे पहले महालेखाकार (लेखा एवं हक.) को सौंपना आवश्यक है। प्रत्येक माह के 10 तारीख के बाद भुगतान हेतु उपस्थापित प्रथम ए.सी. विपत्र के साथ इस आशय का एक प्रमाण पत्र संलग्न किया जायेगा कि पिछले माह आहरित ए.सी. विपत्र के लिए विस्तृत विपत्र प्रतिहस्ताक्षर हेतु नियंत्रक अधिकारी को सौंप दी गई है (झा.को.सं. का नियम 319)।

16 मई 2016 तक ₹ 5,471 करोड़ के बकाया विस्तृत आकस्मिक विपत्रों को छोड़कर वर्ष 2000-16 के दौरान आहरित कुल ₹ 17,081 करोड़ के संक्षिप्त आकस्मिक विपत्रों के विरुद्ध कुल ₹ 11,610 करोड़ के विस्तृत आकस्मिक विपत्र प्राप्त हुए। वर्ष-वार ब्यौरे तालिका 3.9 में दिये गये हैं।

तालिका 3.9 : संक्षिप्त आकस्मिक विपत्रों के विरुद्ध विस्तृत आकस्मिक विपत्रों का विलंबित प्रस्तुतीकरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	आहरित ए.सी. विपत्र		सौंपे गए डी.सी. विपत्र		बकाया डी.सी. विपत्र		डी.सी. विपत्रों के बकाया राशि की प्रतिशतता
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	
2013-2014 तक	54563	15135	44352	11235	10211	3900	26
2014-2015	550	721	534	316	16	405	56
2015-2016	851	1225	95	59	756	1166	95
कुल	55964	17081	44981	11610	10983	5471	32

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखों के लेखाओं पर टिप्पणियाँ

² यदि नियंत्रक अधिकारी नहीं हो, तो कार्यालय प्रमुख द्वारा हस्ताक्षर कर सीधे महालेखाकार (लेखा एवं हक.) को भेजा जा सकता है।

³ झा.को.सं. का नियम 320।

⁴ झा.को.सं. का नियम 322।

तालिका 3.9 में दिये अनुसार, वर्ष 2000-16 के दौरान आहरित कुल ए.सी. विपत्रों के विरुद्ध बकाया डी.सी. विपत्रों की प्रतिशतता 16 मई 2016 तक 32 प्रतिशत थी। प्रमुख गैर-जिम्मेवार विभाग 'ग्रामीण विकास विभाग' (₹ 1,357 करोड़), 'कल्याण विभाग' (₹ 893 करोड़), 'महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग' (₹ 536 करोड़), 'स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग' (₹ 525 करोड़), तथा 'गृह विभाग' (₹ 497 करोड़) थे। पिछले वर्ष के 56 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2015-16 के दौरान विस्तृत आकस्मिक विपत्रों का अप्रस्तुतीकरण ए.सी. विपत्रों से आहरित की गई राशि का 95 प्रतिशत था। नियंत्रक अधिकारियों द्वारा विस्तृत आकस्मिक विपत्रों को प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण संबंधित वर्ष के दौरान राज्य का व्यय संक्षिप्त आकस्मिक विपत्रों में आहरित अग्रिम की सीमा से अधिक बताया गया। विभाग-वार तुलनात्मक बकाया डी.सी. विपत्रों को नीचे तालिका में दिया गया है:

तालिका 3.10 : बकाया डी.सी. विपत्रों का विभाग-वार तुलनात्मक ब्यौरे

क्र. सं.	विभाग का नाम	02.12.16 को बकाया डी.सी. विपत्र (₹ करोड़ में)				
		2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
1	ग्रामीण विकास विभाग	47.38	34.86	37.08	111.72	260.94
2	गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (आपदा प्रबंधन प्रभाग)	3.57	0.08	0.27	0.11	221.71
3	महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग	5.26	30.12	0.18	0.10	83.72
4	कल्याण विभाग	30.63	95.45	114.48	8.01	77.36
5	स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	0.97	0.34	32.21	24.89	71.94
कुल		87.81	160.85	184.22	144.83	715.67

जैसा उपरोक्त तालिका में दिखाया गया है, डी.सी. विपत्रों की एक बड़ी राशि ग्रामीण विकास तथा गृह विभाग के विरुद्ध बकाए थे जो वर्ष-दर-वर्ष महत्वपूर्ण रूप से बढ़ता रहा।

नगर विकास एवं आवास (न.वि. एवं आ.) विभाग के द्वारा ए.सी. विपत्र पर आहरित राशि के लिए अनुपालन लेखापरीक्षा किया गया था। हमलोगों ने देखा कि वर्ष 2013-14 के बाद ए.सी. विपत्र आहरित नहीं किए गए। मार्च 2014 तक आहरित ए.सी. विपत्रों की स्थिति तालिका 3.11 में दिखलाया गया है।

तालिका 3.11 : संक्षिप्त आकस्मिक विपत्रों के विरुद्ध विस्तृत आकस्मिक विपत्रों के समर्पण में विलम्ब

(₹ लाख में)

मुख्य शीर्ष	आहरित ए.सी. विपत्र		समर्पित डी.सी. विपत्र		बकाया डी.सी. विपत्र	
	ए.सी. विपत्रों की संख्या	राशि	डी.सी. विपत्रों की संख्या	राशि	डी.सी. विपत्रों की संख्या	राशि
2215	3	0.41	2	0.34	1	0.07
2217	50	703.27	26	471.37	24	231.90
2251	29	7.89	17	5.79	12	2.10
4217	19	2880.04	5	35.97	14	2844.07
कुल	101	3591.61	50	513.47	51	3078.14

- उपरोक्त तालिका से स्पष्ट था कि मार्च 2014 तक आहरित ₹ 3,591.61 लाख के ए.सी. विपत्रों में से ₹ 3,078.41 लाख (85.71 प्रतिशत) के विस्तृत आकस्मिक विपत्रों को प्रस्तुत (नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा) नहीं किए गए थे। जुलाई 2016 तक बकाया ₹ 3,078.41 लाख में से, ₹ 2,844.07 लाख पूँजीगत सृजन हेतु प्रदान किए गए थे। आगे, ₹ 75.83 लाख सहायता अनुदान के रूप में दिये गए थे परंतु आठ ए.सी. विपत्रों द्वारा आहरित दिखलाए गए जो विचाराधीन थे।
- जाँच नमूना के दौरान यह पाया गया कि वर्ष 2004-14 के दौरान नगर विकास एवं आवास विभाग में ए.सी. विपत्रों से आहरित की गई ₹ 3,591.61 लाख में से, ₹ 3,465.72 लाख की राशि अर्थात् 96 प्रतिशत मार्च माह में आहरित किया गया जो इंगित करता है कि वित्तीय वर्ष के अंत में बजटीय अनुदान को व्यपगत होने से बचाने के लिए निधि को ए.सी. विपत्रों पर आहरित किया गया था।

3.4 दुर्विनियोग, क्षति इत्यादि के मामलों का प्रतिवेदन

झारखण्ड वित्तीय नियम का नियम 31 बतलाता है कि लोक निधि, सरकारी राजस्व, स्टोर या अन्य सम्पत्ति के गबन या अन्य कारणों से हुई क्षति की तत्काल सूचना, उच्चतर पदाधिकारियों, वित्त विभाग के साथ-साथ महालेखाकार (लेखापरीक्षा) झारखण्ड को दी जानी चाहिए, चाहे जब कभी इसके लिये जिम्मेवार पार्टी द्वारा ऐसे हानि की क्षतिपूर्ति कर दी गयी हो। जैसे ही क्षति होने का संदेह हो, उसकी सूचना अवश्य दिया जाना चाहिए; जाँच प्रगति पर होने की स्थिति में भी इनमें तनिक भी विलम्ब नहीं किया जाना चाहिए।

इस संबंध में, लेखापरीक्षा हेतु सूचना उपलब्ध कराने (14 जुलाई 2016 एवं 04 अक्टूबर 2016) के जवाब में वित्त विभाग से कोई भी सूचना अक्टूबर 2016 तक प्राप्त नहीं हुआ है।

3.5 राजस्व तथा पूँजी के बीच वर्गीकरण

राजस्व व्यय आवर्ती प्रकृति का होता है तथा राजस्व प्राप्ति के द्वारा किए जाने वाले व्यय को माना जाता है। पूँजीगत व्यय निर्धारण वैसे व्यय से किया जाता है, जो कि एक द्रव्य के बढ़ते हुए ठोस परिसम्पत्तियों तथा स्थायी प्रकृति का होता है अथवा अनुक्रमित स्थायी दायित्व का होता है। फिर भी, वर्ष के दौरान सरकार ने राजस्व अनुभाग के अंतर्गत 'मुख्य कार्य' को त्रुटिपूर्ण ढंग से ₹ 7.80 करोड़ की राशि उपलब्ध कराई एवं व्यय की गई, जिसे **परिशिष्ट 3.3** में दर्शाया गया है। परिणामस्वरूप, वित्तीय वर्ष 2015-16 में राज्य सरकार की परिसम्पत्तियों एवं राजस्व अधिशेष को इस सीमा तक कम करके बताया गया।

भारतीय सरकारी लेखाकरण मानक (भा.स.ले.मा.)-2 के अनुसार सहायक अनुदान से संबंधित व्यय को राजस्व व्यय के रूप में वर्गीकृत किया जाना है। राज्य सरकार ने बजट प्रावधान किया और पूँजीगत मुख्य शीर्ष 4702-लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय के अंतर्गत ₹ 8.15 करोड़ की राशि वर्गीकृत किया। परिणामस्वरूप, वित्तीय वर्ष 2015-16 में राज्य सरकार के राजस्व अधिशेष एवं पूँजीगत परिव्यय को इस सीमा तक अधिक बताया गया। मामले को राज्य सरकार के ध्यान में लाया गया था, परंतु सुधार नहीं किया गया।

3.6 निधि आहरित कर व्यक्तिगत बही (पी.एल.)/बैंक खाते में रखना

झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 300 के अनुसार कोषागार से किसी भी राशि का आहरण तब तक नहीं किया जाना चाहिए जब तक इसके तत्काल भुगतान की आवश्यकता न हो। विनियोगों को व्यपगत होने से बचाने के लिए कोषागार से पूर्वानुमानित माँगों हेतु अग्रिम का आहरण, उस कार्य के क्रियान्वयन के लिए जिसके सम्पादन में अधिक समय लगने की सम्भावना हो, अनुमान्य नहीं है। झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 552 के अनुसार तीन पूर्ण लेखा वर्ष तक बिना दावे की पड़ी सभी राशि, प्रत्येक वर्ष मार्च की समाप्ति पर, सरकार को जमा कर देना चाहिये। आगे, वित्तीय नियम सरकारी धन को सरकारी खातों से अलग रखने से निषेध करती है।

वर्ष 2015-16 के लेखा के मुख्य शीर्ष 8448-सिविल जमा के अंतर्गत लघु शीर्ष के लेन-देन से संबंधित व्हाउचर स्तरीय कम्प्यूटरीकृत आँकड़े एवं वित्त लेखे की समीक्षा से यह स्पष्ट हुआ कि 31 मार्च 2016 तक राज्य में 107 व्यक्तिगत बही खाते थे।

वर्ष 2013-14 को छोड़कर वर्ष 2012-13 से वर्ष 2015-16 के दौरान पी.एल. खाते के अधीन अंत शेष सतत् रूप से बढ़ा। वर्ष 2015-16 के दौरान यह पिछले वर्ष के सापेक्ष ₹ 5,217.97 करोड़ (56.70 प्रतिशत) तक बढ़ा जिसे **तालिका 3.12** में दिखाया गया है।

तालिका 3.12: व्यक्तिगत बही खाते में राशियाँ

(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्रारंभिक शेष	प्राप्तियाँ	संवितरण	अंत शेष
2012-13	2193.14	3110.78	2349.49	2954.43
2013-14	2954.43	2613.93	2970.86	2597.50
2014-15	2597.50	5155.09	4422.64	3329.95
2015-16	3329.95	12054.22	10166.20	5217.97

तालिका 3.12 से देखा जा सकता है कि ₹ 5,217.97 करोड़ की राशि को मार्च 2016 के अंत में पी.एल. खाते में रखा गया। कुछ मुख्य सेवा शीर्ष जिससे बजट को पी.एल. खाते में अंतरित किया गया, 2203 (तकनीकी शिक्षा), 2217 (शहरी विकास), 2415 (कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा), 2515 (अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम), 2851 (ग्रामीण एवं लघु उद्योग), इत्यादि हैं।

अतएव, सरकारी धन राशियों को व्यपगत होने से बचाने के लिये उसका आहरण करना तथा विधान मंडल द्वारा मंजूर किये गये बजट की राशि को उस वित्तीय वर्ष के अलावे दूसरे वर्षों में व्यय हेतु बैंक खाते/पी.एल. खाते में रखा जाना न केवल वित्तीय नियमों का उल्लंघन था, बल्कि राज्य के बजटीय नियंत्रण की विफलता को भी बढ़ावा दिया। इसके अतिरिक्त झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 331 के अनुसार तीन पूर्ण लेखा वर्ष तक बिना दावे की शेष राशि, प्रत्येक वर्ष 31 मार्च की समाप्ति पर, सरकार को जमा कर देना चाहिये। इस प्रकार, राज्य सरकार ने व्यय के आँकड़े को ₹ 5,217.97 करोड़ तक अधिक बताया, चूँकि जो सेवाएँ उपलब्ध कराने के दावे किये गये थे, प्रदान नहीं किये गये।

वित्तीय अटेस्ट विंग में अभिश्रवों के नमूना जाँच के दौरान, यह देखा गया कि जिला योजना समिति, दुमका द्वारा संस्वीकृत स्कीमों के विरुद्ध शीर्ष 2053-00-796-11 (राज्य योजना अनाबद्ध निधि) के अधीन ₹ 129.71 करोड़ की राशि प्रदान की गई। मार्च 2016 तक कोई योजना संस्वीकृत नहीं था, परंतु निधि की राशि व्यपगत होने से बचाने के लिए समस्त राशि जिला योजना समिति द्वारा भविष्य में स्कीमों के अनुमोदन की प्रत्याशा में अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण विकास विशेष प्रखण्ड, दुमका के जमा शीर्ष-8782 में जमा किया गया।

3.7 लघु शीर्ष "800" के अन्तर्गत प्रविष्टि

लघु शीर्ष "800-अन्य प्राप्तियाँ" एवं "800-अन्य व्यय" के अंतर्गत प्राप्ति एवं व्यय की प्रविष्टि प्राप्ति और व्यय के अस्पष्ट वर्गीकरण समझे जाते हैं क्योंकि ये शीर्ष योजनाओं, कार्यक्रमों इत्यादि, जिससे ये राशियाँ संबद्ध होती हैं, को उदघाटित नहीं करती हैं। इन लघु शीर्षों में सामान्यतः वही प्राप्ति/व्यय सन्निहित होते हैं जो उपलब्ध कार्यक्रम के लघु शीर्षों के अंतर्गत वर्गीकृत नहीं किए जा सकते हैं अथवा

बजट तैयार करने के स्तर पर उपलब्ध लेखा शीर्षों के अंतर्गत व्यय के गलत पहचान के कारण हुए हैं।

वर्ष 2015-16 के दौरान, 15 मुख्य शीर्षों में लघु शीर्ष "800-अन्य व्यय" के अंतर्गत ₹ 1,155.07 करोड़ की राशि दर्ज की गई जिसमें से राजस्व एवं पूँजीगत संभाग के 10 मुख्य शीर्षों के अधीन ₹ 691.54 करोड़ (इन शीर्षों में कुल व्यय ₹ 3,203.79 करोड़ का 21.59 प्रतिशत) के व्यय (प्रत्येक मामले में कुल व्यय के 10 प्रतिशत से अधिक) लघु शीर्ष "800-अन्य व्यय" के अंतर्गत वर्गीकृत किए गए थे जिसे **परिशिष्ट 3.4** में दर्शाया गया है।

इसी प्रकार 47 मुख्य शीर्षों में लघु शीर्ष "800-अन्य प्राप्तियाँ" शीर्ष के अंतर्गत ₹ 1,425.54 करोड़ की राशि दर्ज की गई जिसमें से 31 मुख्य शीर्षों के अधीन ₹ 1244.37 करोड़ (₹ 1,555.79 करोड़ के कुल प्राप्तियाँ का 79.98 प्रतिशत) की राजस्व प्राप्तियाँ (प्रत्येक मामले में कुल प्राप्तियों के 40 प्रतिशत से अधिक) "800-अन्य प्राप्तियाँ" शीर्ष के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया। 11 मुख्य शीर्षों की सम्पूर्ण प्राप्तियाँ लघु शीर्ष "800-अन्य प्राप्तियाँ" के अंतर्गत वर्गीकृत की गयी जिसे **परिशिष्ट 3.5** में दर्शाया गया है।

बहुप्रयोजन लघु शीर्ष "800-अन्य व्यय/प्राप्तियाँ" के अंतर्गत विशाल राशियों का वर्गीकरण वित्तीय प्रतिवेदन में पारदर्शिता की कमी को दर्शाता है।

3.8 रोकड़ शेष में अंतर

प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक.) द्वारा प्रतिवेदित राज्य सरकार के रोकड़ शेष तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रतिवेदित रोकड़ शेष (31.03.2016 तक) के बीच ₹ 10.94 करोड़ (निवल क्रेडिट) का अंतर मुख्य रूप से एजेंसी बैंकों द्वारा आँकड़ों के असमाशोधन के कारण है। ₹ 10.94 करोड़ (निवल क्रेडिट) में से, ₹ 9.33 करोड़ समाशोधन हेतु भारतीय रिजर्व बैंक के पास है जबकि अक्टूबर 1987 के पूर्व अवधि की ₹ 1.61 करोड़ की राशि राज्य सरकार तथा भारतीय रिजर्व बैंक के बीच समायोजन/माफ करने हेतु विचाराधीन है।

3.9 लेखे की शुद्धता को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण अवयव

सरकार के लेखे रोकड़ आधार पर रखे जाते हैं। सरकारी लेखे में होने वाले कुछ लेन-देन, प्राप्तियाँ एवं भुगतान जिनको तुरन्त उनकी प्रकृति की सूचना के अभाव के कारण अथवा किसी अन्य कारणों से प्राप्ति या व्यय के अंतिम शीर्ष में नहीं लिया जा सकता है, को उचंत शीर्ष के अधीन अस्थायी रूप से दर्ज किया जाना है। ये शीर्ष ऐसे लेन-देन के लिए जवाबदेह संबंधित ब्यौरे/सूचना, ऋण, जमा और प्रेषण शीर्ष लेखे की प्राप्ति पर निपटाये जाते हैं जहाँ लोक धन के संरक्षक के रूप में सरकार इस प्रकार की धनराशि प्राप्त करती है और अपने पास रखती है।

वित्त लेखे 2015-16 की शुद्धता प्रतिकूल रूप से उन अवयवों द्वारा प्रभावित होती रही है जो उचंत शीर्ष के अंतर्गत बड़ी संख्या में लेन-देनों को अंतिम वर्गीकरण हेतु प्रतीक्षारत है।

• **प्रमुख उचंत लेखे के अंतर्गत बकाया शेष**

उचंत शीर्ष के नाम से कहे जाने वाले कुछ मध्यस्थ/समायोजन लेखा शीर्षों को प्राप्तियाँ एवं भुगतानों के लेन-देन प्रतिबिंबित करने के लिए सरकारी लेखे में संचालित किए जाते हैं जिनको तुरन्त उनकी प्रकृति की सूचना के अभाव में अथवा किसी अन्य कारणों से लेखे के अंतिम शीर्ष में दर्ज नहीं किया जा सकता है। ऐसे लेखा शीर्षों को ऋणात्मक डेबिट या ऋणात्मक क्रेडिट द्वारा अंतिम रूप से निपटारे जाते हैं। यदि ऐसी राशियाँ असमाशोधित रह जाती हैं तो, उचंत शीर्ष के अधीन शेषों को जमा होंगे तथा सही रूप से सरकारी प्राप्त एवं भुगतान को प्रभावित नहीं करेंगे। कुछ प्रमुख उचंत लेखा शीर्षों के अधीन शेष, जो राज्य के वित्त लेखे में प्रतिबिंबित हुए हैं, तालिका 3.13 में प्रदर्शित हैं।

तालिका 3.13 : उचंत शीर्ष (8658) के अन्तर्गत शेष की स्थिति

(₹ करोड़ में)

लघु शीर्ष के नाम	2013-14		2014-15		2015-16	
	डेबिट	क्रेडिट	डेबिट	क्रेडिट	डेबिट	क्रेडिट
101 वेतन एवं लेखा कार्यालय उचंत	10.56	---	11.47	---	19.10	---
निवल	डेबिट 10.56		डेबिट 11.47		डेबिट 19.10	
102 उचंत लेखा (सिविल)	1.86	0.92	1.10	0.00	6.72	5.76
निवल	डेबिट 0.94		डेबिट 1.10		डेबिट 0.96	

स्रोत: झारखण्ड सरकार के वित्त लेखे 2015-16

वित्त लेखे इन शीर्षों के अन्तर्गत निवल शेषों को प्रतिबिंबित करते हैं। बकाया डेबिट और क्रेडिट को जोड़कर बकाया शेष तैयार किये जाते हैं। इन शीर्षों के अन्तर्गत शेषों की जटिलताओं की चर्चा नीचे की गई है:

• **वेतन एवं लेखा अधिकारी (पी.ए.ओ.) उचंत**

प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक.) तथा वेतन एवं लेखा अधिकारी की पुस्तिकाओं में दर्ज किये गये अंतर्विभागीय तथा अंतर्शासकीय लेन-देन के समायोजन हेतु इस लघु शीर्ष को संचालित किया जाता है। इस लघु शीर्ष के अधीन लेन-देन या तो प्रभावित वसूली को अथवा एक लेखा अधिकारी की ओर से दूसरे लेखा अधिकारी, जिसके विरुद्ध लघु शीर्ष "वेतन एवं लेखा अधिकारी उचंत" संचालित किया गया है, द्वारा किये गये भुगतान को प्रस्तुत करते हैं। इस शीर्ष के अधीन क्रेडिट को ऋणात्मक क्रेडिट द्वारा तभी समायोजित किया जाता है जब उस लेखा अधिकारी, जिनके पुस्तिका में प्रारम्भिक वसूली दर्ज किया गया था, द्वारा चेक जारी किया

जाता है। वेतन एवं लेखा अधिकारी उचंत के अधीन डेबिट को उस लेखा अधिकारी, जिसकी ओर से भुगतान किया गया था, से चेक की वसूली एवं प्राप्त के पश्चात् ऋणात्मक डेबिट द्वारा समायोजित किया जाता है। इस शीर्ष के अधीन बकाया डेबिट शेष का अर्थ यह है कि भुगतान वेतन एवं लेखा अधिकारी की ओर से प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक.) द्वारा किया गया है जिसकी वसूली अभी की जानी है। बकाया क्रेडिट शेष का अर्थ यह है कि भुगतान वेतन एवं लेखा अधिकारी की ओर से प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक.) द्वारा प्राप्त किया गया है जिसका भुगतान अभी किया जाना है। इस शीर्ष के अधीन निवल डेबिट शेष (₹ 19.10 करोड़) दर्शाता है कि इस राशि के निपटारे/समायोजन के पश्चात् राज्य सरकार के रोकड़ शेष में बढ़ोत्तरी होगी।

• **उचंत खाता (सिविल)**

क्षणिक लघु शीर्ष जैसे लेन-देन के लेखांकन हेतु संचालित किया जाता है जिसे कुछ सूचना/दस्तावेजों यथा व्हाउचर, चालान आदि के अभाव में प्राप्त या व्यय के अंतिम शीर्ष में नहीं लिया जा सकता है। इस लघु शीर्ष को प्राप्तियों को दर्ज करने हेतु क्रेडिट किया जाता है तथा किये गये व्यय हेतु डेबिट किया जाता है। वांछित सूचनाओं/दस्तावेजों आदि की प्राप्ति पर, इस लघु शीर्ष को लेखाओं से संबंधित मुख्य/उप-मुख्य/लघु शीर्ष के प्रतिकूल डेबिट अथवा क्रेडिट अनुसार ऋणात्मक डेबिट या ऋणात्मक क्रेडिट द्वारा समाशोधित किया जाता है। इस शीर्ष के अधीन बकाया डेबिट शेष का अर्थ जैसे किये गये भुगतान से है जो व्हाउचर आदि जैसे ब्यौरे के अभाव में अंतिम व्यय शीर्ष को डेबिट नहीं किया जा सका हो। इस शीर्ष के अधीन बकाया क्रेडिट शेष का अर्थ जैसे प्राप्त की गई राशि से है जो ब्यौरे के अभाव में अंतिम प्राप्त शीर्ष को क्रेडिट नहीं किया जा सका हो। इस शीर्ष के अधीन निवल डेबिट शेष (₹ 0.96 करोड़) वर्ष के दौरान मूल रूप से घटी है। इस मद के समाशोधन से रोकड़ शेष पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।

3.10 राज्य वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का अनुपालन

वर्ष 2011-12 के राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के परिशिष्ट 2.4.4 (विगत वर्षों के सापेक्ष प्रावधान से आधिक्य व्यय) पर लोक लेखा समिति ने पूर्व में ही परिचर्चा किया तथा दिनांक 13.01.2014 को ₹ 8,120.63 करोड़ में से प्रावधान से आधिक्य व्यय की राशि ₹ 8,120.12 करोड़ को विनियमित किया था। आगे, वर्ष 2015-16 के दौरान प्रावधानों से आधिक्य किसी भी व्यय का विनियमितिकरण नहीं किया गया।

3.11 निष्कर्ष एवं अनुशंसाएँ

अनुदानों के विरुद्ध बकाया उपयोगिता प्रमाण पत्र

- राज्य में विभिन्न विभागों द्वारा वर्ष 2000-15 के दौरान आहरित किये गये सहायता अनुदान (जी.आई.ए.) विपत्रों के विरुद्ध 31 मार्च 2016 तक ₹ 22,325.68

करोड़ के उपयोगिता प्रमाण-पत्र बकाये थे जिसमें नगर विकास एवं आवास विभाग में ₹ 2,399.08 करोड़ बकाये थे। जी.आई.ए. विपत्र की बड़ी राशि के विरुद्ध उपयोगिता प्रमाण-पत्र की अप्राप्ति, विनिर्दिष्ट उद्देश्य हेतु अनुदानों की ससमय उपयोगिता सुनिश्चित करने के लिये नियमों एवं प्रक्रियाओं के अनुपालन में विभागीय पदाधिकारियों की विफलता को इंगित करता है।

यह अनुशंसा की जाती है कि राज्य सरकार विनिर्दिष्ट उद्देश्य हेतु अनुदानों की उपयोगिता एवं उसके विरुद्ध उपयोगिता प्रमाण-पत्रों का समय पर उपस्थापन सुनिश्चित करें।

लेखे तथा स्वायत्त निकायों, प्राधिकरणों एवं अनुदानग्राही संस्थाओं के लेखापरीक्षा का उपस्थापन

- सरकारी विभागों ने अनुदानग्राही संस्थाओं के लेखे प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) को ससमय प्रस्तुत नहीं किये। विभागों द्वारा स्वायत्त निकायों के पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के विधानमंडल में उपस्थापन की स्थिति की सूचना महालेखाकार (लेखापरीक्षा) को नहीं दिया गया।

यह अनुशंसा की जाती है कि सरकारी विभागों द्वारा स्वायत्त निकायों के लेखे प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) को ससमय प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाय।

संक्षिप्त आकस्मिक विपत्रों द्वारा निधियों की निकासी

- विस्तृत आकस्मिक (डी.सी.) विपत्रों को प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण वर्ष 2000-16 के दौरान संक्षिप्त आकस्मिक (ए.सी.) विपत्रों पर आहरित की गई ₹ 5,471 करोड़ की विशाल राशि 16 मई 2016 तक बकाया रह गई।

यह अनुशंसा की जाती है कि लागू नियमों एवं प्रावधानों के अनुसार राज्य सरकार विस्तृत आकस्मिक विपत्रों को ससमय जमा करना सुनिश्चित करे।

निधियों को व्यक्तिगत बही खाते में रखना


- मार्च 2016 के अंत तक व्यक्तिगत बही खाते में ₹ 5,217.97 करोड़ की विशाल राशि शेष थी। विधानमंडल द्वारा चालू वर्ष के लिए पारित की गई बजटीय निधियों को आगामी वर्षों में व्यय के लिए व्यक्तिगत बही खाते में अंतरण, वित्तीय नियमों के प्रतिकूल था एवं राज्य के बजटीय नियंत्रण को कमजोर किया।

यह अनुशंसा की जाती है कि कोषागारों के कंप्यूटराईजेशन का लाभ उठाते हुए, राज्य सरकार वैध अवधि के पश्चात व्यक्तिगत बही खाते के स्वतः बन्द होने और अप्रयुक्त शेष राशियों का संचित निधि में अंतरण होने की प्रणाली अपनाने पर विचार करे।

लघु शीर्ष "800" के अन्तर्गत बुकिंग

- प्राप्तियाँ और व्यय की एक विशाल राशि (₹ 2,580.61 करोड़) बहुप्रयोजन लघु शीर्ष "800-अन्य व्यय/प्राप्तियाँ" के अन्तर्गत वर्गीकृत की गई थी जो वित्तीय प्रतिवेदन में पारदर्शिता की कमी को दर्शाया।

यह अनुशंसा की जाती है कि प्राप्तियाँ/व्यय जिसे अन्य उपलब्ध प्रोग्राम लघु शीर्ष के अन्तर्गत वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है, को ही केवल लघु शीर्ष "800-अन्य प्राप्तियाँ/व्यय" के अन्तर्गत दर्ज किया जाए।



(सी. नेडुन्चेलियन)

महालेखाकार (लेखापरीक्षा), झारखण्ड

राँची

दिनांक : 30 जनवरी 2017

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली

दिनांक : 01 फरवरी 2017



(शशि कान्त शर्मा)

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

परिशिष्ट

परिशिष्ट 1.1 भाग - ए
(संदर्भ कंडिका - झारखण्ड की रूप रेखा; पृष्ठ 1)

झारखण्ड का परिचय						
ए. सामान्य आँकड़ा						
क्र.सं.	विवरण					आँकड़ा
1	क्षेत्रफल					79714 वर्ग कि.मी.
2	जनसंख्या					
	(ए)	2001 के जनगणना के अनुसार				2.69 करोड़
	(बी)	2010-11				3.30 करोड़
3	(ए)	जनसंख्या का घनत्व ¹ (2001 के जनगणना के अनुसार) (अखिल भारतीय घनत्व = 325 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी.)				338 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी.
	(बी)	जनसंख्या का घनत्व (2011 के जनगणना के अनुसार) (अखिल भारतीय घनत्व = 382 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी.)				414 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी.
4	गरीबी रेखा के नीचे की जनसंख्या ² (अखिल भारतीय अनुपात 30 प्रतिशत)					42.4 प्रतिशत
5	(ए)	साक्षरता ¹ (2001 के जनगणना के अनुसार) (अखिल भारतीय अनुपात 64.80 प्रतिशत)				44 प्रतिशत
	(बी)	साक्षरता (2011 के जनगणना के अनुसार) (अखिल भारतीय अनुपात 72.99 प्रतिशत)				66.41 प्रतिशत
6	शिशु मृत्यु दर ¹ (प्रति 1000 जीवित जन्म) (अखिल भारतीय = 40 प्रति 1000 जीवित जन्म)					37
7	गिनी गुणांक ³					
	(ए)	ग्रामीण (अखिल भारत = 0.29)				0.24
	(बी)	शहरी (अखिल भारत = 0.38)				0.36
8	वर्ष 2010-11 को आधार मानते हुए चालू मूल्य पर 2015-16 का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.)					₹ 241955 करोड़
9	प्रति व्यक्ति स.रा.घ.उ. सी.ए.जी.आर. (2006-07 से 2015-16)				झारखण्ड	13.77 प्रतिशत
					सामान्य श्रेणी राज्य	14.27 प्रतिशत
10	स.रा.घ.उ. सी.ए.जी.आर. (2006-07 से 2015-16) ⁴				झारखण्ड	15.35 प्रतिशत
					सामान्य श्रेणी राज्य	15.75 प्रतिशत
11	जनसंख्या वृद्धि ⁵ (2006-07 से 2015-16)				झारखण्ड	13.17 प्रतिशत
					सामान्य श्रेणी राज्य	12.24 प्रतिशत
बी. वित्तीय आँकड़ा ⁴						
क्र.सं.	विवरण		आँकड़ा (प्रतिशत में)			
			2006-07 से 2014-15		2014-15 से 2015-16	
	सी.ए.जी.आर.		सामान्य श्रेणी राज्य	झारखण्ड	सामान्य श्रेणी राज्य	झारखण्ड
1.	ए.	राजस्व प्राप्तियों का	14.74	15.44	15.00	28.75
2.	बी.	कर राजस्व का	15.08	15.85	13.28	10.90
3.	सी.	गैर कर राजस्व का	10.20	16.82	6.00	35.02
4.	डी.	कुल व्यय का	16.71	16.91	16.42	36.76
5.	ई.	कुल पूँजीगत व्यय	13.21	18.14	25.80	47.19
6.	एफ.	शिक्षा पर राजस्व व्यय का	17.08	16.02	12.17	14.05
7.	जी.	स्वास्थ्य पर राजस्व व्यय का	18.70	16.65	13.44	34.98
8.	एच.	वेतन एवं मजदूरी का	15.48	13.23	9.95	10.80
9.	आई.	पेंशन का	15.59	22.59	11.79	15.22

¹ सेंसस इंडो इण्डिया 2011 के अनंतिम कुल जनसंख्या

² गरीबी मापन के प्रक्रिया की समीक्षा हेतु विशेषज्ञ समूह (रंगराजन) योजना आयोग (जून 2014) का प्रतिवेदन, पृष्ठ-66

³ <http://planningcommission.nic.in/data/datatable/data2312/DatabookDec2014%20106.pdf>

⁴ CSO (http://mospi.nic.in/Mospi_New/site/inner.asp?statijs=3&menu_id=82). 2015-16 के लिए असम, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र, मिजोरम, राजस्थान, त्रिपुरा तथा पश्चिम बंगाल से संबंधित स.रा.घ.उ. के आँकड़े संगत महालेखाकार कार्यालयों से प्राप्त किए गए हैं।

⁵ केंद्र एवं राज्यों के लिए जनगणना अनुमान 2001-2026 (दिसम्बर 2006 पुनरीक्षित) राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग द्वारा संयोजित जनसंख्या अनुमानन के लिए तकनीकी समूह के प्रतिवेदन तालिका -14 (1 अक्टूबर 2001-26 को लिंगवार कुल अनुमानित जनसंख्या)

परिशिष्ट 1.1 भाग- बी	
सरकारी लेखे की संरचना एवं रूपरेखा	
(संदर्भ कंडिका 1.1; पृष्ठ 2)	
सरकारी लेखाओं की संरचना: राज्य सरकार के लेखे तीन भाग में रखे जाते हैं (1) संचित निधि, (2) आकस्मिकता निधि और (3) लोक लेखा।	
भाग I: संचित निधि: राज्य सरकार द्वारा पाये गये सारे राजस्व, ट्रेजरी बिल जारी करने के लिए गये सारे कर्ज, आंतरिक और बाह्य कर्ज और सरकार द्वारा प्राप्त सभी तरह की राशि जो कर्ज के भुगतान में मिली हो, एक संचित निधि को निर्मित करती है जिसे "राज्य सरकार की संचित निधि" कहते हैं जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 266 (1) के तहत गठित होती है।	
भाग II: आकस्मिकता निधि:- राज्य सरकार के आकस्मिकता निधि संविधान के अनुच्छेद 267 (2) के तहत स्थापित होती है, एक इम्प्रेस्ट की तरह की होती है जो राज्यपाल के अधिकार में रहती है जिससे कि वह आवश्यक गैर-अनुमानित खर्चों को कर सकें जो विधान सभा से अनुमोदन के लिए पड़ी हो। इस तरह के खर्चों को विधानमण्डल से अनुमोदन और बराबर राशि संचित निधि से निकाला जाता है जबकि आकस्मिकता निधि से लिए गए अग्रिम वापस निधि में डाले जाते हैं।	
भाग III: लोक लेखा: कुछ लेन-देन जैसे लघु बचत, भविष्य निधि, आरक्षित निधि, जमा उचन्त, प्रेषण आदि से संबंधित प्राप्तियाँ एवं संवितरण, जो संचित निधि के भाग नहीं होते हैं, संविधान के अनुच्छेद 266 (2) के अंतर्गत लोक लेखा के अंतर्गत रखे जाते हैं और राज्य विधानमण्डल के द्वारा मत का विषय नहीं होता है।	
भाग - सी: वित्त लेखे का अभिन्यास	
विवरणी	रूपरेखा
विवरणी सं. 1	वर्ष के अंत में सरकार की परिसम्पतियों एवं दायित्वों के संचयी आँकड़ों को दर्शाता है। ये परिसम्पतियाँ सरकार की भौतिक परिसम्पतियों का उल्लेख करते हुए प्रगामी पूँजीगत व्यय के आँकड़ों सहित वित्तीय सम्पतियाँ हैं। लेखांकन नीति के अनुसार परिसम्पतियाँ ऐतिहासिक मूल्य को दर्शाती है।
विवरणी सं. 2	यह वर्ष के दौरान सरकार के कुल प्राप्तियाँ तथा व्यय के संक्षिप्त विवरणी है जो सरकार के लेखे के तीन भाग- संचित निधि, आकस्मिकता निधि तथा लोक लेखे में संधारित किए जाते हैं।
विवरणी सं. 3	इस विवरणी में राजस्व तथा पूँजीगत प्राप्तियाँ तथा सरकार के उधार जो भारत सरकार एवं अन्य संस्थाओं से ऋण, बाजार ऋण तथा सरकार द्वारा लिये गये ऋण अग्रिमों के सापेक्ष पुनर्भुगतान से मिलकर बना है, शामिल है।
विवरणी सं. 4	यह कार्यात्मक एवं प्रकृति अनुसार व्यय का संक्षिप्त विवरण है।
विवरणी सं. 5	यह प्रगामी पूँजीगत व्यय का विवरण प्रस्तुत करता है जिसका पूर्ण योग विवरण-1 में दिया गया है।
विवरणी सं. 6	यह सरकार के उधार को प्रस्तुत करता है जिसमें बाजार ऋण एवं भारत सरकार के ऋण एवं अग्रिम शामिल है। इसके साथ अन्य दायित्वों जो लोक लेखा के विभिन्न खंडों में शेष है और जिसके लिए सरकार अभिरक्षक या ट्रस्टी के रूप में कार्य करती है।
विवरणी सं. 7	यह सरकार के ऋण एवं अग्रिमों (खंड एवं उधारकर्ता के ग्रुप के अनुसार) जिसे विवरणी-1 में दर्शाया गया है तथा जिनकी प्राप्तियाँ तथा संवितरण को विवरण संख्या 2, 3 एवं 4 में दर्शाया गया है।
विवरणी सं. 8	यह विभिन्न संस्थाओं के शेयर पूँजी में सरकारी निवेश का तुलनात्मक सारांश प्रस्तुत करती है।
विवरणी सं. 9	सांविधिक निगमों, स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थाओं के लिए सरकार द्वारा ऋण के पुनर्भुगतान हेतु दी गयी गारंटियों की संक्षिप्त विवरणी प्रस्तुत करती है।
विवरणी सं.10	यह समूह-वार अनुदान प्राप्तकर्ता संस्थानों द्वारा आयोजित सरकार द्वारा दिये गये सहायता अनुदानों को दर्शाता है। लेखा टिप्पणी भी इसके साथ शामिल रहती है।
विवरणी सं.11	वर्ष के दौरान भारत एवं दत्तमत व्यय के मध्य वितरण को दर्शाती है।
विवरणी सं.12	यह पूँजीगत एवं अन्य व्यय (राजस्व लेखे को छोड़कर) एवं व्यय हेतु निधि के स्रोत को दर्शाता है।
विवरणी सं.13	संचित निधि आकस्मिकता निधि और लोक लेखा से संबंधित शेष का संक्षिप्त विवरणी प्रस्तुत करती है।
विवरणी सं.14	लघु शीर्षों द्वारा राजस्व प्राप्तियों का विस्तृत लेखा प्रस्तुत करती है।
विवरणी सं.15	यह योजना एवं गैर-योजना के अंतर्गत अलग अलग लघु शीर्षों द्वारा राजस्व व्यय के लेखाओं को दर्शाता है।
विवरणी सं.16	वर्ष 2015-16 के दौरान और अंत में पूँजीगत व्यय का विस्तृत ब्यौरा प्रदर्शित करती है।
विवरणी सं.17	यह लघु शीर्षों के अनुसार उधारों का विवरण तथा उनके मैचुरिटी प्रोफाइल को दर्शाता है।
विवरणी सं.18	झारखण्ड सरकार द्वारा दिये गये ऋण एवं अग्रिमों, वर्ष के दौरान ऋण के पुनर्भुगतान की राशि 31 मार्च 2015 का अधिशेष तथा वर्ष के दौरान प्राप्त ब्याज का विस्तृत लेखा प्रस्तुत करती है।
विवरणी सं.19	वर्ष 2015-16 के अंत तक राज्य सरकार का सांविधिक निगमों, सरकारी कम्पनियों, अन्य संयुक्त, स्टॉक कम्पनियों, सहकारी बैंकों तथा संस्थाओं आदि में राज्य सरकार के निवेश का विस्तृत ब्यौरा दर्शाती है।
विवरणी सं. 20	वैधानिक निकाय, सरकारी कम्पनियों, निकाय एवं अन्य संस्थाओं के ऋण इत्यादि के लिए पुनर्भुगतान हेतु राज्य सरकार द्वारा दिए गए गारंटी का विवरण प्रस्तुत करती है।
विवरणी सं. 21	आकस्मिकता निधि और लोक लेखा का विस्तृत लेखा प्रस्तुत करती है।
विवरणी सं. 22	आरक्षित निधियों के चिन्हित अधिशेषों का विस्तृत ब्यौरा प्रस्तुत करती है।

परिशिष्ट 1.2

राजकोषीय स्थिति के मूल्यांकन हेतु अंगीकृत कार्य प्रणाली

(संदर्भ: कडिका 1.1; पृष्ठ 2)

तेरहवें वित्त आयोग द्वारा विहित वित्तीय परिवर्तनीय मानदंडों/सीमाओं एवं इसके साथ चयनित राजकोषीय समुच्चय और राज्य सरकारों द्वारा निर्मित राजकोषीय जबाबदेही अधिनियम एवं आवश्यक विवरण जिसे अधिनियम के अधीन विधान मंडल में प्रस्तुत किया जाना है, को मुख्य राजकोषीय योगों की प्रवृत्ति एवं नमूना के गुणात्मक निर्धारण हेतु उपयोग में लाया गया है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद को राज्य अर्थव्यवस्था के अच्छे संकेत तक मानते हुए, वर्तमान बाजार मूल्य से सकल राज्य घरेलू उत्पाद में मुख्य राजकोषीय योगों जैसे कर और कर-भिन्न राजस्व, राजस्व एवं पूँजीकृत व्यय, आन्तरिक ऋण और राजस्व और राजकोषीय घाटा की प्रतिशतता को सकल राज्य घरेलू उत्पाद के वर्तमान बाजार मूल्य के आधार पर प्रस्तुत किया गया है। सुसंगत राजकोषीय चरों का उत्प्लावकता को-एफीसिएंट को सकल राज्य घरेलू उत्पाद के आधार पर प्रस्तुत किया गया है जिससे साधनों का जुटान, व्यय का पैटर्न आदि की गणना की जा सके साथ ही आधार एवं राजकोषीय योगों, सकल राज्य घरेलू उत्पाद को छोड़कर, में अन्य कारणों से परिवर्तन के साथ चला जा सके।

पिछले पाँच वर्षों का स.रा.घ.उ. का रुझान नीचे दर्शाया गया है:

सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.) की प्रवृत्ति

	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (₹ करोड़ में)	150918	174724	188567	217107	241955
स.रा.घ.उ. की विकास दर	18.6	15.8	7.9	15.1	11.4
स्रोत: सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार का वेबसाइट।					

शब्दावली	गणना का आधार
प्राचल की उत्प्लावकता	प्राचल की वृद्धि दर/स.रा.घ.उ. वृद्धि
अन्य प्राचल (Y) के संबंध में प्राचल की उत्प्लावकता (X)	प्राचल की वृद्धि दर(X)/प्राचल की वृद्धि दर(Y)
वृद्धि की दर (वृ.द.)	$[(\text{वर्तमान वर्ष की राशि/गत वर्ष की राशि})-1]*100$
विकास व्यय	सामाजिक सेवार्यें + आर्थिक सेवार्यें
राज्य द्वारा भुगतान किया गया औसत ब्याज	ब्याज भुगतान/[(पूर्व के राजकोषीय दायित्व की राशि + वर्तमान वर्ष का राजकोषीय दायित्व)*2]*100
ब्याज विस्तार	स.रा.घ.उ. वृद्धि - औसत ब्याज दर
मात्रा विस्तार	ऋण स्टॉक का * ब्याज विस्तार
बकाया ऋणों की प्रतिशतता में प्राप्त ब्याज	प्राप्त ब्याज [(आरंभिक शेष+ऋण एवं अग्रिम का अंत शेष)*2]*100
राजस्व घाटा	राजस्व प्राप्ति-राजस्व व्यय
राजकोषीय घाटा	राजस्व व्यय + पूँजीगत व्यय + निवल ऋण एवं अग्रिम - राजस्व प्राप्ति-विविध पूँजीगत प्राप्ति
प्राथमिक घाटा	राजकोषीय घाटा- ब्याज भुगतान
वर्तमान राजस्व से शेष (बी.सी.आर.)	राजस्व घाटा घटाव सभी योजना अनुदान और गैर-योजना राजस्व व्यय, 2048 शीर्ष के अन्तर्गत ऋण बचाव हेतु विनियोग से घटाव के अधीन लिखित व्यय को छोड़कर
संसाधन अंतराल	बढ़त गैर-ऋण प्राप्ति घटाव बढ़त प्राथमिक राजस्व व्यय + बढ़त ब्याज प्राप्ति

परिशिष्ट 1.3

राज्य सरकार के वित्त पर कालबद्ध आँकड़े
(संदर्भ: कंडिका 1.1, 1.3 एवं 1.9.2; पृष्ठ 2, 11 एवं 37)

(₹ करोड़ में)

	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
भाग-क प्राप्तियाँ					
1. राजस्व प्राप्तियाँ	22420(89)	24770(83)	26137(85)	31565(83)	40638 (75)
(i) कर राजस्व	6954(31)	8224(33)	9380(36)	10350(33)	11479(28)
कृषि आय पर कर	-	-	-	-	
बिक्री, व्यापार आदि पर कर	5522(79)	6422(78)	7305(78)	8070(78)	8999(78)
राजस्व उत्पाद	457(7)	578(7)	628(7)	740(7)	912(8)
वाहनों पर कर	392(6)	465(6)	495(5)	660(6)	633(6)
मुद्रांक एवं पंजीयन शुल्क	401(6)	492(6)	502(5)	531(5)	532(5)
भू-राजस्व	53(1)	96(1)	230(3)	84(1)	164(1)
माल एवं यात्रियों पर कर	41(0)	1(0)	1(0)	1(0)	1(0)
अन्य कर	88(1)	170(2)	219(2)	264(3)	238(2)
(ii) कर भिन्न राजस्व	3038(14)	3536(14)	3753(14)	4335(14)	5853(14)
(iii) संघीय करों एवं शुल्कों में राज्यांश	7170(32)	8188(33)	8939(34)	9487(30)	15969(39)
(iv) भारत सरकार से सहायता अनुदान	5258(23)	4822(20)	4065(16)	7393(23)	7337(18)
2. विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
3. ऋण एवं अग्रिम की वसूली	24	43	23	33	31
4. कुल राजस्व एवं गैर ऋण पूँजीगत प्राप्तियाँ (1+2+3)	22444	24813	26160	31598	40669
5. लोक ऋण प्राप्तियाँ	2671(11)	5199(17)	4703(15)	6690(17)	13245(25)
आंतरिक ऋण (अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट को छोड़कर)	2409	4591	4281	6537	13080
अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट के अंतर्गत निवल लेन-देन	229	369	316	0	0
भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	33	239	106	153	165
6. संचित निधि में कुल प्राप्तियाँ (4+5)	25115	30012	30863	38288	53914
7. आकस्मिकता निधि प्राप्तियाँ	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
8. लोक लेखा प्राप्तियाँ	10813	14495	14275	20189	29037
9. राज्य की कुल प्राप्तियाँ (6+7+8)	35928	44507	45138	58477	82951
भाग-ख व्यय/ संवितरण					
10. राजस्व व्यय	20992(86)	23400(83)	23472(82)	31795(83)	36553(70)
योजना	7646(36)	7743(33)	6288(27)	12436(39)	15793
गैर योजना	13346(64)	15657(67)	17184(73)	19359(61)	20760
सामान्य सेवाएँ (ब्याज भुगतान सहित)	7846(37)	8696(37)	9960(42)	10624(33)	12002
सामाजिक सेवाएँ	7287(35)	8309(36)	8215(35)	11915(37)	
आर्थिक सेवाएँ	5859(28)	6395(27)	5297(23)	9256(29)	14844
सहायता अनुदान एवं अंश दान	-	शून्य	शून्य	शून्य	9707
11. पूँजीगत व्यय	3159(13)	4218(15)	4722(17)	5543(15)	8159(16)
योजना	3111(98)	4151(98)	4706(100)	5520(100)	8087
गैर योजना	48(2)	67(2)	16(0)	23(0)	72

सामान्य सेवाएँ	156(5)	176(4)	168(3)	326(6)	571
सामाजिक सेवाएँ	866(27)	1030(25)	924(20)	910(16)	1024
आर्थिक सेवाएँ	2137(68)	3012(71)	3630(77)	4307(78)	6564
12. ऋण एवं अग्रिम का संवितरण	217(1)	601(2)	222(1)	824(2)	7480⁶(14)
13. कुल (10+11+12)	24368	28219	28416	38162	52192
14. लोक ऋण का पुनर्भुगतान	1639	2183	1997	1880	2246
आंतरिक ऋण (अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट को छोड़कर)	1406(86)	1525(70)	1542(77)	1722(92)	2079(93)
अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट के अंतर्गत निवल लेन-देन	78(5)	520(24)	316(16)	0	0
भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	155(9)	138(6)	139(7)	158(8)	167(7)
15. आकस्मिकता निधि से विनियोजन	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
16. संचित निधि से कुल संवितरण (13+14+15)	26007	30402	30413	40042	54438
17. आकस्मिकता निधि से संवितरण	-	-	-	-	0
18. लोक लेखा संवितरण	9728	13417	14094	19277	27053
19. राज्य द्वारा कुल वितरण (16+17+18)	35735	43819	44507	59319	81491
भाग-ग घाटे					
20. राजस्व घाटा(-)/राजस्व आधिक्य(+) (1-10)	(+)1428	(+)1370	(+)2665	(-)230	(+)4085
21. राजकोषीय घाटा(-)/आधिक्य(+) (4-13)	(-)1924	(-)3406	(-)2256	(-)6564	(-)11523⁷
22. प्राथमिक घाटा(-)/आधिक्य(+) (21-23)	(+)343	(-)1015	(+)358	(-)3635	(-)8203
भाग-घ. अन्य आँकड़े					
23. ब्याज भुगतान (राजस्व व्यय में सन्निहित)	2267	2391	2614	2929	3320
24. स्थानीय निकायों आदि को वित्तीय सहायता	4530	6950	6422	12404	14891
25. अर्थोपाय अग्रिम/उपमुक्त ओवरड्राफ्ट(दिन)	6	13	8	-	0
उपमुक्त अर्थोपाय अग्रिम (दिन)	6	13	8	-	-
उपमुक्त ओवरड्राफ्ट (दिन)	0	0	0	0	0
26. अर्थोपाय अग्रिम/उपमुक्त ओवरड्राफ्ट पर ब्याज	0.03	0.32	0.21	0	0
27. सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.)[@]	150918	174724	188567	217107	241955
28. बकाया राजकोषीय दायित्व (वर्ष के अंत में)	30664	34869	37594	43569	56530
29. बकाया प्रतिभूतियाँ (वर्ष के अंत में) (ब्याज सहित)	-	-	-	-	157
30. अधिकतम प्रत्याभूत राशि (वर्ष के अंत में)	-	-	-	-	157
31. अपूर्ण योजनाओं की संख्या (₹ एक करोड़ तथा उससे अधिक)	182	189	328	402	195
32. अपूर्ण योजनाओं में अवरूढ़ पूँजी	573	1972	760	1824	2089

⁶ इस ऋण में राज्य द्वारा उदय बॉण्ड पर लिए गये ₹ 5,553 करोड़ का ऋण भी शामिल है।

⁷ यदि उदय बॉण्ड के उधारों से बिजली कंपनियों को दिये गये ऋण को राजकोषीय घाटे की गणना हेतु विचार न किया जाये, जैसा कि त्रिपक्षीय समझौते के आलोक में राज्य सरकार द्वारा सूचित किया गया तो राजकोषीय घाटा की राशि कम हो जायेगी।

भाग-ड. राजकोषीय स्वास्थ्य सूचक					
I संसाधन संग्रहण					
स्वयं के कर राजस्व/स.रा.घ.उ.	4.6	4.7	5.0	4.8	4.7
स्वयं के कर से भिन्न राजस्व/स.रा.घ.उ.	2.0	2.0	2.0	2.0	2.4
केंद्रीय अंतरण/स.रा.घ.उ.	8.2	7.4	6.9	7.8	9.6
II व्यय प्रबंध					
कुल व्यय/स.रा.घ.उ.	16.1	16.2	15.1	17.6	21.6
कुल व्यय/राजस्व प्राप्ति	108.7	113.9	108.7	120.9	128.4
राजस्व व्यय/कुल व्यय	86.1	82.9	82.6	83.3	70.0
सामाजिक सेवा पर व्यय (ऋ.व अ. सहित)/कुल व्यय	33.5	33.2	32.2	33.7	30.49
आर्थिक सेवा पर व्यय (ऋ.व अ. सहित)/कुल व्यय	33.6	35.3	32.1	37.6	45.33
पूँजीगत व्यय/ कुल व्यय	13.0	14.9	16.6	14.5	15.6
सामाजिक सेवा एवं आर्थिक सेवा पर पूँजीगत व्यय/ कुल व्यय	12.3	14.3	16.0	13.7	14.5
III राजकोषीय असंतुलन का प्रबंधन					
राजस्व घाटा (आधिक्य)/स.रा.घ.उ.	(+)0.9	(+)0.8	(+)1.4	(-)0.1	(+)1.7
राजकोषीय घाटा/स.रा.घ.उ.	(-)1.3	(-)1.9	(-)1.2	(-)3.0	(-)4.8 ⁸
प्राथमिक घाटा (आधिक्य)/स.रा.घ.उ.	(+)0.2	(-)0.6	(+) 0.2	(-)1.7	(-)3.4
राजस्व घाटा/राजकोषीय घाटा	(+)74.2	(+)40.2	(+)118.1	(-)3.5	(-)35.5
प्राथमिक राजस्व संतुलन/ स.रा.घ.उ.	2.4	2.2	2.8	1.2	3.1
IV राजकोषीय दायित्व का प्रबंध					
राजकोषीय दायित्व/स.रा.घ.उ.	20.3	20.0	19.9	20.1	23.4
राजकोषीय दायित्व/रा.प्रा.	136.8	140.8	143.8	138.03	139.1
प्रमात्रा विस्तार के संदर्भ में प्राथमिक घाटा	(+)3474	(+)1584	(+)605	(-)658	(-)6107
ऋण निर्माणन (मूलधन+ब्याज)/कुल ऋण प्राप्ति	3.9	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
V अन्य राजकोषीय स्वास्थ्य सूचक					
निवेश पर आय	1.17	15.00	18.00	शून्य	0.47
चालू राजस्व से शेष (₹ करोड़ में)	6855	5782	6208	6593	14226
वित्तीय परिसम्पत्ति/दायित्व	95	98	100	103	109

टिप्पणी: दूसरे अवयवों से तुलना के दौरान घाटा को (-) एवं आधिक्य को (+) के रूप में दिखाया गया है।

@ ऑकड़े सी.एस.ओ. से प्राप्त किये गये।

(http://mospi.nic.in/Mospi_New/site/inner.asp?statijjs=3&menu_id=82)

⁸ यदि उदय बॉण्ड के उधारों से बिजली कंपनियों को दिये गये ऋण को राजकोषीय घाटे की गणना हेतु विचार न किया जाये, जैसा कि त्रिपक्षीय समझौते के आलोक में राज्य सरकार द्वारा सूचित किया गया तो राजकोषीय घाटा से स.रा.घ.उ. प्रतिशतता 2.5 प्रतिशत होगी।

परिशिष्ट 1.4 भाग - ए
वर्ष 2015-16 के लिए प्राप्तियाँ एवं संवितरणों का सार
(संदर्भ: कंडिका 1.1.1; पृष्ठ 2)

(₹ करोड़ में)

वर्ष 2015-16 के लिए प्राप्तियाँ एवं संवितरणों का सार									
प्राप्तियाँ				संवितरण					
2014-15		2015-16		2014-15		गैर योजना	योजना	कुल	2015-16
अनुभाग क: राजस्व									
31564.56	I. राजस्व प्राप्तियाँ		40638.35	31794.90	I. राजस्व व्यय	20759.81	15793.02	36552.83	36552.83
10349.81	कर राजस्व	11478.95		10623.45	सामान्य सेवाएँ	11466.21	536.22	12002.43	
				11915.34	सामाजिक सेवाएँ	5474.94	9368.87	14843.81	
4335.06	कर-भिन्न राजस्व	5853.01		5744.53	शिक्षा, क्रीड़ा, कला एवं संस्कृति	3314.00	3228.46	6542.46	
				1358.00	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	770.76	1062.62	1833.38	
9487.01	संघीय करों में राज्य के हिस्से	15968.75		1739.48	जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास और नगर विकास	591.82	1797.79	2389.61	
				65.95	सूचना एवं प्रसारण	69.91	30.92	100.83	
1780.26	गैर-योजना अनुदान	1685.82		859.77	अनुसूचित जातियों, जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	107.85	1060.70	1168.55	
4914.70	राज्य योजना हेतु अनुदान	4950.18		91.25	श्रम एवं श्रम कल्याण	50.29	62.54	112.83	
				2034.37	सामाजिक कल्याण एवं पोषाहार	546.01	2125.84	2671.85	
697.72	केन्द्र एवं केन्द्र प्रायोजित योजना हेतु अनुदान	701.64		21.98	अन्य	24.30	0	24.3	
				9256.12	आर्थिक सेवाएँ	3818.66	5887.93	9706.59	
				1090.04	कृषि एवं संबंधित क्रियाकलाप	493.16	981.69	1474.85	
				3501.31	ग्रामीण विकास	1027.13	3145.66	4172.79	
				0	विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	0	0	0	
				330.08	सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	319.73	0.57	320.3	
				2343.92	उर्जा	1602.48	601.96	2204.44	
				237.22	उद्योग एवं खनिज	49.5	271.98	321.48	
				835.77	परिवहन	244.12	103.85	347.97	
				0	विज्ञान, तकनीकी एवं पर्यावरण	0	0	0	
				917.78	सामान्य आर्थिक सेवाएँ	82.54	782.22	864.76	
				0	सहायता अनुदान एवं अंशदान	0	0	0	
				31794.90	कुल	20759.81	15793.02	36552.83	
230.34	II. खण्ड-ख में ले जाया गया राजस्व घाटा		0	0	II. खण्ड ख में ले जाया गया राजस्व आधिक्य/घाटा				4085.52
31794.90	कुल	40638.35	40638.35	31794.90	कुल				40638.35

31 मार्च 2016 को समाप्त हुए वर्ष का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राज्य वित्त)

अनुभाग ख								
1285.48	III.आरंभिक रोकड़ शेष स्थायी अग्रिम एवं रोकड़ शेष निवेश सहित		444.21	0	III.रिजर्व बैंक से प्राप्त ओवरड्राफ्ट			0
	IV.विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ			5542.94	IV. पूँजीगत परिव्यय	72.23	8086.28	8158.51
				326.34	सामान्य सेवाएँ	68.36	503.00	571.36
				909.50	सामाजिक सेवाएँ	3.87	1019.54	1023.41
				82.97	शिक्षा, क्रीड़ा, कला एवं संस्कृति	0	103.39	103.39
				260.97	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	0	339.87	339.87
				188.90	जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास और शहरी विकास	4.02	243.00	247.02
				0.45	सूचना एवं प्रसारण	0	0.55	0.55
				172.72	अनुसूचित जातियों, जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	-0.15	234.53	234.38
				160.02	सामाजिक कल्याण एवं पोषाहार	0	88.80	88.80
				43.47	अन्य	0	9.40	9.40
				4307.10	आर्थिक सेवाएँ	0	6563.74	6563.74
				93.30	कृषि एवं संबंधित क्रियाकलाप	0	114.65	114.65
				1360.22	ग्रामीण विकास	0	1751.54	1751.54
					- विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	0	0	0
				378.94	सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	0	1156.94	1156.94
					- उर्जा	0	0	0
				1.16	उद्योग एवं खनिज	0	1.00	1.00
				2459.95	परिवहन	0	3476.19	3476.19
				13.53	सामान्य आर्थिक सेवाएँ	0	63.42	63.42
				5542.94	कुल	0	6563.74	6563.74
33.06	V ऋण एवं अग्रिम का वसूली	31.06	31.06	823.78	V ऋण एवं अग्रिम का संवितरण	72.23	7407.77	7480.00
0	विद्युत परियोजना से	0		779.04	विद्युत परियोजना को	0	7375.42	7375.42
23.41	सरकारी सेवकों से	30.34		16.94	सरकारी सेवकों को	49.64	0	49.64
9.65	अन्य से	0.72		27.8	अन्य को	22.59	32.35	54.94
0	VI. नीचे लाया गया राजस्व आधिक्य		4085.52	230.34	VI.नीचे लाया गया राजस्व घाटा	0	0	0
6690.12	VII. लोक ऋण प्राप्तियाँ		13244.65	1879.88	VII. लोक ऋण पुनर्भुगतान			2245.93
6536.91	अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट छोड़कर आंतरिक ऋण	13079.63		1721.71	अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट छोड़कर आंतरिक ऋण			2079.42

0	अर्थोपाय अग्रिम के अंतर्गत लेन-देन	0		0	अर्थोपाय अग्रिम के अंतर्गत लेन-देन			0	
0	ओवरड्राफ्ट के अंतर्गत निवल लेन-देन	0		0	ओवरड्राफ्ट के अंतर्गत निवल लेन-देन			0	
153.21	केन्द्र सरकार से ऋण एवं अग्रिम	165.02		158.17	केन्द्र सरकार से ऋण एवं अग्रिम का पुनर्भुगतान			166.51	
	VIII आकस्मिकता निधि से विनियोग				VIII आकस्मिकता निधि से विनियोग				
	IX आकस्मिकता निधि से राशि का स्थानांतरण				IX आकस्मिकता निधि से व्यय				
20189.17	X लोक लेखा प्राप्ति		29036.72	19276.68	X लोक लेखा संवितरण				27053.00
842.57	लघु बचत एवं भविष्य निधि	830.10		1045.13	लघु बचत एवं भविष्य निधि			988.95	
307.85	रक्षित निधि	521.68		32.62	रक्षित निधि			512.01	
18.08	उचन्त एवं विविध	161.25		34.37	उचन्त एवं विविध			140.23	
6838.22	प्रेषण	8025.01		7076.00	प्रेषण			8024.29	
12182.45	जमा एवं अग्रिम	19498.68		11088.56	जमा एवं अग्रिम			17387.52	
	अन्तर्राज्यीय समायोजन				- अन्तर्राज्यीय समायोजन			0	
	XI भारतीय रिजर्व बैंक से ओवरड्राफ्ट का अंत शेष			444.21	XI वर्ष के अंत का रोकड़ शेष			1904.72	1904.72
				0	कोषागार में रोकड़ एवं स्थानीय प्रेषण			0	
				-224.13	रिजर्व बैंक में जमा			-203.93	
				2.21	स्थायी अग्रिम सहित विभागीय रोकड़ शेष			6.41	
				0	चिन्हित निधि का निवेश			0	
				666.13	रोकड़ शेष का निवेश			2102.24	
59992.73	कुल		87480.51	59992.73	कुल				87480.51

परिशिष्ट 1.4 भाग - बी
31 मार्च 2016 को झारखण्ड सरकार की संक्षिप्त वित्तीय स्थिति
(संदर्भ: कंडिका 1.9.1; पृष्ठ 36)

(₹ करोड़ में)

31.03.15 को	दायित्व	31.03.16 को
32755.36	आन्तरिक ऋण	43755.57
18799.46	ब्याज वाले बाजार ऋण	23554.73
0.18	ब्याज रहित बाजार ऋण	0.07
6.30	भारतीय जीवन बीमा निगम से ऋण	6.30
3960.58	अन्य संस्थाओं से ऋण	9632.51
0	अर्थोपाय अग्रिम	0
9989.02	केन्द्र सरकार के एन.एस.एस. निधि को निर्गत विशेष प्रतिभूतियाँ	10561.96
0	भारतीय रिजर्व बैंक से ओवरड्राफ्ट	0
2086.99	केन्द्र सरकार से ऋण एवं अग्रिम	2085.49
0	1984-85 के पूर्व कार्य ऋण	0
23.67	गैर योजना ऋण	21.39
2063.32	राज्य योजनागत योजना हेतु ऋण	2064.10
150.00	आकस्मिकता निधि	500.00
1356.02	लघु बचत भविष्य निधि	1197.17
6503.93	जमा	8615.79
866.79	रक्षित निधि	876.46
0	अंतरण शेष	0
101.43	उचंत एवं विविध शेष	122.45
1402.84	व्यय से अधिक संचित आधिक्य की प्राप्ति	5138.36
45223.40	कुल	62291.29
	सम्पत्ति	
36014.79	अचल संपत्तियों पर सकल पूँजीगत परिव्यय	44173.30
155.01	कम्पनियों, निगमों आदि के शेयर में निवेश	171.99 [#]
35859.78	अन्य पूँजीगत परिव्यय	44001.31
	अन्तर्राज्यीय समायोजन	0
8737.16	ऋण एवं अग्रिम	16186.10
8079.60	शक्ति परियोजना के लिए ऋण	15455.02
682.43	अन्य विकास ऋण	736.65
-24.87	सरकारी कर्मचारियों को ऋण एवं अन्य ऋण	-5.57
3.80	अग्रिम	4.50
0	उचंत एवं विविध शेष	0
444.21	नगद	1904.72
0	कोषागार में नगद एवं अस्थानीय प्रेषण	0
-224.13	रिजर्व बैंक में जमा	-203.93
0	जमा निधि का निवेश	0
2.21	विभागीय रोकड़ शेष स्थायी अग्रिम के साथ	6.41
666.13	नगद शेष निवेश	2102.24
23.40	प्रेषण शेष	22.67

0.00	सरकारी लेखे में घाटा		
	(i) वर्ष के दौरान राजस्व आधिक्य/घाटा		
	(ii) विविध घाटा		
	वर्ष के शुरुआत में संचय घाटा/आधिक्य		
45223.40	कुल		62291.29

निगम के लेखाओं में ₹ 5.75 करोड़ उनके स्रोत की अनुपलब्धता के कारण शामिल नहीं किये गये हैं।

परिशिष्ट 1.3 एवं 1.4 से संबंधित विस्तार टिप्पणी

पूर्ववर्ती विवरणियों में संक्षिप्त लेखे में व्याख्या और टिप्पणियों के साथ पढ़ा जाना है। सरकारी लेखे मुख्यतः रोकड़ आधारित होता है, सरकारी लेखा में घाटा जैसा कि **परिशिष्ट 1.4 भाग बी.** में दिखाया गया है संभूति आधारित वाणिज्यिक लेखे के विपरीत रोकड़ आधारित स्थिति को इंगित करता है। तदन्तर, भुगतये या प्राप्त योग्य मर्दे या भण्डार आँकड़ों में विचलन या हास वाली मर्दे इत्यादि लेखे में चित्रित नहीं है। उचन्त और विविध शेष में अभुगतित निर्गत चेक अन्य लंबित समायोजन और राज्य की ओर से किया गया भुगतान सम्मिलित है। ₹ 9.33 करोड़ (निवल विकलन) के अंतर को भारतीय रिजर्व बैंक, पटना को समायोजन के लिए भेजा गया एवं अक्टूबर 1987 से पहले की अवधि के लिए शेष ₹ 1.61 करोड़ का समायोजन प्रक्रियाधीन है (अगस्त 2016)

परिशिष्ट 1.5 भाग-ए

74^{वें} संवैधानिक संशोधन अधिनियम(अनुसूची XII) के अनुसार स्थानीय नगर निकायों के कार्यों का विवरण
(संदर्भ: कंडिका 1.6.5; पृष्ठ 25)

क्र.सं.	कार्यों का विवरण
1	नगर योजना सहित शहरी नियोजन
2	भू-प्रयोग एवं आवासों के निर्माण का विनियमन
3	आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिए योजना निर्माण
4	सड़क एवं पुल
5	घरेलू, औद्योगिक एवं व्यावसायिक उपयोग हेतु जल आपूर्ति
6	लोक स्वास्थ्य, स्वच्छता, संरक्षण एवं ठोस कचरा प्रबंधन
7	अग्निशामक सेवा
8	नगर वानिकी, वातावरण का संरक्षण और पारिस्थितिकीय पहलुओं का संवर्धन
9	शारीरिक एवं मानसिक विकलांगों सहित समाज के कमजोर वर्गों के हितों का संरक्षण
10	गंदी बस्ती सुधार एवं उन्नयन
11	शहरी निर्धनता उन्नयन
12	शहरी सुविधाओं जैसे उद्यानों, बगानों और खेल के मैदानों का प्रावधान
13	सांस्कृतिक, शैक्षणिक एवं सौन्दर्य से संबंधित पहलुओं का संवर्धन
14	कब्र एवं कब्रगाह; श्मशान घाट तथा विद्युतीय शवदाह गृह
15	मवेशी तालाब, जानवरों पर अत्याचार से संरक्षण
16	जन्म एवं मृत्यु के पंजीकरण सहित महत्वपूर्ण सांख्यिकी
17	पथ-प्रकाश, पड़ाव-स्थल, बस पड़ाव एवं लोक परिवहन सहित लोक सुविधायें
18	बूचड़खानों एवं चमड़ा-घरों का विनियमन

परिशिष्ट 1.5 भाग-बी

74^{वें} संवैधानिक संशोधन अधिनियम (अनुसूची XII) के अनुसार पंचायतीराज संस्थाओं के कार्यों का विवरण
(संदर्भ: कंडिका 1.6.5; पृष्ठ 28)

क्र.सं.	क्रियाकलाप का विवरण	हस्तांतरण की स्थिति
1	कृषि व्याप्ति सहित कृषि	आंशिक
2	भू-सुधार, भू-सुधार का कार्यान्वयन, भू-समेकन एवं मृदा संरक्षण	नहीं
3	लघु-सिंचाई, जल प्रबंधन एवं जल आच्छादन विकास	हाँ
4	पशुपालन, दुग्ध एवं मुर्गीपालन	आंशिक
5	मत्स्य पालन	हाँ
6	सामाजिक वानिकी एवं फार्म वानिकी	नहीं
7	लघु वन उत्पाद	नहीं
8	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग सहित लघु उद्योग	आंशिक
9	खादी ग्रामोद्योग	हाँ
10	ग्रामीण आवास	नहीं
11	पेयजल	हाँ
12	ईंधन एवं चारा	नहीं
13	सड़क, पुलिया, पुल, नौकायन एवं यातायात के अन्य साधन	नहीं
14	बिजली वितरण समेत ग्रामीण विद्युतीकरण	नहीं
15	गैर-परंपरागत उर्जा स्रोत	नहीं
16	गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम	आंशिक
17	प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय सहित शिक्षा	हाँ
18	तकनीकी प्रशिक्षण एवं व्यवसायिक शिक्षा	नहीं
19	वयस्क एवं अनौपचारिक शिक्षा	हाँ
20	पुस्तकालय	नहीं
21	सांस्कृतिक क्रियाकलाप	नहीं
22	बाजार एवं मेले	नहीं
23	अस्पताल, प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र के साथ औषधालय समेत स्वास्थ्य एवं स्वच्छता	हाँ
24	परिवार कल्याण	हाँ
25	महिला एवं बाल कल्याण	हाँ
26	अपंगों एवं मानसिक विक्रिप्तों के कल्याण समेत सामाजिक कल्याण	हाँ
27	कमजोर वर्ग तथा विशेषतः अ.जा. एवं अ.ज.जा. का कल्याण	नहीं
28	जन वितरण प्रणाली	हाँ
29	लोक परिसम्पत्तियों का रख-रखाव	आंशिक

परिशिष्ट 2.1

विभिन्न अनुदानों/विनियोगों की विवरणी जहाँ बचत ₹ 10 करोड़ और कुल प्रावधान के 20 प्रतिशत से अधिक रहा

(संदर्भ कंडिका 2.4.1; पृष्ठ 50)

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	अनुदान संख्या	अनुदान/विनियोजन का नाम	कुल अनुदान/ विनियोजन	बचत	
				राशि	कुल प्रावधान से बचत का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6
राजस्व					
1	1	कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (कृषि प्रभाग)	1344.75	750.47	55.81
2	2	कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (पशुपालन प्रभाग)	184.28	37.66	20.44
3	3	भवन निर्माण विभाग	133.81	35.68	26.66
4	11	उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग	32.21	12.63	39.24
5	12	योजना-सह-वित्त विभाग (वित्त प्रभाग)	47.19	10.80	22.89
6	14	ऋण की वापसी/अदायगी	20.00	20.00	100.00
7	17	वाणिज्य कर विभाग	68.55	18.45	26.91
8	18	खादय, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग	1284.43	505.63	39.37
9	20	स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	2765.90	947.27	34.25
10	21	उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा प्रभाग)	1059.99	283.70	26.76
11	23	उद्योग विभाग	433.83	132.47	30.54
12	26	श्रम, नियोजन एवं कौशल विकास विभाग	1492.13	1088.29	72.94
13	29	खनन एवं भू-तत्व विभाग	37.13	12.47	33.58
14	35	योजना-सह-वित्त विभाग (योजना प्रभाग)	1146.58	691.14	60.28
15	36	पेय जल एवं स्वच्छता विभाग	1352.58	553.57	40.93
16	40	राजस्व, भूमि सुधार एवं निबंधन विभाग (राजस्व एवं भूमि सुधार प्रभाग)	436.94	112.41	25.73
17	42	ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण विकास प्रभाग)	3757.32	1281.11	34.10
18	43	उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग (विज्ञान एवं प्रावैधिकी प्रभाग)	103.61	24.90	24.03
19	45	सूचना प्रौद्योगिकी ई-गवर्नेन्स विभाग	198.34	89.58	45.16
20	48	नगर विकास एवं आवास विभाग (नगर विकास प्रभाग)	2444.57	888.44	36.34
21	49	जल संसाधन विभाग	362.76	105.11	28.98
22	50	जल संसाधन विभाग (लघु सिंचाई प्रभाग)	98.21	28.94	29.47
23	52	पर्यटन, कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग (कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य प्रभाग)	84.80	26.68	31.46

क्रम संख्या	अनुदान संख्या	अनुदान विनियोजन का नाम	कुल अनुदान/ विनियोजन	बचत	
				राशि	कुल प्रावधान से बचत का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6
राजस्व					
24	53	कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग)	46.17	11.66	25.25
25	54	कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (डेयरी प्रभाग)	238.93	58.92	24.66
26	56	ग्रामीण विकास विभाग (पंचायतीराज प्रभाग)	2329.32	1506.36	64.67
27	58	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (माध्यमिक शिक्षा प्रभाग)	1435.84	383.22	26.69
28	59	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (प्राथमिक एवं व्यस्क शिक्षा प्रभाग)	6480.13	2008.48	30.99
29	60	महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग	2975.50	1107.13	37.21
पूँजीगत					
30	1	कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (कृषि प्रभाग)	54.74	11.62	21.23
31	2	कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (पशुपालन प्रभाग)	36.76	24.87	67.66
32	20	स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	537.95	198.08	36.82
33	22	गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (गृह प्रभाग)	374.59	163.78	43.72
34	26	श्रम, नियोजन एवं कौशल विकास विभाग	75.18	62.37	82.96
35	30	कल्याण विभाग (अल्पसंख्यक कल्याण प्रभाग)	108.05	40.31	37.31
36	36	पेय जल एवं स्वच्छता विभाग	318.09	125.02	39.30
37	43	उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग (विज्ञान एवं प्रावैधिकी प्रभाग)	132.30	48.27	36.49
38	45	सूचना प्रौद्योगिकी ई-गवर्नेन्स विभाग	34.00	33.99	99.97
39	49	जल संसाधन विभाग	1653.99	544.62	32.93
40	50	जल संसाधन विभाग (लघु सिंचाई प्रभाग)	567.96	520.39	91.62
41	51	कल्याण विभाग (कल्याण प्रभाग)	222.90	56.27	25.24
42	53	कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग)	39.67	14.36	36.20
43	55	ग्रामीण कार्य विभाग (ग्रामीण कार्य प्रभाग)	2063.40	538.98	26.12
44	60	महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग	254.00	165.20	65.04
कुल			38869.38	15281.30	39.31

परिशिष्ट 2.2

उप-शीर्षवार विवरण जहाँ वर्ष 2015-16 के दौरान पर्याप्त बचत (₹ 20 करोड़ एवं अधिक) हुआ

(संदर्भ कंडिका 2.4.1; पृष्ठ 50)

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	अनुदान संख्या एवं नाम	लेखा शीर्ष	प्रावधान	बचत राशि	विनियोग लेखे के अनुसार विभागों द्वारा दिये गये कारण
1.	1-कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (कृषि प्रभाग)	2401-00-796-28 (सी.एस.एस.)	45.00	24.20	कारण नहीं बताये गये हैं।
2.		2401-00-796-ए0	40.11	23.24	कारण नहीं बताये गये हैं।
3.		2401-00-796-ए.एफ (सी.एस.एस.)	116.30	71.28	कारण नहीं बताये गये हैं।
4.		2401-00-796-ए.एफ	72.30	42.08	कारण नहीं बताये गये हैं।
5.		2401-00-800-ए.एफ (सी.एस.एस.)	55.95	26.79	कारण नहीं बताये गये हैं।
6.		2401-00-789-91	24.00	24.00	केन्द्र सरकार द्वारा आर.के.भी.वाड़. योजना हेतु निधियों के पैटर्न में परिवर्तन के कारण
7.		2401-00-800-91	94.00	94.00	केन्द्र सरकार द्वारा आर.के.भी.वाड़. योजना हेतु निधियों के पैटर्न में परिवर्तन के कारण
8.	8- परिवहन विभाग (नागर विमानन प्रभाग)	5053-02-796-05	20.00	20.00	कारण नहीं बताये गये हैं।
9.	10-ऊर्जा विभाग	6801-00-201-24	20.00	20.00	(i) प्रस्ताव की अप्राप्ति (₹ 8.00 करोड़) (ii) कारण असूचित (₹ 12.00 करोड़)
10.	13-ब्याज संदाय	2049-01-200-02	385.00	141.53	(i) निधि का अत्यधिक प्रावधान (₹ 3.80 करोड़) (ii) कारण असूचित (₹ 137.73 करोड़).
11.		2049-03-104-01	250.00	247.64	कारण नहीं बताये गये हैं।
12.		2049-01-200-10	30.00	30.00	कारण नहीं बताये गये हैं।
13.	14-ऋण की वापसी/अदायगी	2048-00-101-01	20.00	20.00	कारण नहीं बताये गये हैं।
14.		6003-00-109-02	100.00	67.17	कारण नहीं बताये गये हैं।
15.	15-पेंशन	2071-01-101-05	25.00	22.63	कारण नहीं बताये गये हैं।
16.		2071-01-101-08	120.00	96.95	कारण नहीं बताये गये हैं।
17.		2071-01-102-04	250.00	110.13	कारण नहीं बताये गये हैं।
18.		2071-01-104-04	550.00	78.96	कारण नहीं बताये गये हैं।
19.		2071-01-115-03	350.00	50.97	कारण नहीं बताये गये हैं।
20.		2071-01-117-03	300.	85.43	कारण नहीं बताये गये हैं।
21.	18- खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग	3456-00-102-38	122.75	57.41	(i) निधि का अत्यधिक प्रावधान (₹ 15 करोड़), (ii) निविदा की प्रक्रिया में विलम्ब के कारण चीनी का अभाव (₹ 42.41 करोड़)

क्रम संख्या	अनुदान संख्या एवं नाम	लेखा शीर्ष	प्रावधान	बचत राशि	विनियोग लेखे के अनुसार विभागों द्वारा दिये गये कारण
22.	18- खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग	3456-00-102-40	212.20	71.14	(i) बी.पी.एल. परिवारों को चीनी वितरण हेतु अतिरिक्त निधि की आवश्यकता (₹ 9.00 करोड़), (ii) एन.एफ.एस.ए. के कार्यावयन के कारण केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित कम दर (₹ 40.00 करोड़) (iii) खाद्यान्न का उठाव नहीं (₹ 23.00 करोड़) (iv) कारण असूचित (₹ 6.52 लाख)
23.		3456-00-789-40	70.60	22.39	(i) बी.पी.एल. परिवारों को चीनी वितरण हेतु अतिरिक्त निधि की आवश्यकता (₹ एक करोड़), (ii) खाद्यान्न का उठाव नहीं (₹ 23.34 करोड़) (iii) वित्त विभाग द्वारा राशि के 15 प्रतिशत आहरण पर प्रतिबंध (₹4.34 करोड़)
24.		3456-00-796-27	30.47	26.22	सिस्टम इंटीग्रेटर के चयन में विलम्ब (₹ 26.21 करोड़)
25.		3456-00-796-38	182.88	104.01	(i) निधि का अत्यधिक प्रावधान (₹ 13.00 करोड़) (ii) निविदा की प्रक्रिया में विलम्ब के कारण चीनी का अभाव (₹ 91.01 करोड़).
26.		3456-00-796-40	277.50	81.88	(i) बी.पी.एल. परिवारों को चीनी वितरण हेतु अतिरिक्त निधि की आवश्यकता (₹ 7.00 करोड़), (ii) खाद्यान्न का उठाव नहीं (₹ 28.00 करोड़) (iii) वित्त विभाग द्वारा राशि के 15 प्रतिशत आहरण पर प्रतिबंध(₹10.28 करोड़)
27.		20- स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	2210-01-001-39 (सी.एस.एस.)	690.00	381.25
28.	2210-01-001-39		293.39	65.86	कारण नहीं बताये गये हैं।
29.	2210-01-109-40 (सी.एस.एस.)		50.00	44.95	कारण नहीं बताये गये हैं।
30.	2210-02-103-03		98.86	27.95	कारण नहीं बताये गये हैं।
31.	2211-00-101-01		100.00	40.29	भारत सरकार से निधि की अप्राप्ति
32.	2210-01-796-46		20.00	20.00	कारण नहीं बताये गये हैं।
33.	2210-01-101-21 (सी.एस.एस.)		30.00	30.00	कारण नहीं बताये गये हैं।
34.	2230-01-103-42 (सी.एस.एस.)		25.00	25.00	कारण नहीं बताये गये हैं।
35.	2230-01-796-42 (सी.एस.एस.)		25.00	25.00	कारण नहीं बताये गये हैं।

31 मार्च 2016 को समाप्त हुए वर्ष का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राज्य वित्त)

क्रम संख्या	अनुदान संख्या एवं नाम	लेखा शीर्ष	प्रावधान	बचत राशि	विनियोग लेखे के अनुसार विभागों द्वारा दिये गये कारण
36.	20-स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	4210-02-796-48	40.00	20.19	कारण नहीं बताये गये हैं।
37.	21-उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा प्रभाग)	2202-03-102-87	50.60	39.48	विश्वविद्यालय से माँग की अप्राप्ति
38.		2202-03-102-62	59.94	59.94	भारत सरकार से निधि की अप्राप्ति
39.		2202-03-102-63	26.38	26.38	भारत सरकार से निधि की अप्राप्ति
40.	22-गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (गृह प्रभाग)	2055-00-110-01	226.23	56.72	भारत सरकार से निधि की अप्राप्ति
41.		4055-00-207-72	48.50	43.26	कारण नहीं बताये गये हैं।
42.		4055-00-207-73	40.00	36.13	भारत सरकार से योजना की अस्वीकृति
43.	23-उद्योग विभाग	2851-00-107-16 (सी.एस.एस.)	24.00	24.00	केन्द्रीय रेशम उत्पादन बोर्ड द्वारा योजना का समापन
44.		2235-03-101-01	87.48	69.21	कारण नहीं बताये गये हैं।
45.		2235-03-101-03	150.29	115.15	कारण नहीं बताये गये हैं।
46.		2235-03-101-04	87.26	76.15	कारण नहीं बताये गये हैं।
47.		2235-03-101-05	39.54	28.59	कारण नहीं बताये गये हैं।
48.		2235-03-101-08	39.54	28.59	कारण नहीं बताये गये हैं।
49.		2235-03-789-03	60.39	46.29	कारण नहीं बताये गये हैं।
50.		2235-03-789-04	32.72	27.70	कारण नहीं बताये गये हैं।
51.		2235-03-796-07	23.40	23.36	कारण नहीं बताये गये हैं।
52.		2230-01-103-10 (सी.एस.एस.)	25.00	25.00	स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग को योजना का हस्तांतरण
53.	26-श्रम, नियोजन एवं कौशल विकास विभाग	2230-01-796-10 (सी.एस.एस.)	25.00	25.00	स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग को योजना का हस्तांतरण
54.		2230-03-003-51 (सी.पी.एस.)	20.00	20.00	केन्द्र सरकार से केन्द्रीय योजना का विमोचन नहीं
55.		2230-03-796-51 (सी.पी.एस.)	30.00	30.00	केन्द्र सरकार से केन्द्रीय योजना का विमोचन नहीं
56.		2235-03-101-07	23.40	23.40	कारण नहीं बताये गये हैं।
57.		2235-03-789-01	35.54	26.49	कारण नहीं बताये गये हैं।
58.		2235-03-796-01	103.49	76.52	कारण नहीं बताये गये हैं।
59.		2235-03-789-03	176.57	122.68	कारण नहीं बताये गये हैं।
60.		2235-03-789-04	98.17	80.23	कारण नहीं बताये गये हैं।
61.		2235-03-789-05	45.81	29.88	कारण नहीं बताये गये हैं।
62.		2235-03-789-08	45.81	31.89	कारण नहीं बताये गये हैं।
63.	35-योजना-सह-वित्त विभाग (योजना प्रभाग)	2053-00-796-11	240.00	227.11	कारण नहीं बताये गये हैं।
64.		2053-00-796-24	100.00	41.05	कारण नहीं बताये गये हैं।
65.		2053-00-800-11	237.04	225.07	कारण नहीं बताये गये हैं।
66.		2053-00-796-31	30.00	30.00	श्रम नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास को कौशल विकास का पुनर्स्थापना

क्रम संख्या	अनुदान संख्या एवं नाम	लेखा शीर्ष	प्रावधान	बचत राशि	विनियोग लेखे के अनुसार विभागों द्वारा दिये गये कारण
67.	35-योजना-सह-वित्त विभाग (योजना प्रभाग)	2235-02-102-01	50.00	50.00	सामाजिक कल्याण, महिला एवं बाल विकास विभाग को योजना का हस्तांतरण
68.		2235-02-796-01	50.00	50.00	सामाजिक कल्याण, महिला एवं बाल विकास विभाग को योजना का हस्तांतरण
69.	36-पेय जल एवं स्वच्छता विभाग	2215-01-102-10 (सी.एस.एस.)	150.87	52.86	कारण नहीं बताये गये हैं।
70.		2215-01-102-10	140.15	70.07	कारण नहीं बताये गये हैं।
71.		2215-01-106-11 (सी.एस.एस.)	152.00	120.17	कारण नहीं बताये गये हैं।
72.		2215-01-789-10 (सी.एस.एस.)	42.11	26.81	कारण नहीं बताये गये हैं।
73.		2215-01-789-11 (सी.एस.एस.)	30.57	21.23	कारण नहीं बताये गये हैं।
74.		2215-01-796-10	88.34	63.84	कारण नहीं बताये गये हैं।
75.		2215-01-796-10 (सी.एस.एस.)	82.06	41.03	₹25.00 करोड़ का राज्य बजट में प्रावधान नहीं किया गया। शेष राशि असूचित।
76.		2215-01-796-11 (सी.एस.एस.)	123.11	110.80	कारण नहीं बताये गये हैं।
77.		2215-01-789-10	39.12	24.99	कारण नहीं बताये गये हैं।
78.		4215-01-102-02	113.34	37.68	कारण नहीं बताये गये हैं।
79.		4215-01-789-02	32.32	20.61	कारण नहीं बताये गये हैं।
80.		4215-01-796-02	86.78	37.10	कारण नहीं बताये गये हैं।
81.	39-गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (आपदा प्रबंधन प्रभाग)	2245-01-101-02	30.00	30.00	निधि की अनावश्यकता।
82.	41-पथ निर्माण विभाग	5054-03-101-03	129.40	26.75	(i) वित्त विभाग द्वारा 15 प्रतिशत राशि के आहरण पर प्रतिबंध (₹ 1.75 करोड़) (ii) पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में कमी (₹ 25.00 करोड़)
83.		5054-03-796-10	358.14	75.39	कारण नहीं बताये गये हैं।
84.	42-ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण विकास प्रभाग)	2501-02-796-01	61.89	58.40	आई.डब्ल्यू.एम.पी. स्कीम के कार्यान्वयन हेतु प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना का आरम्भ
85.		2501-02-789-05 (सी.एस.एस.)	45.00	29.99	कारण नहीं बताये गये हैं।
86.		2501-02-796-05 (सी.एस.एस.)	108.00	71.97	कारण नहीं बताये गये हैं।
87.		2501-02-800-05 (सी.एस.एस.)	147.00	97.96	कारण नहीं बताये गये हैं।
88.		2505-02-101-04 (सी.एस.एस.)	820.53	340.92	अनुमानित वास्तविक व्यय से परे आहरण

31 मार्च 2016 को समाप्त हुए वर्ष का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राज्य वित्त)

क्रम संख्या	अनुदान संख्या एवं नाम	लेखा शीर्ष	प्रावधान	बचत राशि	विनियोग लेखे के अनुसार विभागों द्वारा दिये गये कारण
89.	42-ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण विकास प्रभाग)	2505-02-789-04 (सी.एस.एस.)	251.18	104.36	अनुमानित वास्तवित व्यय से परे आहरण
90.		2505-02-789-04	602.84	250.47	अनुमानित वास्तवित व्यय से परे आहरण
91.		2501-02-101-01 (सी.एस.एस.)	79.38	79.38	आई.डब्ल्यू.एम.पी. स्कीम के कार्यान्वयन हेतु प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना का आरम्भ
92.		2501-02-789-01 (सी.एस.एस.)	24.30	24.30	आई.डब्ल्यू.एम.पी. स्कीम के कार्यान्वयन हेतु प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना का आरम्भ
93.	43-उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग (विज्ञान एवं प्रावैधिकी प्रभाग)	4202-02-105-06 (सी.पी.एस.)	50.00	47.54	कारण नहीं बताये गये हैं।
94.	45-सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई-गवर्नेन्स विभाग	2203-00-001-10	75.00	75.00	कारण नहीं बताये गये हैं।
95.		4202-02-105-70	23.00	22.99	कारण नहीं बताये गये हैं।
96.	48-नगर विकास एवं आवास विभाग (नगर विकास प्रभाग)	2215-01-191-01	80.00	40.00	निधि की कम माँग
97.		2215-02-796-12	45.00	20.00	चयनित निकायों में स्कीम का प्रारम्भ
98.		2217-80-191-63	24.10	24.6	मुख्य रूप से भारत सरकार से अधिक निधि का आवंटन नहीं
99.		2217-80-191-64	66.60	66.50	मुख्य रूप से भारत सरकार से अधिक निधि का आवंटन नहीं
100.		2217-80-191-68	46.78	23.53	कारण नहीं बताये गये हैं।
101.		2217-80-191-76	24.45	22.87	कारण नहीं बताये गये हैं।
102.		2217-80-191-78	78.00	39.00	(i) निधि की माँग नहीं (₹ 30.00 करोड़) (ii) कारण असूचित (₹ 9.00 करोड़)
103.		2217-80-796-60 (सी.एस.एस.)	22.50	21.79	कारण नहीं बताये गये हैं।
104.		2217-80-796-64 (सी.एस.एस.)	52.00	51.82	(i) भारत सरकार से अधिक निधि का आवंटन नहीं (₹ 50.00 करोड़) (ii) कारण असूचित
105.		2217-80-796-78	71.00	26.00	(i) वांछित माँग की अप्राप्ति (₹21.00 करोड़) (ii) कारण असूचित (₹ 5.00 करोड़)
106.		2217-80-191-62 (सी.एस.एस.)	24.40	24.40	भारत सरकार से केन्द्रीय योजना की अप्राप्ति
107.		2217-80-789-61	30.00	30.00	केन्द्रांश का आवंटन नहीं
108.		2217-80-789-62 (सी.एस.एस.)	70.00	70.00	भारत सरकार से निधि की अप्राप्ति
109.		2217-80-789-67	20.00	20.00	कारण नहीं बताये गये हैं।
110.	2217-80-789-77 (सी.एस.एस.)	131.00	131.00	भारत सरकार से निधि की अप्राप्ति	

क्रम संख्या	अनुदान संख्या एवं नाम	लेखा शीर्ष	प्रावधान	बचत राशि	विनियोग लेखे के अनुसार विभागों द्वारा दिये गये कारण
111.	49-जल संसाधन विभाग	2700-01-001-02	164.82	36.59	कारण नहीं बताये गये हैं।
112.		2701-03-001-06	68.89	25.72	कारण नहीं बताये गये हैं।
113.		2701-03-001-07	110.93	38.29	कारण नहीं बताये गये हैं।
114.		4700-80-789-12	261.75	242.65	कारण नहीं बताये गये हैं।
115.		4700-80-796-11	126.00	102.66	कारण नहीं बताये गये हैं।
116.		4700-80-796-12	426.25	166.25	कारण नहीं बताये गये हैं।
117.		4701-00-796-54	40.00	20.81	कारण नहीं बताये गये हैं।
118.		4701-00-800-54	45.00	24.03	कारण नहीं बताये गये हैं।
119.	50-जल संसाधन विभाग (लघु सिंचाई प्रभाग)	2702-02-005-01	93.19	28.60	कारण नहीं बताये गये हैं।
120.		4702-00-101-19	31.00	26.49	कारण नहीं बताये गये हैं।
121.		4702-00-101-28	27.00	26.96	कारण नहीं बताये गये हैं।
122.		4702-00-101-35	103.00	102.32	कारण नहीं बताये गये हैं।
123.		4702-00-796-19	35.00	25.05	कारण नहीं बताये गये हैं।
124.		4702-00-796-28	70.00	69.76	कारण नहीं बताये गये हैं।
125.		4702-00-796-35	212.00	211.86	कारण नहीं बताये गये हैं।
126.		4702-00-789-20	25.00	25.00	कारण नहीं बताये गये हैं।
127.	51-कल्याण विभाग (कल्याण प्रभाग)	2225-01-789-67	40.00	20.00	वित्त विभाग द्वारा निर्देशित तृतीय अनुपूरक के माध्यम से बजट प्रावधान करना
128.		2225-01-789-89 (सी.एस.एस.)	30.00	30.00	केन्द्र सरकार द्वारा आर.टी.जी.एस. के माध्यम से दोनों एजेंसी (झालकोलैम्प एवं झामकोलैम्प) को प्रत्यक्ष रूप से निधि का हस्तांतरण
129.	55- ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य प्रभाग)	2515-00-001-28	100.00	29.96	कारण नहीं बताये गये हैं।
130.		4515-00-103-04	716.70	298.35	(i) निधि का अत्यधिक प्रावधान (₹ 66.68) (ii) कारण असूचित (₹ 232.67 करोड़).
131.		4515-00-789-04	63.50	62.86	कारण नहीं बताये गये हैं।
132.		4515-00-796-04	854.80	257.47	(i) अत्यधिक बजट प्रावधान (₹ 76.02 करोड़), (ii) कारण असूचित (₹181.45 करोड़)
133.		4515-00-796-07	63.25	33.11	कम मानव शक्ति
134.	56-ग्रामीण विकास विभाग (पंचायती राज प्रभाग)	2515-00-001-05	200.00	44.93	कारण नहीं बताये गये हैं।
135.		2515-00-101-37	61.53	45.45	कारण नहीं बताये गये हैं।
136.		2515-00-001-15	255.05	255.05	कारण नहीं बताये गये हैं।
137.		2515-00-001-38	170.00	170.00	कारण नहीं बताये गये हैं।
138.		2515-00-789-15	55.90	55.90	कारण नहीं बताये गये हैं।
139.		2515-00-789-38	85.00	85.00	कारण नहीं बताये गये हैं।
140.		2515-00-796-15	158.05	158.05	कारण नहीं बताये गये हैं।
141.		2515-00-796-37	25.81	25.81	कारण नहीं बताये गये हैं।
142.		2515-00-796-38	255.00	255.00	कारण नहीं बताये गये हैं।

31 मार्च 2016 को समाप्त हुए वर्ष का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राज्य वित्त)

क्रम संख्या	अनुदान संख्या एवं नाम	लेखा शीर्ष	प्रावधान	बचत राशि	विनियोग लेखे के अनुसार विभागों द्वारा दिये गये कारण
143.	58-स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (माध्यमिक शिक्षा प्रभाग)	2202-00-109-01	420.55	129.85	कारण नहीं बताये गये हैं।
144.		2202-00-109-35 (सी.एस.एस.)	59.63	58.28	कारण नहीं बताये गये हैं।
145.		2202-00-789-45 (सी.एस.एस.)	37.88	28.88	कारण नहीं बताये गये हैं।
146.		2202-00-796-35	22.50	22.25	कारण नहीं बताये गये हैं।
147.		2202-02-109-35 (सी.एस.एस.)	20.00	20.00	कारण नहीं बताये गये हैं।
148.		2202-02-109-45 (सी.एस.एस.)	29.30	29.30	कारण नहीं बताये गये हैं।
149.	59- स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (प्राथमिक एवं व्यस्क शिक्षा प्रभाग)	2202-01-101-01	2310.64	391.70	(i) निधि की अनावश्यकता (₹81.54 करोड़), (ii) कारण असूचित (₹ 310.14 करोड़)
150.		2202-01-101-01 (सी.एस.एस.)	156.50	49.26	कारण नहीं बताये गये हैं।
151.		2202-01-102-02	491.23	335.33	कारण नहीं बताये गये हैं।
152.		2202-01-111-25 (सी.एस.एस.)	719.38	401.96	कारण असूचित (₹ 394.03 करोड़)
153.		2202-01-111-25	275.62	79.44	कारण असूचित (₹ 64.03 करोड़)
154.		2202-01-789-03	59.45	24.36	कारण नहीं बताये गये हैं।
155.		2202-01-789-25 (सी.एस.एस.)	130.80	48.51	कारण नहीं बताये गये हैं।
156.		2202-01-789-25	117.14	41.15	कारण असूचित (₹ 32.02 करोड़)
157.		2202-01-796-03 (सी.एस.एस.)	165.76	103.44	कारण नहीं बताये गये हैं।
158.		2202-01-796-25 (सी.एस.एस.)	457.79	298.80	कारण नहीं बताये गये हैं।
159.		2202-01-796-25	296.29	91.29	कारण असूचित (₹ 75.19 करोड़)
160.		60- महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग	2235-02-001-51 (सी.एस.एस.)	206.09	108.90
161.	2235-02-001-51		75.90	41.70	कारण नहीं बताये गये हैं।
162.	2235-02-796-51 (सी.एस.एस.)		223.27	104.33	कारण नहीं बताये गये हैं।
163.	2235-02-795-51		84.10	45.04	कारण नहीं बताये गये हैं।
164.	2235-03-101-12		114.93	21.40	कारण नहीं बताये गये हैं।
165.	2235-03-101-13		76.93	36.35	कारण नहीं बताये गये हैं।
166.	2235-03-101-16		23.40	22.95	कारण नहीं बताये गये हैं।
167.	2235-03-796-12		123.64	23.15	कारण नहीं बताये गये हैं।
168.	2235-03-796-13		80.97	36.27	कारण नहीं बताये गये हैं।
169.	2236-02-101-02		151.99	65.17	कारण नहीं बताये गये हैं।
170.	2236-02-796-02 (सी.एस.एस.)		177.93	74.83	कारण नहीं बताये गये हैं।

क्रम संख्या	अनुदान संख्या एवं नाम	लेखा शीर्ष	प्रावधान	बचत राशि	विनियोग लेखे के अनुसार विभागों द्वारा दिये गये कारण
171.	60- महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग	2235-02-106-96 (सी.एस.एस.)	65.46	65.46	कारण नहीं बताये गये हैं।
172.		2235-02-796-96 (सी.एस.एस.)	70.91	70.91	कारण नहीं बताये गये हैं।
173.		4235-02-103-73 (सी.एस.एस.)	86.40	63.36	कारण नहीं बताये गये हैं।
174.		4235-02-796-73 (सी.एस.एस.)	93.60	68.64	कारण नहीं बताये गये हैं।
कुल			24541.07	12732.17	

परिशिष्ट 2.3

₹ एक करोड़ एवं अधिक बचत की विवरणी जो अभ्यर्पित नहीं की गई
(संदर्भ कंडिका 2.4.2; पृष्ठ 50)

(₹ करोड़ में)

क्रं. सं.	अनुदान/विनियोग का नाम एवं संख्या	बचत	अभ्यर्पित राशि	अभ्यर्पित नहीं की गई बचत राशि
1	2	3	4	5
राजस्व				
1	1-कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (कृषि प्रभाग)	750.47	623.49	126.98
2	2-कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (पशुपालन प्रभाग)	37.66	30.72	6.94
3	3-भवन निर्माण विभाग	35.68	34.34	1.34
4	5-राज्यपाल सचिवालय	1.62	0.00	1.62
5	14-ऋण की वापसी/अदायगी	20.00	0.00	20.00
6	15-पेंशन	595.13	0.00	595.13
7	19-वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग	84.07	79.51	4.56
8	20-स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	947.27	937.93	9.34
9	21-उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा प्रभाग)	283.70	260.46	23.24
10	23-उद्योग विभाग	132.47	129.48	2.99
11	41-पथ निर्माण विभाग	29.55	15.66	13.89
12	42-ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण विकास प्रभाग)	1281.11	1190.13	90.98
13	48-नगर विकास एवं आवास विभाग (नगर विकास प्रभाग)	888.44	876.08	12.36
14	49-जल संसाधन विभाग	105.11	87.52	17.59
15	50-जल संसाधन विभाग (लघु सिंचाई प्रभाग)	28.94	25.22	3.72
16	51-कल्याण विभाग (कल्याण प्रभाग)	162.99	83.89	79.10
17	54-कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (डेयरी प्रभाग)	58.92	47.39	11.53
18	55-ग्रामीण कार्य विभाग (ग्रामीण कार्य प्रभाग)	48.70	47.64	1.06
19	56-ग्रामीण विकास विभाग (पंचायती राज प्रभाग)	1506.36	1481.25	25.11
20	58-स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (माध्यमिक शिक्षा प्रभाग)	383.22	236.76	146.46

क्र. सं.	अनुदान/विनियोग का नाम एवं संख्या	बचत	अभ्यर्पित राशि	अभ्यर्पित नहीं की गई बचत राशि
1	2	3	4	5
राजस्व				
21	59- स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (प्राथमिक एवं व्यस्क शिक्षा प्रभाग)	2008.48	1939.17	69.31
22	60-महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग	1107.13	1081.23	25.90
पूँजीगत				
23	2-कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (पशुपालन प्रभाग)	24.87	22.47	2.40
24	3-भवन निर्माण विभाग	45.75	41.44	4.31
25	22-गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (गृह प्रभाग)	163.78	162.71	1.07
26	30-कल्याण विभाग (अल्पसंख्यक कल्याण प्रभाग)	40.31	9.48	30.83
27	41-पथ निर्माण विभाग	14.37	5.36	9.01
28	46-पर्यटन, कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग (पर्यटन प्रभाग)	3.18	1.24	1.94
29	49-जल संसाधन विभाग	544.62	494.72	49.90
30	50-जल संसाधन विभाग (लघु सिंचाई प्रभाग)	520.39	426.96	93.43
31	51-कल्याण विभाग (कल्याण प्रभाग)	56.27	3.41	52.86
32	58- स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (माध्यमिक शिक्षा प्रभाग)	5.65	3.65	2.00
कुल		11916.21	10379.31	1536.90

31 मार्च 2016 को समाप्त हुए वर्ष का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राज्य वित्त)

परिशिष्ट 2.4

31 मार्च 2016 को ₹ 10 करोड़ से अधिक अभ्यर्पित राशि के मामले

(संदर्भ: कंडिका 2.4.2; पृष्ठ 51)

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	अनुदान/विनियोग का संख्या एवं नाम	मुख्य शीर्ष	अभ्यर्पण की राशि
1.	1-कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (कृषि प्रभाग)	2401-00-796-02	10.57
2.		2401-00-102-A0	22.33
3.		2401-00-796-99	10.04
4.		2401-00-796-A0	31.23
5.	3-भवन निर्माण विभाग	2059-80-001-04	16.13
6.	10-ऊर्जा विभाग	2801-80-800-08	12.04
7.		6801-00-190-38	496.63
8.		6801-00-800-37	11.60
9.	11-उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग	2039-00-001-02	11.31
10.	13-ब्याज संदाय	2049-01-200-02	137.73
11.		2049-01-200-11	13.97
12.	14-ऋण की वापसी/अदायगी	6003-00-109-01	26.56
13.		6003-00-109-02	54.67
14.	17-वाणिज्य कर विभाग	2040-00-101-02	12.22
15.	18-खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग	3456-00-102-40	17.08
16.		3456-00-796-38	25.01
17.		3456-00-796-40	10.28
18.	19-वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग	2406-01-110-51	16.05
19.	20-स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	2210-03-103-01	14.93
20.		2210-03-103-03	24.89
21.		2210-01-200-46	10.00
22.		2210-01-796-46	20.00
23.		4210-02-103-10	17.18
24.		4210-02-110-17	16.71
25.		4210-02-796-01	12.27
26.		2211-00-101-01	40.29
27.		2210-01-103-39	184.62
28.		2210-01-103-45	14.57
29.		2210-01-109-40	44.95
30.		2210-05-105-16	18.00
31.		2210-05-105-21	37.00
32.		2230-01-103-42	33.00
33.		2230-01-789-42	14.00
34.		2230-01-796-42	33.00

क्र.सं.	अनुदान/विनियोग का संख्या एवं नाम	मुख्य शीर्ष	अभ्यर्पण की राशि
35.	21-उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा प्रभाग)	2202-03-102-62	59.94
36.		2202-03-102-63	26.38
37.		2202-03-102-66	16.68
38.		2202-03-102-67	15.72
39.		2202-03-102-87	39.48
40.		2202-03-102-88	14.94
41.	22-गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (गृह प्रभाग)	2055-00-104-05	10.38
42.		2055-00-109-01	29.17
43.		2055-00-109-98	10.94
44.		2055-00-110-01	56.61
45.		2056-00-101-01	16.60
46.		2056-00-101-02	10.45
47.		4055-00-207-72	43.26
48.		4055-00-207-73	36.13
49.		4055-00-207-43	21.54
50.		4055-00-207-45	22.42
51.	26-श्रम, नियोजन एवं कौशल विकास विभाग	2230-03-101-02	16.33
52.		2230-03-003-51	20.00
53.		2230-03-796-51	30.00
54.		4250-00-203-04	10.00
55.		4250-00-796-04	10.00
56.		4250-00-796-08	10.00
57.	35-योजना-सह-वित्त विभाग (योजना प्रभाग)	2053-00-796-37	15.00
58.	36-पेय जल एवं स्वच्छता विभाग	4215-01-102-02	26.20
59.		4215-01-789-02	20.32
60.		4215-01-796-02	15.01
61.	39-गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (आपदा प्रबंधन प्रभाग)	2245-01-101-01	13.00
62.		2245-01-101-02	30.00
63.		2245-01-282-01	14.50
64.	40-राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग (राजस्व एवं भूमि सुधार प्रभाग)	2053-00-093-01	14.92
65.		2029-00-103-01	15.26
66.		2029-00-102-04	17.56
67.		2029-00-796-04	26.40
68.	42-ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण विकास प्रभाग)	2501-06-101-05	13.59
69.		2501-06-789-05	33.24
70.		2501-06-796-04	16.98
71.		2501-06-796-05	83.01
72.		2501-06-800-04	16.01
73.		2501-06-800-05	97.96
74.		2505-01-789-02	11.86
75.		2505-02-101-04	340.92
76.		2505-02-789-04	104.36
77.		2505-02-796-04	250.47

31 मार्च 2016 को समाप्त हुए वर्ष का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राज्य वित्त)

क्र.सं.	अनुदान/विनियोग का संख्या एवं नाम	मुख्य शीर्ष	अभ्यर्पण की राशि
78	43-उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग (विज्ञान एवं प्रावैधिकी प्रभाग)	4202-02-105-06	17.54
79	48-नगर विकास एवं आवास विभाग (नगर विकास प्रभाग)	2217-80-191-68	23.53
80		2217-80-191-73	14.00
81		2217-80-191-76	20.87
82		2217-80-796-60	21.79
83		2217-80-796-68	16.92
84		2217-80-796-73	10.85
85	49-जल संसाधन विभाग	2700-01-001-02	11.33
86		2701-03-001-06	10.44
87		2701-03-001-07	20.27
88	50-जल संसाधन विभाग (लघु सिंचाई प्रभाग)	2702-02-005-01	14.89
89		4702-00-101-19	23.50
90	51-कल्याण विभाग (कल्याण प्रभाग)	2225-02-277-04	14.76
91	55-ग्रामीण कार्य विभाग (ग्रामीण कार्य प्रभाग)	2515-00-001-28	28.91
92		4515-00-103-07	18.25
93		4515-00-796-07	33.09
94	56-ग्रामीण विकास विभाग (पंचायती राज प्रभाग)	2515-00-001-03	13.49
95		2515-00-001-05	43.98
96		2515-00-198-44	326.41
97	58-स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (माध्यमिक शिक्षा प्रभाग)	2202-02-109-62	11.33
98		2202-02-109-35	58.28
99		2202-02-109-36	13.14
100		2202-02-789-45	28.88
101		2202-02-796-35	22.25
102		2202-02-796-36	10.24
103		2202-02-796-45	29.30
104	59-स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (प्राथमिक एवं व्यस्क शिक्षा प्रभाग)	2202-01-101-01	81.54
105		2202-01-102-02	64.10
106		2202-01-101-15	10.40
107		2202-01-796-15	11.39
108		2202-01-101-03	49.26
109		2202-01-111-25	446.05
110		2202-01-789-03	24.36
111		2202-01-789-25	79.58
112		2202-01-796-03	103.44
113		2202-01-796-25	361.99
114	2202-01-796-27	10.78	
115	60-महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग	2235-03-101-12	13.44
116		2235-03-101-13	14.21
117		2235-03-796-13	16.30
118		2235-02-102-51	57.17
119		2235-02-796-51	52.24

क्र.सं.	अनुदान/विनियोग का संख्या एवं नाम	मुख्य शीर्ष	अभ्यर्पण की राशि
120	60-महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग	2236-02-101-02	69.49
121		2236-02-789-02	18.61
122		2236-02-796-02	75.49
123		4235-02-103-73	20.40
124		4235-02-796-73	19.60
सकल योग			5632.48

31 मार्च 2016 को समाप्त हुए वर्ष का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राज्य वित्त)

परिशिष्ट 2.5

मामले जहाँ अनुपूरक अनुदान (प्रत्येक मामले में ₹ एक करोड़ या अधिक) अनावश्यक साबित हुए

(संदर्भ: कंडिका 2.4.4; पृष्ठ 54)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान का नाम एवं संख्या	मूल प्रावधान	वास्तविक व्यय	मूल प्रावधान में से बचत	अनुपूरक प्रावधान
राजस्व (दत्तमत)					
1	1- कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (कृषि प्रभाग)	896.69	594.28	302.41	448.06
2	2- कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (पशुपालन प्रभाग)	173.29	146.61	26.68	10.99
3	3- भवन निर्माण विभाग	126.70	98.13	28.57	7.11
4	4- मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय प्रभाग)	31.35	29.77	1.59	6.52
5	6- मंत्रिमंडल (निर्वाचन) विभाग	45.43	40.77	4.66	3.08
6	11- उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग	30.56	19.57	10.99	1.65
7	12- योजना-सह-वित्त विभाग (वित्त प्रभाग)	45.05	36.39	8.66	2.14
8	13- ब्याज संदाय	3426.94	3320.08	106.86	10.01
9	15- पेंशन	4492.61	3990.01	502.60	92.53
10	17- वाणिज्य कर विभाग	66.11	50.11	16.00	2.44
11	18- खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग	1234.11	778.80	455.31	50.32
12	19- वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग	492.54	420.84	71.70	12.37
13	20- स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	2490.45	1818.63	671.82	275.45
14	21- उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा प्रभाग)	1001.85	776.29	225.56	58.14
15	23- उद्योग विभाग	362.07	301.35	60.72	71.76
16	26- श्रम, नियोजन एवं कौशल विकास विभाग	1456.87	403.84	1053.03	35.26
17	27- विधि विभाग	256.14	249.21	6.93	11.06
18	28- झारखण्ड उच्च न्यायालय	57.57	53.41	4.16	5.78
19	29- खनन एवं भू-तत्व विभाग	35.71	24.66	11.05	1.42
20	32- विधान मंडल	59.27	58.25	1.02	4.01
21	33- कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग (कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार प्रभाग)	22.44	21.37	1.07	2.63

क्र. सं.	अनुदान का नाम एवं संख्या	मूल प्रावधान	वास्तविक व्यय	मूल प्रावधान में से बचत	अनुपूरक प्रावधान
राजस्व (दत्तमत)					
22	36- पेय जल एवं स्वच्छता विभाग	1173.24	799.01	374.23	179.34
23	38- राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग (निबंधन प्रभाग)	17.65	17.36	0.29	6.78
24	40- राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग (राजस्व एवं भूमि सुधार प्रभाग)	429.94	324.53	105.41	7.00
25	42- ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण विकास प्रभाग)	3138.98	2476.21	662.77	618.34
26	43- उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग (विज्ञान एवं प्रावैधिकी प्रभाग)	90.71	78.71	12.00	12.90
27	48- नगर विकास एवं आवास विभाग (नगर विकास प्रभाग)	1655.64	1556.13	99.51	788.93
28	49- जल संसाधन विभाग	361.10	257.65	103.45	1.66
29	50- जल संसाधन विभाग (लघु सिंचाई प्रभाग)	92.92	69.27	23.65	5.29
30	52- पर्यटन, कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग (कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य प्रभाग)	79.36	58.12	21.24	5.44
31	53- कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग)	41.12	34.51	6.61	5.05
32	55- ग्रामीण कार्य विभाग (ग्रामीण कार्य प्रभाग)	1008.18	964.62	43.56	5.14
33	56- ग्रामीण विकास विभाग (पंचायती राज प्रभाग)	1522.70	822.96	699.74	806.62
34.	58- स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (माध्यमिक शिक्षा प्रभाग)	1283.10	1052.63	230.47	152.74
35.	59- स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (प्राथमिक एवं व्यस्क शिक्षा प्रभाग)	6031.98	4471.64	1560.34	448.15
पूँजीगत (दत्तमत)					
36	2- कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (पशुपालन प्रभाग)	24.66	11.89	12.77	12.10
37	14- ऋण की वापसी/अदायगी	2258.53	2245.93	12.60	15.50
38	20- स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	429.03	339.87	89.16	108.92
39	22- गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (गृह प्रभाग)	292.50	210.81	81.69	82.09
40	26- श्रम, नियोजन एवं कौशल विकास विभाग	71.20	12.81	58.39	3.98

31 मार्च 2016 को समाप्त हुए वर्ष का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राज्य वित्त)

क्र. सं.	अनुदान का नाम एवं संख्या	मूल प्रावधान	वास्तविक व्यय	मूल प्रावधान में से बचत	अनुपूरक प्रावधान
पूँजीगत (दत्तमत)					
41	36- पेय जल एवं स्वच्छता विभाग	276.79	193.07	83.72	41.30
42	49- जल संसाधन विभाग	1468.91	1109.37	359.54	185.08
43	50- जल संसाधन विभाग (लघु सिंचाई प्रभाग)	534.09	47.57	486.52	33.87
44	51- कल्याण विभाग (कल्याण प्रभाग)	207.84	166.64	41.20	15.06
45	53- कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग)	33.37	25.31	8.06	6.30
सकल योग (राजस्व+पूँजीगत)		39327.29	30578.99	8748.32	4660.31

परिशिष्ट 2.6

पिछले वर्ष के प्रावधानों से अधिक व्यय का विनियमन अपेक्षित

(संदर्भ : कंडिका 2.4.6; पृष्ठ 55)

वर्ष	अनुदानों/ विनियोगों की संख्या	अनुदान/विनियोग का नाम	आधिक्य राशि (₹ करोड़ में)
2001-02	25	सांस्थिक वित्त विभाग	*
2001-02	32	विधान मंडल	0.04
2002-03	32	विधान मंडल	0.08
2003-04	46	पर्यटन विभाग	0.29
2004-05	40	राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	@
2006-07	38	निबंधन विभाग	\$
2010-11	32	विधान मंडल	0.10
2011-12	14	ऋण की वापसी/अदायगी	219.56
2011-12	15	पेंशन	200.60
2011-12	25	सांस्थिक वित्त एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग	^
2012-13	7	निगरानी	0.07
2012-13	14	ऋण की वापसी/अदायगी	556.01
2012-13	15	पेंशन	703.44
2012-13	42	ग्रामीण विकास विभाग	3.66
2013-14	13	ब्याज संदाय	139.42
2013-14	14	ऋण की वापसी/अदायगी	181.58
2013-14	15	पेंशन	373.05
2014-15	13	ब्याज संदाय	191.68
2014-15	42	ग्रामीण विकास विभाग	169.53
कुल			2739.12

स्रोत : संबंधित वर्षों के विनियोग लेखे

* आधिक्य राशि केवल ₹ 8,807 थी।

@ आधिक्य राशि केवल ₹ 1,072 थी।

\$ आधिक्य राशि केवल ₹ 81,665 थी।

^ आधिक्य राशि केवल ₹ 11,160 थी।

परिशिष्ट 2.7
निधि का आधिक्य/अपर्याप्त पुनर्विनियोग
 (संदर्भ : कंडिका 2.4.7; पृष्ठ 56)

(₹ लाख में)

क्र.सं.	अनुदान संख्या एवं नाम	लेखा शीर्ष	वृद्धि पुनर्विनियोग	कमी पुनर्विनियोग	बचत (-)/ आधिक्य (+)
1	3-भवन निर्माण विभाग	2059-80-001-04	1.00	-	(-)95.47
2	22-गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (गृह प्रभाग)	2055-00-101-01	24.40	-	(-)24.40
3	41-पथ निर्माण विभाग	3054-03-337-01	375.00	-	(-)697.62
4	50-जल संसाधन विभाग (लघु सिंचाई प्रभाग)	2702-02-005-01	1.94		(-)368.83
कुल			402.34		(-)1186.42
5	3-भवन निर्माण विभाग	4059-01-051-48		10.00	(+)4.92
6	19-वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग	2406-01-101-03		57.54	(+)42.06
कुल			-	67.54	(+)46.98

परिशिष्ट 2.8

वर्ष के दौरान किये गये पर्याप्त अभ्यर्पण की समीक्षा के परिणाम

(संदर्भ : कंडिका 2.4.8; पृष्ठ 56)

(₹ लाख में)

क्र. सं.	अनुदान का नाम एवं संख्या	लेखा शीर्ष	योजना का नाम	प्रावधान	अभ्यर्पण की राशि	अभ्यर्पण की प्रतिशतता
1	1- कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (कृषि प्रभाग)	2401-00-796-59	राज्य बीज निगम को सहायता अनुदान	200.00	200.00	100
2		4401-00-789-09	कृषिगत योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु कृषि विभाग के आधारभूत संरचना, भू-अधिग्रहण एवं अन्य सहायक सुविधाओं का सुदृढिकरण	150.00	150.00	100
3	2- कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (पशुपालन प्रभाग)	2403-00-101-67	पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण (पी.पी.आर. नियंत्रण कार्यक्रम)	200.00	200.00	100
4		2403-00-106-10	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता)	200.00	200.00	100
5		2403-00-106-66	पशुधन विकास पर प्रस्तुतीकरण (पशुधन बीमा)	150.00	150.00	100
6		2403-00-789-12	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता)	143.00	143.00	100
7		2403-00-796-12	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता)	79.00	79.00	100
8		4403-00-106-02	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर.के.भी.वाई.) एल.आर.एस. पर जी.एम.पी. मानक प्रयोगशाला की स्थापना	840.00	840.00	100
9		4403-00-106-03	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर.के.भी.वाई.) फ्रोजेन सीमेन बुल स्टेशन	200.00	200.00	100
10	8- परिवहन विभाग (नागर विमानन प्रभाग)	5053-02-796-05	विभिन्न जिलों के मुख्यालयों हेतु रनवे का निर्माण एवं विस्तार	2000.00	2000.00	100
11	9- कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (सहकारिता प्रभाग)	2425-00-107-62	एपेक्स एवं अन्य सहकारी समितियों को अनुदान	336.00	336.00	100
12		2425-00-789-62	एपेक्स एवं अन्य सहकारी समितियों को अनुदान	224.00	224.00	100
13		2425-00-796-28	राष्ट्रीय कृषि बीमा योजनान्तर्गत किसानों की विभिन्न फसलों की क्षतिपूर्ति हेतु राष्ट्रीय कृषि बीमा निधि में अनुदान	50.00	50.00	100
14		2425-00-796-69	परामर्शी शुल्क एवं विविध प्राप्ति हेतु अनुदान	100.00	100.00	100

31 मार्च 2016 को समाप्त हुए वर्ष का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राज्य वित्त)

क्र. सं.	अनुदान का नाम एवं संख्या	लेखा शीर्ष	योजना का नाम	प्रावधान	अभ्यर्पण की राशि	अभ्यर्पण की प्रतिशतता
15	10- ऊर्जा विभाग	2801-01-789-10	ग्रामीण विद्युतीकरण	120.00	120.00	100
16		2801-01-789-12	आर.जी.जी.भी.वाई. योजना के अन्तर्गत वन क्लीयरेन्स	60.00	60.00	100
17		2801-01-796-10	ग्रामीण विद्युतीकरण	260.00	260.00	100
18		2801-01-796-12	आर.जी.जी.भी.वाई योजना के अन्तर्गत वन क्लीयरेन्स	130.00	130.00	100
19		2801-01-800-10	ग्रामीण विद्युतीकरण	620.00	620.00	100
20		2801-01-800-12	आर.जी.जी.भी.वाई योजना के अन्तर्गत वन क्लीयरेन्स	310.00	310.00	100
21		2801-06-789-03	समेकित ऊर्जा विकास योजना	360.00	360.00	100
22		2801-06-796-03	समेकित ऊर्जा विकास योजना	780.00	780.00	100
23		2801-06-800-03	समेकित ऊर्जा विकास योजना	1860.00	1860.00	100
24		2801-80-796-10	जे.एस.ई.आर.सी. को नई भवन निर्माण हेतु सहायता अनुदान	500.00	500.00	100
25	12- योजना-सह-वित्त विभाग (वित्त प्रभाग)	2054-00-003-01	प्रमण्डलीय मुख्यालयों में लेखा प्रशिक्षण विद्यालय	62.25	62.25	100
26	13- ब्याज संदाय	2049-60-701-01	अन्तरिम भुगतान	100.00	100.00	100
27	17- वाणिज्य कर विभाग	2040-00-796-15	व्यापार इंटेलिजेंस इकाई की स्थापना	400.00	400.00	100
28	18- खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग	3456-00-796-41	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम शिकायत निवारण	140.00	140.00	100
29	19- वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग	2406-01-101-46	इको-टूरिज्म	700.00	700.00	100
30		2406-01-110-49	ग्रीन भारत मिशन	500.00	500.00	100
31		2406-01-110-51	राष्ट्रीय वनरोपण कार्यक्रम	1605.00	1605.00	100
32		2406-01-789-51	राष्ट्रीय वनरोपण कार्यक्रम	695.00	695.00	100
33		2406-02-110-22	वन्य प्राणी पर्यावास हेतु समेकित विकास योजना	200.00	200.00	100
34		2406-04-101-01	पशुधन के विकास एवं इकोलॉजिकल सुरक्षा हेतु जे.आइ.सी.ए.-ओ.डी.ए. संपोषित	500.00	500.00	100

क्र. सं.	अनुदान का नाम एवं संख्या	लेखा शीर्ष	योजना का नाम	प्रावधान	अभ्यर्पण की राशि	अभ्यर्पण की प्रतिशतता
35	20- स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	2210-01-001-37	राज्य स्तरीय आई.ई.सी./बी.सी.सी. ब्यूरो की स्थापना एवं विकास	300.00	300.00	100
36		2210-01-001-41	नई चालू योजनाओं हेतु राज्यांश	200.00	200.00	100
37		2210-01-110-36	रिम्स में जेनेटिक विंग्स की स्थापना एवं विकास	300.00	300.00	100
38		2210-01-200-46	पुराने भवनों का जीर्णोद्धार, मरम्मती, परिवर्द्धन, अतिरिक्त शौचालय, लैंड स्केपिंग जलापूर्ति एवं स्वच्छताधिष्ठापन, पार्किंग स्थान इत्यादि	1000.00	1000.00	100
39		2210-01-796-46	पुराने भवनों का जीर्णोद्धार, मरम्मती, परिवर्द्धन, अतिरिक्त शौचालय, लैंड स्केपिंग जलापूर्ति एवं स्वच्छताधिष्ठापन, पार्किंग स्थान इत्यादि	2000.00	2000.00	100
40		2210-02-200-21	जिला संयुक्त औषधालय	420.00	420.00	100
41		2210-02-200-22	पंचकर्म की स्थापना	264.00	264.00	100
42		2210-02-200-25	राष्ट्रीय मिशन- आयुष प्रक्षेत्र	125.00	125.00	100
43		2210-02-796-19	राजकीय आयुर्वेदिक फार्मसी महाविद्यालय, चाईबासा	150.00	150.00	100
44		2210-05-101-17	राष्ट्रीय मिशन- आयुष प्रक्षेत्र	475.00	475.00	100
45		2210-05-101-17	राष्ट्रीय मिशन- आयुष प्रक्षेत्र	200.00	200.00	100
46		2210-05-105-16	स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा अंतर्गत मानव संसाधन	1800.00	1800.00	100
47		2210-05-105-21	हजारीबाग, पलामू एवं दुमका में मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल	3700.00	3700.00	100
48		2210-06-001-18	ब्लड बैंक का स्वचालन	212.00	212.00	100
49		2230-01-103-42	राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना	3300.00	3300.00	100
50		2230-01-789-42	राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना	1400.00	1400.00	100
51		2230-01-796-42	राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना	3300.00	3300.00	100
52		4210-01-110-17	भवन निर्माण/मशीन, उपकरण एवं उपस्कर सहित औषधालय (यक्ष्मा)-संचारी रोग केंद्र, इटकी	90.00	90.00	100
53		4210-01-110-25	चाईबासा एवं राँची में निजी मेडिकल कॉलेज की स्थापना हेतु प्रोत्साहन	100.00	100.00	100

31 मार्च 2016 को समाप्त हुए वर्ष का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राज्य वित्त)

क्र. सं.	अनुदान का नाम एवं संख्या	लेखा शीर्ष	योजना का नाम	प्रावधान	अभ्यर्पण की राशि	अभ्यर्पण की प्रतिशतता	
54	20- स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	4210-01-110-28	जिला अस्पतालों में आई.सी.यू. की स्थापना	250.00	250.00	100	
55		4210-01-789-26	जिला अस्पतालों एवं मेडिकल कॉलेजों में डायलिसिस केंद्र की स्थापना	500.00	500.00	100	
56		4210-02-103-07	भवन-प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना-मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य केंद्र हेतु भवन निर्माण/जीर्णोद्धार	500.00	500.00	100	
57		4210-02-110-26	रेफरल अस्पताल का भवन निर्माण	100.00	100.00	100	
58		4210-02-110-63	आयुष निदेशालय, चिकित्सा परिषद औषधि नियंत्रक कार्यालय	60.67	60.67	100	
59		4210-02-796-29	सदर अस्पताल, राँची का 500 शय्या वाले अस्पताल के रूप में उत्क्रमण	600.00	600.00	100	
60		4210-02-796-56	राँची में झारखंड राज्य कैंसर अस्पताल एवं शोध केंद्र	500.00	500.00	100	
61		4210-03-105-07	पी.एम.सी.एच., धनबाद एवं एम.जी.एम.सी.एच., जमशेदपुर में पारा मेडिकल संस्थान की स्थापना	400.00	400.00	100	
62		21- उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा प्रभाग)	2202-03-102-23	नीलांबर-पीताम्बर विश्वविद्यालय, पलामू का परिसर विकास	500.00	500.00	100
63			2202-03-102-27	नीलांबर-पीताम्बर विश्वविद्यालय, पलामू हेतु सम्मुन्नत विज्ञान एवं तकनीकी शोध केंद्र की स्थापना	100.00	100.00	100
64	2202-03-102-62		राँची विश्वविद्यालय, राँची-यू.जी.सी. बकाया वेतन	5994.00	5994.00	100	
65	2202-03-102-63		विनोबा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग- यू.जी.सी. बकाया वेतन	2637.58	2637.58	100	
66	2202-03-102-64		सिद्ध कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय, पलामू- यू.जी.सी. बकाया वेतन	789.45	789.45	100	
67	2202-03-102-65		नीलांबर-पीताम्बर विश्वविद्यालय, मेदिनीनगर, पलामू- यू.जी.सी. बकाया वेतन	522.25	522.25	100	
68	2202-03-102-66		कोलहान विश्वविद्यालय, चाईबासा - यू.जी.सी. बकाया वेतन	1668.15	1668.15	100	
69	2202-03-102-67		राँची विश्वविद्यालय, राँची-यू.जी.सी. बकाया वेतन	1572.30	1572.30	100	
70	2202-03-102-68		विनोबा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग-यू जी सी बकाया वेतन	659.39	659.39	100	
71	2202-03-102-69		सिद्ध कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय, पलामू-यू जी सी बकाया वेतन	197.37	197.37	100	

क्र. सं.	अनुदान का नाम एवं संख्या	लेखा शीर्ष	योजना का नाम	प्रावधान	अभ्यर्पण की राशि	अभ्यर्पण की प्रतिशतता	
72	21- उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा प्रभाग)	2202-03-102-70	नीलांबर-पीताम्बर विश्वविद्यालय, मेदिनीनगर, पलामू-यू जी सी बकाया वेतन	130.56	130.56	100	
73		2202-03-102-71	कोलहान विश्वविद्यालय, चाईबासा - यू जी सी बकाया वेतन	417.00	417.00	100	
74		2202-03-102-80	राज्य के प्रत्येक जिलों में महिला महाविद्यालय की स्थापना हेतु नीलांबर-पीताम्बर विश्वविद्यालय, पलामू को सहायता अनुदान	300.00	300.00	100	
75		2202-03-102-82	विनोबा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग - 15.11.2000 के पूर्व का बकाया	95.00	95.00	100	
76		2202-03-796-36	सिद्ध कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय, दुमका के परिसर विकास हेतु सहायता अनुदान	500.00	500.00	100	
77		2202-03-796-41	सम्मून्नत विज्ञान एवं तकनीकी शोध केंद्र की स्थापना हेतु सिद्ध कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय, दुमका को अनुदान	100.00	100.00	100	
78		2202-03-796-55	मॉडल महाविद्यालय की स्थापना हेतु राँची विश्वविद्यालय, राँची को सहायता अनुदान	500.00	500.00	100	
79		2202-03-796-56	मॉडल महाविद्यालय की स्थापना हेतु कोल्हान विश्वविद्यालय, चाईबासा को सहायता अनुदान	500.00	500.00	100	
80		22- गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (गृह प्रभाग)	4055-00-796-74	अभियोजन निदेशालय/कार्यालय का निर्माण/सुदृढीकरण	170.00	170.00	100
81			4070-00-796-63	केंद्रीय प्रशिक्षण केंद्र, नागरिक सुरक्षा	290.95	290.95	100
82	4070-00-800-62		नागरिक सुरक्षा का सुदृढीकरण.	143.00	143.00	100	
83	4070-00800-65		अग्निशमन का सुदृढीकरण	200.00	200.00	100	
84	4070-00-800-65		अग्निशमन का सुदृढीकरण	301.67	301.67	100	
85	23- उद्योग विभाग	2851-00-102-61	लघु उद्योगों हेतु कलस्टर विकास	220.00	220.00	100	
86		2851-00-107-16	रेशम विकास की योजना-केन्द्रीय परियोजना के अन्तर्गत मैचिंग ग्रांट	2400.00	2400.00	100	
87		2851-00-789-02	बाँस शिल्पी प्रशिक्षण-सह-उत्पादन केन्द्रों की स्थापना	200.00	200.00	100	
88		2852-80-102-07	एसआईड योजना-सहायता अनुदान	900.00	900.00	100	
89		2852-80-102-10	औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार	500.00	500.00	100	
90		2852-80-102-66	खाद्य प्रसंस्करण राष्ट्रीय मिशन हेतु सहायता अनुदान	700.00	700.00	100	

31 मार्च 2016 को समाप्त हुए वर्ष का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राज्य वित्त)

क्र. सं.	अनुदान का नाम एवं संख्या	लेखा शीर्ष	योजना का नाम	प्रावधान	अभ्यर्पण की राशि	अभ्यर्पण की प्रतिशतता
91	23- उद्योग विभाग	2852-80-102-67	औद्योगिक गलियारे हेतु सहायता अनुदान	700.00	700.00	100
92		2852-80-102-68	विशेष आर्थिक क्षेत्र	50.00	50.00	100
93		2852-80-796-63	समेकित आधारभूत उन्नयन योजना हेतु सहायता अनुदान	400.00	400.00	100
94	26- श्रम, नियोजन एवं कौशल विकास विभाग	2230-01-789-09	प्रवासी मजदूरों का सर्वेक्षण	100.00	100.00	100
95		2230-01-789-10	राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना	1400.00	1400.00	100
96		2230-01-796-10	राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना	3300.00	3300.00	100
97		2230-03-003-47	पी पी पी के अंतर्गत संचालित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों हेतु भायेबिलिटी गैप फंडिंग योजना	140.00	140.00	100
98		2230-03-003-51	कौशल विकास प्रोत्साहन योजना	2000.00	2000.00	100
99		2230-03-796-47	पी पी पी के अंतर्गत संचालित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों हेतु भायेबिलिटी गैप फंडिंग योजना	220.00	220.00	100
100		2230-03-796-51	कौशल विकास प्रोत्साहन योजना	3000.00	3000.00	100
101		2235-03-101-07	आदिम जनजातीय समूह हेतु पेंशन योजना	2340.00	2340.00	100
102		4250-00-203-02	13वें वित्त आयोग की अनुशंसा पर 20 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का भवन निर्माण	1500.00	1500.00	100
103		4250-00-203-04	उग्रवाद प्रभावित जिलों में युवाओं हेतु कौशल विकास की योजना	1000.00	1000.00	100
104	4250-00-796-02	13वें वित्त आयोग की अनुशंसा पर 20 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का भवन निर्माण	700.00	700.00	100	
105	4250-00-796-04	उग्रवाद प्रभावित जिलों में युवाओं हेतु कौशल विकास की योजना	1000.00	1000.00	100	
106	4250-00-796-08	कार्यरत सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का मॉडल आई टी आई के रूप में उन्नयन	1000.00	1000.00	100	
107	29- खनन एवं भू-तत्व विभाग	4853-02-004-01	खनन स्थापना-मुख्य निर्माण कार्य	400.00	400.00	100
108		4853-02-004-03	भूतात्विक अन्वेषण इकाई का जीर्णोद्धार/सुदृढीकरण	150.00	150.00	100
109		4853-02-800-04	चेकपोस्ट का निर्माण	50.00	50.00	100
110	30- कल्याण विभाग (अल्पसंख्यक कल्याण प्रभाग)	4225-80-277-13	अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान को सहायता	200.00	200.00	100

क्र. सं.	अनुदान का नाम एवं संख्या	लेखा शीर्ष	योजना का नाम	प्रावधान	अभ्यर्पण की राशि	अभ्यर्पण की प्रतिशतता
111	33- कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग (कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार प्रभाग)	2070-00-003-02	उप दंडाधिकारी का प्रशिक्षण	96.74	96.74	100
112	35- योजना-सह-वित्त विभाग (योजना प्रभाग)	2053-00-796-31	कौशल विकास मिशन	3000.00	3000.00	100
113		2053-00-796-33	डी.एच.डी.आर./एस.एच.डी. आर एवं अन्य के विकास और सांख्यिकी से संबन्धित प्रतिवेदन की तैयारी तथा प्रकाशन	200.00	200.00	100
114		2053-00-796-36	नए वाहनों का क्रय	50.00	50.00	100
115		2053-00-796-37	पी.पी.पी. (भायेबिलिटी गैप फंडिंग)	3000.00	3000.00	100
116		2053-00-796-38	मूल्यांकन/परामर्शी/अन्य संविदा सेवा	200.00	200.00	100
117		2235-02-102-01	मुख्यमंत्री लक्ष्मी लाइली योजना	5000.00	5000.00	100
118		2235-02-796-01	मुख्यमंत्री लक्ष्मी लाइली योजना	5000.00	5000.00	100
119		3454-02-204-16	झारखंड राज्य नीतिगत सांख्यिकी योजना	117.69	117.69	100
120		3454-02-796-16	झारखंड राज्य नीतिगत सांख्यिकी योजना	915.66	915.66	100
121		36- पेय जल एवं स्वच्छता विभाग	4215-01-106-07	ग्रामीण स्वच्छता	647.00	647.00
122	39- गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (आपदा प्रबंधन प्रभाग)	2245-01-101-01	निःसहायों एवं विकलांगों को नगद राहत	1300.00	1300.00	100
123		2245-01-101-02	खाद्यान्न की आपूर्ति	3000.00	3000.00	100
124		2245-01-101-08	खाद्यान्न की आपूर्ति हेतु राज्य सहायता	714.00	714.00	100
125		2245-01-101-09	अन्य कार्यों हेतु राज्य सहायता	200.00	200.00	100
126		2245-01-104-01	चारा की आपूर्ति	200.00	200.00	100
127		2245-01-282-01	दवाओं की आपूर्ति	1450.00	1450.00	100
128		2245-02-101-01	निःसहायों एवं विकलांगों को नगद राहत	50.00	50.00	100
129		2245-02-101-02	खाद्यान्न की आपूर्ति	100.00	100.00	100
130		2245-02-101-06	अन्य राज्यों के आपदा पीड़ितों को सहायता	500.00	500.00	100
131		2245-02-105-01	मवेशी हेतु औषधियाँ	50.00	50.00	100
132		2245-02-282-01	मानव हेतु औषधियों की आपूर्ति	100.00	100.00	100
133		2245-80-102-02	संचार उपकरणों सहित आवश्यक खोज, बचाव एवं निष्कासन संबंधी उपकरणों की उपलब्धि	100.00	100.00	100

31 मार्च 2016 को समाप्त हुए वर्ष का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राज्य वित्त)

क्र. सं.	अनुदान का नाम एवं संख्या	लेखा शीर्ष	योजना का नाम	प्रावधान	अभ्यर्पण की राशि	अभ्यर्पण की प्रतिशतता
134	39- गृह, कारा एवं आपदा	2245-80-102-09	विभिन्न संवर्गों से लिए गए राज्य अधिकारियों के कोर बहूविषयी समूहों का प्रशिक्षण	57.00	57.00	100
135	प्रबंधन विभाग (आपदा प्रबंधन प्रभाग)	2245-80-102-12	भू-धसान से प्रभावित व्यक्तियों को सहायता अनुदान	100.00	100.00	100
136		2245-80-102-14	अंतरराज्यीय आपदा हेतु राहत कैंपों की व्यवस्था	50.00	50.00	100
137	40- राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग (राजस्व एवं भूमि सुधार प्रभाग)	2029-00-103-01	भू-अभिलेखों का कंप्यूटरीकरण	1526.00	1526.00	100
138		2029-00-796-04	राजस्व प्रशासन का सुदृढीकरण तथा भू-अभिलेखों का अद्यतिकरण	2640.00	2640.00	100
139		3454-01-001-01	कृषि गणना	58.00	58.00	100
140	42- ग्रामीण विकास विभाग	2501-02-101-01	सूखा ग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम	7938.00	7938.00	100
141	(ग्रामीण विकास प्रभाग)	2501-02-789-01	सूखा ग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम	2430.00	2430.00	100
142		2515-00-789-46	प्रधान मंत्री आदर्श ग्राम योजना	1000.00	1000.00	100
143		2515-00-796-40	पोस्ट स्टेज-2 ब्लॉक	100.00	100.00	100
144	45- सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई-गवर्नेन्स विभाग	2203-00-001-10	राष्ट्रीय ई-गवर्नेन्स (अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता)	7500.00	7500.00	100
145		2203-00-001-65	आई.टी. पार्क की स्थापना	50.00	50.00	100
146		2203-00-001-68	आई.टी. पार्क की स्थापना	50.00	50.00	100
147		2203-00-001-86	सॉफ्टवेयर पार्क हेतु सहायता अनुदान	100.00	100.00	100
148		2203-00-001-89	ई-कार्यालय	80.00	80.00	100
149		2203-00-001-A0	आई.टी. के निर्माण हेतु परामर्श शुल्क	50.00	50.00	100
150		2203-00-789-85	कौशल विकास (युवा हेतु कार्यक्रम)	100.00	100.00	100
151		2203-00-796-01	जिलों में कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना	300.00	300.00	100
152		4202-02-105-69	आई.आई.आई.टी. का निर्माण	250.00	250.00	100
153		4202-02-105-73	आई.टी. भवन का निर्माण	450.00	450.00	100
154		4202-02-105-74	आई.टी. पार्क का निर्माण	400.00	400.00	100
155		47- परिवहन विभाग	3075-60-796-04	रेल परियोजनाओं हेतु विशेष परियोजन वाहन	60.00	60.00
156	(परिवहन प्रभाग)	5055-00-796-02	परिवहन निदेशालय का सुदृढीकरण-भवनों का निर्माण	120.00	120.00	100
157		5055-00-796-19	मोटर प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना	50.00	50.00	100
158	48- नगर विकास एवं आवास विभाग	2215-01-789-01	पेयजल जलापूर्ति हेतु शहरी स्थानीय निकायों को सहायता अनुदान	1000.00	1000.00	100
159	(नगर विकास प्रभाग)	2215-02-789-11	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन योजना हेतु शहरी स्थानीय निकायों को सहायता अनुदान	240.00	240.00	100

क्र. सं.	अनुदान का नाम एवं संख्या	लेखा शीर्ष	योजना का नाम	प्रावधान	अभ्यर्पण की राशि	अभ्यर्पण की प्रतिशतता
160	48- नगर विकास एवं आवास विभाग (नगर विकास प्रभाग)	2215-02-789-12	सिवरेज एवं ड्रेनेज हेतु शहरी स्थानीय निकायों को सहायता अनुदान	700.00	700.00	100
161		2217-80-191-59	राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन हेतु सहायता अनुदान	550.00	550.00	100
162		2217-80-191-60	एम.ओ.ई.एफ., भारत सरकार-एन.आर.सी.पी. द्वारा प्रायोजित योजना हेतु सहायता अनुदान	1260.00	1260.00	100
163		2217-80-191-62	एम.ओ.ई.एफ., भारत सरकार-एन.आर.सी.पी. द्वारा प्रायोजित योजना हेतु सहायता अनुदान	2440.00	2440.00	100
164		2217-80-191-65	झारखंड शहरी विकास निधि हेतु सहायता अनुदान	500.00	500.00	100
165		2217-80-191-67	ई.ए.पी. राँची सीवरेज ड्रेनेज एवं इनर सर्कुलर रोड योजना हेतु सहायता अनुदान	500.00	500.00	100
166		2217-80-191-70	स्मार्ट शहर	200.00	200.00	100
167		2217-80-191-74	केंद्र प्रायोजित योजना के अंतर्गत शहरी योजना एवं परियोजना प्रबंधन हेतु सहायता अनुदान	80.00	80.00	100
168		2217-80-191-75	स्मार्ट शहर	600.00	600.00	100
169		2217-80-191-80	पी.पी.पी. परियोजना को राज्यांश	300.00	300.00	100
170		2217-80-789-35	कौशल विकास एवं कैपिसिटी भवन हेतु सहायता अनुदान	50.00	50.00	100
171		2217-80-789-59	राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन हेतु सहायता अनुदान	200.00	200.00	100
172		2217-80-789-60	राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन हेतु सहायता अनुदान	600.00	600.00	100
173		2217-80-789-63	राजीव आवास योजना हेतु सहायता अनुदान	1000.00	1000.00	100
174		2217-80-789-78	जे.एन.एन.यू.आर.एम. परियोजनाओं का पूर्ण होना	100.00	100.00	100
175		2217-80-796-59	राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन हेतु सहायता अनुदान	750.00	750.00	100
176	2217-80-796-61	एम.ओ.ई.एफ., भारत सरकार-एन.आर.सी.पी. (एन.एल.सी.पी. सहित) एवं एन.जी.आर.बी.ए. द्वारा प्रायोजित योजना हेतु सहायता अनुदान	3000.00	3000.00	100	

31 मार्च 2016 को समाप्त हुए वर्ष का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राज्य वित्त)

क्र. सं.	अनुदान का नाम एवं संख्या	लेखा शीर्ष	योजना का नाम	प्रावधान	अभ्यर्पण की राशि	अभ्यर्पण की प्रतिशतता	
177	48- नगर विकास एवं आवास विभाग (नगर विकास प्रभाग)	2217-80-796-62	एम.ओ.ई.एफ., भारत सरकार-एन.आर. सी.पी. (एन.एल.सी.पी. सहित) एवं एन.जी.आर.बी.ए. द्वारा प्रायोजित योजना हेतु सहायता अनुदान	7000.00	7000.00	100	
178		2217-80-796-63	राजीव आवास योजना हेतु सहायता अनुदान	1800.00	1800.00	100	
179		2217-80-796-67	ई.ए.पी. राँची सीवरेज ड्रेनेज एवं इनर सर्कुलर रोड योजना हेतु सहायता अनुदान	2000.00	2000.00	100	
180		2217-80-796-69	केंद्र प्रायोजित योजना के अंतर्गत शहरी योजना एवं परियोजना प्रबंधन हेतु सहायता अनुदान	60.00	60.00	100	
181		2217-80-796-70	स्मार्ट शहर	300.00	300.00	100	
182		2217-80-796-74	केंद्र प्रायोजित योजना के अंतर्गत शहरी योजना एवं परियोजना प्रबंधन हेतु सहायता अनुदान	120.00	120.00	100	
183		2217-80-796-77	जे.एन.एन.यू.आर.एम. (राँची सिवरेज एवं सी.सी.बी.पी.) के अंतर्गत चालू योजना	13100.00	13100.00	100	
184		2217-80-796-80	पी.पी.पी. परियोजना को राज्यान्श	700.00	700.00	100	
185		49- जल संसाधन विभाग	2711-01-001-01	गंगा नदी के दाये तट पर बाढ़ के दौरान मरम्मत कार्य	100.00	100.00	100
186			4700-80-800-12	ए.आई.बी.पी. एवं अन्य जल संसाधन कार्यक्रम	100.00	100.00	100
187	4701-80-789-72		मध्यम सिंचाई परियोजना ए.आई.बी.पी. के अंतर्गत चालू योजना का निर्माण	100.00	100.00	100	
188	4701-80-796-12		बाँध सुरक्षा एवं हाईड्रोलोजी परियोजना -2	50.00	50.00	100	
189	4701-80-796-14		झारखंड सिंचाई आयोग का गठन	100.00	100.00	100	
190	4701-80-796-39		वाल्मी एवं सिंचाई भवन का निर्माण	150.00	150.00	100	
191	4701-80-796-72		मध्यम सिंचाई परियोजना ए.आई.बी.पी. के अंतर्गत चालू योजना का निर्माण	275.00	275.00	100	
192	4701-80-800-65		छोटानागपुर एवं संथाल परगना सिंचाई परियोजना के अंतर्गत नयी योजना का निर्माण	155.00	155.00	100	
193	50- जल संसाधन विभाग (लघु सिंचाई प्रभाग)		4702-00-101-07	जल निकाय का पुनर्स्थापना कार्य	100.00	100.00	100
194		4702-00-101-36	भूमि जल सिंचाई योजना	100.00	100.00	100	

क्र. सं.	अनुदान का नाम एवं संख्या	लेखा शीर्ष	योजना का नाम	प्रावधान	अभ्यर्पण की राशि	अभ्यर्पण की प्रतिशतता
195	50- जल संसाधन विभाग (लघु सिंचाई प्रभाग)	4702-00-789-18	चालू लघु सिंचाई परियोजना का निर्माण	50.00	50.00	100
196		4702-00-789-19	नई लघु सिंचाई योजना का निर्माण	50.00	50.00	100
197		4702-00-789-20	पुराने लघु सिंचाई योजना का रख-रखाव एवं पुनर्स्थापना	250.00	250.00	100
198		4702-00-789-28	नई लघु सिंचाई योजना का निर्माण	66.00	66.00	100
199		4702-00-789-35	ए.आई.बी.पी. एवं अन्य जल संसाधन कार्यक्रम	300.00	300.00	100
200		4702-00-796-07	जल निकाय का पुनर्स्थापना कार्य	100.00	100.00	100
201		4702-00-796-36	भूमि जल सिंचाई योजना	200.00	200.00	100
202	51- कल्याण विभाग (कल्याण प्रभाग)	2225-02-796-89	लाह एवं लघु वन हेतु विपणन एवं विकास कार्यक्रम	3000.00	3000.00	100
203		2225-03-796-07	पिछड़ा वर्ग विकास निगम	50.00	50.00	100
204	52- पर्यटन, कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग (कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य प्रभाग)	2204-00-104-32	खेल संघ को अनुदान	120.00	120.00	100
205		2204-00-789-32	खेल संघ को अनुदान	80.00	80.00	100
206		2204-00-796-32	खेल संघ को अनुदान	300.00	300.00	100
207		2205-00-796-37	रवीन्द्र भवन की स्थापना एवं कार्यशाला का आयोजन	475.00	475.00	100
208		4202-04-101-01	सांस्कृतिक भवन का निर्माण	70.00	70.00	100
209	53- कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग)	2405-00-101-46	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना स्ट्रीम-1	160.00	160.00	100
210		2405-00-796-46	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना स्ट्रीम-1	110.00	110.00	100
211		4405-00-101-58	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना आर.के.वी.वाई.	200.00	200.00	100
212		4405-00-796-63	मत्स्य अनुसंधान एवं विकास केंद्र की स्थापना	125.00	125.00	100
213	54- कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (डेयरी प्रभाग)	2404-00-102-36	दुधारू मवेशी वितरण	1072.85	1072.85	100
214		2404-00-102-37	नस्ल सुधार एवं उत्पादकता वृद्धि कार्यक्रम	65.00	65.00	100
215		2404-00-102-38	प्रोटीन सप्लीमेंट्स राष्ट्रीय मिशन योजना	100.00	100.00	100
216		2404-00-102-41	बीज संग्रहण एवं वितरण कार्यक्रम	180.00	180.00	100
217		2404-00-102-46	गैर-वन बंजर भूमि/घास भूमि में चारा उत्पादन	60.00	60.00	100
218		2404-00-102-47	एजोला उत्पादन एवं प्रदर्शन इकाई हेतु मानव संसाधन विकास	60.00	60.00	100
219		2404-00-102-49	चारा निर्माण इकाई	50.00	50.00	100
220		2404-00-102-51	बाईपास प्रोटीन निर्माण इकाई की स्थापना	200.00	200.00	100

31 मार्च 2016 को समाप्त हुए वर्ष का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राज्य वित्त)

क्र. सं.	अनुदान का नाम एवं संख्या	लेखा शीर्ष	योजना का नाम	प्रावधान	अभ्यर्पण की राशि	अभ्यर्पण की प्रतिशतता
221	54- कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (डेयरी प्रभाग)	2404-00-102-52	फीड जॉच प्रयोगशाला की स्थापना/आधुनिकीकरण	200.00	200.00	100
222		2404-00-102-60	डेयरी विकास हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम	300.00	300.00	100
223		2404-00-102-61	राष्ट्रीय गोकुल मिशन	200.00	200.00	100
224		2404-00-789-36	दुधारू मवेशी वितरण	263.95	263.95	100
225		2404-00-789-38	प्रोटीन सप्लीमेंट्स राष्ट्रीय मिशन योजना	130.00	130.00	100
226		2404-00-796-36	दुधारू मवेशी वितरण	494.70	494.70	100
227		2404-00-796-38	प्रोटीन सप्लीमेंट्स राष्ट्रीय मिशन योजना	170.00	170.00	100
228		2404-00-796-61	राष्ट्रीय गोकुल मिशन	100.00	100.00	100
229	55- ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य प्रभाग)	2515-00-001-35	न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम- पी.आई.यू. का सुदृढीकरण	250.00	250.00	100
230		2515-00-796-35	न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम- पी.आई.यू. का सुदृढीकरण	250.00	250.00	100
231		4515-00-103-14	न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम- पी.एम.जी.एस.वाई. के अन्तर्गत डी.पी.आर. का निर्माण	250.00	250.00	100
232		4515-00-103-15	न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम- पी.एम.जी.एस.वाई. के अन्तर्गत संपर्क पथ हेतु भूमि का अधिग्रहण	50.00	50.00	100
233		4515-00-103-20	जे.एस.आर.आर.डी.ए. का सुदृढीकरण	100.00	100.00	100
234		4515-00-789-36	न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम-परामर्शी सेवा	100.00	100.00	100
235		4515-00-796-15	न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम- पी.एम.जी.एस.वाई. के अन्तर्गत संपर्क पथ हेतु भूमि का अधिग्रहण	50.00	50.00	100
236		56- ग्रामीण विकास विभाग (पंचायती राज प्रभाग)	2515-00-001-15	पिछड़ा क्षेत्र अनुदान कोष	25505.00	25505.00
237	2515-00-001-38		वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित जिलों हेतु अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता	17000.00	17000.00	100
238	2515-00-789-15		पिछड़ा क्षेत्र अनुदान कोष	5590.00	5590.00	100
239	2515-00-789-38		वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित जिलों हेतु अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता	8500.00	8500.00	100
240	2515-00-796-15		पिछड़ा क्षेत्र अनुदान कोष	15805.00	15805.00	100
241	2515-00-796-38		वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित जिलों हेतु अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता	25500.00	25500.00	100
242	57- नगर विकास एवं आवास विभाग (आवास प्रभाग)	2216-02-796-08	पी.एम.यू. एवं परामर्शी हेतु सहायता अनुदान	150.00	150.00	100
243		2216-02-796-09	झारखंड राज्य आवास बोर्ड हेतु भवन निर्माण	250.00	250.00	100
244		2216-03-789-01	सिद्ध-कान्हू आवास योजना हेतु सहायता अनुदान	100.00	100.00	100

क्र. सं.	अनुदान का नाम एवं संख्या	लेखा शीर्ष	योजना का नाम	प्रावधान	अभ्यर्पण की राशि	अभ्यर्पण की प्रतिशतता
245	58- स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (माध्यमिक शिक्षा प्रभाग)	2202-02-109-36	सी.एस.पी.एस. के अंतर्गत मॉडल विद्यालय की स्थापना	2000.00	2000.00	100
246		2202-02-789-24	सामान्य वर्ग के छात्राओं (वर्ग 8) के बीच निःशुल्क साईकिल वितरण	136.00	136.00	100
247		2202-02-789-36	सी.एस.पी.एस. के अंतर्गत मॉडल विद्यालय की स्थापना	680.00	680.00	100
248		2202-02-796-36	सी.एस.पी.एस. के अंतर्गत मॉडल विद्यालय की स्थापना	1320.00	1320.00	100
249		2202-02-796-45	सी.एस.पी.एस. के अंतर्गत बालिका छात्रावास का निर्माण	2929.90	2929.90	100
250		2202-05-796-05	एस.पी.क्यू.ई.एम. योजना के अंतर्गत मदरसा को प्राप्त अनुदान	418.71	418.71	100
251	60- महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग	2235-02-102-94	मॉडल आंगनवाड़ी केंद्र	78.00	78.00	100
252		2235-02-103-71	जीवन आशा	182.00	182.00	100
253		2235-02-103-81	महिला एवं किशोरी बालिकाओं हेतु कौशल विकास कार्यक्रम	410.00	410.00	100
254		2235-02-106-96	आई.सी.डी.एस. (सुदृढीकरण एवं पुनर्निर्माण)	8060.00	8060.00	100
255		2235-02-789-81	महिला एवं किशोरी बालिकाओं हेतु कौशल विकास कार्यक्रम	110.00	110.00	100
256		2235-02-796-67	किशोरी बालिकाओं तथा धाई केएस एंटी ट्रैफिकिंग से बचाव हेतु पुनर्वास केंद्र की स्थापना	50.00	50.00	100
257		2235-02-796-71	जीवन आशा	213.00	213.00	100
258		2235-02-796-81	महिला एवं किशोरी बालिकाओं हेतु कौशल विकास कार्यक्रम	480.00	480.00	100
259		2235-02-796-92	नारी उत्थान कोष	96.00	96.00	100
260		2235-02-796-94	मॉडल आंगनवाड़ी केंद्र	91.00	91.00	100
261		2235-02-796-96	आई.सी.डी.एस. (सुदृढीकरण एवं पुनर्निर्माण)	8731.00	8731.00	100
262		4235-02-102-72	प्रतिप्रेक्षण (बाल सुधार) गृह का निर्माण	96.00	96.00	100
263		4235-02-796-72	प्रतिप्रेक्षण (बाल सुधार) गृह का निर्माण	104.00	104.00	100
कुल				306697.79	306697.79	100

31 मार्च 2016 को समाप्त हुए वर्ष का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राज्य वित्त)

परिशिष्ट 2.9
वर्ष के अंत में व्यय का वेग
(संदर्भ: कंडिका 2.5; पृष्ठ 56)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विभाग का नाम	शीर्ष	जनवरी से मार्च 2016 के दौरान किया गया व्यय	मार्च 2016 में किया गया व्यय	कुल व्यय	के दौरान कुल व्यय की प्रतिशतता	
						जनवरी से मार्च 2016	मार्च 2016
1	परिवहन विभाग (नागर विमानन प्रभाग)	5053	100.00	69.18	100.00	100.00	69.18
2	महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग	4235	85.59	83.73	88.80	96.38	94.29
3	पर्यटन, कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग (पर्यटन प्रभाग)	3452	26.24	13.89	32.46	80.84	42.80
4	कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (कृषि प्रभाग)	4402	28.24	11.10	34.96	80.76	31.74
5	पर्यटन, कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग (कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य प्रभाग)	2204	26.90	22.85	36.25	74.23	63.05
6	कल्याण विभाग (कल्याण प्रभाग)	4225	173.19	125.18	234.38	73.89	53.41
7	नगर विकास एवं आवास विभाग (आवास प्रभाग)	2216	27.65	23.41	38.47	71.86	60.86
8	जल संसाधन विभाग (लघु सिंचाई प्रभाग)	4702	33.59	23.61	47.57	70.61	49.63
9	कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (डेयरी प्रभाग)	2404	127.05	70.75	180.01	70.58	39.30
10	नगर विकास एवं आवास विभाग (नगर विकास प्रभाग)	2217	934.85	746.81	1351.58	69.17	55.25
11	जल संसाधन विभाग	4701	163.87	77.94	254.59	64.36	30.61
12	जल संसाधन विभाग	4700	502.83	182.46	803.97	62.54	22.69
13	सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई-गवर्नेन्स विभाग	2203	112.97	49.99	183.97	61.41	27.17
14	पेय जल एवं स्वच्छता विभाग	4215	117.68	66.66	193.07	60.95	34.52
15	भवन निर्माण विभाग	4059	199.09	79.49	328.21	60.66	24.22
16	ऊर्जा विभाग	2810	48.00	48.00	80.00	60.00	60.00
17	कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (कृषि प्रभाग)	2401	261.09	172.41	449.76	58.05	38.33
18	गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (गृह प्रभाग)	4055	120.42	99.79	209.63	57.44	47.60
19	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (प्राथमिक एवं व्यस्क शिक्षा प्रभाग)	4202	57.71	22.38	103.38	55.82	21.65
20	ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण विकास प्रभाग)	2501	159.71	84.44	291.12	54.86	29.01
21	खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग	3456	411.47	207.36	774.11	53.15	26.79
22	कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (सहकारिता प्रभाग)	2425	56.75	12.45	108.92	52.10	11.43
23	श्रम, नियोजन एवं कौशल विकास विभाग	2230	58.39	16.74	112.83	51.75	14.84
24	पेय जल एवं स्वच्छता विभाग	2515	1026.77	480.22	2051.74	50.04	23.41
कुल			4860.05	2790.84	8089.78	60.08	34.50

परिशिष्ट 2.10
नियंत्रक अधिकारियों की सूची जहाँ वर्ष 2015-16 के दौरान व्यय असंशोधित रह गया
(प्रत्येक मामले में ₹ 10 करोड़ से अधिक की राशि)
 (संदर्भ: कडिका 2.6; पृष्ठ 57)

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	नियंत्रक अधिकारी/विभाग	असंशोधित राशि
1	सचिव, विधि विभाग, झारखण्ड, राँची	108.83
2	चुनाव आयुक्त, चुनाव विभाग, झारखण्ड, राँची	43.53
3	वाणिज्यिक कर आयुक्त, झारखण्ड, राँची	38.71
4	सचिव, वित्त एवं राजस्व व भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची	2732.61
5	सचिव, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, झारखण्ड	277.68
6	अपर सचिव, गृह (पुलिस) विभाग, सेक्शन-IV ग्रामीण पुलिस, झारखण्ड आयुक्त, उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल, हजारीबाग आयुक्त, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमण्डल, राँची	3057.72
7	महानिरीक्षक (कारा), गृह विभाग, झारखण्ड, राँची	65.59
8	उप सचिव, प्राथमिक एवं व्यस्क शिक्षा विभाग, राँची	6300.56
9	उप सचिव, प्राथमिक एवं व्यस्क शिक्षा विभाग, राँची	103.37
10	उप सचिव, कला संस्कृति एवं युवा विभाग, झारखण्ड, राँची	35.05
11	निदेशक, स्वास्थ्य सेवा, झारखण्ड, राँची	1685.47
12	निदेशक, स्वास्थ्य सेवा, झारखण्ड, राँची	339.90
13	अवर सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची	72.98
14	सचिव, पी.एच.ई.डी. विभाग, झारखण्ड, राँची	980.20
15	सचिव, नगर विकास विभाग, झारखण्ड, राँची	1351.55
16	सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची	224.92
17	श्रम आयुक्त, झारखण्ड, राँची निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड, राँची निदेशक, सामाजिक सुरक्षा निदेशालय, झारखण्ड, राँची	74.81
18	संयुक्त सचिव, प्राकृतिक आपदा विभाग, झारखण्ड, राँची	522.11
19	सचिव, कृषि विभाग, झारखण्ड, राँची	398.17
20	सचिव, लघु सिंचाई विभाग, राँची	26.06
21	आयुक्त-सह-सचिव, 104-राजस्व विभाग	188.56
22	उप सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची	1829.83
23	निदेशक, पंचायती राज विभाग, झारखण्ड, राँची	3742.59
24	सचिव, प्रशासन, वित्त विभाग, झारखण्ड	11.61
25	सचिव, पशुपालन एवं मत्स्य विभाग, राँची	76.92
26	सचिव, परिवहन एवं नागर विमानन-सह-राज्य आयुक्त, झारखण्ड	89.85
कुल		24379.18

स्रोत: प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक.) का कार्यालय, झारखण्ड, राँची

परिशिष्ट 2.11

वित्तीय वर्ष 2015-16 के अंतिम दिन अभ्यर्पण के ब्यौरे

(संदर्भ: कंडिका 2.7.7; पृष्ठ 60)

(₹ लाख में)

क्र.सं.	शीर्ष	योजना/ गैर-योजना	अभ्यर्पण का पत्रांक	अभ्यर्पण का दिनांक	राशि
1	2217-80-192-05	गैर-योजना	1742	31/03/2016	1.98
2	2217-80-191-40	गैर-योजना	1744	31/03/2016	3.16
3	2215-02-192-06	गैर-योजना	1737	31/03/2016	10.00
4	2217-80-193-07	गैर-योजना	1753	31/03/2016	12.11
5	6217-60-193-02	गैर-योजना	1756	31/03/2016	16.15
6	2217-80-193-05	गैर-योजना	1743	31/03/2016	23.28
7	2217-80-001-05	गैर-योजना	1740	31/03/2016	40.00
8	2217-80-192-07	गैर-योजना	1752	31/03/2016	45.57
9	2217-80-001-04	गैर-योजना	1739	31/03/2016	54.41
10	2217-80-192-40	गैर-योजना	1745	31/03/2016	58.67
11	6217-60-192-03	गैर-योजना	1755	31/03/2016	60.62
12	2217-80-193-40	गैर-योजना	1746	31/03/2016	172.04
13	2217-80-192-82	गैर-योजना	1759	31/03/2016	538.07
14	2217-80-193-83	गैर-योजना	1760	31/03/2016	652.36
15	2215-02-192-06	गैर-योजना	250	29/04/2016	10.00
16	2217-80-001-01	गैर-योजना	250	29/04/2016	50.84
17	2217-80-001-02	गैर-योजना	250	29/04/2016	5.85
18	2217-80-001-03	गैर-योजना	250	29/04/2016	31.80
19	2217-80-001-04	गैर-योजना	250	29/04/2016	54.41
20	2217-80-001-05	गैर-योजना	250	29/04/2016	40.00
21	2217-80-191-40	गैर-योजना	250	29/04/2016	3.16
22	2217-80-192-05	गैर-योजना	250	29/04/2016	1.98
23	2217-80-192-07	गैर-योजना	250	29/04/2016	45.57
24	2217-80-192-40	गैर-योजना	250	29/04/2016	58.67
25	2217-80-192-82	गैर-योजना	250	29/04/2016	538.07
26	2217-80-193-05	गैर-योजना	250	29/04/2016	23.28
27	2217-80-193-07	गैर-योजना	250	29/04/2016	12.11
28	2217-80-193-40	गैर-योजना	250	29/04/2016	172.04
29	2217-80-193-83	गैर-योजना	250	29/04/2016	652.36
30	2251-00-090-05	गैर-योजना	250	29/04/2016	165.63
31	6217-60-192-03	गैर-योजना	250	29/04/2016	60.62
32	6217-60-193-02	गैर-योजना	250	29/04/2016	16.15
कुल					3630.96
1	2217-80-796-37	योजना	1785	31/03/2016	2.51
2	2217-80-789-37	योजना	1784	31/03/2016	14.98
3	2217-80-789-33	योजना	1774	31/03/2016	26.50
4	2217-80-789-33	योजना	1774	31/03/2016	26.50

क्र.सं.	शीर्ष	योजना/ गैर-योजना	अभ्यर्पण का पत्रांक	अभ्यर्पण का दिनांक	राशि
5	2217-80-789-34	योजना	1777	31/03/2016	31.74
6	2217-80-796-33	योजना	1775	31/03/2016	49.92
7	2217-80-789-35	योजना	1780	31/03/2016	50.00
8	2217-80-191-64	योजना	1827	31/03/2016	50.00
9	2217-80-191-63	योजना	1809	31/03/2016	55.68
10	2217-80-191-38	योजना	1786	31/03/2016	57.99
11	2217-80-796-89	योजना	1813	31/03/2016	68.66
12	2217-80-191-35	योजना	1779	31/03/2016	97.71
13	2217-80-796-63	योजना	1811	31/03/2016	100.00
14	2217-80-796-38	योजना	1787	31/03/2016	110.39
15	2217-80-191-34	योजना	1776	31/03/2016	130.38
16	2217-80-191-89	योजना	1812	31/03/2016	131.46
17	2217-80-191-89	योजना	1830	31/03/2016	135.37
18	2217-80-191-79	योजना	1795	31/03/2016	165.69
19	2217-80-796-64	योजना	1829	31/03/2016	182.18
20	2217-80-796-35	योजना	1781	31/03/2016	235.17
21	2217-80-191-71	योजना	1820	31/03/2016	302.02
22	2217-80-796-76	योजना	1840	31/03/2016	366.67
23	2217-80-191-33	योजना	1773	31/03/2016	483.40
24	2217-80-789-60	योजना	1823	31/03/2016	600.00
25	2217-80-191-75	योजना	1837	31/03/2016	600.00
26	2217-80-796-75	योजना	1838	31/03/2016	700.00
27	2217-80-796-89	योजना	1831	31/03/2016	737.31
28	2217-80-796-71	योजना	1821	31/03/2016	834.43
29	2217-80-191-60	योजना	1822	31/03/2016	991.89
30	2217-80-796-73	योजना	1836	31/03/2016	1085.00
31	2217-80-191-73	योजना	1835	31/03/2016	1400.00
32	2217-80-796-68	योजना	1817	31/03/2016	1691.74
33	2217-80-191-76	योजना	1839	31/03/2016	2086.67
34	2217-80-796-60	योजना	1824	31/03/2016	2178.55
35	2217-80-191-68	योजना	1816	31/03/2016	2353.27
36	2217-80-191-33	योजना	250	29/04/2016	483.40
37	2217-80-191-34	योजना	250	29/04/2016	130.38
38	2217-80-191-35	योजना	250	29/04/2016	97.71
39	2217-80-191-38	योजना	250	29/04/2016	57.99
40	2217-80-191-79	योजना	250	29/04/2016	165.69
41	2217-80-789-33	योजना	250	29/04/2016	26.50

31 मार्च 2016 को समाप्त हुए वर्ष का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राज्य वित्त)

क्र.सं.	शीर्ष	योजना/ गैर-योजना	अभ्यर्पण का पत्रांक	अभ्यर्पण का दिनांक	राशि
42	2217-80-789-34	योजना	250	29/04/2016	31.74
43	2217-80-789-35	योजना	250	29/04/2016	50.00
44	2217-80-789-37	योजना	250	29/04/2016	14.98
45	2217-80-796-33	योजना	250	29/04/2016	49.92
46	2217-80-796-35	योजना	250	29/04/2016	235.17
47	2217-80-796-37	योजना	250	29/04/2016	2.51
48	2217-80-796-38	योजना	250	29/04/2016	110.39
49	2217-80-191-60	योजना	250	29/04/2016	991.89
50	2217-80-191-63	योजना	250	29/04/2016	55.68
51	2217-80-191-64	योजना	250	29/04/2016	50.00
52	2217-80-191-68	योजना	250	29/04/2016	2353.27
53	2217-80-191-71	योजना	250	29/04/2016	302.02
54	2217-80-191-73	योजना	250	29/04/2016	1400.00
55	2217-80-191-75	योजना	250	29/04/2016	600.00
56	2217-80-191-76	योजना	250	29/04/2016	2086.67
57	2217-80-789-60	योजना	250	29/04/2016	600.00
58	2217-80-796-60	योजना	250	29/04/2016	2178.55
59	2217-80-796-63	योजना	250	29/04/2016	100.00
60	2217-80-796-64	योजना	250	29/04/2016	182.18
61	2217-80-796-68	योजना	250	29/04/2016	1691.74
62	2217-80-796-71	योजना	250	29/04/2016	834.43
63	2217-80-796-73	योजना	250	29/04/2016	1085.00
64	2217-80-796-75	योजना	250	29/04/2016	700.00
65	2217-80-796-76	योजना	250	29/04/2016	366.67
कुल					35168.26
सकल योग					38799.22

*पत्र दिनांक 29/04/2016 द्वारा अभ्यर्पण दिनांक 31/03/2016 के प्रभाव से स्वीकार किये गये।

परिशिष्ट 2.12

व्यय का वेग

(संदर्भ: कंडिका 2.7.8; पृष्ठ 60)

(₹ लाख में)

क्र.सं.	शीर्ष	आवंटन	मार्च 2016 में व्यय	कुल व्यय	मार्च में व्यय की प्रतिशतता
1	2217-80-191-63	4.32	4.32	4.32	100
2	2217-80-191-64	10.00	10.00	10.00	100
3	2217-80-191-26	10.51	10.51	10.51	100
4	2217-80-796-35	14.83	14.83	14.83	100
5	2217-80-796-64	17.82	17.82	17.82	100
6	2217-80-796-60	71.45	71.45	71.45	100
7	2217-80-796-75	200.00	200.00	200.00	100
8	2217-80-796-71	485.57	485.57	485.57	100
9	2217-80-191-72	500.00	500.00	500.00	100
10	2217-80-191-60	658.11	658.11	658.11	100
11	2217-80-191-71	757.98	757.98	757.98	100
12	6217-60-192-03	760.23	760.23	760.23	100
13	6217-60-191-03	1023.69	1023.69	1023.69	100
14	2217-80-796-89	1200.00	1131.34	1131.34	100
15	2217-80-796-55	1400.00	1400.00	1400.00	100
16	2217-80-191-89	1500.00	1430.67	1430.67	100
17	2217-80-796-89	3000.00	2262.69	2262.69	100
18	2217-80-191-89	2500.00	2364.63	2364.63	100
19	2215-02-796-12	2500.00	2500.00	2500.00	100
20	2217-80-796-72	2600.00	2600.00	2600.00	100
21	2217-80-796-78	4500.00	4500.00	4500.00	100
22	2217-80-191-56	4600.00	4600.00	4600.00	100
23	2217-80-796-34	5500.00	5500.00	5500.00	100
24	2217-80-191-79	7234.31	7234.31	7234.31	100
कुल				40038.15	
1	2217-80-191-37	592.01	573.31	592.01	96.84
2	2215-02-796-11	500.00	430.10	500.00	86.02
3	2217-80-789-37	95.02	80.25	95.02	84.46
4	2217-80-796-76	133.33	108.33	133.33	81.25
5	2217-80-193-05	16.14	12.96	16.14	80.30
6	2217-80-192-05	20.52	15.87	20.52	77.34
7	2215-01-191-01	4000.00	3081.89	4000.00	77.05
8	2217-80-796-38	1239.61	934.86	1239.61	75.42

31 मार्च 2016 को समाप्त हुए वर्ष का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राज्य वित्त)

क्र.सं.	शीर्ष	आवंटन	मार्च 2016 में व्यय	कुल व्यय	मार्च में व्यय की प्रतिशतता
9	2217-80-191-76	358.33	258.33	358.33	72.09
10	2217-80-796-68	3368.26	2421.35	3368.26	71.89
11	2217-80-191-36	300.00	210.53	300.00	70.18
12	2215-02-191-11	400.00	279.85	400.00	69.96
13	2217-80-192-82	4626.33	3223.75	4626.33	69.68
14	2217-80-789-56	1770.00	1200.00	1770.00	67.80
15	2217-80-796-56	10992.00	7160.23	10992.00	65.14
16	2217-80-191-81	10734.78	6378.56	10511.82	60.68
कुल				38923.37	

परिशिष्ट 2.13

समस्त बजट प्रावधान का अभ्यर्षण

(संदर्भ: कंडिका 2.7.10; पृष्ठ 61)

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	शीर्ष	आवंटन			
		मूल	पूरक	अभ्यर्षण	अंतिम
1	2215-01-789-01	10.00	0.00	10.00	0.00
2	2215-02-789-11	2.40	0.00	2.40	0.00
3	2215-02-789-12	7.00	0.00	7.00	0.00
4	2217-80-001-05	0.40	0.00	0.40	0.00
5	2217-80-191-59	5.50	0.00	5.50	0.00
6	2217-80-191-61	12.60	0.00	12.60	0.00
7	2217-80-191-62	24.40	0.00	24.40	0.00
8	2217-80-191-65	5.00	0.00	5.00	0.00
9	2217-80-191-67	5.00	0.00	5.00	0.00
10	2217-80-191-69	0.40	0.00	0.40	0.00
11	2217-80-191-70	2.00	0.00	2.00	0.00
12	2217-80-191-74	0.80	0.00	0.80	0.00
13	2217-80-191-75	6.00	0.00	6.00	0.00
14	2217-80-191-80	3.00	0.00	3.00	0.00
15	2217-80-789-35	0.50	0.00	0.50	0.00
16	2217-80-789-59	2.00	0.00	2.00	0.00
17	2217-80-789-60	6.00	0.00	6.00	0.00
18	2217-80-789-63	10.00	0.00	10.00	0.00
19	2217-80-789-64	10.00	0.00	10.00	0.00
20	2217-80-789-78	1.00	0.00	1.00	0.00
21	2217-80-796-59	7.50	0.00	7.50	0.00
22	2217-80-796-61	30.00	0.00	30.00	0.00
23	2217-80-796-62	70.00	0.00	70.00	0.00
24	2217-80-796-63	18.00	0.00	18.00	0.00
25	2217-80-796-67	20.00	0.00	20.00	0.00
26	2217-80-796-69	0.60	0.00	0.60	0.00
27	2217-80-796-70	3.00	0.00	3.00	0.00
28	2217-80-796-74	1.20	0.00	1.20	0.00
29	2217-80-796-77	131.00	0.00	131.00	0.00
30	2217-80-796-80	7.00	0.00	7.00	0.00
कुल		402.30	0.00	402.30	0.00

परिशिष्ट 3.1

31 मार्च 2016 तक बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्र

(संदर्भ: कंडिका 3.1.1; पृष्ठ 64)

(₹ करोड़ में)

विभाग	2014-15 तक (2013-14 तक स्वीकृत सहायता अनुदान)		2015-16 के दौरान (2014-15 तक स्वीकृत सहायता अनुदान)		प्रतीक्षारत कुल उ.प्र.प.	
	मद	राशि	मद	राशि	मद	राशि
उद्योग	38	46.41	93	119.48	131	165.89
शिक्षा	53	542.60	164	9320.30	217	9862.90
सहकारिता	123	147.09	3	9.00	126	156.09
पशुपालन	42	27.03	शून्य	शून्य	42	27.03
चिकित्सा	2	35.00	3	160.00	5	195.00
कल्याण	478	377.52	215	226.26	693	603.78
कृषि	34	74.32	11	85.34	45	159.66
भूमि राजस्व	1	0.21	शून्य	शून्य	1	0.21
शहरी विकास	3820	1503.41	950	897.57	4770	2400.98
अन्य	1115	2254.55	1237	6499.59	2352	8754.14
कुल	5706	5008.14	2676	17317.54	8382	22325.68

स्रोत: प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक.) द्वारा रखे गये अभिलेखों के अनुसार।

परिशिष्ट 3.2

सी.ए.जी. के डी.पी.सी. अधिनियम की धारा 14 एवं 15 के अधीन चिन्हित लेखापरीक्षा योग्य इकाइयों की सूची
(संदर्भ: कंडिका 3.2.1; पृष्ठ 68)

क्र.सं.	विभाग	कार्यालय का नाम	जिला	तक लेखापरीक्षित
1	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य समिति	बोकारो	2013-14
2	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य समिति	चतरा	2012-13
3	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य समिति	देवघर	2012-13
4	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य समिति	धनबाद	2013-14
5	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य समिति	दुमका	2011-12
6	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य समिति	पूर्वी सिंहभूम	2013-14
7	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य समिति	गढ़वा	2011-12
8	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य समिति	गिरिडीह	2013-14
9	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य समिति	गोड्डा	2012-13
10	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य समिति	गुमला	2011-12
11	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य समिति	हजारीबाग	2012-13
12	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य समिति	जामताड़ा	2012-13
13	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य समिति	खूँटी	2011-12
14	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य समिति	कोडरमा	2011-12
15	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य समिति	लातेहार	12/2012
16	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य समिति	लोहरदगा	3/2012
17	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य समिति	पाकुड़	2007-08
18	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य समिति	पलामू	2007-08
19	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य समिति	राँची	7/2005
20	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य समिति	रामगढ़	2011-12
21	स्वास्थ्य	झारखण्ड राज्य स्वास्थ्य मिशन सोसाईटी, नामकुम	राँची	2010-11
22	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य समिति	सरायकेला खरसावाँ	9/2014
23	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य समिति,	सिमडेगा	2013-14
24	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य समिति,	पश्चिम सिंहभूम	2007-08
25	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य समिति,	साहेबगंज	SI
26	शिक्षा	झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद्, राँची	राँची	2014-15
27	स्वास्थ्य	झारखण्ड एड्स नियंत्रण सोसाईटी, राँची	राँची	SI
28	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	बोकारो	2011-12
29	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	चतरा	12/2015
30	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	देवघर	2011-12
31	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	धनबाद	2012-13
32	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	दुमका	12/2015
33	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	जमशेदपुर	2014-15
34	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	गढ़वा	2010-11
35	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	गिरिडीह	2011-12
36	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	गोड्डा	2011-12

31 मार्च 2016 को समाप्त हुए वर्ष का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राज्य वित्त)

क्र.सं.	विभाग	कार्यालय का नाम	जिला	तक लेखापरीक्षित
37	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	गुमला	2012-13
38	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	हजारीबाग	2012-13
39	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	कोडरमा	2010-11
40	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	लोहरदगा	2012-13
41	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	पाकुड़	2011-12
42	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	पलामू	09/2015
43	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	राँची	2014-15
44	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	साहेबगंज	03/2015
45	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	चाईबासा	2011-12
46	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	जामताड़ा	2010-11
47	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	सिमडेगा	2011-12
48	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	सरायकेला	12/2012
49	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	लातेहार	2004-05
50	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	रामगढ़	09/2010
51	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	खूँटी	शून्य
52	शिक्षा (विज्ञान एवं प्रावैधिकी)	बिरला तकनीकी संस्थान, मेसरा, राँची	राँची	02/2015
53	विमानन	नागर विमानन प्राधिकरण राँची	राँची	2012-13
54	सूचना प्रौद्योगिकी	झारखण्ड पदोन्नति अनुप्रयोग संस्थान (जेप-आई.टी.)	राँची	07/2014
55	सूचना प्रौद्योगिकी	झारखण्ड अंतरिक्ष विज्ञान केन्द्र, धुर्वा, राँची	राँची	2007-08
56	समाज कल्याण	झारखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, राँची	राँची	2006-07
57	उद्योग	औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण, राँची	राँची	09/2014
58	उद्योग	औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण, बोकारो	बोकारो	09/2015
59	उद्योग	औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण, जमशेदपुर	जमशेदपुर	01/2016
60	वन	लाह प्रशोधन संयंत्र, लातेहार	लातेहार	2008-09
61	विज्ञान एवं प्रावैधिकी	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद, झारखण्ड सरकार	राँची	2007-08
62	जैव प्रौद्योगिकी	वन में लाह की फसल की कृषि, डोरण्डा	राँची	2008-09
63	वन	वन राज्य व्यापार प्रभाग	1. लातेहार 2. गुमला 3. चाईबासा 4. हजारीबाग	1. 2009-10 2. 02/2013 3. 2011-12 4. 2008-09
64	पशुपालन	बेकन फैक्ट्री, काँके, राँची	राँची	2009-10
65	पशुपालन	क्षेत्रीय मुर्गीपालन केन्द्र, राँची	राँची	2008-09
66	विधि	उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, राँची	राँची	2008-09

क्र.सं.	विभाग	कार्यालय का नाम	जिला	तक लेखापरीक्षित
67	सूचना और जन संपर्क	राजकीय प्रेस, राँची	राँची	2010-11
68	शिक्षा एवं शोध	बिरसा कृषि विश्वविद्यालय	राँची	2006-07
69	वन	झारखण्ड जैविक विविधता परिषद, डोरण्डा, राँची	राँची	शून्य (नई इकाई)
70	उद्योग	मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी, झारखण्ड राज्य खादी ग्राम उद्योग बोर्ड, राँची	राँची	अभी जारी है
71	स्वास्थ्य	निदेशक, आर.के.मिशन, टी.बी. सेनेटोरियम, टुपुदाना	राँची	2004-05
72	शिक्षा	निदेशक, आर.के.मिशन आश्रम, मोराबादी, राँची	राँची	2007-08
73	शिक्षा	झारखण्ड महिला सामाख्या सोसाइटी, कडरू, राँची	राँची	2005-06
74	कला, संस्कृति एवं खेलकूद	राष्ट्रीय खेल संयोजक समिति, मोराबादी, राँची	राँची	2008-09

स्रोत: प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) कार्यालय में रखे गये स्थायी लेखापरीक्षा कार्यक्रम पंजी

परिशिष्ट 3.3

राजस्व अनुभाग के अधीन मुख्य कार्य

(संदर्भ: कंडिका 3.5; पृष्ठ 73)

(₹ करोड़ में)

मुख्य शीर्ष	उप मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष	उप-शीर्ष	विवरण	विस्तृत शीर्ष	राशि
2040	00	101	02	जिला प्रभार	0545 मुख्य कार्य	0.52
2059	80	053	13	विद्युत कार्य के अन्तर्गत पूँजीगत रख-रखाव कार्य	0545 मुख्य कार्य	0.35
2059	80	001	11	निर्देश-पार्क रख-रखाव	0545 मुख्य कार्य	0.35
2515	00	001	28	गैर-पी.एम.जी.एस.वाइ. पथ हेतु अधीक्षण अभियंता (आर.ई.ओ.)	0545 मुख्य कार्य	0.01
3054	03	337	01	पथ निर्माण कार्य	0545 मुख्य कार्य	6.57
कुल						7.80

परिशिष्ट 3.4

लघु-शीर्ष 800-अन्य व्यय का संचालन (10 प्रतिशत एवं अधिक)

(संदर्भ: कंडिका 3.7; पृष्ठ 75)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	मुख्य शीर्ष	विवरण	कुल व्यय	लघु-शीर्ष-800 के अधीन व्यय	कालम 5 का कालम 4 से प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	2401	फसल कृषि फर्म	449.67	50.33	11.24
2	2501	ग्रामीण विकास हेतु विशेष कार्यक्रम	291.14	60.86	20.90
3	2801	ऊर्जा	2124.44	406.96	19.16
4	4047	अन्य राजकोषीय सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय	32.34	11.97	37.01
5	4070	अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय	1.19	1.09	91.60
6	4401	कृषि पालन पर पूँजीगत परिव्यय	8.16	1.00	12.25
7	4403	पशुपालन पर पूँजीगत परिव्यय	11.88	1.74	14.65
8	4701	मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	254.58	144.32	56.69
9	6245	प्राकृतिक आपदाओं से राहत हेतु ऋण	0.08	0.08	100.00
10	7610	सरकार को ऋण	30.31	13.19	43.52
कुल			3203.79	691.54	21.59

परिशिष्ट 3.5

लघु शीर्ष 800-अन्य प्राप्तियाँ (40 प्रतिशत एवं अधिक) का संचालन

(संदर्भ: कंडिका 3.7; पृष्ठ 75)

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	मुख्य शीर्ष	विवरण	कुल प्राप्तियाँ	लघु शीर्ष-800 के अधीन प्राप्तियाँ	कालम 4 का कालम 5 से प्रतिशतता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	0051	लोक सेवा आयोग	3.79	3.79	100.00
2.	0050	लाभांश एवं लाभ	0.47	0.47	100.00
3.	0801	ऊर्जा	3.56	3.56	100.00
4.	0435	अन्य कृषि कार्यक्रम	4.39	4.39	100.00
5.	0058	लेखन सामग्री एवं मुद्रण	0.01	0.01	100.00
6.	1053	नागर विमानन	10.11	10.11	100.00
7.	0404	डेयरी विकास	1.06	1.06	100.00
8.	0211	परिवार कल्याण	0.03	0.03	100.00
9.	0700	वृहत सिंचाई	19.27	19.27	100.00
10.	0701	मध्यम सिंचाई	42.01	42.01	100.00
11.	1456	सिविल आपूर्ति	18.91	18.91	100.00
12.	0075	विविध सामान्य सेवायें	8.89	8.87	99.78
13.	0406	वन एवं वन्य प्राणी	4.13	4.12	99.76
14.	0702	लघु सिंचाई	1.97	1.94	98.48
15.	0425	कॉ-आपरेशन	20.31	19.78	97.39
16.	0070	अन्य प्रशासनिक सेवायें	557.90	539.22	96.65
17.	0515	अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	43.60	39.73	91.12
18.	0401	फसल कृषि फर्म	33.55	30.13	89.81
19.	1054	सड़क एवं पुल	69.35	62.24	89.75
20.	0215	जल आपूर्ति एवं स्वच्छता	14.66	12.99	88.61
21.	0059	लोक निर्माण	3.88	3.28	84.54
22.	0235	सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	3.73	3.10	83.11
23.	0852	उद्योग	1.60	1.18	73.75
24.	0041	वाहन कर	632.59	387.87	61.31
25.	0210	चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य	13.32	7.43	55.78
26.	0405	मत्स्य पालन	6.49	3.39	52.23
27.	0250	अन्य सामाजिक सेवायें	1.77	0.84	47.46
28.	0403	पशु पालन	4.32	1.97	45.60
29.	1452	पर्यटन	6.75	2.87	42.52
30.	0202	शिक्षा, खेल-कूद, कला एवं संस्कृति	19.98	8.41	42.09
31.	0071	पेंशन हेतु अंशदान एवं पुनः अदायगी	3.39	1.40	41.30
कुल			1555.79	1244.37	79.98

परिशिष्ट 4.1

प्रतिवेदन में प्रयुक्त व्याख्यान शब्दावली (गणना के आधार) की सूची

शब्दावली	गणना का आधार एवं व्याख्यान
प्राचल की उत्प्लावकता	प्राचल की वृद्धि दर/स.रा.घ.उ. वृद्धि
अन्य प्राचल (Y) के संबंध में प्राचल की उत्प्लावकता (X)	प्राचल की वृद्धि दर (X) प्राचल की वृद्धि दर (Y)
वृद्धि की दर (बृ.द.)	$[(\text{वर्तमान वर्ष की राशि/गत वर्ष की राशि})-1]*100$
विकास व्यय	सामाजिक सेवायें+आर्थिक सेवाएँ
राज्य द्वारा भुगतान किया गया औसत ब्याज	ब्याज भुगतान/[(पूर्व वर्ष के राजकोषीय दायित्व की राशि+वर्तमान वर्ष का राजकोषीय दायित्व/2)*100
ब्याज विस्तार	स.रा.घ.उ. वृद्धि-भारित ब्याज दर
क्वांटम विस्तार	ऋण स्टॉक का * ब्याज विस्तार
बकाया ऋणों की प्रतिशतता में प्राप्त ब्याज	प्राप्त ब्याज [(आरंभिक शेष + ऋण एवं अग्रिम का अंतशेष)/2]*100
राजस्व घाटा	राजस्व प्रप्ति - राजस्व व्यय
राजकोषीय घाटा	राजस्व व्यय + पूँजीगत व्यय + निवल ऋण एवं अग्रिम-राजस्व प्राप्तियाँ विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ
प्राथमिक घाटा	राजकोषीय घाटा - ब्याज भुगतान
वर्तमान राजस्व से शेष (बी.सी.आर.)	राजस्व प्राप्तियाँ घटाव 2048 ऋण के परिहार की कमी के लिए विनियोग के अन्तर्गत अभिलेखित व्यय को छोड़कर सभी योजनागत अनुदान तथा गैर योजना राजस्व व्यय
ऋण धारणीयता	किसी राज्य द्वारा ऋण-स.रा.घ.उ. अनुपात को एक समयावधि तक स्थिर रखने की क्षमता को ऋण ग्राह्यता के रूप में परिभाषित किया जाता है यह किसी संस्था के ऋण निष्पादन की क्षमता को भी निरूपित करती है। अतः चालू प्रतिबद्ध दायित्व के निर्वहन हेतु तरल पर परिचरणी की प्रचुरता तथा अतिरिक्त देनदारियों की खरीद तथा उन देनदारियों से वापसी के मध्य संतुलन बनाये रखने की क्षमता को भी ऋण सहनशीलता कहा जा सकता है। इसका मतलब है कि राजकोषीय घाटा में वृद्धि ऋण निष्पादन की क्षमता में वृद्धि से मेल खाता है।
ऋण स्थिरीकरण	ऋण स्थिरता का अनिवार्य शर्त है कि यदि अर्थ व्यवस्था का वृद्धि पर ब्याज दर या लोक ऋण लोक उधार से अधिक हो इससे, ऋण-स.रा.घ.उ. अनुपात स्थिर हो सकता है बशर्ते प्राथमिक शेष या तो शून्य हो घनात्मक हो या औसत रूप ऋणात्मक हो। दिया गया है कि दर विस्तार (स.रा.घ.उ. वृद्धि दर-ब्याज दर) और मात्रा विस्तार (ऋण गुण दर विस्तार) ऋण स्थिरीकरण के शर्त के अनुसार अगर मात्रा विस्तार प्राथमिक विस्तार शून्य हो तो ऋण स.रा.घ.उ. अनुपात स्थिर होगा या ऋण कुछ समय में स्थिर हो जायेगा। दूसरी तरफ अगर प्राथमिक विस्तार मात्रा विस्तार के साथ ऋणात्मक हो तो ऋण-स.रा.घ.उ. अनुपात बढ़ता रहेगा और अगर घनात्मक हो तो ऋण स.रा.घ.उ. स्थिर रहेगा।
गैर ऋण प्राप्तियों की पर्याप्तता	राज्य का बढ़ा हुआ गैर ऋण प्राप्तियाँ, बढ़े हुए ब्याज दायित्वों और बढ़े हुए प्राथमिक व्यय को पूरा करने के लिए प्रचुर हो तो ऋण धारणीयता को और भी सुविधाजनक बनाया जा सकता है अगर बढ़ा हुआ गैर ऋण प्रप्ति बढ़े हुए ब्याज भार और बढ़े हुए प्राथमिक व्यय को पूरा करने में सक्षम हो ।

परिशिष्ट 4.1 क्रमशः

शब्दावली	गणना का आधार एवं व्याख्यान
उधार ली गई निधि की सकल उपलब्धता	सकल ऋण प्राप्तियों से ऋण मोचन (मूलधन + ब्याज भुगतान) के औसत के रूप में परिभाषित किया जाता है और बताता है कि किस सीमा तक ऋण प्राप्तियों का उपयोग ऋण मोचन में किया है, उधार निधि की सकल उपलब्धता को बताता है।
विनियोग लेखे	विनियोग लेखे विधान सभा द्वारा प्राधिकृत निधियों की कुल राशि (मूल + पूरक) बजट अनुदानों में अंतर्गत प्रत्येक दत्तमत अनुदानों एवं भारित विनियोग एवं उसके सामने प्रत्येक के विरुद्ध किया गया कुल व्यय एवं अव्ययित अनुदानों या आधिक्य प्रत्येक अनुदानों या विनियोगों के अन्तर्गत अनुदानों से किया अधिक कोई व्यय को विधान मण्डल द्वारा विनियमित किये जाने की आवश्यकता है।
स्वायत्त निकायों	स्वायत्त निकायों (साधारणतः पंजीकृत समितियों एवं सांविधिक निगमों) जब कभी यह किया जाता है कि नियत कार्यों को सरकारी व्यवस्था से बाहर जाकर निर्वाहन की आवश्यकता है एवं दिन प्रतिदिन सरकारी तंत्र के दखल अन्दाजी के बिना कुछ मात्रा में स्वतंत्रता एवं लोचता के साथ स्थापित किये जाते हैं।
वचन बद्ध व्यय	राजस्व लेखे पर राज्य सरकार के वचनबद्ध व्यय में मुख्यतः ब्याज भुगतान, वेतन एवं मजदूरी का व्यय, पेंशन एवं अनुदान जिस पर वर्तमान कार्यपालिका का सीमित नियंत्रण है, शामिल है।
राज्य कार्यान्वयन योजना	राज्य कार्यान्वयन अधिकरण में कोई संगठन/संस्था जिसमें गैर सरकारी संगठन जो राज्य सरकार द्वारा राज्य में विशिष्ट कार्यक्रमों कार्यान्वयन हेतु भारत सरकार से निधि प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत किया गया है, उदाहरणार्थ सर्व शिक्षा अभियान हेतु राज्य कार्यान्वयन समिति एवं राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन हेतु राज्य स्वास्थ्य मिशन इत्यादि।
आकस्मिकता निधि	विधान मंडल द्वारा कानून द्वारा अग्रदाय के रूप में आकस्मिकता निधि की स्थापना की गयी है एवं समय समय पर ऐसी राशि का इसमें भुगतान किया जाता है जैसा विधि द्वारा संविधान के अनुच्छेद 115 या 116 के अंतर्गत कानून द्वारा निर्धारित है एवं उक्त निधि विधान मंडल से स्वीकृति के लिए लंबित ऐसे व्यय अदृश्य व्यय को पूरा करने के लिए राज्यपाल के विवेकाधीन रखा जाता है।
राज्य के समेकित निधि	भारत के संविधान के अनुच्छेद 266(1) के अंतर्गत गठित किया गया है जिसमें सभी प्राप्तियाँ राजस्व एवं ऋण प्रवाह सभी समेकित निधि से सभी दत्तमत एवं भारित सभी व्यय विनियोग द्वारा होता है। इसके दो प्रमुख भाग हैं जिनके नाम राजस्व लेखे (राजस्व प्राप्तियाँ एवं राजस्व व्यय) एवं पूंजीगत लेखा (लोक ऋण एवं उधार इत्यादि), शामिल है।
आकस्मिकता देयता	आकस्मिक देयता को अलग एवं स्वतंत्र इकाई के रूप में व्यय किया या नहीं भी किया जा सकता है यह भविष्य के घटना के परिणाम पर निर्भर करता है जैसे कोर्ट केस।
शोधन निधि	एक निधि जिसमें सरकार कुछ समय से ऊपर तक अपने ऋण से मुक्ति के लिए अलग रख दिया जाता है।

परिशिष्ट 4.1 क्रमशः

शब्दावली	गणना का आधार एवं व्याख्यान
गारंटी विमोचन निधि	गारंटियाँ ऋण दाता द्वारा चूकों की स्थिति में राज्य की संचित निधि पर आकस्मिक दायित्व है इसके लिए गारंटियों को बढ़ाया गया है। गारंटी विमोचन निधि की शर्तों के अनुसार वर्ष के दौरान बढ़े हुए गारंटियों के परिणामस्वरूप राज्य सरकार को लंबित आह्वानित गारंटियों के कम से कम 1/5वें भाग तथा संभावित आह्वानित राशि के बराबर योगदान करना होता है।
आंतरिक ऋण	आंतरिक ऋण भारत के लोगों से लिया गया नियमित ऋण शामिल है जिसे भारत में उद्व्याहित ऋण भी कहा जाता है। यह समेकित निधि में जमा ऋण तक ही सीमित है।
प्राथमिक राजस्व व्यय	प्राथमिक राजस्व व्यय का अर्थ ब्याज भुगतान को छोड़कर राजस्व व्यय से है।
पुनर्विनियोग	पुनर्विनियोग से तात्पर्य एक प्राथमिक इकाई के विनियोग से अन्य इस प्रकार के इकाई में निधियों के स्थानान्तरण से है।
अव्ययित अनुदानों का अभ्यर्पण	राज्य सरकार के विभाग को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के समाप्ति से पहले उनके द्वारा नियंत्रित अनुदानों एवं विनियोगों ध्यान में आये सभी पूर्वानुमित अव्ययित अनुदानों को वित्त मंत्रालय को अभ्यर्पित करना होता है।
पूरक अनुदान	संविधान अनुच्छेद 114 के उपबंधों के अनुसार कोई विधि द्वारा प्राधिकृत राशि अगर वर्तमान वित्तीय वर्ष में विशेष सेवा के लिए व्यय किया जाना है वर्ष में उस उद्देश्य के लिए अपर्याप्त पाया जाता है या वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान जब आवश्यकता होती है या कोई नई सेवा पर अतिरिक्त व्यय जिसे उस वर्ष के मूल बजट में नहीं रखा गया है, सरकार संविधान के अनुच्छेद 115(1) के उपबंधों के अनुसार पूरक अनुदान प्राप्त करती है।
उचन्त एवं विविध	प्राप्तियाँ एवं भुगतान की मदें जिसे प्राप्ति या प्रभार के अंतिम शीर्ष में उसे उनकी प्रकृति या किसी अन्य कारण से तुरंत नहीं लिया जा सकता है, अस्थायी रूप से लेखे के मुख्य शीर्ष 8658, उचंत लेखा, क्षेत्र में उचंत एवं विविध में रखा जाता है (आगे के मार्गदर्शन के लिए लेखे के मुख्य शीर्ष के मुख्य/लघु शीर्ष की सूचि के अंतर्गत फुटनोट संदर्भित करना चाहिए) सेवा प्राप्ति जिसमें पूर्ण विवरण नहीं दिया गया है उचंत लेखे शीर्ष में नहीं लेना चाहिए लेकिन "अन्य प्राप्तियाँ" के अंतर्गत राजस्व मुख्य शीर्ष जिससे संबंधित प्रतीत होता है लेना चाहिए एवं पूर्ण विवरण की प्राप्ति के बाद अंतोगत्वा सही शीर्ष में जमा कर स्थानान्तरित करना चाहिए।
लोक लेखा समिति	भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में राज्य के विनियोग लेखे राज्य के वित्तीय लेखे एवं इसी प्रकार के अन्य लेखे या वित्तीय मामलों जैसा इसके समक्ष उपस्थापित किया जाता है या समिति जो समीक्षा के आवश्यक समझे जाँच के लिए विधान मंडल द्वारा गठित एक समिति है।

परिवर्णी शब्द	पूरा नाम
ए.सी. बिल	संक्षिप्त आकस्मिक बिल
ए.ई.	समस्त व्यय
बी.ई.	बजट प्राक्कलन
सी.ए.जी.	भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
सी.ई.	पूँजीगत व्यय
डी.सी. बिल	विस्तृत आकस्मिक व्यय
डी.ई.	विकासात्मक व्यय
एफ.सी.पी.	राजकोषीय सुधार पथ
जी.ओ.आई.	भारत सरकार
स.रा.घ.उ.	सकल राज्य घरेलू उत्पाद
एफ.आर.बी.एम.	बजट प्रबंधन एवं राजकोषीय उत्तरदायित्व अधिनियम, 2005
आई.पी.	ब्याज भुगतान
एम.टी.एफ.पी.एस.	मध्यकालीन राजकोषीय नीतिगत बयान
ओ. एण्ड. एम.	प्रचालन एवं अनुरक्षण
पी.ए.सी.	लोक लेखा समिति
आर.ई.	राजस्व व्यय
आर.आर.	राजस्व प्राप्तियाँ
एस. एण्ड डब्ल्यू	वेतन और मजदूरी
एस.ए.आर.	पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन
एस.एस.ई.	सामाजिक क्षेत्रगत व्यय
टी.ई.	कुल व्यय
14वें वि.आ.	चौदहवें वित्त आयोग
यु.सी.	उपयोगिता प्रमाण-पत्र
भी.ए.टी.	मूल्य वृद्धि कर

© भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
www.cag.gov.in

www.agjh.cag.gov.in